खण्ड-314, अंक-9
मंगलवार, 4 चैत्र, शक संवत् 1897
(25 मार्च, 1975 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 314 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1976

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय			पृष्ठ संख्या
ग्राम गरिला, थाना चकिया, जिला वाराणसी के एक परिवार के पांच व्यक्तियों की हत्या के सम्बन्ध में वक्तव्य	..	..	1051–1055
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें	..	..	1055–1056
1975-76 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या 7—भू-राजस्व, अनुदान संख्या 39—दैवी आपदाओं के कारण सहायता, अनुदान संख्या 71—सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूंजी परिव्यय, अनुदान संख्या 75—जमींदारी उन्मूलन के सम्बन्ध में प्रतिकर, अनुदान संख्या 89—ऋण और अग्रिम सहायता एवं पुनर्वासन (स्वीकृत)	..	..	1056–1096
कार्य-सूची की कुछ मदों का स्थगन	..	..	1096
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें ..	..	..	1096–1097
उत्तर प्रदेश अधिकतम सम्पत्ति सीमा (अन्तरण पर अस्थायी निर्बन्धन) (संशोधन) विधेयक, 1975 (विचारोपरान्त पारित)		..	1097–1101
नत्थियां	..	..	1102–1107

सत्यमेव जयते

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, 25 मार्च, 1975

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन् में अध्यक्ष, श्री वासुदेव सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य 385

अंगने लाल, श्री
अजीजुर्रहमान, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अजीत सिंह सेठी, श्री
अठई राम, श्री
अनवार जमील उर्फ जिमी मियां, श्री (एडवोकेट)
अनवार मोहम्मद, श्री
अनिरुद्ध राय, श्री
अबुल फैज शाह, श्री
अब्दुल बाकी, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल रहमान खां 'नशतर', श्री
अम्बिका प्रसाद सिंह, श्री
अम्मार रिजवी, श्री
अवधेश कुमार, श्री
आगा जैदी, श्री
आनन्द स्वरूप, श्री
आबिद अली, श्री
आशा राम यादव, श्री
इन्द्र लाल, श्री
ईश्वरी सिंह, श्री
उदय नाथ, श्री
उमानाथ श्री
ऊदल, श्री
एदल सिंह, श्री
ए0 सी0 ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश, श्री (जिला मुरादाबाद)
ओम प्रकाश, श्री (जिला शाहजहांपुर)
ओम प्रकाश श्रीवास्तव, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
काजी जलील अब्बासी, श्री
का0 मु0 मुहीउद्दीन, श्री
काली चरण यादव, श्री
काशी नाथ मिश्र, श्री
काशीनाथ मेहरोत्रा, श्री
काशी प्रसाद, श्री
किशन लाल, श्री
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री
कुलतार सिंह, सरदार
कृपा शंकर आर्य, श्री
कृष्ण दत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्णवीर सिंह, श्री
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर
कृष्णा राय, श्री
केदार नाथ अग्रवाल, श्री
केशरी लाल, श्री
कैलाश पति, श्रीमती
कैलाश सिंह, श्री
क्रान्ति कुमार, श्री
खचेड़ू सिंह मोहरिया, श्री
खूब चन्द, श्री
ख्याली राम शास्त्री, श्री
गंगा देवी विशारद, श्रीमती
गंगा स्वरूप, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गजाधर प्रसाद आर्य, श्री
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गया सिंह, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरिजा किशोर मिश्र, श्री
गिरिजा शंकर पाठक, श्री
गुलाब चन्द, श्री
गुलाब सिंह, श्री

गुलाब सेहरा, श्री
गोपाल दत्त ओझा, श्री
गोपी नाथ कामेश्वरपुरी, श्री
गोरे लाल शाक्य, श्री
गोविन्द प्रसाद गैरोला, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री
गौरी शंकर, श्री (एडवोकेट)
चन्दन सिंह, कामरेड
चन्दन सिंह, श्री
चन्द्र नारायण सिंह, श्री
चन्द्र पाल सिंह, श्री
चन्द्र भान आजाद, श्री
चन्द्र शेखर, श्री
चन्द्र शेखर सिंह, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरण सिंह, डाक्टर
चितरंजन स्वरूप, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छज्जू सिंह, श्री
छेदा लाल चौधरी, श्री
जंग बहादुर, श्री (अतरौलिया, जिला आजमगढ़)
जंग बहादुर, श्री (मेहनगर, जिला आजमगढ़)
जंग बहादुर वर्मा, श्री (जिला बारावंकी)
जंग बहादुर सिंह पटेल, श्री
जगदीश अवस्थी, श्री
जगदीश मिश्र, श्री
जगदीश नरायन त्रिपाठी, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ सिंह परमार, श्री
जटाधर बाजपेयी, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जफर आजमी, श्री
जमुना प्रसाद बोस, श्री
जय नारायण सिंह, श्री
जयराज गौतम, श्री
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, डाक्टर
जुगल किशोर यादव, श्री
ज्ञानेन्द्र स्वरूप, श्री
झाम लाल अहिरवार, श्री
झिलमिट, श्री
तेज नरायन त्रिवेदी, श्री
तेज बहादुर, श्री
तेज सिंह, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री
त्रिवेनी, श्री
दघीच सिंह, श्री
दया किशन पाण्डेय, श्री
दया राम भास्कर, श्री
दलसिंह यादव, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दिनेश चन्द्र रस्तोगी, श्री
दीना नाथ सेवक, श्री
दीनानारायण बन महन्थ, श्री
दीनानारायण पाण्डेय, श्री
दुर्योधन, श्री
दुलारा देवी, श्रीमती
देव बहादुर सिंह, श्री
देवी सिंह, श्री
धरम राम, श्री
धर्म चन्द्र मिश्र, श्री
धर्मपाल सिंह, श्री
धर्मपाल सिंह, डाक्टर
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धीरेन्द्र सहाय, श्री
ध्रुव नारायण सिंह, श्री
नजीर अहमद, श्री
नजु राम, श्री
नन्द राम, श्री
नन्हे लाल, श्री
नरेन्द्र सिंह भन्डारी, श्री
नाथू राम, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायण सिंह, श्री
नियाज हसन खां, श्री
निर्भय नरायन सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निसार अहमद अन्सारी, श्री
पुरुषोत्तम कौशिक, श्री
पुरुषोत्तम दास, चौधरी
पूरन चन्द, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री (जिला अलीगढ़)
प्यारे लाल, श्री (जिला मेरठ)
प्यारे लाल वर्मा, श्री (जिला एटा)
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर

प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री
प्रभाकर सिंह, बाबू
प्रभु नारायण, श्री
प्रभु दयाल, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेम दत्त, श्री
फजलुर्रहमान अन्सारी, श्री
फरजन्द अली बेग, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंशीधर, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बनवारी राम यादव, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बल वीर सिंह यादव,श्री
बलवान सिंह, श्री
बल्देव, श्री
बांके लाल, श्री
बादाम सिंह, श्री
बाबूलाल वर्मा, श्री
बाबू सिंह यादव, श्री
बाल कृष्ण सनवाल, श्री
बृजपाल सिंह यादव, श्री
बेचन राम, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
बेनी बाई, श्रीमती
बैजनाथ यादव, श्री
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
भगवत दयाल, श्री
भगवती चरण निर्मोही, श्री
भगवती प्रसाद, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भाभी, श्री
भारत सिंह, श्री
भीखा लाल, श्री
भीम, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भूपसिंह केन, श्री
भोला दत्त सकलानी, श्री
मंगरें सिंह, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मनीराम, श्री
मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शन्नू खां)
मन्ना लाल, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मलखान सिंह, डाक्टर (जिला जालौन)
मलखान सिंह सैनी, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
मलिक मोहम्मद जमीर अहमद खां, श्री
महाबीर प्रसाद, श्री
महाबीर सिंह, श्री
महेश सिंह, श्री
माखन लाल मिश्र, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री
मानबहादुर सिंह, श्री
मुलतान सिंह यादव, चौधरी
मुलायम सिंह यादव, श्री
मुहम्मद असरार अहमद, श्री
मुहम्मद मसूद खां, श्री
मुहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री
मुहम्मद हयात, श्री
मूल चन्द्र राजपूत, श्री
मेघ नाथ सिंह सिसोदिया, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन लाल कपूर, श्री
मोहम्मद अयूब सिद्दीकी, श्री
मोहम्मद असलम, श्री
मोहम्मद रफी खां, श्री
मोहम्मद शकील अहमद, श्री
मोहसिना किदवाई, श्रीमती
यशपाल सिंह, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ ललन जी)
रघुनाथ, श्री
रघुनाथ सिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रघुराज सिंह, श्री (जिला गोंडा)
रघुराज सिंह, श्री (जिला देवरिया)
रणंजय सिंह, राजा
रणजीत सिंह "जूदेव", श्री
रणवीर सिंह, श्री
रफी उल्ला, श्री
रमाकान्त द्विवेदी, श्री
रमेश चन्द्र श्रीवास्तव, श्री
राघवेन्द्र सिंह, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री

राजपती देवी, श्रीमती
राजपाल, श्री
राजबहादुर, श्री
राजबहादुर चन्द, श्री
राज ब्रजराज सिंह, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राजेन्द्र प्रसाद गुप्त, श्री
राजेन्द्र प्रसाद दौनेरिया, श्री
राजेन्द्र शाह, श्री
राजेन्द्र सिंह श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राधा चरण सिंह, ठाकुर
राम अधार, श्री
राम औतार सिंह भदौरिया, श्री
रामगरीब, कैप्टेन
राम चन्द्र बक्श सिंह, श्री
राम चरन शाह, श्री
राम जनम राय, श्री
रामजी सिंह, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामजी लाल केन, श्री
राम दयाल सिंह, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव, श्री
रामदेव यादव, श्री
राम नाथ, बाबा
राम नारायण पाठक, श्री
राम निहोर, श्री
राम पति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह, श्री
राम पाल सिंह यादव, चौधरी
राम पूजन पटेल, श्री
राम प्यारे तिवारी, श्री
राम प्रकाश यादव, श्री
राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री
राम बचन, श्री
राम बाबू, श्री
राममूर्ति, श्री
राम रतन सिंह, श्री
राम रति बिन्द एडवोकेट, श्री
रामरती देवी, श्रीमती
राम रेखा यादव, श्री
राम लखन, श्री (जिला इटावा)
राम लखन, श्री (जिला बस्ती)
राम लाल राही, श्री
रामशिरोमणि दुबे, श्री
राम सजीवन, श्री
राम समझावन, श्री
राम समुझ तिवारी, श्री
राम सुन्दर पांडेय, श्री
राम सेवक धोबी, श्री
राम हर्ष चौधरी, श्री
रामायण राय, श्री
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री
राव मुश्ताक, श्री
रुद्र प्रसाद, श्री
रूप राम, श्री
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्ष्मी नारायण पांडेय, श्री
लक्ष्मी प्रसाद वर्मा, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालू राम, श्री
लोकपति, श्री
विजय कुमार, श्री
विजयपाल सिंह, श्री
विद्याधर, श्री
विमल प्रसाद तिवारी, श्री
विश्राम, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीर सिंह सेंगर, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप भटनागर, श्री
वेद प्रकाश अग्रवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शतरुद्र प्रकाश, श्री
शफीकुर्रहमान बर्क, श्री
शान्ति देवी यादव, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शारदा प्रसाद रावत, श्री
शिव कुमार पाण्डेय, श्री
शिव कुमारी दुबे, श्रीमती
शिव कैलाश, श्री
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद गुप्त, श्री

शिव प्रसाद, श्री
शिव लाल, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति राम, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम मिश्रा, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्यामा देवी, श्रीमती
श्री नारायण, श्री (उर्फ भुलई भाई)
श्रीपाल सिंह, कुंवर
श्रीशचन्द्र, श्री
सच्चिदानन्द बाजपेयी, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सत्यपाल सिंह यादव, श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सत्य वीर सिंह, श्री
सन्त सिंह यूसुफ, श्री
सन्तोष कुमारी पाठक, श्रीमती
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सरस्वती प्रताप सिंह, श्री
सलाहउद्दीन उस्मानी, श्री (उर्फ नव्वन)
सीताराम निषाद, श्री
सुक्खन सिंह, श्री
सुखदा मिश्रा, श्रीमती
सुखदराज सिंह, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल कुरील, श्री
सुरेन्द्र प्रताप नारायन, श्री
सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री
सुल्तान सिंह यादव, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सोहन लाल, श्री (जिला बदायूं)
सोहन लाल लाठ, श्री (जिला रामपुर)
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरिकेवल, श्री
हरिराम, श्री
हरीश कुमार गंगवार, श्री
हरीशचन्द्र खन्डेलवाल, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकम सिंह, श्री
हूब राज, श्री
हेमराज, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री

नोट:—स्वायत्त शासन मन्त्री, श्री जगदीश शरण अग्रवाल भी सदन में उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, 25 मार्च, 1975

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न।]

सुल्तानपुर जिले के बेसिक हेल्थ वर्करों का बकाया वेतन

*1—श्री पूरन लाल (जिला हरदोई)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला सुल्तानपुर के बेसिक हेल्थ वर्कर जो कि राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन योजना के अन्तर्गत राय बरेली (उत्तर) के यूनिट में कार्यरत थे और 1 अगस्त, 1965 से जिला सुल्तानपुर में बेसिक हेल्थ वर्कर के पद पर नियुक्त हुए थे, को वेतन कमेटी की सिफारिश की तिथि लागू होने के दिनांक से 31 अगस्त, 1965 तक के बकाया अवशेष का भुगतान नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री प्रभु नारायण)—

जी हां। प्रश्नगत कर्मचारी दिनांक 1 सितम्बर, 1965 (1-8-65 से नहीं) से जिला सुल्तानपुर में बेसिक हेल्थ वर्कर के पद पर नियुक्त किए गए थे। वेतन कमेटी की सिफारिश लागू होने के दिनांक से 31 अगस्त, 1965 तक के उनके बकाया वेतन के भुगतान हेतु नियमानुसार महालेखाकार की पूव संपरीक्षा स्वीकृति अपेक्षित है।

श्री पूरन लाल—

क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इसे वेतन कमेटी की सिफारिश के लिए कब भेजा गया ?

श्री प्रभु नारायण—

यह सिफारिश का केस 7-8 वर्ष पुराना है, इसमें कोई शक नहीं है।

डाक्टर जितेन्द्र कुमार अग्रवाल (जिला सुल्तानपुर)—

क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इसमें 7-8 वर्ष की देरी क्यों हुई ?

श्री प्रभु नारायण—

इस सम्बन्ध में स्थिति यह है कि जब एक वर्ष के ऊपर का बकाया हो तो उसे आडिटर जनरल के पास आडिट के लिए भेजना पड़ता है, और उनकी आडिट रिपोर्ट आने के बाद ही फिर एडजस्टमेंट की बात होती है।

श्री पूरन लाल—

कितना रुपया बकाया है ?

श्री प्रभु नारायण—

अब इसका तो हिसाब नहीं है।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

वेतन कमेटी द्वारा जो सिफारिशें 7-8 वर्ष से स्वीकृत हैं, स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न पदों के लिए, उनमें से कई वेतन कमेटी की सिफारिश के अनुसार वेतन मान नहीं पा रहे हैं। जैसे स्वास्थ्य निरीक्षक जो पहले 150-260 के वेतन मान में थे, उन के लिए वेतन कमेटी ने 250-380 के वेतन मान की सिफारिश की है। लेकिन वह उनके ऊपर अभी तक लागू क्यों नहीं किया गया है। जो प्रशिक्षित स्वास्थ्य निरीक्षक हैं, उनका वेतन क्रम -वेतन कमेटी की सिफारिश के मुताबिक लागू क्यों नहीं किया गया है ?

श्री प्रभु नारायण—

हमारे माननीय काशीनाथ जी तो स्वयं बुद्धिमान हैं, वें समझते हैं कि इस प्रश्न का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री काशीनाथ मिश्र—

माननीय मन्त्री जी कृपा करके यही बतला दें कि विभिन्न पदों के लिए जो वेतन कमेटी की सिफारिशें हैं वे क्यों नहीं लागू की गयी हैं ?

श्री अध्यक्ष—

आप इसकी सूचना मांग लें।

श्री प्रभु नारायण––

माननीय काशीनाथ जी ने जनरल प्रश्न पूछा है। इसके दो-तीन कारण हैं एक कारण तो यह है कि जहां एक वर्ष के ऊपर का केस है, उस बारे में आडीटर जनरल से आडिट कराने के बाद ही उसके एडजस्टमेंट का सवाल पैदा होता है, उसके पेमेंट की बात होती है। जहां तक ग्रेड के फिक्सेशन की बात है, उसमें सर्विसेज की सीनियारिटी का प्रश्न है और सीनियरिटी के प्रश्न पर ही ग्रेड फिक्सेशन की बात होती है। सर्विसेज के जितने भी रेकार्ड्स हैं वह सब सी0 एम0 ओ0 के दफ्तर में होते हैं। वहां से सारे रेकार्ड्स मंगाने के बाद ही एडजस्टमेंट की बात होती है। मैं श्री काशी नाथ जी की इस बात से सहमत हूं कि इसमें विलम्ब हुआ है और इस सम्बन्ध में शीघ्र ही आवश्यक कार्य करना है। विभाग की जिम्मेदारी लेने के बाद इस बात का प्रयास किया जा रहा है, कि इस काम को जल्द से जल्द निबटा दिया जाय।

श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच))––

जो वेतन कमेटी की सिफारिश भेजी गयी और उसके बाद फिर उसे आडिटर जनरल के यहां भेजा गया, तो उस सिफारिश को वहां से मंगवा करके, जो कर्मचारी पीड़ित हैं और जिनको वेतन नहीं दिया गया है, उनको कब तक दिलवाया जाएगा, इसको माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे ?

श्री प्रभु नारायण––

इस सम्बन्ध में जितनी जल्दी हो सकती है, उतनी जल्दी की जाएगी।

तारांकित प्रश्न

मेडिकल कालेजों में प्रवेश हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के आरक्षण का सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवैध घोषित होना

*1––**श्री अठई राम (जिला इलाहाबाद)––**

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के मेडिकल कालेज में ग्रामीण क्षत्रों के सन्दर्भ में सरकार का आरक्षण आदेश सर्वोच्च न्यायालय से दिनांक 19 नवम्बर, 1974 को अवैध घोषित कर दिया गया है ? यदि हां, तो उसका आधार क्या है और इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री प्रभु नारायण––

जी हां, सर्वोच्च न्यायालय ने एम0 बी0 बी0 एस0 कोर्स के प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए सीटों का आरक्षण अवैध घोषित किया है। उसके मतानुसार उक्त आरक्षण इस आधार पर अमान्य है कि ग्रामीण क्षेत्र के निवासी सामाजिक एवं शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हुए वर्ग की संज्ञा नहीं पा सकते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की उपर्युक्त व्यवस्था के प्रकाश में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आरक्षण आगामी शैक्षिक सत्र से समाप्त कर दिया गया है।

श्री अठई राम––

मान्यवर, स्वास्थ्य मन्त्री यह जानते हैं कि 80 फीसदी जनता देहातों में रहती है, तो मैं कहना चाहता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का जो आधार है, उसको मानते हुए ग्रामीण क्षत्रों के अभ्यर्थियों के लिए सीटों का आरक्षण अति आवश्यक है। तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में कानून में संशोधन करके उनके लिए सीटें आरक्षित करने का आदेश निकालेगी ?

श्री प्रभु नारायण—

संविधान की जो स्थिति है, और सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय है, उसको देखते हुए यह संभव नहीं है।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, मैं पूछना चाहूंगा कि प्रदेश की सरकारों ने और केन्द्र की सरकार ने भी सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बावजूद, कई मर्तबा सम्बन्धित कानूनों में संशोधन किया है। इसका एक जीता जागता उदाहरण अमर नाथ चावला का चुनाव के खर्च के सम्बन्ध में जो मुकदमा है, वह है। रातों रात अध्यादेश से कानून में परिवर्तन कर दिया गया, क्योंकि एक चुनाव याचिका प्रधान मन्त्री के खिलाफ अभी विचाराधीन है। तो इस स्थिति को देखते हुए, जब कि प्रदेश की सरकार और केन्द्र की सरकार ने अनेक मर्तबा संविधान और सम्बन्धित कानूनों में परिवर्तन किया है तो यह आवश्यक है कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आरक्षण किया जाय। तो क्या प्रदेश की सरकार इस सम्बन्ध में कोई निर्णय लेने की कृपा करेगी और अगर उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर यह है, तो क्या केन्द्रीय सरकार को इस सम्बन्ध में कोई सुझाव देगी ?

श्री प्रभु नारायण—

इस समय इस तरीके का कोई सुझाव विचाराधीन नहीं है।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

मान्यवर, मेरा भी एक महत्वपूर्ण सवाल है ?

श्री अध्यक्ष—

इसमें पूछ लीजिए, यह ऐसा प्रश्न है, जिसमें गुन्जाइश नहीं है।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

मान्यवर, अगर सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दे दिया है तो क्या प्रदेश सरकार...

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

रातों रात अध्यादेश हो गए हैं।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

मान्यवर, सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय इसमें दिया है तो इस सम्बन्ध में प्रदेश की सरकार को कोई याचिका प्रस्तुत करनी चाहिए ?

श्री अध्यक्ष—

हां, यह प्रस्तुत हो सकती है। माननीय पुरुषोत्तम कौशिक ने यह कहा कि सरकार राष्ट्रपति को कोई याचिका पेश करेगी संशोधन करने के लिए, यह इनका प्रश्न है।

श्री प्रभु नारायण—

मान्यवर, इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करने की स्थिति इस समय नहीं है। मने पहले ही स्थिति साफ कर दी है।

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव (जिला जौनपुर)—

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि हाई कोर्ट के इस फैसले के कारण जिन छात्रों का प्रवेश रद्द हो गया है उनके बारे में सरकार क्या कर रही है ?

श्री प्रभु नारायण—

मान्यवर, जिन लोगों का चयन हो चुका था, उनके चयन के उपरान्त उनको एडमीशन दे दिया गया था। चूंकि सरकार इस राय की थी कि ग्रामीण क्षेत्रों का आरक्षण सही है, ऐसी स्थिति में हम हाई कोर्ट के फैसले के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने कोई डाइरेक्शन नहीं दिया कि एडमीशन नहीं होना चाहिए। प्रश्न यह है कि कैनसीलेशन के कारण जो एडमीशन होने चाहिए थे उनके सम्बन्ध में सरकार ने क्या निर्णय लिया? इस सम्बन्ध में हमने निर्णय किया कि नम्बर के अनुसार 75-76 के सत्र में जो 65-66 विद्यार्थी हैं, जहां-जहां स्थान, जिन-जिन मेडिकल कालेजों में हैं, इस वर्ष एडमीशन कर दिए जायेंगे।

बदायूं जिले की टाउन एरिया कुंवर गांव व सैदपुर को भूतपूर्व ग्राम प्रधानों द्वारा कागजात का सौंपा जाना

*2—**श्री** मुहम्मद अमरार अहमद (जिला बदायूं)—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि जनपद बदायूं के ग्राम कुंवरगांव एवं सैदपुर में जो दोनों सब-टाउन एरिया हैं उनके चेयरमैन या अन्य अधिकारियों को अभी तक ग्राम सभा एवं ग्राम समाज से सम्बन्धित कागजात व अन्य वस्तुयें नहीं दी गई हैं? यदि हां, तो इसका क्या कारण है तथा सरकार ने अब तक इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री जगदीश शरण अग्रवाल)—

टाउन एरिया कुंवरगांव को समस्त कागजात प्राप्त हो चुके हैं। टाउन एरिया सैदपुर को अवश्य कुछ कागजात ग्राम समाज सैदपुर से नहीं प्राप्त हुए हैं क्योंकि वहां के प्रधान की मृत्यु हो जाने के कारण वह उनके घर से प्राप्त नहीं हो सके। शासन के स्तर पर इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गई क्योंकि शासन को यह मामला नहीं भेजा गया था।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—

मान्यवर, क्या सरकार यह बताएगी कि मैंने स्वयं कई पत्र सरकार को लिखे कि जानबूझ कर यह कागजात टाउन एरिया को वहां के उपाध्यक्ष नहीं दे रहे हैं? उसमें सरकार ने क्या कार्यवाही की?

श्री जगदीश शरण अग्रवाल—

जिलाधीश को लिखा है और उन्होंने सूचना दी है कि 21 कागज नहीं मिले हैं। यह कागजात ऐसे हैं कि उनसे टाउन एरिया के कार्य में कोई बाधा नहीं है, और न आर्थिक हानि ही।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—

मान्यवर, मन्त्री जी यह बता दें कि जो उपाध्यक्ष थे उनको भूतपूर्व अध्यक्ष से क्या-क्या कागज मिले हैं।

श्री जगदीश शरण अग्रवाल—

मान्यवर, सारे कागज मिल गए हैं। केवल 21 कागज नहीं मिले हैं। उसकी सूची मेरे पास है, यदि इजाजत दें तो उनको पढ़ूं।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—

मान्यवर, चूंकि वहां के कलेक्टर ने लिखा है कि जरूरत नहीं थी। तो जब कागजात देखे नहीं हैं, प्रधान से नहीं मिले हैं। तो किस आधार पर लिख दिया है कि वह कागज आवश्यक नहीं है? सरकार ने उसको कैसे मान लिया?

श्री जगदीश शरण अग्रवाल—

मान्यवर, उन्होंने जानकारी की है कि कहां से कागजात नहीं मिले हैं। उसकी तालिका बनाई है, और उसमें 21 संख्या है। इन कागजातों को देखकर वे इस निश्चय पर आए कि उनके न मिलने से कार्य रुक नहीं सकता है, जैसे ब्लैक रजिस्टर और अन्य कागज। फिर आदमी मर गया और कागज नहीं दिया तो कोई राज नहीं रह गया।

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य कह रहे हैं कि कागज उपाध्यक्ष के पास हैं।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—

मान्यवर, उन्होंने पूरे कागज नहीं दिए, चूंकि वहां अनियमित डब्ल्यू रूप से हजारों रुपये की गड़बड़ी हुई है, इसलिए छिपाया गया है। वहां के बी0 एल0 डब्ल्यू0 से सब चीजें मिल सकती हैं। 7 वर्ष हो गए लेकिन कागज नहीं मिले। लेकिन यहां कह दिया कि शासन को कोई चीज पता नहीं। मैंने सम्बन्धित मन्त्री को और जिलाधीश को 50 पत्र लिखे हैं।

श्री जगदीश शरण अग्रवाल—

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य से प्रार्थना कर सकता हूं कि कृपा करके एक पत्र मुझे भी लिखने का कष्ट करें जिससे पूरी जानकारी प्राप्त कर उनको दे सकूं।

श्री धीरेन्द्र सहाय (जिला पीलीभीत)—

मान्यवर, यह स्थिति सारे प्रदेश में है कि बहुत से ऐसे गांव हैं, जिनमें कागजात नहीं दिए गए हैं। तो क्या मन्त्री जी ऐसे आदेश पारित करेंगे कि एक टाइम लिमिट मुकर्रर कर दें कि जब तक कागजात नहीं दिए जायेंगे, तो कार्यवाही की जाएगी ?

श्री जगदीश शरण अग्रवाल—

मान्यवर, जैसी स्थिति होगी वैसा किया जाएगा।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—

मान्यवर, सम्बन्धित अधिकारियों ने शासन को अब तक क्यों अवगत नहीं कराया कि कागजात नहीं मिल रहे हैं। तो क्या मन्त्री जी ने उन अधिकारियों से कोई जवाब तलब किया कि अब तक क्यों विलम्ब करते रहे ?

श्री जगदीश शरण अग्रवाल—

मान्यवर, मैंने निवेदन किया कि जानकारी तब हुई जब वह मर गए। यदि माननीय सदस्य लिख कर दे देंगे कि किस आदमी के पास कागजात हैं तो उसकी पूरी जानकारी करा लेंगे।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—

मान्यवर, प्रधान के पास से टाउन एरिया के पास में बाद में कागज आए हैं। यदि कागज कम थे तो शासन को क्यों इत्तला नहीं दी गयी कि यह-यह कागज कम हैं ? उन अधिकारियों का जवाब तलब क्यों नहीं किया गया ?

श्री जगदीश शरण अग्रवाल—

मान्यवर, मैंने निवेदन यह किया कि उनको कागज मिल गए हैं। सिर्फ 21 कागज नहीं मिले और उसकी सूची मेरे पास है। जो कागज नहीं मिले वह मृतक के पास थे जिसके खिलाफ अब कोई कायवाही नहीं की जा सकती।

*3—श्री मुहम्मद असरार अहमद—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।]

इलाहाबाद नगरमहापालिका को मलिन बस्ती सुधार योजनान्तर्गत दिया गया अनुदान

*4—श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि सन् 1974 में इलाहाबाद नगरमहापालिका को मलिन बस्ती सुधार योजना में हरिजनों तथा अन्य की बस्तियों में सुधार करने के लिये दस लाख रुपया दिया गया जिसमें से 6 से 8 लाख रुपया के बीच का गबन कर लिया गया और फलस्वरूप सुधार योजना खटाई में पड़ गई ? यदि नहीं, तो यह दस लाख रुपया महापालिका के पास किस मद में जमा है ?

श्री जगदीश शरण अग्रवाल—

जी नहीं। इलाहाबाद नगरमहापालिका को मलिन बस्ती पर्यावरण सुधार योजना के अन्तर्गत जो 10.00 लाख रुपये का अनुदान शासन द्वारा दिया गया था उसमें से कुछ रुपये का सीमेन्ट खरीदा गया है और शेष रुपया डेवलपमेंट फन्ड एकाउन्ट में जमा है।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी आवास विभाग से बहुत दिनों तक हाउसिंग बोर्ड की हैसियत से सम्बन्धित रहे हैं, तो मैं यह जानना चाहूंगा कि कितनी बोरी सीमेंट खरीदी गई और कितने रुपये की, और कितना रुपया डेवलपमेंट एकाउन्ट में जमा किया गया?

श्री जगदीश शरण अग्रवाल—

मान्यवर, स्थिति इस प्रकार है कि इस महापालिका को एक बहुत ब ा सीमेंट का परमिट मिल चुका था, रुपया इनके पास इकट्ठा था, तो वहां के नगर प्रमुख ने यह आदेश दिया कि इस रुपय से सीमेन्ट खरीद लिया जाय जो परमिट उनके पास उपलब्ध था। और वह सीमेन्ट खरीद लिया गया 8,13,069 रुपये का। शेष रुपया बैंक में जमा है।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

मान्यवर, मैं यह जानना चाहूंगा कि मलिन बस्ती सुधार योजना की जब कोई योजना प्रारम्भ होती है तो वह योजना राज्य सरकार के पास आती है, और उसका नक्शा पा: हो जाने के बाद काम शुरू होता है। क्या कारण था कि जब 10 लाख रुपये का अनुदान इस कार्य के लिए दिया गया, तो उस अनुदान में से लगभग 9 लाख रुपये की सीमेंट ही क्यों खरीद ली गई और वह सीमेंट कहां खर्च हुई ?

श्री जगदीश शरण अग्रवाल—

ठीक ह। जो रुपया मलिन बस्ती के एन्वायरनमेंट के इम्प्रूवमेंट के लिए था: वह रुपया वहीं खर्च होगा। मैंने बताया कि महापालिका के नाम से परमिट मिल गया था अत: वहां के नगर प्रमुख ने यह उचित समझा कि उसका सीमेन्ट खरीद लिया जाय। यह सही है कि सीमेंट आवश्यकता से ज्यादा थी लेकिन उन्होंने उस सीमेंट को दूसरी एजन्सी को बच कर वह रुपया अलग करना शुरू कर दिया और 4,04,034 रुपये के मूल्य का सीमेंट बेंच कर बैंक के एकाउन्ट में जमा कर दिया।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

वह सीमेंट कहां बेचा गया ?

श्री जगदीश शरण अग्रवाल—

सीमेंट का डिस्पोजल निम्न प्रकार हुआ :

जिला सहकारी फेडरशन को सिविल सप्लाईज विभाग द्वारा 14,300 बोरी, लगभग 3,00,300 रुपये की, वहां के जो कान्ट्रेक्टर्स हैं जिनको सीमेंट देना जरूरी है 1404 बोरी लगभग 29,484 रुपये की, आवास विकास परिषद् को 74,250 रुपये की।

श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, यह परमिट किसके नाम से दिया गया था और यह आदेश किसने दिए कि सीमेंट बेच दिया जाय ? क्या खाद्य मन्त्री के इस सम्बन्ध में आदेश प्राप्त कर लिये गए थे।

श्री जगदीश शरण अग्रवाल—

यह परमिट नगरमहापालिका के नाम से था और वहां के नगर प्रमुख ने इस प्रत्याशा में कि फिर सीमेंट मिले या न मिले इस सीमेंट को खरीद लिया और आवश्यकता के अनुसार समय-समय पर विभिन्न विभागों को सीमेंट बेच दिया और रुपया रिकूप कर लिया।

श्री मधुकर दिघे—

यह कौन से सरकारी आदेश से सीमेंट के बेचने का काम किया गया ?

श्री जगदीश शरण अग्रवाल—

मैंने यह बतलाया कि सरकारी बिभाग की अनुमति से।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद (जिला गोरखपुर)—

सीमेंट जब अन्य एजेंसियों को दिया गया तो क्या सरकार इस बात की जानकारी करायेगी कि वह ब्लक से बच दिया गया और कह दिया गया कि फलां-फलां को बेच दिया गया। तो क्या यह बात सही है ? क्या माननीय मन्त्री बतलायेंगे कि जहां-जहां सीमेंट भेजा गया वहां उतनी मात्रा में काम हुआ भी है या नहीं ?

श्री जगदीश शरण अग्रवाल—

इसमें जो माननीय सदस्य को आशंका है उसमें ब्लैक की कोई गुन्जाइश नहीं है। सीमेंट अधिकृत विभागों को सप्लाई विभाग के जरिए से दिया गया और उसका रेट तथा कुल मूल्य मैं बतला चुका हूं। ब्लैक में बिल्कुल नहीं दिया गया।

श्री मोहम्मद मसूद खां (जिला आजमगढ़)—

क्या सरकार बतायेगी कि कितनी मलिन बस्ती बनी और कितने घरों का सुधार हुआ ?

श्री जगदीश शरण अग्रवाल—

इसमें अभी टेन्डर इन्वाइट किए गए हैं। सीमेंट उस रुपये का इस्तेमाल करने के लिए खरीदा गया था। नक्शा मंजूर हो चुका है, टेंडर मांगे गए हैं और कार्य आरम्भ हो जायगा।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

जो सीमेंट खरीदा गया उससे पहले एस्टिमेट लगाया गया कि कितनी बस्तियों का सुधार करेंगे और नए मकान बनायेंगे ?

श्री जगदीश शरण अग्रवाल—

मने निवेदन किया ये दोनों बातें अलग हैं। वह रुपया नगरपालिका के पास था और उनको सीमेंट का परमिट मिला हुआ था और उन्होंने उस परमिट के जरिए सारा सीमेंट खरीद लिया। जहां तक योजना का सम्बन्ध है, विकास प्राधिकरण से सूचना प्राप्त हुई है कि स्वीकृत कार्य में कोई व्यय नहीं हुआ है और वह कार्य आरम्भ होने जा रहा है।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

मेरी जानकारी यह है कि जब वर्तमान मुख्य मन्त्री केन्द्र में संचार मन्त्री थे तो इलाहाबाद के नगर प्रमुख ने 60 हजार बोरी का परमिट कटवाया और 10 लाख रुपये का अनुदान लिया मलिन बस्ती सुधार योजना के लिए लेकिन आज तक एक ईंट और एक बोरी सीमेंट भी नहीं लगी और मारा का सारा सीमेंट नगर प्रमुख, मुख्यनगर अधिकारी और नगर अभियन्ता (विकास) ने चोर-बाजार में बेच दिया। सीमेंट कन्ट्रोल से मिलता है उसे बेचने का अधिकार किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं है जिसे परमिट मिल गया हो। वह अगर उसे इस्तेमाल नहीं करता है, तो नियमानुसार वह उस परमिट को सरेंडर करेगा। ऐसी स्थिति को देखते हुए, यह स्पष्ट आरोप है कि नगर प्रमुख, मुख्य नगराधिकारी तथा नगर अभियन्ता (विकास) ने इस सारे सीमेंट को ब्लैक में बेच दिया और क्या इस सारे मामले को माननीय मन्त्री जांच करायेंगे ?

(व्यवधान तथा शोरगुल)

श्री जगदीश शरण अग्रवाल—

जांच का प्रश्न नहीं होता इसमें दो तीन बातें स्पष्ट हैं कि 10 लाख रुपये का अनुदान था। माननीय प्रश्नकर्ता ने कहा कि इतने रुपये का गबन हो गया।

एक पैसा भी गबन नहीं हुआ है ..... (व्यवधान)

श्री मधुकर दिघे—

8 लाख रुपये का सीमेंट खरीदा गया था .....

श्री बांके लाल (जिला देवरिया)—

देश का सारा पैसा ऐसे ही बरबाद हो जाएगा।

श्री अध्यक्ष—

8 लाख रुपये का उन्होंने सीमेंट खरीदा, यह हो सकता है, लेकिन यह भी हो सकता है कि उसे ब्लैक में बेच दिया हो और रुपया जमा कर दिया हो। जिसको आप परमिट देते हैं, क्या उसको यह इजाजत है कि वह चाहे उसका जहां इस्तेमाल करे। नहीं तो उसको समर्पण करना चाहिए था।

श्री जगदीश शरण अग्रवाल—

मैं यही निवेदन कर रहा हूं कि 8 लाख रुपये .....

श्री अध्यक्ष—

रुपया हो सकता है, सब हो लेकिन अगर सरकार ने या अधिकारियों ने किसी प्रयोजन के लिए ही सीमेंट दिया है और उस प्रयोजन में वह खर्च नहीं किया गया है तो उसको लौटा देना चाहिए।

श्री जगदीश शरण अग्रवाल--

आप ठीक कह रहे हैं। दो विकल्प थे। एक तो सीमेंट का परमिट मिलने के बाद उसको सरेन्डर किया जा सकता था। और दूसरा यह था कि उसका प्रयोग किया गया, बेचा नहीं गया। दूसरा विकल्प उन्होंने अपनाया। स्थानीय निकायों का कहना यह है कि जब कोई प्रत्याशा का कार्य होता है, तो उसमें टेन्डर मांगे जाते हैं। इसी प्रत्याशा से यह सीमेंट खरीदा गया था कि जो विभाग में कार्य होंगे उसे यह दिये जायेंगे। मान्यवर, आप जानते हैं, जिला सहकारी फेडरेशन कोई व्यक्तिगत संस्था तो नहीं है। उसके लिए वह सीमेंट पूरा आ गया.....उस वक्त आवश्यकता से वह ज्यादा था और जिस कार्य के लिए वह चाहिए था, उसके लिए न करके दूसरे जो अन्य कार्य थे, जिनके लिए फौरन यह रिलीज करना जरूरी था ताकि उनका कार्य सफर न करे। इसलिये वहां के सिविल सप्लाई आफिसर की अनुमति लेकर वह फेडरेशन को दे दिया तो इसमें अनियमितता कहां हुई ?

श्री अध्यक्ष--

मान लिया वह फेडरेशन को दे दिया, तो जो तर्क आप दे रहे हैं उसका उपयोग उन्होंने कहां किया। अगर नगर महापालिका ने खर्च नहीं किया तो यह भी देखने की बात थी कि फेडरेशन ने उसका उपयोग ठीक ढंग से किया ?

श्री काशीनाथ मिश्र--

फेडरेशन में चोर-बाजारी होती है।

श्री जगदीश शरण अग्रवाल--

उनको चाहिए था कि वह रुपया सरेन्डर कर देते या सीमेंट मिलने के बाद उसे सरेन्डर कर देते। उन्होंने रुपया सरेन्डर किया और सीमेंट का इस्तेमाल सार्वजनिक कार्यों में किया..... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप इस प्रश्न पर इतने उत्तेजित क्यों हैं....

श्री मुहम्मद असरार अहमद--

अध्यक्ष महोदय, इसमें आप दो घंटे की चर्चा करा दें। उससे बहुत सी बातें निकलेंगी ?

श्री अध्यक्ष--

आप लिखकर देंगे तब उस पर विचार करेंगे।

नगर महापालिका इलाहाबाद के मुख्य नगर अधिकारी के बंगले का गिराया जाना

*5--श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इलाहाबाद में महात्मा गांधी मार्ग पर स्थित मुख्य नगर अधिकारी, नगरमहापालिका, इलाहाबाद का निवास भवन जिसका स्वामित्व इलाहाबाद नगरमहापालिका में निहित था, किसके आदेश से और कब तथा क्यों गिरा दिया गया ? इस भवन की क्या कीमत थी ? इस भवन में जो नगरमहापालिका की चल संपत्ति थी वह क्या-क्या थी और अब वह कहां है ?

श्री जगदीश शरण अग्रवाल--

जी हां। भूतपूर्व नगर प्रमुख, श्री रामजी द्विवेदी के आदेश दिनांक 9 अप्रैल, 1974 से मई, जून, 1974 में क्षेत्र को विकसित करने के उद्देश्य से बंगल को गिरा दिया गया।

यह नहीं कहा जा सकता कि इस भवन की क्या कीमत थी, क्योंकि गिराने से पूर्व मूल्यांकन नहीं किया गया था। चल सम्पत्ति क्या थी और वह कहां है इसका पृथक-पृथक विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 1102-1105पर।)

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

मान्यवर, जो सूचना सलग्न है उसमें यह भी दिया हुआ है कि इस भवन में 17 सीलिंग फैन थे उसका मतलब हुआ कम से कम उसमें 17 कमरे होंगे या उससें एक आध कम या ज्यादा जरूर होंगे। तो मेरा प्रश्न है कि जो नगर महापालिका अधिनियम है, उसमें किसी भी नगर प्रमुख को इस बात का अधिकार नहीं है, कि वह आदेश दे किसी भवन को गिरा दिया जाय। मान्यवर, इस भवन की कीमत कम से कम 10 लाख रुपये थी। माननीय स्वायत्त शासन मन्त्री जो आवास विभाग में रहे हैं, वह भली-भांति जानते हैं। तो नियमावली के अनुसार यदि कोई बिल्डिग गिराई जाय तो उसकी कीमत निर्धारित की जानी चाहिए थी। उसका मलवा, ईंट आदि का रुपया भी जमा किया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में उनका उत्तर आया है कि यह नही कहा जा सकता है कि इस भवन की कीमत क्या थी, क्योंकि गिराने के पूर्व मूल्यांकन नहीं किया गया था। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि यदि किसी ऐसे व्यक्ति ने आदेश जारी किए जो अधिनियम के अन्तर्गत आदेश पारित नहीं कर सकता है, तो गलत तरीके से भवन गिराया गया और भवन का मूल्यांकन भी नहीं किया गया और इस प्रकार से 15 लाख रुपये की इमारत ढाह दी गई। तो उसके सम्बन्ध में जो भी दोषी हों चाहे वह सरकारी हों या निर्वाचित अधिकारी हों, उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी ?

श्री जगदीश शरण अग्रवाल--

मान्यवर, 15 लाख रुपये की जो बात कही उसके बारे में यह पूरा भवन सन् 1922 में 66 हजार रुपये में खरीदा गया। इसकी सन् 1955 में जो डिप्रीसियेशन वेल्यू निकाली वह 21 हजार 22 रुपया थी। उसके बाद 1960-61, 1963-64 और 1973-74 में कुछ रुपया खर्च हुआ जो करीब 42 हजार रुपया है। तो इस तरह से करीब 21 हजार वह और इसको लगा कर 62,63 हजार के करीब मूल्य रह जाता है। जो जहां तक यह कि 17 फैन थे इसलिये 17 कमरें होने चाहिये तो उसमें ऐसा भी हो सकता है कि किसी कमरे में दो भी फैन लग सकते हैं, किसी में तीन भी हो सकते हैं तो....

श्री मुहम्मद असरार अहमद--

किसी में नहीं भी हो सकते हैं ?

श्री जगदीश शरण अग्रवाल--

जो असरार साहब कह रहे हैं वह ठीक है। मान्यवर, मूल प्रश्न आपने कहा कि मूल्यांकन क्यों नहीं कराया गया। इसलिए मैं समझता हूं कि नहीं कराया गया कि वह किसी को बेचने नहीं जा रहे थे। यह नगरपालिका के विकास के लिए था। बाकी जो (व्यवधान) चल संपत्ति थी उसका प्रयोग किया गया।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

मेरा प्रश्न यह था कि जिसने इसके आदेश दिए उसको नगरपालिका अधिनियम में अधिकार नहीं दिया गया है कि वह आदेश दे दे। चूंकि वर्तमान मुख्य मन्त्री जो इलाहाबाद से आते हैं उनका उसके ऊपर वरदहस्त था.....

श्री अध्यक्ष--

आप प्रश्न करें, आक्षेप नहीं।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

यह नियम के विरुद्ध किया गया तो उस सम्बन्ध में जांच करायेंगे क्योंकि आप स्वच्छ प्रशासन का नारा देते हैं और भ्रष्टाचार मिटाने की बात माननीय मुख्य मन्त्री जी करते हैं। मैं इस सम्बन्ध में 115 चिट्ठियां लिख चुका हूं स्वायत्त शासन विभाग को और मुख्य मन्त्री जी को तो उसमें जवाब वहीं आता है, रोटीन वे में कि छानबीन की जा रही है।

श्री अध्यक्ष—

उनका प्रश्न यह है कि किस अधिकारी ने कैसे गिरवाया, क्या उसको अधिकार था या नहीं ?

श्री जगदीश शरण अग्रवाल—

इसमें मान्यवर, 10 जुलाई, 1974 को नगर महापालिका ने रेजोल्यूशन पास किया था। नगरपालिका ने इस रेजोल्यूशन के द्वारा उसको कनफर्म किया जो प्रत्याशा नगर प्रमुख ने की। उसे रेजोल्यूशन से कनफर्म किया।

श्री अध्यक्ष—

यह नगर प्रमुख गवर्नर हैं, या कोई राष्ट्रपति, जो चाहें करें ?

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

यह जो कहा कि यह जो नगर प्रमुख थे, उन्होंने इस आशा में कि म्युनिसिपल बोर्ड आगे जाकर उनके कार्य को कन्फर्म कर देगा, आर्डर दिया, तो क्या नगर प्रमुख को यह आदेश है कि म्युनिसिपल कारपोरेशन के रेज्यूलेशन के बिना भी किसी सम्पत्ति को इस ढंग से गिरा सकें या नष्ट कर सकें ?

श्री जगदीश शरण अग्रवाल—

मैं समझता हूं कि ठीक यह होता कि वह पहले प्रस्ताव पास करा कर तब यह कार्य करते, लेकिन उन्होंने आवश्यकता समझते हुए प्रस्ताव पहले पास कराया और जो वहां की संस्था थी नगर महापालिका, उसने इसके कार्य का बाद में समर्थन किया और नियमानुसार प्रस्ताव पास हुआ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मन्त्री जी ने अभी स्वीकार कर लिया है कि यह जो नगर प्रमुख हैं, इन्होंने अनुचित ढंग से यह कार्य कराया, तो उन्होंने जो गैर कानूनी कार्य कराया है, इसके लिए आपने उनके खिलाफ कोई कार्यवाही की है ? यदि नहीं की है, तो क्या अब करने की कृपा करेंगे ?

श्री जगदीश शरण अग्रवाल—

अब तो यह नगर प्रमुख हैं नहीं। इसमें इम्प्रोपरायटी तो हो सकती है, किन्तु कोई ऐसी गलती नहीं, जिस पर कोई कार्यवाही की जा सके। उन्होंने एक जनहित में कार्य किया है और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह था कि वहां के नगरमहापालिका ने, जो प्रत्याशा में कार्य किया गया था, उसका समर्थन किया। इस तरह से उस पर मोहर भी लग चुकी है।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—

आवश्यकता थी, तो मीटिंग फौरन करके प्रस्ताव पास कराके काम करने में उन्हें क्या दिक्कत थी ?

श्री जगदीश शरण अग्रवाल—

इसका जवाब तो वही दे सकते हैं। मैंने तो स्वयं कहा—यह उचित होता कि वह पहले प्रस्ताव पास करा लेते।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—

माननीय मालवीय जी ने जो चिट्ठी लिखी, अनेक बार मन्त्री जी को लिखी थी, तो उन नगर प्रमुख के खिलाफ कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई ?

श्री जगदीश शरण अग्रवाल—

मुझे ऐसी चिट्ठी की सूचना नहीं है, जो उसे गिराने और प्रस्ताव का कन्फर्मेशन होने के बीच में भेजा गया हो। यदि होगा तो देख लिया जाएगा।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—

क्या आप इसकी इन्क्वायरी करायेंगें, क्या इस बात का आप आश्वासन देंगे ?

श्री जगदीश शरण अग्रवाल—

मेरा सदैव आश्वासन है। जो माननीय सदस्यों की भावना होगी उसको जरूर देखा जाएगा, लेकिन इसमें तो स्पष्ट है, उस संस्था को अधिकार था रेजेक्ट करने या कन्फर्म करने का और उसने कन्फर्म कर दिया, तो अब हम उसमें क्या कार्यवाही करें ?

श्री काशीनाथ मिश्र—

इस जवाब सवाल से यह मालूम हुआ कि नगरमहापालिका का प्रस्ताव था और कायदा यह है कि कोई मकान जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हो जाए तो इन्जीनियर पहले उसकी रिपोर्ट करेगा, कि यह भवन रहने के काबिल नहीं है। तो जब कहते हैं कि नगर प्रमुख ने यह जनहित में किया, इससे सबित हो गया कि इन्जीनियर ने यह रपट दी थी कि यह भवन या घर रहने लायक नहीं रह गया है, इसको ध्वस्त कर दिया जाए। तो क्या ऐसी रिपोर्ट थी ?

श्री जगदीश शरण अग्रवाल—

यह सन् 1922 का खरीदा हुआ मकान है ....

श्री काशीनाथ मिश्र—

इससे नहीं होगा। चाहे जब का खरीदा हुआ हो, लेकिन नगर अभियन्ता की रिपोर्ट जरूर होना चाहिए। चाहे जब का भवन हो, इससे क्या मतलब है, ताजमहल तो 14वीं शताब्दी का बना हुआ है और अब तक सही और दुरुस्त है।

(व्यवधान)

श्री मधुकर दिघे—

मुझे डर है कि कहीं स्वायत्त शासन मन्त्री अपने कथन के बिना पर इस बिल्डिंग को भी न गिरा दें।

एक सदस्य—

काशीनाथ मिश्र ने जो प्रश्न पूछा है, इसका उत्तर जरूर दिलवा दें।

श्री जगदीश शरण अग्रवाल—

जो प्रतिनिधि संस्थायें हैं, वे कभी-कभी जनहित में ऐसे फैसले लेती हैं। यह जरूरी नहीं है कि मकान इतना जीर्ण-शीर्ण हो गया हो कि डैंजरस हो गया, जिसका गिराना जरूरी हो। (शोर) कभी अच्छे मकानों को, एक मजबूत मकान को भी दूसरे विकास कार्य के लिए गिराए जाने की बात सोची जा सकती है। किसी माननीय सदस्य ने यह नहीं कहा कि गिराए जाने में कोई ऐसा अल्टीरियर मोटिव था।

श्री मधुकर दिघे--

मान्यवर, अप्रैल, 1974 में मकान गिराया गया। माननीय मन्त्री जी ने कहा कि उनको गिराने की इतनी जल्दी थी, दो महीने प्रस्ताव पास करने के पहले गिरा दिया, अब दस दिन के बाद अप्रैल, 1975 आ गया, वहां पर कौन काम हुआ जिसकी इतनी जल्दी अप्रैल में हो गयी थी ?

श्री जगदीश शरण अग्रवाल--

वह जो नगर प्रमुख थे उनका कार्यकाल समाप्त हो गया। (व्यवधान)।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा था। रुपया हड़पना था, इसलिए जल्दी थी।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

अभी माननीय मन्त्री जी ने जवाब दिया कि जनहित में मकान गिराया गया। यह निर्णय लेने के पहले कि यह मकान गिराया जाना चाहिए, कोई प्लान बना होगा या, किसी ने रिपोर्ट की होगी कि जो विकास कार्य करने वाले हैं, उसमें यह मकान बैठता नहीं इसलिए इसका गिराना आवश्यक है। वह रिपोर्ट किसने की थी और वह रिपोर्ट क्या है ?

श्री जगदीश शरण अग्रवाल--

वह अधिकार था नगरपालिका का। नगरपालिका ने जब ऐसा रेजोल्यूशन किया होगा, उस समय सारी बातों पर विचार किया होगा।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक---

भैंस चढ़ी बबूल पर गप्प-गप्प गूलर खाय, गप्पीदास जी गप्प कहें, सुनिए ध्यान लगाए।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

कौन सा विकास कार्य था जिसके लिए इतना आवश्यक हो गया था कि मकान गिराया जाय उसकी कोई रिपोर्ट हुई होगी।

श्री जगदीश शरण अग्रवाल--

मेरे पास जो सूचना है कि उसके आधार पर यह है कि नगरपालिका की यह कल्पना थी कि 3 स्टार होटल इस जगह पर बनें।

श्री रामायण राय (जिला देवरिया)--

माननीय मन्त्री से यह जानना चाहता हूं कि यह 3 स्टार होटल नगरपालिका बनवाने वाली थी, या पर्यटन विभाग बनवाने वाला था या व्यक्ति विशेष द्वारा निर्मित कराया जाने वाला था ?

श्री जगदीश शरण अग्रवाल--

नगरपालिका स्वयं पर्यटन विभाग की सहायता से बनाने का विचार कर रही थी।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

उत्तर में कहा गया कि क्षेत्र का विकास करने हेतु बंगले को गिरा दिया गया। क्या 3 स्टार होटल बनाना क्षेत्र का विकास करने के मतलब में आता है ? दूसरा प्रश्न यह है कि जो उत्तर प्रदेश नागर योजना और विकास अधिनियम, 1973 है उसके तहत में किसी भी क्षेत्र का विकास किया जाता या नगरपालिका अधिनियम की तहत में ? इन दोनों प्रश्नों का उत्तर

देने के बाद जिस तिथि की बात की जा रही है, जब प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा था, उसे पढ़ने की कृपा करेंगे ? क्योंकि उस दिन मैं भी इलाहाबाद कारपोरेशन में मेम्बर था। कभी कोई प्रस्ताव नहीं पारित किया गया। मन्त्री जी की फाइल में अगर कोई प्रस्ताव है तो बिल्कुल फ्राड है ? उसमें माननीय मुख्य मन्त्री जी का वरदहस्त प्राप्त था, जो स्वायत्त शासन मन्त्री भी थे।

श्री जगदीश शरण अग्रवाल--

माननीय सदस्य मेम्बर क्या, मेयर भी रहे हैं। इसमें 10 जुलाई, 1974 को प्रस्ताव किया है। उसमें कहा गया है कि 3 स्टार होटल के निर्माण हेतु भी स्वीकृति प्रदान की जाती है।

प्रस्ताव की प्रति यदि माननीय सदस्य मांगें तो मंगवा दूंगा।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

इसमें, श्रीमन्, गिराने की चर्चा नहीं है। दोनों पर नियम 52 में चर्चा करा दीजिए।

श्री अध्यक्ष--

पहला सवाल सरकार से सम्बन्धित था और दूसरा सवाल स्वायत्तशासी नगर महापालिका से सम्बन्धित है। इसमें मैंने काफी प्रश्न पूछने की इजाजत दी।

लखनऊ में नकली शराब बनाने के कारखानों का पकड़ा जाना

*6--श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

क्या आबकारी मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 15 जनवरी, 1975 को लखनऊ में अवैध रूप से नकली शराब बनाने का कोई कारखाना तथा बना हुआ भारी माल पकड़ा गया ? यदि हां, तो उसमें क्या-क्या सामान बरामद हुए, और इस सन्दर्भ मे अब तक कौन-कौन गिरफ्तार किए गये हैं ? तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

आबकारी मन्त्री (डाक्टर चरण सिंह)--

जी हां।

बरामद हुए सामान तथा गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की सूची संलग्न है। मुलिजमान के विरुद्ध आबकारी ऐक्ट की धारा 60 के अन्तर्गत मुकदमा कायम कर दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 1106 पर।)

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

कई मर्तबा अखबारों में निकल चुका है कि देशी शराब बनाने की भट्ठियां चलती हैं तो सरकार उनकी रोक-थाम के लिए क्या कर रही है ?

डाक्टर चरण सिंह--

अपने विभाग द्वारा कार्यवाही शुरू कर दी है। फ्लाइंग स्क्वाड द्वारा भी कोशिश कर रहे हैं कि जहां इल्लीगल डिस्टीलेशन होता है वहां छापे मारें जायं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

श्रीमन, यह शराब किस दुकान पर बिकती है, क्या सरकार ने सूचना प्राप्त की कि जो व्यक्ति उनसे शराब खरीदता है या ऐजेन्सी खरीदती है, उसको पकड़ा जाये ?

डाक्टर चरण सिंह--

कोशिश जारी है।

श्री मधुकर दिघे--

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि नकली शराब बनाने का एक कारखाना बाबूगंज में पकड़ा गया था। उसमें मोहन मीकिंन के लेबिल और बोतलें पकड़ी गई थीं जो अखबारों में भी छपा था ?

डाक्टर चरण सिंह--

मैं व्यक्ति का नाम नहीं समझ सका।

श्री मधुकर दिघे--

मान्यवर, बाबूगंज, लखनऊ में नकली शराब बनाने का एक कारखाना पकड़ा गया था और उसमें मोहन मीकिन के लेविल और बोतलें पकड़ी गई थीं, जो अखबारों म भी निकला था ?

डाक्टर चरण सिंह--

मान्यवर, बाबूगंज में हसनगंज इलाके में विदेशी शराब बनाने का एक कारखाना पकड़ा गया था और उसमें कई किस्म की बोतले और लेविलें पक े गए थे। लेकिन उनमें केवल मोहन मीकिन के नाम का विशेष उल्लेख मेरी सूचना में नहीं है।

बस्ती जिले में त्वरित योजनान्तर्गत काम करने वाले मजदूरों की मजदूरी का भुगतान

*7--श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

क्या सरकार को इसकी जानकारी है कि बस्ती जिला में त्वरित योजना के अधीन बनवाई गयी बांसी-डुमरियागंज मार्ग पर काम करने वाले ग्रामीण गरीब मजदूरों को अभी तक कई महीनों की मजदूरी नहीं दी गई है ? यदि हां, तो कितने मजदूरों को मजदूरी देना बकाया है ? अब तक न देने का कारण क्या है ? तथा मजदूरी कब तक दे दी जाएगी ?

सामुदायिक विकास मन्त्री (श्री बलदेव सिंह आर्य)--

ग्रामीण रोजगार की त्वरित योजना के अन्तर्गत बांसी-डुमरियागंज मार्ग पर काम करने वाले ग्रामीण मजदूरों की मजदूरी टीम लीडर श्री मुरतजा खां द्वारा दी जा चुकी है श्री खां के बिल के भुगतान पर विचार सतर्कता विभाग के अभिलेख उपलब्ध होने पर किया जाएगा।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मान्यवर, इसमें बहुत गरीब लोगों को जिन्होंने काम किया था उनको पैसा मिलना है, तो सतर्कता विभाग से आने पर कार्यवाही हो सकेगी। यह कब तक जांच पूरी हो सकेगी ? यदि जांच शीघ्र पूरी न हो सकें तो जिन कागजात में दर्ज है कि कितनी मजदूरी होती है, वह मिल जाय तो उनको मजदूरी दी जा सके।

श्री बलदेव सिंह आर्य--

सामुदायिक विकास विभाग के अधिकारी को आदेश दिए जा रहे हैं कि सतर्कता अधिष्ठान विभाग गोरखपुर से सम्पर्क स्थापित करके अधिगृहीत मस्टर रोलों में से ज्ञात करें कि श्री मुर्तजा हुसैन का कितना देय है और उसका भुगतान जल्दी किया जाय।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

ऐसा हो सकता है कि सतर्कता विभाग वाले कागज न वापस करें। क्या आप ऐसी व्यवस्था करने की कृपा करेंगे कि न्याय के हित में कि उन कागजातों को डिटेन किया जाय जिससे उन कागजातों का इन्सपेक्शन भी कर सके। क्या आप उन कागजातों का इन्स्पेक्शन करने की इजाजत देंगे जिससे वे किसी सरकारी अधिकारी के सामने नोट कर सके?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

आदेश में यह कहा जा रहा है कि वह मस्टर रोल की कापी ले लें और जो टीम लीडर का रुपया बाकी है, वह दे दिया जाय।

श्री गोविन्द प्रसाद गैरोला (जिला टिहरी गढ़वाल)—

मान्यवर, जो मस्टर रोल का मामला माननीय सदस्य ने खड़ा किया है, इसी तरह के दूसरे जिलों में मसले है जहां पर मस्टर रोल तैयार किए गये, लेकिन उनको रुपया नहीं दिया गया।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

*8—श्री हिम्मत सिंह—

[६ठे गुरुवार के लिए तारांकित प्रश्न संख्या 77 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

शाहजहांपुर जिले के जिला संगठनकर्ता प्रादेशिक विकासदल के स्थानान्तरण का रद्द होना

*9—श्री मोहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर) तथा श्री शिव प्रसाद गुप्त (जिला आगरा)—

क्या सरकार को पता है कि शाहजहांपुर जिले के जिला आर्गनाइजर, प्रान्तीय रक्षा दल का स्थानान्तरण गम्भीर अनियमितताओं व पार्टी बंदी में पड़ने व सरकारी धन का दुरुपयोग करने व अन्य प्रशासनिक कारणों से जून अथवा जुलाई, 1974 में दूसरे जिले को किया गया था? फिर क्या कारण है कि स्थानान्तरण एकाएक रद्द कर दिया गया है?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जी हां। शाहजहांपुर के जिला संगठनकर्ता, प्रादेशिक विकास दल का स्थानान्तरण शिकायतों के कारण दूसरे जनपद को प्रशासकीय समादेष्टा द्वारा किया गया था, परन्तु मित-व्ययिता की दृष्टि से स्थानान्तरण स्थगित कर दिया गया था।

*10—श्री मोहम्मद रफी खां तथा श्री शिव प्रसाद गुप्त—

क्या मंत्री जी को यह भी जानकारी है कि ये इसी जिले के निवासी भी हैं और कुछ वर्ष पहले भी शिकायतों के आधार पर शाहजहांपुर से इनका स्थानान्तरण हुआ था और फिर सर्विस रूल्स की पूरी तरह अवहेलना करके इनकी नियुक्ति शाहजहांपुर दुबारा क्यों की गयी?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

यह सत्य है कि उक्त जिला संगठनकर्ता श्री राजेन्द्र पाल सिंह, जिला शाहजहांपुर के निवासी हैं। कुछ वर्ष पूर्व इनका स्थानान्तरण शिकायतों के आधार पर नहीं बल्कि सामान्य नीति के अनुसार हुआ था। सन् 1971 में इनका स्थानान्तरण बरेली से शाहजहांपुर जनपद को जिला संगठनकर्ता के पद पर किया गया था। जिला संगठनकर्ता को गृह जनपद में नियुक्त न करने के सम्बन्ध में कोई नियम नहीं है इसलिये नियमों की अवहेलना का प्रश्न नहीं उठता।

श्री मोहम्मद रफी खां—

क्या माननीय मंत्री जी प्रश्न सं० 9 के सिलसिले में बतायेंगे कि जो शिकायतें लिखित रूप में की गई थीं, उसमें यह था कि वह दलबंदी में हिस्सा लेता है। और उसका स्थानान्तरण इसलिये रोका गया कि जो सरकारी शिविर चलाने के लिये एक-एक रुपया चन्दा देते हैं, इसलिये उनका तबादला रोका गया?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

यह जो माननीय सदस्य कह रहे हैं यह शिकायत थी कि वहां की दलबन्दी में वह हिस्सा लेता है, और शायद इसी कारण से प्रशासकीय समादेष्टा ने उसका स्थानान्तरण किया था, लेकिन इसी बीच शासन ने मितव्ययिता की दृष्टि से स्थानान्तरण को कम से कम करने का आदेश दिया था। यह आदेश 8 जुलाई, 1974 को दिया गया और उसमें यह कहा गया था कि जो स्थानान्तरण आदेश हो गये हों और वह कार्यान्वित न हुए हों, तो उन पर भी विचार कर लिये जायं, जिन व्यक्तियों के स्थानान्तरण किये गये हों और वे स्थानान्तरण कार्यान्वित हुए हों या न हुए हों।

श्री शिव प्रसाद गुप्त--

माननीय मंत्री जी के उत्तर से संबंधित, मंत्री जी ने उत्तर में कहा है कि स्थानान्तर शिकायत के कारण, दूसरे जनपद में किया गया था, तो मैं जानना चाहता हूं कि वह शिकायतें क्या थीं जिनके कारण समादेष्टा ने उनका ट्रान्सफर किया था ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

मान्यवर, ये जिला के राजनैतिक दलबंदी में हिस्सा लेते हैं। इसको जिलाधिकारी के पास जांच के लिये भेजा गया, जिलाधिकारी ने यह कहा कि ये आरोप निराधार हैं।

श्री शिव प्रसाद गुप्त--

माननीय मंत्री जी कहते हैं कि उसका ट्रान्सफर शिकायत के कारण हुआ था, लेकिन मितव्ययिता के कारण उसको रोक दिया गया, तो माननीय मंत्री जी इस उत्तर को वापस लें। अगर उत्तर यही है तो माननीय मंत्री जी कृपा करके बतावें कि वे शिकायतें क्या थीं, जिनके कारण ट्रान्सफर किया गया था ? माननीय मंत्री जी ने कहा कि मितव्ययिता के कारण स्थानान्तरण रोका गया था।

श्री वीरेन्द्र सहाय (जिला पीलीभीत)--

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि किसकी सिफारिश से स्थानान्तरण रोका गया ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

मान्यवर, यह तो प्रशासकीय समादेष्टा ने ही स्थानान्तरण किया और उन्होंने ही इसको स्थगित किया। शासन की ओर से कोई आदेश नहीं दिए गये जैसा कि माननीय सदस्य का ख्याल है कि हमने कह दिया हो। तो ऐसी बात नहीं है। यह प्रशासकीय समादेष्टा को अधिकार है कि जिला संगठनकर्ता का स्थानान्तरण कर दे या रोक दे। ये सारे अधिकार उनको प्राप्त हैं।

श्री शिव प्रसाद गुप्त--

मैं यह जानना चाहता हूं कि समादेष्टा को जो आदेश हुआ वह क्या था ? क्या माननीय मंत्री जी उसको पढ़ कर सुनायेंगे, जिससे कि स्थिति स्पष्ट हो जाय ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

मान्यवर, मैंने निवेदन किया कि जिस तारीख को यह आदेश प्रसारित हुए कि मितव्ययिता की दृष्टि से स्थानान्तरण न किए जाये वह मैंने बता दिए। आदेश हुए थे कि मितव्ययिता को ध्यान में रखते हुए स्थानान्तरण न किए जायें अगर स्थानान्तरण कर दिया गया हो तो उस पर भी पुनर्विचार कर लिया जाय जिससे कि अधिक व्यय न हो।

श्री शिव प्रसाद गुप्त--

चाहे कोई गबन करे या कोई कतल करे केवल शाहजहांपुर तक जाने में डेढ़सौ रुपये का भत्ता देना पड़ेगा, उसके कारण उसका ट्रान्सफर न किया जाये ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

माननीय मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित । वह कहते हैं कि मितव्ययिता के कारण स्थानान्तरण रोक दिया । क्या माननीय मंत्री जी को यह विदित है कि आपके ही विभाग में बावजूद इस आदेश के ट्रान्सफर किए गये हैं । आपने इस केस में खुद स्वीकार किया है कि शिकायत के आधार पर तबादला किया गया और फिर वापस बुला लिया गया तो क्या आप दुबारा स्थानान्तरण करेंगे ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

स्थानान्तरण के आदेश कार्यान्वित नहीं हुए थे वह वहां मौजूद था । यह चर्चा हो रही थी कि सरकार ने स्थानान्तरण रोक दिए हैं तो उसी सिलसिले में रोका गया । अब मई में हम उनका स्थानान्तरण वहां से अन्यन्त्र कर देंगे ।

श्री मोहम्मद रफी खां--

क्या उन्होंने 2 महीने के अन्दर हटाया है और उनके खिलाफ क्या शिकायत थी ?

श्री अध्यक्ष--

यह आप दलील कर रहे हैं । आप प्रश्न करें । नहीं तो वक्त नहीं है ।

श्री मोहम्मद रफी खां--

मैं यह जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी यह फरमा रहे हैं कि ट्रान्सफर में 150 रु0 का खर्च होता तो क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि उनके ही विभाग में 2 महीने के अन्दर कितने आदमी हटाये गये हैं या नहीं हटाये गये हैं ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

मान्यवर, इसकी सूचना नहीं है ।

श्री अध्यक्ष--

यह अलग प्रश्न है ।

कृषि विभाग के वर्ग तीन में समायोजित कर्मचारियों की पेन्शन का निर्धारण

*11--श्री कल्याण सिंह (जिला अलीगढ़) (अनुपस्थित)--

विधान सभा की दिनांक 11 अप्रैल, 1972 की कार्यसूची की नत्थी (ग) के तारांकित प्रश्न संख्या 30और 31 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग 4 और 5 के कर्मचारियों को वर्ग 3 में समायोजित किये जाने के फलस्वरूप उनको पेन्शन स्वीकृति हेतु वर्ग 3 में योगदान-तिथि के सेवा काल की गणना की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कृषि मंत्री (श्री वीरेन्द्र वर्मा)--

जी हां । वर्ग 4 तथा 5 के कर्मचारियों द्वारा वर्ग-3 में 1-4-47 से आगे की गई सेवाओं को पेन्शन के लिये आगणित किया गया है ।

नोट:--तारांकित प्रश्न संख्या 11 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

*12—चौधरी रामपाल सिंह यादव—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ।]

कानपुर जिले के कमलापति मेमोरियल अस्पताल के लैब अटेन्डेन्ट के स्थान पर लैब टैक्निशियन का स्थानान्तरण आदेश

*13—चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर के कमलापति मेमोरियल अस्पताल, बिरहाना रोड के लैब अटेन्डेन्ट (श्री रामेश्वर प्रसाद) जो फोर्थ क्लास के कर्मचारी हैं का स्थानान्तरण माह अक्टूबर, 1974 में राजकीय योजना अस्पताल, दलेलपुरवा, कानपुर के लिये टेक्नीशियन के पद पर जो क्लास थ्री की पोस्ट है, में कर दिया गया ? यदि हां, तो इसका क्या आधार है और इस अनियमित कार्य के लिये दोषी कौन अधिकारी है ?

श्री प्रभु नारायण—

श्री रामेश्वर प्रसाद चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं । इनका स्थानान्तरण अक्टूबर, 14, 1974 में किया गया था किन्तु स्थानान्तरण के आदेश में भूल से "लेब अटेन्डेन्ट" के बजाय "लेब टेक्नीशियन" हो गया था जिसका संशोधित आदेश तुरन्त लागू कर दिया गया था। इनको न कभी पदोन्नत किया गया था और न ही इस आदेश पर किसी प्रकार का भुगतान किया गया ।

उपरोक्त त्रुटि पर 19-10-74 को डा0के0डी0 जैन तत्कालीन मुख्य चिकित्साधिकारी, कानपुर द्वारा दोषी पाये गये अधिकारी व कर्मचारी को सचेत कर दिया गया था।

*14—श्री मधुकर दिघे—

[भारत सरकार से सम्बन्धित होने के आधार पर निरस्त ।]

मोहन मीकिनब्रिवरीज लि० द्वारा निर्धारित छिजन (ब्रेकेज)

*15—श्री मधुकर दिघे—

क्या सरकार को यह ज्ञात है कि मोहन मेकिन ब्रि0लि0 ने आबकारी मैनुअल के विपरीत शराब, बियर की बोतलों को छिजन (ब्रेकेज) निर्धारित मात्रा से अधिक किया है ? यदि हां, तो सरकार ने उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर चरण सिंह—

जी हाँ ।

मोहन मेकिन ब्रिवरीज, मिलिटेड मोहननगर, गाजियाबाद तथा मोहन गोल्डवाटर ब्रिवरीज, लखनऊ पर देय शुल्क की वसूली का मामला शासन के विचाराधीन है । मोहन मीकिन ब्रिवरीज लिमिटेड, लखनऊ पर देय शुल्क की वसूली का मामला उच्च न्यायालय के अन्तरिम आदेशों द्वारा स्थगित है ।

राजकीय महिला चिकित्सालय मिर्जापुर में डाक्टरों की तथाकथित लापरवाही से मर्यादी नाम की महिला की मृत्यु और अस्पताल में व्याप्त भ्रष्टाचार से सम्बन्धित शिकायतीपत्र

*16—श्री आशाराम यादव (जिला मिर्जापुर)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय महिला चिकित्सालय, मिर्जापुर में दिनांक 9 अक्तूबर, 1974 को मर्यादी नामक महिला की मृत्यु महिला डाक्टरों की लापरवाही से हुई है ? यदि हां, तो उसके खिलाफ अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री प्रभु नारायण--

जी नहीं । मर्यादी नामक मरीज की मृत्यु प्रसूती के सदमे से हुई, क्योंकि उसके मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ था । अतः महिला डाक्टरों के खिलाफ कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

*17--श्री आशा राम यादव--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महिला चिकित्सालय, मिर्जापुर के भ्रष्टाचार के विरुद्ध अक्तूबर, 1974 में कोई पत्र प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री प्रभु नारायण--

जी हां । उक्त पत्र में उल्लिखित शिकायत की जांच करवाई जा रही है ।

मेरठ जिले का डाक्टर विहीन शादी राम जैन संयुक्त राजकीय अस्पताल

*18--श्री मूलचन्द राजपूत (जिला मुजफ्फरनगर)--

क्या स्वास्थ्य मत्री को ज्ञात है कि शादीराम जैन, संयुक्त राजकीय अस्पताल टीकरी, मेरठ में 3 वर्ष से डाक्टर तथा डाक्टरनी नहीं है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ? क्या सरकार डाक्टरों के लिये तुरन्त व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रभु नारायण --

जी हां । 15 जुलाई, 1972 से वहां डाक्टर नहीं है । इसका कारण टीकरी का मेरठ जिले के सुदूर भाग में स्थित होना है । वहां कई दम्पति डाक्टरों की तैनाती की गई, परन्तु उन्होंने कार्यभार ग्रहण नहीं किया । अब पुनः वहां एक दम्पति डाक्टर की तैनाती कर दी गई है जो शीघ्र कार्यभार ग्रहण करने जा रहे है ।

जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, मुरादाबाद में गबन

*19--श्री देवी सिंह (जिला मुरादाबाद)--

क्या सहकारिता मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जिला सहकारी बैंक, मुरादाबाद में वहांके कर्मचारियों द्वारा अब तक कितने धन का अपहरण का मामला प्रकाश में आया है ? यदि हां, तो अपहृत धन में से अब तक कितना वसूल हुआ है तथा शेष धन वसूल न होने का क्या कारण है ?

सहकारिता मंत्री (श्री नारायण सिंह)--

जिला सहकारी बैंक लि0, मुरादाबाद में वहां के कर्मचारियों द्वारा अब तक 50 हजार रुपये के अपहरण का मामला प्रकाश में आया है । अपहृत धन में से अभी तक कोई धन वसूल नहीं हुआ है । मामला पुलिस की विवेचना में है । विवेचना पूर्ण होने पर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायगी ।

वाराणसी जिले की खम्हरिया टाउन एरिया के चुनाव की मांग

*20--श्री गिरिजा शंकर पाठक (जिला वाराणसी)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जनपद वाराणसी के खम्हरिया टाउन एरिया का चुनाव कब तक कराने जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जगदीश शरण अग्रवाल--

इस समय चुनाव कराने में काफी कठिनाइयां है । परन्तु शासन उनको पार कर के शीघ्र चुनाव कराने में प्रयत्नशील है ।

जिला सहकारी संघ बस्ती के द्वारा पुराने दर के उर्वरक का वितरण

*21—श्री भीषम (जिला बस्ती)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मई, जून, वर्ष 1974 एवं नवम्बर, दिसम्बर, 1974 में सहकारिता संघ, बस्ती के माध्यम से पुराने दर की कितनी बोरी उर्वरक का आबंटन किस-किस को किया गया? और क्या यह भी सत्य है कि पुराने दर की उर्वरक को नये दर से बेच कर लगभग 6 व 7 लाख रुपया किसानों से गलत रूप से लिया गया? यदि हां, तो इसके लिये कौन-कौन दोषी हैं और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी?

श्री नारायण सिंह—

जिला सहकारी संघ, बस्ती के माध्यम से मई, 1974 में केवल क्षेत्रीय सहकारी समिति पांडे बाजार को 220 बोरे तथा जून, 1974 में सहकारी संघ पुरैना तथा क्षेत्रीय सहकारी समिति, महराजगंज दोनों को 188-180 पुराने मूल्य के उर्वरक के बोरे आबंटित किये गये। पुराने दर का उर्वरक पुराने ही दर पर बेचा गया। अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

*22—श्री बाबू लाल वर्मा—

[7वें बुधवार के लिए तारांकित प्रश्न संख्या 4 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

गाजियाबाद, मेरठ सुधार मन्डल के ड्राफ्ट्स मैन और अवर अभियन्ताओं की पदोन्नति

*23—श्री रेवती शरण मौर्य (जिला मेरठ)—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि गाजियाबाद (मेरठ) सुधार मण्डल में प्रति नियुक्ति पर कार्यरत ड्राफ्ट्स मैनों को गाजियाबाद में ही 10 वर्ष से अधिक समय हो गया है और इनको ड्राफ्ट्स मैन से पदोन्नति कर वहीं सुधार मन्डल में कम्प्यूटर के पद पर नियुक्ति दे दी गयी है? यदि हां, तो क्यों और किस आधार पर?

श्री जगदीश शरण अग्रवाल—

जी हां।

एक ड्राफ्ट्समैन की पदोन्नति कम्प्यूटर के पद पर की गई है। यह पदोन्नति उनके मूल विभाग में की गई पदोन्नति के आधार पर की गई है।

*24—श्री रेवती शरण मौर्य—

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि गाजियाबाद सुधार मन्डल में कई अवर अभियन्ताओं को (जिन्हें स्थानीय नियुक्ति पर 10 वर्ष से अधिक हो गये हैं) सहायक अभियन्ता बना कर सुधार मन्डल व प्रेसक्राइब्ड अथोरिटी ही में अभियन्ताओं का कार्य भार सौंपा गया हुआ है? यदि हां, तो ऐसा क्यों और इस का क्या आधार है? क्या इन्हें गाजियाबाद से स्थानान्तरित करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है?

श्री जगदीश शरण अग्रवाल—

जी हां। तीन अवर अभियंताओं की पदोन्नति सुधार मंडल व प्रेसक्राइब्ड अथारिटी में सहायक अभियन्ता के पद पर की गई है। यह पदोन्नति ज्येष्ठता और श्रेष्ठता (merit) के आधार पर की गई है।

जी नहीं।

अल्मोड़ा जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए स्वीकृत अनुदान का दुरुपयोग

*25—श्री राम प्रकाश यादव (जिला मथुरा)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 1972–73 में अल्मोड़ा जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर कितना अनुदान का रुपया स्वीकृत हुआ था और क्या यह सही है कि उसको दुरुपयोग किया गया ? यदि हां, तो दोषी व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री प्रभु नारायण—

कुल 1,64,200 रु० (रु० एक लाख चौसठ हजार दो सौ मात्र) की धनराशि अनुदान के रूप में स्वीकृत की गयी थी ।

2—उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी (स्वास्थ्य), अल्मो ा के लेखों की जांच विशेष आडिट पार्टी द्वारा करवाई गयी जिसमें कुछ आर्थिक अनियमिततायें प्रकाश में आयी हैं । इस मामले में मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है और इनकी रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद आवश्यक कार्यवाही की जायगी ।

मथुरा जिले के सादाबाद विकास खंड में फर्जी परमिट पर खाद का वितरण

*26—श्री राम प्रकाश यादव—

क्या कृषि मंत्री को ज्ञात है कि गत वर्ष मथुरा जनपद के सादाबाद विकास खंड से फर्जी परमिटों पर खाद वितरण किया गया था ? यदि हां, तो सरकार ने सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

जी हां, ऐसी सूचना है कि वर्ष 1973–74 में कुछ फर्जी परमिटों पर खाद का वितरण किया गया था ।

तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी (कृषि) सादाबाद, मथुरा श्री वेद प्रकाश शर्मा को निलम्बित करने के आदेश दे दिये गये हैं ।

*27—कुवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

[उत्तर प्रदेश विधान सभा के उपाध्यक्ष का पद ग्रहण करने के कारण निरस्त ।]

बिजनौर जिले के ग्राम नूरपुर, फीना व ताजपुर को टाउन एरिया बनाने की मांग

*28—श्री अब्दुल वहीद (जिला बिजनौर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम नूरपुर व ग्राम फीना व ताजपुर विधान सभा क्षेत्र स्योहारा जिला बिजनौर को टाउन एरिया बनाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो आवश्यक आदेश इस सम्बन्ध में कब तक जारी होंगे, यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जगदीश शरण अग्रवाल—

जी हां ।

ग्राम नूरपुर, फीना व ताजपुर में नवीन टाउन एरिया बनाये जाने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है । इस सम्बन्ध में वांछित सूचनायें प्राप्त हो जाने पर निर्णय लिया जायेगा ।

बिजनौर जिले की नगरपालिका स्योहारा के अध्यक्ष के विरुद्ध शिकायती पत्र

*29--श्री अब्दुल वहीद--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या अध्यक्ष नगरपालिका स्योहारा, जिला बिजनौर के विरुद्ध जो तीन शिकायती पत्र दिनांक 18 नवम्बर, 1974 व दिनांक 4 दिसम्बर, 1974 तथा दिनांक 31 दिसम्बर, 1974 को भेजे जा चुके हैं, उनकी जांच करायी गयी ? और यदि करायी गयी है तो क्या नाजायज कब्जा करके दूकानात व मकानात बनाने वाले व्यक्तियों तथा अध्यक्ष, नगरपालिका के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी है ? क्या इन मामलों की जानकारी जिलाधिकारी बिजनौर को थी ? यदि हां, तो उनके द्वारा इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही न किये जाने का क्या कारण था ?

श्री जगदीश शरण अग्रवाल--

जी हां, इन शिकायती पत्रों में उल्लिखित शिकायतों के संबंध में जिला मजिस्ट्रेट, बिजनौर को जांच करने के आदेश दिये गये हैं। जांच अभी पूर्ण नहीं हुई है। अतः अभी किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

गोरखपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ की पूंजी

*30--श्री बनवारी राम यादव (जिला बलिया)--

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि दुग्ध सहकारी संघ गोरखपुर में सरकार, सहकारी बैंक, सहकारिता समितियों तथा व्यक्तिगत सदस्यों की कुल कितनी धनराशि लगी हुयी है ? क्या यह सत्य है कि इस संघ द्वारा दुग्ध वितरण कार्य अप्रैल, 1974 से लगातार बन्द है और यह संस्था कार्य चालू करने की स्थिति में नहीं है ? यदि हां, तो इसका कारण क्या है और इसके पुनः चालू करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री नारायण सिंह--

गोरखपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ में दिनांक 30-6-73 तक निम्नलिखित धनराशि लगी हुई है :--

(1) शासन का रु0 22,28,159.72 पै0

(2) सहकारी समितियों का--

रु0 49,903.24 पै०

शेष दो स्रोतों से कोई पूंजी नहीं लगी है।

इस संघ की दुग्धशाला कार्यशील पूंजी के अभाव में दिनांक 24-4-74 से बन्द है। इसके पुनः संचालन हेतु एक योजना बनाई गई है जो शासन के विचाराधीन है।

नैनपुरी जिले के जिला स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय के भवन की उपयोगिता का समाप्त होना

*31--श्री इन्द्र लाल (जिला नैनीताल)--

विधान सभा की बैठक दिनांक 6 अगस्त, 1974 के नत्थी (घ) में प्रश्न संख्या 30 के उत्तर के क्रम में क्या न्याय एवं श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नगत भवन का सार्वजनिक निर्माण विभाग के किस अधिकारी द्वारा कब परीक्षण किया गया और परीक्षण रिपोर्ट क्या है ? भवन को खाली न किये जाने का आधार क्या है ?

श्री प्रभु नारायण—

प्रश्न गत भवन का परीक्षण सार्वजनिक निर्माण विभाग के सहायक अभियन्ता द्वारा मई, 1974 में कराया गया था। परीक्षण रिपोर्ट में यह बताया गया है कि उक्त भवन कीउपयोगिता समाप्त हो चुकी है और इसे ठीक करने में बहुत धन लगेगा। अतः इसे खरीदने की सिफारिश नहीं की गयी है। दूसरा उपयुक्त भवन उपलब्ध न होने के कारण प्रश्नगत भवन खाली नहीं किया जा रहा है।

मुरादाबाद जिले की इन्फैन्ट फूड फैक्टरी के लिए तथा कथित मशीनों का आयात

*32—श्री ओम प्रकाश (जिला मुरादाबाद)—

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि जनपद मुरादाबाद की दलपतपुर इन्फेन्ट मिल्क फूड फैक्टरी के लिये वर्ष 1971-72 व 1972-73 में कई भारी मूल्य की मशीनें विदेश से आयात की गयी थीं ? यदि हां, तो वह मशीन क्या थीं, किस मूल्य की थीं तथा उन मशीनों की स्थापना फक्टरी में अभी तक की गयी या नहीं ?

श्री नारायण सिंह—

जी नहीं। वर्ष 1971-72 व 1972-73 में इन्फेन्ट मिल्क फूड फैक्ट्री, दलपतपुर, मुरादाबाद के लिये भारी मूल्य की मशीन विदेश से आयात नहीं की गई।

फैजाबाद जिले के बफर कृषि गोदाम में गबन

*33—श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)—

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि अगस्त, 1972 में जनपद फैजाबाद का बफर कृषि गोदाम का अचानक निरीक्षण किया गया और करीब पैंतीस लाख का गबन मिला तथा गोदाम पुलिस की हिरासत में दे दिया गया ? यदि हां, तो उसकी पूरी रिपोर्ट क्या है ? दोषी व्यक्ति कौन-कौन हैं और उनके प्रति क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

जी नहीं। किन्तु जुलाई, 1970 में लेखा पुस्तकों का सम्प्रेक्षण करने के पश्चात् कुछ अनियमितायें प्रकाश में आई थीं। बफर गोदाम के प्रभारी तथा अन्य चार कर्मचारियों को निलम्बित कर दिया गया है। मामले की छान-बीन विशेष अनुसंधान शाखा (कृषि) द्वारा की जा रही है।

मलेरिया उन्मूलन के लिए किए गए उपाय

*34—श्री अनवार जमील (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मलेरिया की असंख्य घटनाओं को देखते हुये इस समय प्रदेश में मलेरिया उन्मूलन के सम्बन्ध में क्या विशेष उपाय किये जा रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रभु नारायण—

प्रदेश में मलेरिया उन्मूलन के सम्बन्ध में किए गए विशेष उपायों का विवरण संलग्न सूची में दिया है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 1107 पर।)

स्वास्थ्य सहायकों की पदोन्नति में पक्षपात से सम्बन्धित शिकायती-पत्र

*35—श्री सत्य प्रकाश (जिला बरेली)—

क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि स्वास्थ्य सहायक, संडीला द्वारा इस आशय का कोई शिकायती-पत्र दिसम्बर, 1974 में प्राप्त हुआ कि स्वास्थ्य सहायक से प्रसार शिक्षक पद पर पदोन्नति करने में शासन द्वारा बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार एवं पक्षपात किया गया है जिससे कि 1962-63 में नियुक्त स्वास्थ्य सहायकों को छोड़कर 1971-72 के नियुक्त स्वास्थ्य सहायकों को पदोन्नति कर दिया गया ? यदि हां, तो शिकायतों की जांच किससे करायी गयी तथा उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री प्रभु नारायण—

जी हां, शिकायतों की जांच राज्य परिवार नियोजन अधिकारी से कराई जा रही है ।

गोरखपुर जिले की पटेल नगर आवासीय योजना का निर्माण

*36—श्री अवधेश कुमार (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर में पटेलनगर आवासीय परियोजना के अन्तर्गत भूमि अधिग्रहण करने का कार्य पूरा हो चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों और अब अधिग्रहण का कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

श्री जगदीश शरण अग्रवाल—

जी नहीं ।

वर्तमान वित्तीय कठिनाइयों की पृष्ठ भूमि में इस नई योजना का कार्यान्वयन प्रारम्भ होने में समय लगने की सम्भावना है ।

गोरखपुर नगरपालिका की सीमा बढ़ाने पर विचार

*37—श्री अवधेश कुमार—

क्या सरकार गोरखपुर नगरपालिका की सीमा बढ़ाने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कौन-कौन से नये क्षेत्र नगरपालिका में शामिल करने की योजना विचाराधीन है और यह योजना कब तक पूरी हो जायेगी ?

श्री जगदीश शरण अग्रवाल—

जी हां ।

नगरपालिका गोरखपुर की सीमा बढ़ाने के प्रस्ताव में मौजा जटेपुर, हुमायुपुर, चकरा अव्वल और मौजा महेवा का वह भाग जो नगरपालिका सीमा के बाहर था, उसे सीमा के अन्दर मिलाने का प्रस्ताव है तथा सीमा के उत्तरी भाग में मौजा नथमलपुर, शाह हुसैन चक, मिर्जापुर तथा कस्बा और बसारतपुर नये क्षेत्र सम्मिलित करने की योजना है और दक्षिण भाग में मौजा गोपलापुर, रुस्तमपुर व मौजा मिर्जापुर तथा हवेली के पूरे भाग को सम्मिलित करने का प्रस्ताव है । उक्त प्रस्ताव के बारे में छानबीन की जा रही है तथा जिला मजिस्ट्रेट से कुछ स्पष्टीकरण मांगा गया है । जैसे ही जिला मजिस्ट्रेट से स्पष्टीकरण प्राप्त होगा, शासन द्वारा उस पर विचार किया जायगा ।

गोरखपुर जिले के सहायक आबकारी आयुक्त के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*38—श्री अब्दुल रऊफ लारी तथा श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर के सहायक आबकारी आयुक्त विरुद्ध भ्रष्टाचार सम्बन्धी कोई शिकायती-पत्र दिनांक 30 दिसम्बर, 1974 का प्राप्त

हुआ था ? यदि हां, तो यह शिकायतें क्या हैं और अब तक इन पर क्या कार्यवाही की गयी ?

डाक्टर चरण सिंह--

जी हां ।

शिकायतें मुख्यत: गोरखपुर जिले के ग्राम जानीपुर व बरईपार की ताड़ी की दुकानों के प्रबन्ध से सम्बन्धित हैं, जिनमें सहायक आबकारी आयुक्त, गोरखपुर के विरुद्ध विभिन्न भ्रष्टाचार का भी उल्लेख है । शिकायतों की जांच करायी जा रही है ।

*39--श्री वीरेन्द्र वर्मा--

[मंत्रि परिषद् में सम्मिलित होने के कारण निरस्त]

अमरोहा जिला मुरादाबाद में पुरुष अस्पताल की स्थापना की मांग

*40--श्री मुहम्मद हयात (जिला मुरादाबाद)--

क्या स्वास्थ्य मत्री को जानकारी है कि जिला मुरादाबाद में अमरोहा नगर जिसकी जन-संख्या लगभग एक लाख है, में कोई मेल सिविल हास्पिटल नहीं है ? यदि हां, तो क्यों और उसकी व्यवस्था कब तक हो जाने की सम्भावना है ?

श्री प्रभु नारायण--

अमरोहा नगर में अलग से पुरुष चिकित्सालय नहीं है । चूंकि वहां पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है जिसमें पुरुषों के लिये 10 तथा महिलाओं के लिये 4 शय्यायें हैं, अतएव अतिरिक्त चिकित्सालय की स्थापना सम्भव नहीं है ।

शाहजहांपुर जिला कृषि अधिकारी का स्थानान्तरण

*41--श्री शिव प्रसाद गुप्त--

क्या सरकार को पता है कि शाहजहांपुर जिला कृषि अधिकारी के विरुद्ध उनके गम्भीर अनाचार, भ्रष्टाचार, व्यभिचार और गबन की शिकायतें युवा छात्र संघर्ष समिति व कृषि विभाग के कर्मचारियों द्वारा लिखित विभिन्न विधायकों के पत्र के साथ फरवरी, 1975 में मुख्य मंत्री को प्राप्त हुई ? यदि हां, तो तत्काल जनहित में इस अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी और वे क्या शिकायतें हैं तथा उनकी जांच किस अधिकारी ने की ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

जी हां ।

अधिकारी को तत्काल झांसी स्थानान्तरित कर दिया गया है ।

अन्य सूचना देना जनहित में नहीं है ।

सुल्तानपुर नगरपालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार से सम्बन्धित ज्ञापन

*42--डाक्टर जितेन्द्र कुमार अग्रवाल--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सुल्तानपुर नगरपालिका में व्याप्त गम्भीर भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में कोई ज्ञापन दिनांक 3 दिसम्बर, 1974 को शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री जगदीश शरण अग्रवाल--

जी हां । उस पर जांच आयुक्त, फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद द्वारा की जा रही है ।

*43—डक्टर जितेन्द्र कुमार अग्रवाल—

क्या मुख्य मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त विषय पर दिनांक 16 अगस्त, 1974 का कोई ज्ञापन अध्यक्ष, नगर जनसंघ, सुल्तानपुर द्वारा जिलाधिकारी, सुल्तानपुर को दिया गया है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री जगदीश शरण अग्रवाल—

जी हां। उस पर भी जांच परगनाधिकारी सदर, सुल्तानपुर द्वारा कराई गई। परगनाधिकारी सदर की जांच आख्या मूलरूप में आयुक्त, फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद को प्रेषित की जा चुकी है।

कानपुर ग्लूकोज कांड से सम्बन्धित ग्लूकोज की तथाकथित रसायनिक जांच

*44—श्री बाबू लाल वर्मा (जिला बहराइच)—

क्या चिकित्सा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर के प्रसिद्ध लोम हर्षक ग्लूकोज कांड के समय जो ग्लूकोज रसायनिक जांच के लिये आगरा भेजा गया था उसकी रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो कब तथा ग्लूकोज कब भेजा गया था ?

श्री प्रभु नारायण—

कानपुर ग्लूकोज कांड से सम्बन्धित कोई भी ग्लूकोज की बोतल रसायनिक जांच के लिये आगरा नहीं भेजी गई। अतः इस सम्बन्ध में अन्य प्रश्न नहीं उठते।

पी०एच० एस० संवर्ग के सेलेक्शन ग्रेड के रिक्त पद

*45—श्री सत्य पाल मलिक (जिला मेरठ) तथा श्री के० एस० मोहरिया (जिला बुलन्दशहर)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि पी० एच० एस० के सेलेक्शन ग्रेड के पद कितने और कहां-कहां रिक्त हैं ? और क्या सरकार सेलेक्शन ग्रेड में पदोन्नति के लिये 8 वर्ष की निम्नतम सेवा अवधि की तरह अधिकतम सेवा अवधि को भी निर्धारित करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री प्रभु नारायण—

पी० एच० एस० संवर्ग के सेलेक्शन ग्रेड (जिसका नाम अब सीनियर स्केल हो गया है) निम्न 6 पद इस समय रिक्त हैं :—

1—प्रिंसिपल, रीजनल फैम्ली प्लानिंग ट्रेनिंग सेंटर, गोंडा।
2—सहायक निदेशक, स्टेट हेल्थ इंस्टीट्यूट, लखनऊ।
3—सहायक निदेशक (औषधि), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4—नगर स्वास्थ्य अधिकारी, वाराणसी।
5—स्टेट न्यूट्रिशन आफिसर, स्टेट हेल्थ इंस्टीटयूट, लखनऊ।
6—सीनियर मेडिकल आफिसर, स्टेट वैक्सीन इंस्टीट्यूट, पटवाडांगर।

सेलेक्शन ग्रेड (अर्थात् सीनियर स्केल) में प्रोन्नति हेतु अधिकतम अवधि निर्धारित किये जाने का कोई प्रश्न शासन के विचाराधीन नहीं है।

*46-47—श्री राम सुन्दर पांडेय—

[6वें बुधवार में तारांकित प्रश्न संख्या 25-26 पर स्थानान्तरित]

*48—श्री राम अधार—

[5वें सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या 19 पर स्थानान्तरित]

क्षेत्रीय सहकारी समिति गोरहा, जिला एटा के सचिव श्री लालाराम शर्मा द्वारा खाद की चोर-बाजारी और उक्त सचिव द्वारा तथा कथित भवन निर्माणार्थ ली गयी धनराशि

*49—श्री बाबू सिंह यादव (जिला अलीगढ़)—

क्या सरकार बतायेगी कि श्री लाला राम शर्मा, सुपरवाइजर, क्षेत्रीय सहकारी समिति, गोरहा, जिला एटा को 89 बोरी यूरिया खाद ट्रैक्टर में बेचते हुये बी० डी० ओ०, सोरों, जिला एटा ने तारीख 26 दिसम्बर, 1972 की रात को पकड़ा और उसकी रिपोर्ट की ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री नारायण सिंह—

जी हां ।

क्षेत्रीय सहकारी समिति गोरहा, जिला एटा का खाद विक्रय केन्द्र समाप्त कर दिया गया और समिति के सचिव, श्री लालाराम शर्मा के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये उक्त समिति के अध्यक्ष जो श्री शर्मा को दण्ड देने के लिये सक्षम अधिकारी हैं को लिख दिया गया है।

*50—श्री बाबू सिंह यादव—

क्या यह सच है कि उपरोक्त सुपरवाइजर ने 5 हजार रुपया सन् 1969–70 में भवन निर्माण हेतु प्राप्त किया था परन्तु मकान नहीं बनवाया ? यदि हां, तो इस अनियमितता के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री नारायण सिंह—

जी नहीं

कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

बहराइच सदर अस्पताल में दवाओं की तथाकथित कमी

*51—श्री फजलुर्रहमान अन्सारी (जिला बहराइच)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद बहराइच सदर अस्पताल में इस समय दवाओं की अत्यन्त कमी है? यदि हां, तो इसका क्या कारण है? उसे कब तक पूरा किया जायेगा ?

श्री प्रभु नारायण—

जनपद बहराइच सदर अस्पताल में इस समय दवाओं की कमी नहीं है ।

ललितपुर शहर के तुवन टीला तथा घुसयाना मुहल्ले की नजूल भूमि पर अनधिकृत कब्जा

*52—श्री गोरे लाल शाक्य (जिला इटावा)—

क्या सरकार को जानकारी है कि शहर ललितपुर में तुवन टीला तथा घुसयाना मुहल्ला नाले के पास की भूमि के पट्टे मार्च, 1974 में किये जाने तथा काबिज लोगों के विरुद्ध मुकदमें वापिस होने का प्रश्न विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या सरकार काश्तकारों के नाम पट्टे शीघ्र करेगी और उन पर से मुकदमा वापस लेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जगदीश शरण अग्रवाल—

ललितपुर में तुवन टीला तथा घुसयाना स्थित नजूल भूमि पर से अनधिकृत रूप से काबिज जिन व्यक्तियों के विरुद्ध बेदखली के मुकदमें चल रहे हैं उनमें से 46 व्यक्तियों ने विधिवत आवासीय पट्टों को स्वीकृति हेतु नगरपालिका, ललितपुर को प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किये हैं । नगरपालिका की सस्तुतियां प्राप्त होने पर इन मामलों में शासन द्वारा विचार करके निर्णय लिया जायगा और उसके उपरान्त ही, आवश्यकतानुसार, न्यायालय में दायर मुकदमें वापस लिये जा सकेंगे ।

जिला सहकारी बैंकों अथवा सहकारी समितियों में सरकार द्वारा संचालक एंव सभापति की नियुक्ति की मांग

*53--श्री निर्भय नारायण सिंह (जिला बलिया)--

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सी0 क्लास के कमजोर सहकारी जिला बैंकों एवं सहकारी संस्थाओं में उनके सुधार के लिये नियमों के अनुसार निदेशक एवं सभापति मनोनीत करने की कृपा करेंगे ?

श्री नारायण सिंह--

जिला सहकारी बैंकों अथवा सहकारी समितियों में आडिट वर्गीकरण के आधार पर राज्य सरकार द्वारा संचालक एवं सभापति मनोनीत करने का कोई प्राविधान उत्तर प्रदेश सहकारी अधिनियम एवं नियमावली में नहीं है ।

उत्तर प्रदेश (निर्माण कार्य विनियमन), निदेश, 1960 के अन्तर्गत विचारधीन रिव्यू का प्रार्थना-पत्र

*54--श्री छेदा लाल चौधरी (जिला लखीमपुर-खीरी)--

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश (निर्माण कार्य विनियमन) निदेश, 1960 के निदेश संख्या 25 के अन्तर्गत रिव्यू का कोई प्रार्थना-पत्र इस समय राज्य सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब से और क्यों ?

श्री जगदीश शरण अग्रवाल--

जी हां । श्री उमा शंकर, सादात मंजिल बेलदारी लेन, लखनऊ का एक रिव्यू का प्रार्थना-पत्र दिनांक 2 मई, 1973 से शासन के विचाराधीन है । लखनऊ में निवास प्राधिकरण की स्थापना हो जाने के कारण इसका निस्तारण अभी नहीं हो सका है ।

पंचायत सेवकों को तृतीय श्रेणी का कर्मचारी बनाने की घोषणा और उनका तथाकथित बकाया वेतन

*55--श्री वीर सिंह सेंगर (जिला जालौन)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश के पंचायत सेवकों को उसने कब से तृतीय श्रेणी का कर्मचारी घोषित कर दिया है तथा इस समय उन्हें किस श्रेणी का वेतन दिया जा रहा है ? यदि घोषित श्रेणी का वेतन नहीं दिया जा रहा है, तो क्यों ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

पंचायत सेवकों को राजाज्ञा दिनांक 17 फरवरी, 1973 के द्वारा तृतीय श्रेणी का कर्मचारी घोषित किया गया है । इस श्रेणी की परिधि में आने वाले पदों के लिये वेतन आयोग ने जो विभिन्न वेतनमान संस्तुत किये हैं उनमें से ही एक वेतनमान पंचायत सेवकों को दिया जा रहा है ।

*56--श्री वीर सिंह सेंगर--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश के पंचायत सेवकों के तृतीय श्रेणी के कर्मचारी घोषित हो जाने के पश्चात् अब तक उनको भुगतान हो रहे चतुर्थ श्रेणी के वेतन के अन्तर का कितना रुपया सरकार पर बकाया है तथा उसको कब तक भुगतान कर देने का इरादा है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

यह सही नहीं है कि पंचायत सेवकों को चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतन मिल रहा है । अतएव वेतन में अन्तर के बकाया देने का प्रश्न नहीं उठता ।

प्री-वेटरीनरी परीक्षा के छात्रों की मार्कशी

*57—श्री रमेश चन्द्र श्रीवास्तव (जिला लखनऊ)—

क्या पशुपालन मंत्री कृपया बतायेंगे कि जून, 1974 में प्री-वेटरीनरी टेस्ट परीक्षा में जिन छात्रों ने परीक्षा दी थी उसका परीक्षाफल घोषित हुआ ? यदि हां, तो क्या अनुत्तीर्ण छात्रों को उनकी मार्कशीट भेजी गयी। यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण सिंह—

जी हां, परीक्षाफल घोषित हुआ और अनुत्तीर्ण तथा उत्तीर्ण सभी छात्रों को मार्कशीट भेजी गई। शेष प्रश्न नहीं उठता।

भूमि विकास एवं गृह स्थान योजना पठानपुरा, सहारनपुर के अन्तर्गत अध्याप्त की गई भूमि का मुआवजा

*58—सरदार कुलतार सिंह (जिला सहारनपुर)—

क्या मुख्य मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि आवास विकास परिषद्, उत्तर प्रदेश की गृह विकास योजना नं0 1 पठानपुरा, सहारनपुर के अन्तर्गत कितनी भूमि अधिग्रहीत की गयी थी और उक्त भूमि किस तिथि एवं वर्ष से कब्जे में ली गयी थी ? जिन कृषकों की भूमि का अधिग्रहण किया गया था क्या उन्हें उस भूमि का मुआवजा दे दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों तथा यह मुआवजा उन्हें कब तक दे दिया जायेगा ?

श्री जगदीश शरण अग्रवाल—

आवास एवं विकास परिषद् की भूमि विकास एवं गृह स्थान योजना संख्या 1, पठानपुरा, सहारनपुर के अंतर्गत 63 बीघा 14 बिस्वा भूमि अध्याप्त की गई थी, इसमें से 63 बीघा 7 बिस्वा भूमि का कब्जा दिनांक 30-6-72 को प्राप्त किया गया था। अध्याप्त की गई भूमि का अभिनिर्णय (एवार्ड) दिनांक 18-12-74 को घोषित होने के पश्चात् प्रतिकर का भुगतान किया जा चुका है। प्रतिकर का भुगतान केवल उन्हीं लोगों को नहीं किया जा सका है जिनका प्रतिकर विवादित है या जो प्रतिकर लेने उपस्थित नहीं हो सके।

भारतीय चिकित्सा परिषद् के रजिस्ट्रार की सेवा-निवृत्ति

*59—श्री वादाम सिंह (जिला बरेली)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि भारतीय चिकित्सा परिषद्, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष ने वर्तमान रजिस्ट्रार को 60 वर्ष की आयु के पश्चात् रजिस्ट्रार सेवा नियमावली के विपरीत दिनांक 17-1-75 से कार्य करने की अनुमति शासन की स्वीकृति लेकर प्रदान कर दी है ? यदि नहीं, तो वर्तमान रजिस्ट्रार को कार्यभार से मुक्त कराने हेतु शासन द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री प्रभु नारायण—

जी नहीं, शासन ने इस निमित्त कोई स्वीकृति नहीं दी है। शासन द्वारा भारतीय चिकित्सा परिषद् के वर्तमान रजिस्ट्रार को तत्काल कार्यमुक्त करने के लिये कार्यवाही की जा रही है।

नसबन्दी योजनान्तर्गत दिया गया अनुदान

*60—श्री हरिकेवल (जिला देवरिया)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतलायेंगे कि उत्तर प्रदेश में वर्ष 1971 से लगातार 30 अगस्त, 74 तक नसबंदी में अनुदान स्वरूप नसबन्दी कराने वालों को कितना रुपया दिया गया है ? क्या यह सच है कि इस संबंध में देवरिया जनपद के कुछ डाक्टरों ने फर्जी नसबंदी कर राजकोष से काफी धन अर्जित कर लिया है ? यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं और उन पर कौन सी कार्यवाही की गयी है ?

श्री प्रभु नारायण--

इस हेतु 5,10,84,837 रु0 अनुदान स्वरूप दिये गये।

केवल एक नसबंदी का मामला फर्जी सिद्ध हुआ। इसके लिये दोषी पाये गये डा0 ए0 के0 बोस के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जा रही है।

फैजाबाद जिले के धान अनुसन्धान केन्द्र मसौधा की सिंचाई हेतु बनाई गयी भूमिगत नालियों का प्रयोग

*61--श्री बेद प्रकाश अग्रवाल (जिला फैजाबाद)--

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि धान अनुसंधान केन्द्र, मसौधा, फैजाबाद में किसानों की सुविधा के लिये 1971 में कोई अन्डर ग्राउन्ड चैनल बना था? क्या उसका प्रयोग सिचांई हेतु 1971 से 74 तक हुआ? यदि नहीं, तो क्या कारण है और उसका उपयोग कब प्रारम्भ होगा?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

जी नहीं।

धान अनुसंधान केन्द्र मसौधा पर राजकीय प्रक्षेत्र की सिचाई हेतु भूमिगत नालियां बनाई गईं जिनका उपयोग 1973 से हो रहा है।

*62--श्री शिव प्रसाद गुप्त--

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

लखनऊ स्थित सफदरबाग मुहल्ले की गली का निर्माण

*63--श्री हरि केवल--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1975 के प्रथम मंगलवार के तारांकित प्रश्न संख्या 1 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सरकार प्रश्नकर्ता की सूचना को सही मानते हुए कि संबंधित गली को केवल अंशतः पक्का किया गया है, जांच कराकर दोषी अधिकारियों को दंडित करेगी? सम्पूर्ण गली अब कब तक पक्की कर दी जायगी?

श्री जगदीश शरण अग्रवाल--

सफदरबाग में मुख्य गली को पक्का किया जा चुका है।

*64--श्री कमला प्रसाद वर्मा--

[4थे गुरुवार में 29(4) के प्रश्न संख्या 4 पर उत्तरित]

लखनऊ नगरमहापालिका द्वारा कर निर्धारण में बरती गई अनियमितता

*65--श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा) तथा श्री दशरथ सिंह (जिला गोंडा)--

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ महापालिका द्वारा किये जाने वाले पंच वार्षिक कर निर्धारण अनियमितता की कुल कितनी शिकायतें इस वर्ष अब तक प्राप्त हुई हैं और वे क्या हैं तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई है?

श्री जगदीश शरण अग्रवाल--

नगर महापालिका लखनऊ, द्वारा किये जा रहे पंच वर्षीय कर निर्धारण में अनियमितताओं से सम्बन्धित अब तक 7 पत्र तथा समाचार पत्रों में प्रकाशित 48 पत्र एवं समाचार प्राप्त हुये हैं इन शिकायतों में मुख्यतः रेण्ट कन्ट्रोल के भवनों के कर निर्धारण में अपनायी गई नीति की आलोचना की गई है तथा कुछ में कर निर्धारण में भ्रष्टाचार के आरोप लगाये गये हैं।

कर निर्धारण के जिन सिद्धान्तों पर आक्षेप किये गये हैं उन पर नगर महापालिका लखनऊ ने विचार कर लिया है और इस विषय में अपनायी गयी नीति को समाचार पत्रों में प्रकाशित भी कर दिया है। भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच भी की जा रही है। एक पत्र में उठाये गये विधिक पहलुओं पर शासन द्वारा भी विधिक मत प्राप्त किया जा रहा है।

*66—श्री काशी नाथ मिश्र—

[विस्तीर्ण होने के कारण निरस्त।]

हेल्थ विजिटर्स का जनरल नर्सिंग के प्रशिक्षणकाल का स्टाइपेन्ड

*67—श्री दया किशन पान्डेय (जिला पिथौरागढ़)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 1972-73 के अन्तर्गत जिन हेल्थ विजिटर्स को जनरल नर्सिंग के प्रशिक्षण हेतु चुना गया था, उन्हें प्रशिक्षण हेतु दिये गये आदेश में यह उल्लिखित था कि उन प्रशिक्षार्थियों को केवल स्टाइपेन्ड एवं की गई पूर्व सेवा के आधार पर देय अवकाश का वेतन ही मिलेगा, परन्तु बाद में शासन ने उक्त सन्दर्भित आदेशों में परिवर्तन करके सम्पूर्ण प्रशिक्षण को सेवा कालीन प्रशिक्षण मान लिया? इसी आधार पर उन्हीं निदेशों के अन्तर्गत भेजे गये दो नये सत्र वर्ष 1974 के प्रशिक्षार्थियों को केवल स्टाइपेन्ड के आधार पर ही प्रशिक्षण करने हेतु मजबूर किया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों?

श्री प्रभु नारायण—

जी हां।

1974 के सत्र में भेजी गई प्रशिक्षार्थियों को पहिले ही स्पष्ट रूप से यह बता दिया गया था कि उन्हें प्रशिक्षण के दौरान ड्यूटी पर नहीं माना जायेगा। इस प्रकार वे प्रशिक्षण में स्वेच्छा से गई है और उन्हें प्रशिक्षण में जाने हेतु मजबूर नहीं किया गया है।

हरदोई जिले के कृषि अधिकारी, श्री आत्मा राम के विरुद्ध भ्रष्टाचार की जांच

*68—श्री एदल सिंह (जिला बुलन्दशहर) तथा श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

क्या सरकार को जानकरी है कि जिला कृषि अधिकारी, हरदोई (श्री आत्मा राम) के प्रति लगभग 24,405 रु0 का काला धन कमाने, 3,38,505 का राजकीय धन या सम्पत्ति का दुरुपयोग करने रु0 91,525 रु0 का घरेलू साज सामान अनधिकृत रखने तथा बीबी के नाम लगभग 1,12,880 रु0 अज्ञात बैंक में जमा होने की शिकायत दिनांक 19-12-74 को किसी विधायक ने की है, जिसका विस्तृत विवरण 29 पृष्ठीय आरोप-पत्र 1 दिसम्बर, 1974 में शासन को प्राप्त है? यदि हां, तो उक्त अधिकारी के प्रति क्या कार्यवाही की गई?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

जी हां। आवश्यक जांच करा ली गई है। शासन स्तर पर परीक्षण किया जा रहा है।

अध्यक्ष, हाथरस नगरपालिका द्वारा भुनाए गए बान्ड

*69—श्री धर्म पाल सिंह (जिला अलीगढ़)—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हाथरस नगरपालिका के अध्यक्ष ने नगरपालिका हाथरस के करीब दो लाख के बांड बिना राज्य सरकार की स्वीकृति के 1974-75 में भुना लिये हैं? यदि हां, तो क्यों?

श्री जगदीश शरण अग्रवाल—

जी नहीं, प्राप्त सूचना के अनुसार, हाथरस नगरपालिका के अध्यक्ष ने 1974–75 में केवल 28,300रु0 के 12 वर्षीय राष्ट्रीय बचत पत्र भुनाये थे। इसके अतिरिक्त दिनांक 8 नवम्बर, 1974 को सरकारी प्रोमीसरी नोट्स पर स्टेट बैंक से 1,50,000 रुपये का ऋण भी लिया था। इन दोनो कार्यों के लिये नगरपालिका बोर्ड ने अध्यक्ष को दिनांक 3 अक्टूबर, 1974 के प्रस्ताव द्वारा अधिकृत किया था।

ऐसा पालिका कर्मचारियों को दिवाली से पूर्व वेतन वितरण के लिये किया गया था।

सिविल अस्पताल, फर्रुखाबाद को एक्सरे मशीन की आपूर्ति

*70—श्री बिमल प्रसाद तिवारी (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिविल अस्पताल, फर्रुखाबाद को कब एक्सरे मशीन दी गई तथा क्या वह रोगियों के उपयोग मेंआ रही है ? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री प्रभु नारायण—

सिविल अस्पताल, फर्रुखाबाद को दिनांक 25 मार्च, 1974 को नया पोर्टेबिल 30 एम0 ए0 एक्सरे प्लान्ट दिया गया जो रोगियों के उपयोग में लाया जाता है।

पशु सेवक संघ, वाराणसी तथा पशुपालन विभाग के कर्मचारियों द्वारा तथाकथित धरना

*71—श्री काली चरण यादव (जिला गाजीपुर)—

क्या सरकार बतायेगी कि स्थायीकरण सेलेक्शन ग्रेड तथा भविष्य निधि हेतु काटी गई धनराशि के संबंध में पशु सेवक संघ, शाखा वाराणसी तथा पशुपालन विभाग के कर्मचारियों ने 3–5–74 को जिला पशु धन अधिकारी, वाराणसी के समक्ष धरना दिया ? यदि हां, तो उनकी मांग क्या थीं, उन पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण सिंह—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

मुरादाबाद जिले में मेडिकल कालेज की स्थापना की मांग के सम्बन्ध में छात्रों द्वारा हड़ताल

*72—श्री दिनेश चन्द्र रस्तोगी (जिला मुरादाबाद)—

क्या सरकार को इसकी जानकारी है कि 3 फरवरी, 75 को मुरादाबाद की सभी शिक्षा संस्थाओं में हड़ताल रही तथा छात्रों ने जुलूस निकाल कर जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया जिसमें मांग की गई है कि मुरादाबाद नगर में मेडिकल कालेज स्थापित किया जाय ? यदि हां, तो क्या शासन पांचवीं पंचवर्षीय योजना में मुरादाबाद जनपद में एक मेडिकल कालेज की स्थापना करेगी ?

श्री प्रभु नारायण—

जी हां, इसकी सूचना शासन को मिली थी। लेकिन धनाभाव के कारण निकट भविष्य में प्रदेश में कहीं कोई नया मेडिकल कालेज खोलना संभव नहीं दिखाई पड़ता।

बुलन्दशहर जिले के विकास खंड अधिकारी, डिबाई के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायत

*73—श्री कल्याण सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि श्री ईश्वरी सिंह, विधायक तथा प्रश्नकर्ता के हस्ताक्षरों से युक्त दिनांक 7-8-74 का कोई ज्ञापन माननीय सामुदायिक विकास मंत्री को प्राप्त हुआ, जिसमें तत्कालीन खंड विकास अधिकारी, डिबाई, जिला बुलन्दशहर क विरुद्ध भ्रष्टाचार और घोर अनियमितताओं, रिश्वत तथा अन्य गम्भीर आरोपों का उल्लेख है ? यदि हां, तो उसकी जांच किसने की, जांच का निष्कर्ष क्या रहा ? क्या जांच करने वाले अधिकारी ने उपरोक्त शिकायत कर्ताओं से सम्पर्क करके उन्हें आरोप सिद्ध करने का अवसर प्रदान किया और जांच की तिथि तथा स्थान से उन्हें अवगत कराया ? यदि नहीं, तो क्यों ? सरकार ने इस पूरे मामले में क्या कार्यवाही की है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जी हां ।

जिलाधिकारी, बुलन्दशहर से सम्पूर्ण मामले की जांच करने हेतु कहा गया है। जांच रिपोर्ट अभी प्रतीक्षित है ।

प्रदर्शन में भाग लेने वाले कृषि अमीनों को अनुपस्थिति अवधि का वेतन

*74—श्री जंग बहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)—

क्या सरकार बतायेगी कि क्या उसे पता है कि सितम्बर, 1974 से लगायात 30 नवम्बर सन् 1974 की तन्ख्वाह प्रदेश के हजारों कृषि तकाबी अमीनों को नही मिली ? यदि हां, तो क्या सरकार उसके तुरन्त भुगतान पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

जी हां। प्रदर्शन में बिना अवकाश के भाग लेने वाले अमीनों का अनुपस्थिति की अवधि का वेतन शासनादेश दिनांक 8-9-1974 के अनुसार देय नहीं है । अतः भुगतान का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि सितम्बर, 1974 में इन अमीनों ने प्रदर्शन में भाग लिया था।

बाराबंकी जिले के ग्राम रानीमऊ के ग्राम प्रधान के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायत

*75—श्री जंग बहादुर वर्मा—

क्या सरकार को पता है कि ग्राम रानीमऊ, परगना बसौली, तहसील राम सनेही घाट, जिला बाराबंकी के प्रधान के खिलाफ उस पंचायत के कुछ मेम्बरान ने हाकिम परगना राम सनेही घाट को अप्रैल, मई, 1974 में दरख्वास्त दी थी कि उन्होंने गांव समाज की जमीन बाजार को उठाने में अनियमितता की तथा गांव समाज के फन्ड का दुरुपयोग किया ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जी हां। यह दरखास्त 4 मई, 1974 को दी गई थी। प्रारम्भिक जांच के पश्चात् अग्रिम कार्यवाही की जा रही है ।

गढ़वाल मण्डल के लिए सचल खाद्य अपमिश्रण इकाइयों की स्वीकृति की मांग

*76—श्री राम पूजन पटेल (जिला इलाहाबाद)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1972-73 में जो प्रत्येक मंडल स्तर के लिये ग्यारहे सचल खाद्य अभियन्त्रण दल स्वीकृत किये गये हैं उनमें से गढ़वाल मंडल के ↓

लिये स्वीकृत कर्मचारी आदि अभी तक निर्धारित मंडल के क्षेत्र में क्यों नहीं रखे गये जबकि अन्य दस मंडलीय क्षेत्रों में उपरोक्त योजना कार्यान्वित की गई है ? उक्त अनियमितता के लिये कौन उत्तरदायी है तथा गढ़वाल मंडल हेतु स्वीकृत संचल खाद्य अभियन्त्रण दल योजना कब से लागू की जायेगी ?

श्री प्रभु नारायण--

प्रदेश में कार्यरत ग्यारह सचल खाद्य अपमिश्रण इकाइयों की स्वीकृति मूलतः प्रत्येक मण्डल के लिये नहीं वरन् बड़े बड़े नगरों के लिये दी गई थी। बाद में उन्हें मण्डल स्तर पर रखने का निश्चय किया गया और कुमायूं तथा गढ़वाल मण्डलों के लिये एक ही इकाई नैनीताल में रखी गयी है। गढ़वाल मण्डल के लिये अलग से कोई इकाई स्वीकृत नहीं है अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता।

फर्रुखाबाद जिले की छिबरामऊ में पी०सी० एफ० सेन्टर की स्थापना की मांग

*77--श्री अनवार जमील--

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि छिबरामऊ जि० फर्रुखाबाद में पी० सी० एफ० मार्केटिंग सेन्टर की स्थापना अब तक नहीं हुई है ? यदि हां, तो क्यों और क्या सरकार स्थापना करने के सम्बन्ध में विचार करेगी ?

श्री नारायण सिंह--

सेन्टर खोलने की आवश्यकता का अध्ययन पी० सी० एफ० द्वारा किया जा रहा है।

हरदोई जिले की नगरपालिका पिहानी के लिपिकों का बकाया वेतन और प्राविडेन्ट फन्ड व ग्रेच्युटी का भुगतान

*78--श्री कबूल सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)--

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई की नगरपालिका पिहानी के कुछ लिपिकों को जून, 1973 से सितम्बर, 1973 तक का वेतन अब तक नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो वेतन न दिये जाने के क्या कारण हैं तथा अवशेष वेतन की अदायगी कब तक कर दी जावेगी।

श्री जगदीश शरण अग्रवाल--

सूचना एकत्रित की जा रही है।

*79--श्री भामी (जिला आजमगढ़)--

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई की नगरपालिका पिहानी के कितने ऐसे कर्मचारी हैं जिनकी सेवा निवृत्त हुई दो वर्ष से अधिक हो चुके हैं किन्तु उनका प्राविडेट फंड एवं ग्रेच्युटी की धनराशि का भुगतान अब तक नहीं किया गया है ? भुगतान न किये जाने के क्या कारण हैं तथा क्या सरकार उनका भुगतान अविलम्ब करने की व्यवस्था करेगी ?

श्री जगदीश शरण अग्रवाल--

सूचना एकत्रित की जा रही है।

जिला सहकारी बैंक, मुजफ्फरनगर के संचालक मण्डल के सदस्यों पर तथाकथित देय कर्ज

*80--श्री हुकम सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)--

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला सहकारी बैंक, मुजफ्फरनगर के संचालक मंडल के किस-किस सदस्य पर सहकारी बैंक द्वारा कितना-कितना कर्जा अब तक वाजिब है ?

यह कर्जा कब देय था और निश्चित तिथि तक अदायगी न होने के पश्चात वसूली के लिये क्या कार्यवाही की गई ?

श्री नारायण सिंह--

जिला सहकारी बैंक, मुजफ्फरनगर के संचालक मंडल के किसी सदस्य पर बैंक का कोई कर्जा देय नहीं है। इसलिये कोई और प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

1-2--श्री ऊदल--

[9वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 11-12 पर स्थानान्तरित।]

वाराणसी नगरमहापालिका के लंका जोन के लिए पेय जल योजना

3--श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी नगर महापालिका के लंका जोन के लिये कितने रुपये की योजना वाटर वर्क्स हेतु एल0 एस0 जी0 ई0 डी0 उत्तर प्रदेश ने बनाई थी ? और क्या उसमें सुधार करके अब उस पर लागत 26 लाख रुपया किया गया है ? यह योजना कब शुरू होगी ?

श्री जगदीश शरण अग्रवाल--

लंका जोन पेयजल योजना आरम्भ में 42.30 लाख रुपये की बनायी गयी थी परन्तु पुनरीक्षित करने के बाद (26 लाख रुपया की नहीं बल्कि) 28.33 लाख रुपया की योजना स्वायत्त शासन अभियंत्रण विभाग द्वारा बनायी गयी है।

यह योजना शासन के विचाराधीन है।

4--श्री काशी नाथ मिश्र--

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

परिवार नियोजन एवं स्वास्थ्य निरीक्षकों को साइकिल एलाउन्स

5--श्री अनवार जमील--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत स्वास्थ्य विभाग में परिवार नियोजन तथा स्वास्थ्य निरीक्षक के पदों पर कार्य कर रहे कर्मचारियों को क्या साइकिल आदि की सुविधा या तत्सम्बन्धी किसी एलाउन्स की सुविधा सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रभु नारायण--

ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग में परिवार नियोजन तथा स्वास्थ्य निरीक्षक के पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को साइकिल आदि की सुविधा या तत्सम्बन्धी किसी एलाउन्स की सुविधा प्राप्त नहीं है। इन कर्मचारियों को नियमानुसार यात्रा भत्ता दिया जाता है।

6--श्री सूबेदार प्रसाद--

[9वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 1 पर स्थानान्तरित]

आलू का बाजार भाव

7--श्री राम सुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--

क्या मुख्य मंत्री दिनांक 6-8-74 के तारांकित प्रश्न सं0 21 के उत्तर के सन्दर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान समय में आलू की कीमत क्या है तथा प्रान्तीय सहकारी संघ से कितना रुपया किसानों को दिलाया जा रहा है और कब तक प्राप्त हो जाने की आशा है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

प्रदेश की प्रमुख मण्डियों में आलू का बाजार भाव 20.00 रु0 से 35.00 रु0 तक प्रति कुन्तल है ।

प्रश्न विचाराधीन है ।

8—श्री केशरी लाल, श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।]

9—श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।]

10—श्री श्रीनारायण—

[5वें सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या 11 पर स्थानान्तरित ।]

11—श्री वेद प्रकाश अग्रवाल—

[5वें सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या 10 पर स्थानान्तरित ।]

12—श्री सूबेदार प्रसाद—

[दो विभागों सें सम्बन्धित होने के कारण निरस्त ।]

13–14—श्री सूबेदार प्रसाद—

[दो विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त ।]

फर्रुखाबाद जिले में आलू तथा तरबूज से सम्बन्धित फैक्टरी की स्थापना की मांग

15—श्री अनवार जमील—

क्या उद्योग मंत्री बतलाने की करेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद में स्थित कमालगंज नगर के आस–पास बहुतायत से आलू तथा तरबूज की पैदावार को देखते हुये वहां पर तरबूज से शरबत बनाने तथा आलू से चिप्स आदि बनाने की योजना पर विचार करेगी ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

ऐसी कोई योजना फिलहाल सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव फेडरेशन को दी गई खाद

16—श्री ऊदल—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कोआपरेटिव फेडरेशन, उत्तर प्रदेश को अप्रैल, 1974 से जून, 1974 तक कितनी मात्रा में खाद मिली है और क्या उसका वितरण ठीक ढंग से हुआ है ? और उसने वाराणसी कोआपरटिव फेडरेशन को कितनी मात्रा में खाद दिया और उसकी बिक्री कब और कैसे की गई ?

श्री नारायण सिंह—

अप्रैल, 1974 से जून, 1974 तक उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव फेडरेशन को कुल 35028 मैट्रिक टन खाद प्राप्त हुई ।

ऐसी कोई बात ज्ञात नहीं हो सकी कि उर्वरक वितरण ठीक ढंग से नहीं हुआ ।

प्रसंगगत अवधि में कोआपरेटिव फेडरेशन, वाराणसी ने उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव फेडरेशन से खाद की कोई मांग नहीं की अतः वाराणसी फेडरेशन ने बिक्री कब और कैसे की, इसका प्रश्न नहीं उठता ।

रामकृष्ण मिशन अस्पताल, वाराणसी को दी गयी सहायता

17—श्री ऊदल—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राम कृष्ण मिशन अस्पताल, वाराणसी को कितने रुपये की सहायता सन् 1972 से सितम्बर, 1974 तक दी गई है और क्या उसके अन्तर्गत कार्य करने वाले कर्मचारियों, डाक्टरों, नर्सों, मिडवाइफों तथा दूसरे किस्म के कर्मचारियों को जो सरकारी अस्पतालों में तनख्वाह दी जाती है उसी हिसाब से दी जाती है या नहीं ? क्या प्रत्येक वर्ष का हिसाब राम कृष्ण मिशन की ओर से सरकार तथा हेल्थ विभाग; उत्तर प्रदेश को दिया जाता हैं ?

श्री प्रभु नारायण—

राम कृष्ण मिशन होम आफ सर्विस, वाराणसी को सन् 1972 से सितम्बर, 74 तक सहायता के रूप में 1,90,816.00 उत्तर प्रदेश सरकार से तथा रु0 71,556.00 भारत सरकार से (कुल रु0 2,62,372.00) स्वीकृत किया गया ।

उक्त अस्पताल में काम करने वाले समस्त कर्मचारी वह वेतन नहीं पाते है जो सरकारी अस्पतालों के कर्मचारियों को मिलता है ।

प्रत्येक वर्ष के आय एवं व्यय का विवरण निदेशक एवं शासन को संस्था भेजती है ।

बहराइच जिले के ब्लाक अर्गनाइजर की ग्रेच्युटी एवं प्राविडेन्ट फन्ड

18—श्री वेद प्रकाश अग्रवाल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बहराइच जिले में 66–67 में तथा 67—68 में 55 वर्ष की आयु पूरी कर सेवा मुक्त हुये ब्लाक अर्गनाइजर कितने हैं जिनको ग्रेच्युटी एवं जी0 पी0 एफ0 अभी तक नहीं दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों और अब कब तक दिया जायेगा ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

बहराइच जनपद से 66—67 तथा 67–68 में 55 वर्ष की आयु पूर्ण करने के उपरान्त किसी ब्लाक आर्गनाइजर को सेवा मुक्त नहीं किया गया है । इस अवधि में केवल एक क्षेत्रीय संगठनकर्ता ने 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने के उपरान्त स्वेच्छा से सेवा निवृत्ति ली है। महालेखाकार ने सूचित किया है कि क्योंकि यह संगठनकर्ता 58 वर्ष की सेवा निवृत्ति की आयु के पहले ही रिटायर हो गये इन्हें कोई ग्रेच्युटी देय नहीं है ।

उक्त ब्लाक आर्गनाइजर के जी0पी0एफ0 का अन्तिम भुगतान 8 नवम्बर, 1974 को किया जा चुका है ।

फैजाबाद जिले के पूरा ब्लाक के खन्ड विकास अधिकारी के विरुद्ध शिकायती-पत्र

19—श्री वेद प्रकाश अग्रवाल—

क्या सामुदायिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद जिले के पूरा ब्लाक के खंड विकास अधिकारी के विरुद्ध 1–7–73 से 30 जून, 74 के बीच सेवा समिति के सदस्यों एवं कुछ अन्य लोगोंने भ्रष्टाचार की शिकायत की है ? यदि हां, तो मुख्य शिकायत क्या है और उसमें जांच अधिकारी सहायक निबन्धक, सहकारिता, फैजाबाद की रिपोर्ट क्या है और सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

क्षेत्र समिति के कुछ सदस्यों के शिकायती पत्र प्राप्त हुए। मुख्य शिकायतें निम्नांकित हैं :—

(1) खंड विकास अधिकारी द्वारा प्रत्येक शुक्रवार को अपने घर जाना तथा मंगलवार की शाम को वापस आना।

(2) पौष्टिक आहार तथा त्वरित कार्यक्रम में सरकारी धन का दुरुपयोग करना।

(3) सरकारी जीप का दुरुपयोग करके फर्जी दौरा दिखाना।

(4) विकास खंड के कृषि बीज भंडारों पर अपने गोण्डा फार्म के घटिया किस्म के उत्पादित बीज का वितरण अधिक दामों में कराना।

(5) विकास खंड की भूमि पर खेती का उत्पादन स्वयं ले लेना।

(6) प्रशासन तथा जनहित का भय दिखाकर नित्य कर्मचारियों की प्रति परमित करना।

उपरोक्त शिकायतों पर सहायक निबन्धक द्वारा की गई जांच अपूर्ण पाई गई। अतः जिलानियोजन अधिकारी, फैजाबाद को स्वयं जांच करने हेतु निर्देश भेजे गये है।

फैजाबाद जिले में दुग्ध शाला की स्थापना

20—श्री वेद प्रकाश अग्रवाल--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फैजाबाद में दुग्ध डेरी खोलने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो दुग्ध डेरी कब से खोली जा रही है? तथा कहां-कहां पर?

श्री नारायण सिंह--

जी हां। फैजाबाद दुग्धशाला के लगभग तीन वर्ष पश्चात् कार्यरत हो जाने की संभावना है।

प्रदेश में उत्पादित बियर की मात्रा

21—श्री ऊदल--

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् 1973 से जुलाई, 1974 तक प्रदेश के अन्दर कितनी बियर यहां के कारखानेदारों द्वारा बनाई गई तथा प्रत्येक माह में प्रदेश के बाहर कितनी बियर भेजी गई और इस पर 1973–74 में कितनी ड्यूटी तथा एक्सपोर्ट फीस थी और अब कितनी है? सरकार को कितना रुपया सन् 1973 में मिला और जनवरी से जुलाई, 1974 तक कितना धन प्राप्त हुआ?

डाक्टर चरण सिंह--

सन् 1973 से जुलाई, 1974 तक प्रदेश के अन्दर यहां के कारखानेदारों द्वारा 3,32,13,326.7 बल्क लिटर बियर बनाई गयी। इस अवधि में प्रत्येक माह में प्रदेश के बाहर भेजी गई बीयर का ब्योरा निम्न प्रकार है।

	बल्क लिटर
जनवरी, 1973	12,53,363.6
फरवरी, ,, ...	14,73,856.8
मार्च, ,, ...	20,00,388.0

अप्रैल,	1973	..	..	..	14,95,310.0
मई,	,,	..	..		17,61,234.0
जून,	,,	..	..	..	20,43,865.2
जुलाई,	,,	..	..	..	20,54,810.0
अगस्त,	,,	..	..	..	18,46,011.0
सितम्बर,	,,	..	..	..	14,64,208.2
अक्टूबर,	,,	..	..	..	14,69,638.8
नवम्बर,	,,	..	..	..	21,76,350.00
दिसम्बर,	,,	..	..	..	15,86,169.0
जनवरी,	1974	..	..	..	16,23,621.2
फरवरी,	,,	..	..	..	10,04,874.0
मार्च,	,,	..	..	..	12,07,440.0
अप्रैल,	,,	..	..	..	2,82,063.6
मई,	,,	..	..	..	1,10,329.2
जून,	,,	..	..	..	13,00,767.0
जुलाई,	,,	..	..	..	13,93,807.6

वर्ष 1973–74 में बियर पर ड्यूटी की दर एक रुपया प्रति बोतल (650 मिली लिटर) व बावन पैसे प्रति अद्धा (325 मिली लिटर) थी। एक्सपोर्ट फीस की दर दिनांक 1–4–73 से 27–3–74 तक ग्यारह पैसे प्रति बल्क लिटर तथा दिनांक 27–3–74 से 31–3–74 तक बीस पैसे प्रति बल्क लिटर थी।

इस समय बियर की ड्यूटी वही है जो 1973–74 में थी। इस समय एक्सपोर्ट फीस की दर एक रुपया पन्द्रह पैसे प्रति बल्क लिटर है।

सन् 1973 में सरकार को बियर से कुल 56,34,4.12 रु0 और जनवरी से जुलाई, 1974 तक 35,72,304.23 रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है।

उत्तर प्रदेश शीरा नियन्त्रण नियमावली, 1974

आबकारी मंत्री (डाक्टर चरण सिंह)––

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से आबकारी अनुभ.ग की अधिसूचना संख्या 6212(ई) तेरह–272–73, दिनांक 18 जुलाई, 1974 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण नियमावली, 1974, को उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम, 1964 की धारा 22 की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

बिक्री-कर अनुभाग की विज्ञप्ति का शुद्धि-पत्र

सामुदायिक बिकास मंत्री (श्री बलदेव सिंह आर्य)––

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से वित्त (बिक्री–कर) अनुभाग–2 की विज्ञप्ति सं0 एस0 टी0–2–6628/दस–1012–1972, दिनांक 1 दिसम्बर, 1973 में जारी किए गये शुद्धि पत्र सं0 एस0 टी0–2–427/दस–6 (29)/74, दिनांक 28 जनवरी, 1975, को उत्तर प्रदेश बिक्री–कर अधिनियम, 1948 की धारा 3 की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

---

†छापी नहीं गयी।
††छापा नहीं गया।

उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की 19वीं वार्षिक रिपोर्ट तथा निगम के वर्ष 1971-72 के लेखा पर महालेखाकार उत्तर प्रदेश के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन††

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री बलदेव सिह आर्य)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की 31 मार्च, 1974 को समाप्त होने वाली अवधि की 19 वीं वार्षिक रिपोर्ट को, लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन सहित, तथा निगम के वर्ष 1971–72 के लेखा पर महालेखाकार, उत्तर प्रदेश के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन को, क्रमशः स्टेट फाइनेन्शियल कारपोरेशन ऐक्ट, 1951 की धारा 38 की उपधारा (3) एवं धारा 37 की उपधारा (7) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश अधिकतम सम्पत्ति सीमा (अन्तरण पर अस्थायी निर्बन्धन) (संशोधन) विधेयक, 1975

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 161 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश विधान सभा की स्वीकृति के लिये प्राप्त उत्तर प्रदेश अधिकतम सम्पत्ति सीमा (अन्तरण पर अस्थायी निर्बन्धन (संशोधन) विधेयक, 1975, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1975

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1975, जो विधान सभा द्वारा दिनांक 18 मार्च, 1975 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 24 मार्च, 1975 को वापस प्राप्त हो गया है।

विधान सभा की लोक लेखा समिति का 1966-67 के विनियोग लेखे तथा 1968 के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन पर आधारित लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन†

श्री मुहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की लोक लेखा समिति का 1966–67 के विनियोग लेखे तथा 1968 के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन पर आधारित लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन में निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही सम्बन्धी प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

खाद्य मन्त्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

माननीय आशा राम यादव, सदस्य, विधान सभा ने एक विशेषाधिकार का सवाल उठाया है। उन्होंने सूचना दी है कि प्रदेश के खाद्य तथा रसद् विभाग द्वारा प्रकाशित वार्षिक कार्य विवरण, 1974–75 में छपा है कि चीनी 1 किलो प्रति माह प्रति यूनिट दी जा रही है जबकि मेरठ में ही 600 ग्राम मिलती है। माननीय सदस्य ने सूचना के साथ अपने कथन की पुष्टि में कोई प्रमाण संलग्न नहीं किया है। नियम 64 के अन्तर्गत ऐसे प्रमाण का संलग्न किया जाना आवश्यक है। यह प्रश्न कल भी उठा था और उसमें सफाई हो गई थी, इसलिये यह अग्राह्य है।

---

††छापा नहीं गये।

†छापा नहीं गया।

श्री दीपनारायण पाण्डेय तथा श्री काशीनाथ मिश्र द्वारा श्री मोती लाल देहलवी के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष--

एक माननीय मोतीलाल के सम्बन्ध में माननीय काशी नाथ मिश्र ने विशेषाधिकार भंग एवं सदन के अवमान का प्रश्न उठाया है।

माननीय दीप नारायण पाण्डेय और माननीय काशीनाथ मिश्र का कहना है कि श्री मोती लाल देहलवी, सदस्य, विधान सभा, ने 22 मार्च, 1975 को सदन में निम्न बात कही :

> "आप इस विधान सभा को देख रहे हैं। आप जानते हैं कि विधायक किस तरह से खरीद लिए जाते हैं। अफसर तो अफसर विधायकों की भी खरीदारी हो जाती है, तो बहुत बड़ी ताकत धन की होती है।"

सूचना देने वाले सदस्य का कहना है कि श्री मोतीलाल देहलवी ने विधायकों के चरित्र पर आक्षेप कर के पूरे सदन की अवमानना की है।

श्री दीपनारायण पाण्डेय (जिला गोंडा)--

मैं यह कहना चहता हूं कि इसी प्रकार से जब सदस्यों के ऊपर श्री ओम प्रकाश जी ने आरोप लगाया था तो वह प्रिविलेज का प्रश्न मंजूर किया गया था। तो आपसे यह निवेदन करूंगा कि यह सारे सदस्यों के ऊपर आरोप लगाया गया है, इसलिये इसको भी प्रिविलेज कमेटी में भेजा जाना चाहिये।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

जहां तक मेरी निजी राय की बात है, मैं पूर्णरूपेण इस सदन के अन्दर भाषण स्वातन्त्र्य के पक्ष में हूं, जिसके जो मन में आये कहे। लेकिन जिस तरीके से यह सारे विधायकों पर आक्षेप है कि विधायक खरीदे और बेंचे जाते हैं और कोई ठोस प्रमाण भी नहीं दिया कि फलानी जगह, फलाने मसले पर फलाने विधायक को इतनी रकम दी गयी, तब तो यह ठीक रहता लेकिन इन्होंने सभी विधायकों का अपमान किया है इसलिये विशेषाधिकार समिति में इसे भेजना चाहिये।

श्री अध्यक्ष--

माननीय ओम प्रकाश जी, आपको कुछ कहना है ? विशेषाधिकार का सवाल जब उठाया जाय तो विशेषाधिकार के बारे में जो मत आपका हो वह आप बतायें न कि जब अध्यक्ष की घोषणा हो जाय या मंत्री को मैं बुला लूं तब। तो क्या आप कुछ कहना चाहते थे ?

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव (जिला जौनपुर)--

मैंने तो दूसरा देखा है।

श्री अध्यक्ष--

विशेषाधिकार से संबंधित कोई सुझाव देना चाहत हों तो वह यही समय है।

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव--

मैंतो इस राय का हूं, जैसा इन्होंने कहा मैं स्वयं भी उसी राय का हूं कि इस सदन के बहुत से सम्मानित सदस्य ऐसे हैं जो मेरी व्यक्तिगत जानकारी में है। वैसे यह बात सही है कि इससे पूरे सदन का अवमान होता है। है तो थोड़े से लोग जो वोट को बेचते हैं लेकिन जिस तरह से मोतीलाल जी ने कहा उससे यह धारणा बनती है कि तमाम सदस्य इस प्रकार के हैं।

श्री अध्यक्ष--

माननीय मोतीलाल देहलवी, अगर आप खेद-प्रकाश करना चाहें तो कर दें।

श्री मोतीलाल देहलवी (जिला कानपुर)---

नियम के आधार पर जो हमको एक प्रतिलिपि मिलनी चाहिये वह मिली नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

जो आपने कहा है उस पर आपको कुछ क्षोभ या खेद है ?

श्री मोतीलाल देहलवी--

अध्यक्ष महोदय, जो मैंने कहा था, उस दिन अपने भाषण में, वह एक प्रसंग में कहा था।

श्री अध्यक्ष--

मैं यहां बहस नहीं करा रहा हूं। अगर कुछ माननीय सदस्यों को आपकी किसी बात से ऐसा लगा कि अपमान हो रहा है सदन का, तो किसी माननीय सदस्य का व्यक्तिगत तौर पर तो नहीं अपमान हुआ लेकिन सम्पूर्ण सदन की अवमानना हुई, मैं ऐसा मानता हूं। अगर आप खेद प्रकाश नहीं करते हैं तो हम इसको विशेषाधिकार समिति को भेजते हैं. . . . .

श्री मोतीलाल देहलवी--

आप तो जबर्दस्ती खेद प्रकाश करवा रहे हैं। आप हमको सुनना नहीं चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष--

मैं माननीय मोतीलाल देहलवी के मामले को विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द कर रहा हूं।

कृषि मन्त्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष--

माननीय श्री मुलायम सिंह तथा माननीय श्री केशरी लाल, सदस्य विधान सभा ने सूचना दी है कि राज्य के कृषि मंत्री श्री वीरेन्द्र वर्मा ने 23 मार्च, 1975 को मथुरा में कहा है कि 3.12 एकड़ तक जोत वाले किसानों को अनाज की लेवी से मुक्त कर दिया जायेगा। उन्होंने यह भी कहा कि 3.12 से सवा 6 एकड तक जोतवालों से 20 प्रतिशत और साढ़े 12 एकड़ तक जोत वाले किसानों से 30 प्रतिशत अनाज वसूल किया जायेगा। माननीय सूचना देने वाले सदस्यों का कहना है कि अभी तक गेहूं वसूली की योजना सरकार द्वारा निश्चित नहीं हुई है। कृषि मंत्री जी द्वारा सदन के बाहर इसकी सूचना देना सदन के विशेषाधिकारों की अवहेलना है। माननीय सूचना देने वाले सदस्यों ने अपनी सूचना के प्रमाण में कोई लेख्य सूचना के साथ संलग्न नहीं किया है जिससे यह सिद्ध हो सके कि माननीय कृषि मंत्री ने मथुरा में कथित बात कही है।

कृषि मंत्री (श्री वीरेन्द्र वर्मा)---

मान्यवर, अब से कोई 2-3 माह पूर्व इस प्रकार का प्रकाशन अखबारों में भी निकल चुका है कि यह सरकार के विचाराधीन है और जिस बात की चर्चा माननीय सदस्य ने की यह अभी भी विचाराधीन है।

श्री मुलायमसिंह यादव (जिला इटावा)---

23 मार्च को माननीय कृषि मंत्री जीने प्रेस कान्फ्रेन्स में स्पष्ट कहा है, जैसा कि स्वतंत्र भारत में छपा है, कि 3.12 एकड़ तक भूमि वाले किसानों को लेवी से मुक्त कर दिया है और

3.12 से सवा 6 एकड तक जोतवाले किसानों से 20 प्रतिशत अनाज वसूल किया जायगा। लेवी के संबंध में अभी तक न तो सरकार ने कोई निर्णय लिया है और न ही इस सदन को उसकी कोई जानकारी है। इसके पूर्व ही माननीय कृषि मंत्री जी ने प्रेस कान्फ्रेन्स में इसकी घोषणा कर दी। यह सदन का अवमान है।

श्री अध्यक्ष—

यह अवमान का प्रश्न नहीं बनता, औचित्य का प्रश्न. . . . . .

(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

सरकार ने जो निश्चय किया था उसकी घोषणा 2–3 माह पूर्व ही, जैसा मैंने अभी बताया, अखबारों में प्रकाशित हो चुकी है। उस समय सदन नहीं चल रहा था. . . . . .

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष्—

सूचना देने वाले सदस्यों ने प्रमाण में कोई लेख्य सूचना के साथ संलग्न नहीं किया है। यह विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न नहीं बनता, मैं इसे अस्वीकार करता हूं।

श्री मोती लाल देहलवी (जिला कानपुर)—

एक निवेदन हमारा सुन लें. . . . .

श्री अध्यक्ष—

अभी नहीं।

मुख्य मन्त्री कार्यालय के कर्मचारियों द्वारा विधान सभा सदस्यों के साथ दुर्व्यवहार करने के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

एक विशेषाधिकार का और है सर्वश्री बाबा रामनाथ, भगवती प्रसाद, हरिकेवल तथा जनार्दन प्रसाद ओझा का। इन्होंने सूचना दी है श्री भगवती प्रसाद सदस्य, वाराणसी के हरिजनों के उत्पीडन संबंधी आवेदन पत्र को लेकर माननीय मुख्य मंत्री के कार्यालय में गये, जहां उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। उन्होंने उक्त कर्मचारियों के विरूद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाया है और मांग की है कि उन्हें सदन में बुलाकर प्रताड़ित किया जाय।

इसमें आपने नाम तो दिये नहीं हैं ?

बाबा रामनाथ (जिला मैनपुरी)—

मान्यवर, वैसे तो इसमें कोई विशेष बात नहीं है, मगर माननीय मुख्य मंत्री जी के कार्यालय में कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जो इतना भी नहीं बताते जब कोई विधायक कोई दरख्वास्त लेकर जाता है कि उसको यहां नहीं, फला जगह दे दो। ठीक से बात नहीं करते। यह कहते हैं कि कि यहां से भाग जाइये, यहां से निकल जाइये—मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि कम से कम आप डाइरेक्शन दे कि जनता का कोई भी व्यक्ति चाहे वह गन्दा कपड़ा ही क्यों न पहने हो, उसको वे रास्ता बतला दें। एक बार ही नहीं दूसरी बार भी ऐसा हुआ, मैं समझता हूं कि यह बहुत लज्जास्पद बात है।

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य मुख्य मंत्री के कार्यालय में सदन की किसी कार्यवाही के सम्बन्ध में नहीं गये थे और न मुख्य मंत्री का कार्यालय सदन के परिसर के भीतर है, इसलिये विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न इसके अन्तर्गत नहीं हो सकता। किन्तु मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में आवश्यक जांच करके इसका परिणाम हमें सूचित कर दें।

श्री भगवती प्रसाद (जिला फैजाबाद)--

मुझे इस विषय में कहने तो दें ?

श्री अध्यक्ष--

मैं निर्णय कर चुका। मैंने पहले आपको बुलाया, फिर आप बैठ गये। मैंने तो कह दिया कि यह विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न नहीं बन सकता। मैंने मुख्य मंत्री जी को आवश्यक कार्यवाही करके इसे मुझे और आपको बतलाने के लिये कहा है। तो उसे देख लेंगे।

मुख्य मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)--

अध्यक्ष जी, मुझे इसका सख्त अफसोस है कि किसी माननीय सदस्य को मेरे कक्ष में जाने पर, मेरे कार्यालय के किसी व्यक्ति द्वारा जिसका नाम न भी लिया गया हो, उसके साथ दुर्भावनापूर्ण व्यवहार हुआ। इसमें कोई सन्देह नहीं कि ऐसा करना अनुचित है। जिस तारीख की यह घटना है उस तारीख को हमारे प्रदेश की कांग्रेस कमेटी की कार्य समिति की बैठक थी जिसमें दिन भर मे सम्मिलित रहा और इस सदन की सेवा में और अपने कार्यालय में भी नहीं आ पाया था। मैं अगर होता तो यह बात सम्भवत: नहीं होती क्योंकि माननीय सदस्य स्वयं मुझसे मिलते, और किसी से क्यों मिलते? जो बाबा रामनाथ ने सलाह दी, यद्यपि उन्होंने नाम भी कोई नहीं लिया लेकिन आमतौर से सभी से यह कहूंगा कि मेरे कार्यालय के प्रति इस तरह की शिकायत आना मेरे लिये भी दुख का विषय है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

मान्यवर, जहां तक मुझे खयाल है एक बार पहले भी यह प्रश्न माननीय सदन में आया था। तो माननीय मुख्य मंत्री जी ने तब से आज तक इस सम्बन्ध में कौन सा कदम उठाया है ताकि माननीय सदस्यों के साथ भविष्य में ऐसा दुर्व्यवहार न हो ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

मान्यवर, जो माननीय नेता, जनसंघ ने प्रश्न उठाया है, उस समय मैंने सब को प्रताड़ित किया था, समझाया भी था लेकिन इस प्रकार की भावना कि किसी निश्चित व्यक्ति को इस घपले में डालकर उसे चार्ज शीट करना सम्भव नहीं हो सकता क्यों कि बदकिस्मती से हमारे नियम ही ऐसे हैं। इतना ही कह सकता हूं कि दुर्भाग्य से यह शिकायत माननीय भगौती जी की पहले बार भी हुई थी और वैसी ही इस बार भी हुई है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि यह अच्छी बात नहीं है, अगर ऐसा हुआ। माननीय सदस्य की बात को मैं सही मानता हूं। मैं ऐसा नहीं कह सकता कि ऐसा नहीं हुआ। और इस आदरणीय सदन का कोई भी माननीय सदस्य अगर कोई बात कहता है तो इस मसले पर एक दूसरे की बात माननी चाहिये। मैं उसे मानता हूं और इसीलिये मैंने कहा कि आमतौर से अपने कार्यालय के सब कार्यकर्ताओं को कहूंगा जो कि तीन कमरों में बैठते हैं अलग-अलग कि कोई भी हो, जैसा कि बाबा रामनाथ ने कहा कोई भी व्यक्ति अपनी बात कहना चाहे तो उसको सुनना चाहिये और उसको बात का न्यायोचित और अदब के साथ उत्तर देना उसका कर्त्तव्य है।

*श्री भगवती प्रसाद (जिला फैजाबाद)--

मैंने आपकी बात मान ली लेकिन मेरी बात को सुन लें। मान्यवर, जैसा कि माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी ने कहा--हम लोग आपके या कि मंत्री के कार्यालय में इसलिये नहीं जाते हैं कि अपना कोई निजी फायदा करना चाहते हैं या कोई दलाली करते हैं। मैं आपसे कहना

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चाहता हूं कि बाराणसी की तहसील ज्ञानपुर के ग्राम चकोरी के हरिजनों के साथ जितना जुल्म किया है वहां के सामन्तों ने कि बलात् उनकी सारी जमीन अपने कब्जे में कर ली, उनको मारा। एक दरख्वास्त लेकर--

श्री अध्यक्ष--

आप जिस काम से गये थे वह ठीक है।

श्री भगवती प्रसाद (जिला फैजाबाद)--

इस दरख्वास्त को लेकर मैं गया।

श्री अध्यक्ष--

यह हम कहां कहते हैं कि आप अनुचित काम से गये थे।

श्री भगवती प्रसाद (जिला फैजाबाद)--

मैं दरख्वास्त लेकर गया। मुझे खुद आज तक ज्ञान नहीं हुआ कि मंत्री महोदय के किस कार्यालय में जाऊं। चूंकि मेरा निजी सौदा नहीं था इसलिये मैं गया। कुछ ऐसी दरख्वास्तें जो मुझे मिलीं जिनको मुझे मुख्य मंत्री और मंत्री तक पहुंचाना होता है उसके लिये मुझे जाना पड़ा मैं भी विद्युत् के संबंध में एक दरख्वास्त लेकर गया था। मैं यह बिल्कुल नहीं चाहता कि मुख्य मंत्री जी क्षमा मांगें। लेकिन जैसा मुख्य मंत्री जी ने कहा मैं उस पर कहना चाहता हूं कि जिनका कोई निजी पेशा नहीं है, जो जनता के सही प्रतिनिधि हैं उनका यह कर्त्तव्य है कि वह उनके लिये मंत्री या मुख्य मंत्री के पास जायं। लेकिन किस कार्यालय में जायें ? तिवारी जी के यहां जायं खड़े रहें। डांट पड़े। पंडित जी के यहां जायं, कुछ लेकर जायं, तो वहां भी दलालों का दरबार है। मुख्य मंत्री के यहां जायं तो, हजार के कपड़े के नीचे का आदमी कार्यवाहक के यहां जा नहीं सकता। इस लिये मैंने अर्ज किया कि इस दरख्वास्त को मुख्य मंत्री की सेवा में भेज दें। 4 कर्मचारियों ने कहा कि उसमें जायं। मुझे मालूम नहीं था कि हैलोन साहब यहां कहां हैं ? 4 ने कहा कि अगर कार्यवाहक के यहां नहीं जायेंगे तो आपकी दरख्वास्त नहीं ली जायगी, आप वापस जायं। मैंने कहा वापस जा रहा हूं। मुझे कोई शौक नहीं कि विशेधाधिकार का प्रश्न उठाऊं। लेकिन यह जरूर है कि अगर जनता ने चुनकर भेजा है तो उनकी दरख्वास्त लेकर मैं जरूर जाऊं।

श्री अध्यक्ष--

आपने स्पष्टीकरण कर दिया कि किसी अनुचित काम से नहीं गये, उचित काम से गये।

सिंचाई मन्त्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष--

माननीय श्री पुरुषोत्तम कौशिक ने नियम 63 के अन्तर्गत सूचना दी है कि माननीय सिंचाई मंत्री ने 28 फरवरी, 1975 को गण्डक नहर क्षेत्र में नहरों के पानी के खोल दिये जाने के कारण पडरौना तथा देवरिया की फसल की बरबादी के संबंध में वक्तव्य देते हुये कहा था कि जुलाई, 1974 के तीसरे सप्ताह में औसत से ज्यादा बारिश हुयी थी और गण्डक नहरों से कुछ खेतों में पानी फैल गया और अनुमान है कि पडरौना और देवरिया सदर तहसीलों में लगभग 150 एकड़ रबी के रकबे में फसल को थोड़ा नुकसान हुआ है। माननीय श्री कौशिक का कहना है कि यह दोनों बातें सत्य के विपरीत हैं। उनका कहना है कि सबसे अधिक वृष्टि सितम्बर में 19.6 इंच हुयी थी जिसकी सरकारी सूचना मंत्री जी को प्राप्त थी और 9 जनवरी, 1975 को गण्डक प्रोजेक्ट कमिश्नर श्री जैनुल आब्दीन साहब तथा अधीक्षण अभियंता,

[श्री अध्यक्ष]

श्री योगेन्द्र नाथ गुप्ता व अन्य अधिकारियों ने अपनी आंखों हजारों एकड़ रबी के क्षेत्रफल का विनाश केवल पडरौना विकास खंड तथा विशुनपुरा विकास खंड में ही देखा है। किन्तु माननीय श्री कौशिक ने अपनी सूचना के साथ कोई लेख्यात्मक प्रमाण संलग्न नहीं किया है जिससे यह प्रतीत हो सके कि जुलाई, 1974 के तीसरे हफ्ते में औसत से ज्यादा बारिश नहीं हुयी और गण्डक नहरों के पानी के खेतों में फैलने से पडरौना और देवरिया सदर तहसीलों में 150 एकड़ से कहीं अधिक क्षेत्रफल में रबी की फसल को नुकसान हुआ है और न माननीय कौशिक जी ने कोई ऐसा प्रमाण ही सूचना के साथ संलग्न किया है जिससे यह ज्ञात हो कि माननीय सिंचाई मंत्री ने 28 फरवरी, 1975 को सदन में इस संबंध में जो वक्तव्य दिया था उसमें जान बूझकर असत्य कथन किया गया।

नियम 65 के अन्तर्गत विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना किसी हाल ही में घटित निश्चित विषय से सम्बद्ध होनी चाहिये। माननीय सिंचाई मंत्री ने जो वक्तव्य दिया था वह 28 फरवरी, 1975 को दिया गया था अत: यह विषय किसी अभिनव घटना से सम्बद्ध नहीं है।

उपर्युक्त कारणों से मैं विशेषाधिकार की अवहेलना के इस प्रश्न को अस्वीकार करता हूं।

*श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

मान्यवर, एक मिनट स्पष्टीकरण देने के लिये देने की कृपा करें। माननीय सिंचाई मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया है, मान्यवर, सिंचाई विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निश्चित सूचना प्राप्त होने के बावजूद भी उन्होंने जनता को भ्रम में रखा है। माननीय मैनुल आब्दीन, गंडक प्रोजेक्ट कमिश्नर 9 जनवरी, 75 को वहां गये थे, इसके अलावा जनवरी के अन्तिम सप्ताह तथा फरवरी म भी गये थे। इनके साथ श्री योगेन्द्र नाथ गुप्ता अधीक्षण अभियंता, इक्जीक्यूटिव इंजीनियर तथा अन्य वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी गये थे। उन्होंने पडरौना विकास खंड में, मान्यवर, यह स्वीकार किया है कि हजारों एकड़ भूमि की फसल नष्ट हो गयी है और मुआवजा देने का भी आश्वासन उन्होंने दिया। मान्यवर, सिंचाई मंत्री जी ने तथ्यों को जानबूझ कर छिपाया है।

17 मार्च, 1975 की कार्यवाही की जांच हेतु समिति गठित करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य, श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी ने नियम 301 के अधीन एक सूचना 19—3—75 को और दूसरी सूचना 22—3—75 को दी है, जिसमें उन्होंने दिनांक 17—3—75 को इस सदन में मुख्य मंत्री, श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा द्वारा कहे गये कुछ शब्दों को कार्यवाही में न लिखे जाने पर आपत्ति करते हुये तथा कार्यवाही को दबाव में बदले जाने का आरोप लगाते हुये सदन का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया है तथा यह मांग की है कि इसकी जांच के लिये एक संसदीय समिति का गठन किया जाय।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मान्यवर, मैंने प्रार्थना की है कि आप निर्णय करने से पहले इसमें एक समिति बैठा दें जो कि जांच कर ले।

श्री अध्यक्ष—

मैंने स्वयं जांच किया है और पूरी जांच में रख रहा हूं। विधान सभा सचिवालय के बारे में सारी जांच और जिम्मेदारी अध्यक्ष की होती है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मान्यवर, दूसरा निवेदन किया था कि चाहे भ्रम से, चाहे न सुनने के कारण ऐसा हुआ। लेकिन मैं बिना किसी पर दोषारोपण किये हुये कह रहा हूं कि जो चीजें आयीं वह बरबैटिम नहीं आयी। इस लिये मैं समिति के गठन के लिये कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष--

अभी मैं 301 में देख रहा हूं कि आ सकता है कि नहीं।

नियम 301 के अन्तर्गत सदन की जानकारी में कोई ऐसा विषय जो औचित्य का प्रश्न न हो, लाया जा सकता है। समिति के गठन के लिये यदि माननीय सदस्य चाहते हैं तो नियम 200 के साथ पठित नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्ताव लाकर ऐसा कर सकते हैं परन्तु ऐसा नियम 301 के अन्तर्गत नहीं किया जा सकता। जहां तक सदन की जानकारी में लाने का प्रश्न है, यह कई अवसरों पर लाया जा चुका है।

आपने यहां पर कहा और उसके बाद मैंने सम्बंधित अधिकारी से जवाब तलब किया और संबंधित कर्मचारी रिपोर्टर का जो स्पष्टीकरण है वह मैं पढ़े देता हूं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मान्यवर, उस अवसर पर कुछ कहने का हमें अवसर देते और तब आप निर्णय देते।

श्री अध्यक्ष--

नियम 301 विधान सभा सचिवालय के बारे में नहीं बनता है। आपको विकल्प भी बता दिया और जो मैं कह रहा हूं उसके बावजूद भी यदि आप चाहते हैं, कि समिति बने, तो नियम 200 के साथ पठित नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्ताव ला सकते हैं।

रिपोर्टर का जो स्पष्टीकरण है उसमें एक-एक चीज दिया है और उसने दो बातों के बारे में लिखा है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मान्यवर, जब आप कह रहे हैं कि कदाचित इस निर्णय पर 301 नहीं आता है और इसका दूसरा रास्ता आपने बताया है। इसलिये अभी उस पर निर्णय देने या पढ़ने का मौका नहीं आया। मैं आज भी कहता हूं कि वरबैटिम नहीं लिखा गया है। आज भी इसका मुझे खेद है। मुझे आप अवसर देंगे, मैं फिर से लाऊंगा।

श्री राम सुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--

मान्यवर मैं, कई बार खड़ा हुआ लेकिन आपका ध्यान नहीं आकृष्ट कर पाया। आजमगढ़ जिले में . . . . . .

श्री अध्यक्ष--

इस समय नहीं। अब मैं कार्य मंत्रणा समिति की रिपोर्ट पढ़ता हूं।

कार्य-मन्त्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष--कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी आज दिनांक 25 मार्च, 1975 की बैठक में यह सिफारिश की है कि उत्तर प्रदेश की अधिकतम सम्पत्ति सीमा (अन्तरण पर अस्थायी निर्बन्धन) (संशोधन) विधेयक, 1975, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार और पारण के प्रस्तावों की जो मदें 18 व 19 आज की कार्यसूची में अनन्तिम रूप से सम्मिलित की गयी हैं, वह आज ही ले ली जायं और यह विधेयक पारित कर दिया जाय।

श्री ओम प्रकाश सिंह (जिला मिर्जापुर)--

मान्यवर, 301 में मैंने नोटिस दिया था, उसके बारे में क्या हुआ ? क्या वह आपको मिल गया है ?

श्री अध्यक्ष--

मुझे पता नहीं। हो सकता है अभी आया हो।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)--

301 का मेरा भी था।

श्री मुहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)--

मान्यवर, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से आज यह स्पष्ट रूप से जानना चाहूंगा कि आया वह इस बात के लिये तैयार हैं या नहीं कि जो प्रतिवेदन आये हैं उन पर विचार के लिये 29 अप्रैल के बाद यह सदन की बैठक होगी या नहीं। अगर नहीं बैठाना चाहते हैं तो उस हिसाब से हम सोचें क्योंकि माननीय मुख्य मंत्री जी संसदीय मंत्री को तो ऐसी हालत में करके हमारे पास भेज देते हैं कि हमें उन पर तरस आने लगता है और हम मजबूर हो जाते हैं। ईमानदारी यह है कि हम नियमों के अनुसार किसी सिफारिश को न मानें, परन्तु उन पर रहम आ जाता है। संसदीय मंत्री का किसी विभाग पर कोई नियंत्रण नहीं है और उनको फिर हमारे पास उन बिभागों की गलती पूरी करने के लिये भेज देते हैं और जो दूसरे मंत्री जाते हैं वह खामोश बैठे रहते है। संसदीय विभाग को अन्य विभाग धोखा देते रहते हैं और उनको मालूमात नहीं पहुंचाते, जिसकी वजह से नियमों का उल्लंघन करके हमें यह कार्य करना पड़ता है। दूसरे यह कि मुख्य मंत्री जी ने आपको कार्य मंत्रणा समिति में यह आश्वासन दिया था कि असरकारी दिवस होगा और प्रतिवेदन पर चर्चा होगी और जो दूसरे विषय है उनको लेना चाहते हैं कि नहीं, हमें यह मालूम होना चाहिये ताकि और दलों से बात करके इस पर निर्णय ले सकें। अगर यह बात पहले आ जाय तो हम गौर कर सकते हैं।

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

मान्यवर, यह चीज मेरी भी नोटिस में बहुत देर को आई। बड़ा दुख है कि जैसा हमारे असरार साहब ने कहा कि ऐसे कड़े बन्धन में जकड़ देते हैं मंत्री महोदय कि मजबूर होकर कि कहीं नुकसान न हो जाय पब्लिक का, हम सहयोग देते हैं और सरकारी काम करते हैं। लेकिन सरकार सहयोग करे या न करे, हमें सहयोग करना पड़ता है। मैं समझता हूं कि इसके लिये कौन जिम्मेदार है, इन परिस्थितियों को पैदा करने का ? क्या कभी गौर किया ? मैं मानता हूं कि माननीय मंत्री और मुख्य मंत्री को समय नहीं है कि वह इन सब चीजों को देखें, तो वह कौन व्यक्ति है जिसकी नोटिस में यह बात लाई जाय।

मान्यवर, जो मनी बिल आया था और जिस पर कल आपने व्यवस्था दी थी, उसपर भी भूल हुई पार्लियामेंट्री विभाग की। कोई भी स्थिति ऐसी होगी जिसमें यह समझा जा सके कि यह काम करेंगे और जो भी अधिकारी है वह इसको समय-समय पर बताते रहेंगे। चूंकि टर्म 31 तारीख को समाप्त हो रहा था, इसलिये हम लोगों ने उदारता दिखाई, लेकिन इनसे उदारता की कोई आशा नहीं।

श्री अध्यक्ष--

कोई झगड़ा लगाना चाहते हैं ?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मैं झगड़ा नहीं लगाना चाहता ? मैं चाहता हूं कि नियमों का पालन हो और संसदीय मंत्री साधिकार कार्य मंत्रणा समिति में आयें। अगर मेजारिटी से नियमों का पालन होना है तो हमें कुछ नहीं कहना है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--

आपकी उदारता है ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

क्या सारी उदारता हम ही दिखलायेंगे?

मुख्य मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)--

मान्यवर, मैं अनुग्रहीत हूं माननीय असरार साहब और माननीय नेता जनसंघ श्री माधव प्रसाद जी का क्योंकि उनकी उदारता के कारण जनहित के सारे कार्य अच्छी तरह से सम्पादित हो रहे हैं। खास कर माधव बाबू का शुक्रगुजार इसलिये हूं कि उनकी कृपा दृष्टि से यह संभव हो पाया है कि इस जनहित कविधेयक के सम्बन्ध में उन्होंने असरार साहब तथा बिजनेस एडवायजरी कमेटी को राजी कर लिया। मैं आपके द्वारा उनको खास तौर से धन्यवाद देना चाहता हूं।

जहां तक प्रश्न इस बात का है कि मैं संसदीय मंत्री को भेजता हूं कि नियमानुसार संसदीय मंत्री ही उस कार्य मंत्रणा समिति में जाते हैं। और किसी वक्त ऐसी जरूरत पड़े कि मेरी हाजिरी वहां हो तो हमें इस हाउस का नौकर हूं और इस नाते उस कमेटी के सामने भी हाजिर हो सकता हूं। वैसे मेरी जरूरत पड़ने की आवश्यकता नहीं है। साधिकार माननीय संसदीय मंत्री वहां जाते हैं और मुझे कोई अधिकार नहीं है। मंत्रि परिषद् कार्यक्रम बनाता है। मैं भी मंत्रि परिषद् की आज्ञा से बंधा हूं। सिर्फ इतना कह सकता हूं कि नियमानुसार जो भी कार्यक्रम होना है उसे जरूर होना चाहिये लेकिन जो प्रश्न असरार साहब ने निश्चित रूप से पूछा है कि 28 तारीख के बाद, खास तौर से एप्रोप्रियेशन बिल के बाद यह सदन कितने दिन बैठेगा और क्या-क्या बिजनेस लेगा उसका निर्णय अभी मंत्रि परिषद् ने नहीं लिया है। लिहाजा इस समय मैं उस स्थिति में नहीं हूं कि उस सम्बन्ध में मैं कुछ बात कह सकूं।

श्री मुहम्मद असरार अहमद--

कितने दिनों में बतला देंगे जब यह पूछा जाता है तो संसदीय मंत्री बैठक में यह बतलाते हैं कि मुख्य मंत्री से पूछ लूं। इसका मतलब यह है कि खुद उनको कैबिनेट के किसी निर्णय की मालूमात नहीं है। जब मुख्य मंत्री से पूछ कर ही वह बतलायेंगे तो कार्य मंत्रणा समिति का बुलाना ही बेकार हो जाता है। सवाल उस वक्त पैदा होता है और समिति को निर्णय लेना होता है तो वह कहते हैं कि हमें मालूम नहीं, कैबिनेट बैठेगी और कैबिनेट ने निर्णय लिया नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि जितने विषय इस समय कार्य मंत्रणा समिति के सामने पेश हैं उन पर अगली बैठक निर्णय के लिये बुलालें और हम स्वयं निर्णय लेंगे, संसदीय मंत्री मानें या न मानें।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

असल बात यह है कि जो संसदीय मंत्री को कोई बात टालनी होती है तो मुख्य मंत्री का वह बहाना ले लेते हैं कि जरा मुख्य मंत्री से पूछ लें। लिहाजा मुख्य मंत्री उनको लिख कर दे दें कि वह स्वतंत्र हैं और स्वविवेक से कमेटी के सामने कार्य कर सकते हैं। लिहाजा चार्टर आफ राइट्स मुख्य मंत्री इनको लिख कर दें दें।

श्री राममूर्ति (जिला बरेली)--

मान्यवर, लोक सभा में यह कायदा है कि वह सारा प्रोग्राम पहले से बना लेते हैं और छाप देते हैं कि सेशन इतने दिन चलेगा और यह यह कार्य फलां-फलां दिन होगा। थोड़ा बहुत भले ही परिवर्तन हो जाय। हमारे यहां भी यह पद्धति चलाई जाय कि इतने दिन सेशन चलेगा और यह यह काम होगा तो उसमें सहूलियत, रहेगी सरकार को और हम को दोनों को सहूलियत रहेगी। मेरा मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि इस मामले को बैठकर आपस में मलाह करके तय कर लें और छुटिटयों के फौरन बाद बुला लें ताकि सबको सहूलियत रहे ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

आप मुख्य विषय को तो लें ही.....

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

मान्यवर, माननीय माथो बाबू ने ठीक ही कहा कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री यहां कहते हैं कि मंत्रि-परिषद् का निर्णय हुआ ही नहीं है। लेकिन माननीय कपूर भी आपका नाम लेते हैं। न वे मानते हैं और न ये मानते हैं। इसलिये हम दोनों इन लोगों का यह लिख दें कि मुझको और माथो बाबू को तंग न करें। दोनों के दोनों गलत काम कर रहे हैं.....

(हंसी)

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

माननीय मोहनलाल कपूर गलत काम नहीं कर रहे हैं। इस मामले में मंत्री जी को शक है इसीलिये वे सहारा लेते हैं, खुद नहीं कह सकते हैं।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

मान्यवर, इतना लचीलापन भगवान अगर बनाये रखें तो यही हमारा सहारा है।

श्री मोहनलाल कपूर (जिला मेरठ)—

हमें आपसे ज्यादा सन्देह है.....

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

मान्यवर, मैं मोहनलाल जी को आश्वासन देना चाहता हूं कि कार्यमंत्रणा समिति में सभी दलों के लोग होते हैं और हर दल को आपस में सलाह करनी पड़ती है। इसके लिये वे क्षमा करें अगर किसी वक्त संसदीय कार्य मंत्री ने यह कह दिया कि निश्चय नहीं हुआ है।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—

दो महीने हो गये और अभी तक भी सरकार को यह निर्णय लेने में कठिनाई हो रही है। फरवरी से सेशन चल रहा है, लेकिन कब तक करेंगे, इसका पता नहीं है। ये सोच रहे होंगे कि तब तक हम रहेंगे या नहीं रहेंगे या दूसरी सरकार आ जायेगी। मैं स्पष्ट जानकारी चाहता हूं कि कौन सी वजह है कि आप बता नहीं सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो बतायें और नहीं चाहते हैं तो यह बिल क्यों सदन में रखा गया है और क्यों चर्चा की इजाजत दी जाय?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

मैं असरार साहब को तकलीफ नहीं दूंगा। ठीक वक्त पर आपके सामने सदन में प्रस्तुत कर दूंगा। माननीय राममूर्ति जी ने भी एक बात कही है कि लोक सभा में ऐसा होता रहा है। उन्होंने ठीक ही कहा है कि इस सभा में ऐसा नहीं होता रहा है, न उनके जमाने में और न इनके जमाने में। महाजनो येन गतः सपन्थाः। मैं वादा करता हूं कि समिति में विचार-विमर्श करने के बाद इसे शीघ्र रख देंगे। हमारे मित्रों को भी तो आप छुट्टी देंगे। तिथि का कोई सवाल नहीं है। एक-दो दिन में नहीं 7/8 दिन के अन्दर इन सारी बातों को देखते हुये तय कर देंगे।

श्री मोहनलाल कपूर—

यह जो बिल आ रहा है वह आज ही कार्य मंत्रणा समिति में गया है। कोई अधिकारी इसके लिये जिम्मेदार होगा कि इतने विलम्ब से क्यों सूचना दी गई? इनके विरुद्ध आप ऐक्शन लेंगे?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

इसके लिये मैं कुछ नहीं कह सकता और न किसी अधिकारी पर दोष लगाना चाहता हूं। भूल हुई है और मुझे धन्यवाद आपको देना है कि आप इसमें हमें सहयोग दे रहे हैं ताकि जनता का कोई नुकसान न हो ।

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)---

मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति द्वारा की गई सिफारिश से जिसकी सूचना श्री अध्यक्ष द्वारा सदन को दी गई है, सहमत है ।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा की गई सिफारिश से जिसकी सूचना श्री अध्यक्ष द्वारा सदन को दी गई है, सहमत है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

इलाहाबाद हाई कोर्ट में गिरफ्तार व्यक्ति के राजनीतिक सम्बन्धों की जानकारी देने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष---

माननीय सदस्य, श्री शतरुद्र प्रकाश, श्री मधुकर दिघे, श्री सत्य प्रकाश मालवीय, श्री मोतीलाल देहलवी और श्री रामअधार ने नियम 301 के अन्तर्गत सदन को उन तथ्यों की जानकारी देनी चाही है, जिनके आधार पर उनके मत में इलाहाबाद, उच्च न्यायालय में 18 मार्च, 1975 को देशी तमन्चा सहित गिरफ्तार किये गये श्री गोविन्द मिश्र सत्ता कांग्रेस दल से सम्बन्धित हैं। इस सम्बन्ध में, यह प्रश्न कई प्रकार से विभिन्न नियमों के अन्तर्गत उठाया जा चुका है और शासन की ओर से एवं विपक्ष की ओर से जानकारी दी जा चुकी है मैंने भी दिनांक 20 मार्च, 1975 को पूर्व निश्चय का हवाला देते हुए यह कहा था कि किसी व्यक्ति के राजनैतिक दल के सम्बन्ध में विवाद सदन में उठाना उचित नहीं है। अतएव, इस प्रश्न को उठाने की इजाजत देना उचित नहीं है ।

श्री सत्यप्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)---

मान्यवर, मैंने यह जानकारी नियम 301 में. . . . .

श्री अध्यक्ष---

आप कोई सूचना अखबार के जरिये या दूसरे जरिये से दें उसको नहीं मानेंगे।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय---

मान्यवर, मैंने नियम 301 में दी थी।

श्री अध्यक्ष---

आपने जो सूचना दी उसकी मैं इजाजत नहीं देता हूं ।

नियम 51 तथा नियम 52 की सूचनाओं के सम्बन्ध में जानकारी

श्री नियाज हसन खां (जिला प्रतापगढ़)---

मान्यवर, कल तिविया कालेज के सिलसिले में नियम 51 में उठाया था और मैंने नियम 52 में उठाया था, उस पर आपने क्या निर्णय दिया ?

श्री अध्यक्ष---

नियम 52 का फैसला जो है वह अलग होता है ।

श्री नियाज हसन खां—

वह 51 में उठाया था मैंने नियम 52 में उठाया था और आपने फरमाया चूंकि 52 में उठाया इसलिये फैसला बाद में देंगे। तो आप कब फैसला देंगे कालेज बंद हो गया है वहां पर चाकू की घटनायें हो गई हैं, अब होली और वारावफात की छुट्टियां हो रही हैं, तो आप कब निर्णय देंगे ?

श्री अध्यक्ष—

आप जब कार्यसूची के मद 15 में आये तब उठायें। नियम 52 का फैसला अलग होता है, वह कहा नहीं जाता है, आपको सूचना दी जाती है। तो इस प्रकार 52 का जो निर्णय होगा वह आपको पत्र द्वारा सूचित कर दिया जाता है।

श्री नियाज हसन खां—

जब नियम 51 में उठाया तो उसमें चूंकि मैंने नियम 52 में उठाया था आपने कह दिया कि उसका निर्णय देंगे।

श्री अध्यक्ष—

कार्य सूची में जब 15 आईटम पर आयेंगे, उस वक्त उठायें तो देख कर बता देंगे।

श्री नियाज हसन खां—

अब 4 दिन तक सदन नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष—

जो कार्य सूची है कि आज की उसमें आईटम 15 पर जब आयेंगे तो उस वक्त आपको मौका देंगे और उसके बारे में शासन जो जवाब देना चाहेगा देगा।

लोक सभा सामान्य निर्वाचन हेतु भारी दर पर कोटेशन का सामान खरीदने के सम्बन्ध में वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—

अब लोक सभा सामान्य निर्वाचन हेतु स्टोर परचेज विभाग द्वारा क्रय किये जाने वाले सामानों के भारी दर पर कोटेशन का सामान खरीदने के सम्बन्ध में श्री सत्यप्रकाश द्वारा दी गई सूचना पर उद्योग मंत्री का केवल वक्तव्य।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)—

अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न है.....

श्री अध्यक्ष—

इस समय हम दूसरे प्रश्न पर आ रहे हैं। (श्री रामसुन्दर पांडेय से) आप समय पर एक मिनट लेंगे या वैसे ही बोलगे।

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

अध्यक्ष महोदय.....

श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)—

[+ + +]

[+ + +] श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष--

उसका निर्णय मैंने दे दिया है ।

श्री मुहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)--

[+ + +]

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष --

आप कृपा करके आसन ग्रहण करें ।

श्री राम अधार--

[+ + +]

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)--

[+ + +]

(कई सदस्य साथ-साथ बोलने लगे ।)

श्री अध्यक्ष --

मैं श्री सत्य प्रकाश मालवीय को इजाजत नहीं देता हूं । (व्यवधान) श्री सत्य प्रकाश मालवीय, श्री मोतीलाल देहलवी, श्री रामअधार किसी को इजाजत नहीं देता। इनका कुछ नहीं लिखा जायेगा ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

[+ + +]

श्री अध्यक्ष--

मैं इजाजत नहीं देता ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

[+ + +]

श्री अध्यक्ष--

यह लिखा नहीं जायेगा । मैं सभी अखबार वालों से भी कहूंगा कि यह अमान्य है। जो सदस्य सभी नियमों का उल्लंघन करके कहते हैं वह लिखा नहीं जायगा।

श्री मुहम्मद असरार अहमद--

सवाल यह है कि 301 के अन्तर्गत माननीय सदस्य ने शनिवार को नोटिस दिया और आज मंगलवार हो गया । क्योंकि मुख्य मंत्री जी ने तोड़ मरोड़ कर रखा है इसलिये उनकी दो मिनट बात सुन लें ।

श्री अध्यक्ष--

वह चाहते हैं कि जो जुर्म में कहीं पकड़े जायं तो उनकी राजनीतिक सम्बद्धता के बारे में इस सदन में चर्चा हो । इस पर मैंने पहले भी फैसला दिया है, मैं मजबूर हूं । किसी जुर्म करनेवाले व्यक्ति की राजनीतिक सम्बद्धता के बारे में. . . . . .

[+ + +] श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार निकाल दिया गया ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

यह नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

मैं उसको अस्वीकार कर चुका हूं।

श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर)--

[+ + +]

(कई सदस्यों के खड़े होकर बोलने के कारण व्यवधान)

श्री मोतीलाल देहलवी (जिला कानपुर)--

[+ + +]

श्री अध्यक्ष--

यह नहीं लिखा जायगा। मैं माननीय सदस्यों से थोड़ी बहुत मर्यादा के पालन की दरख्वास्त करूंगा।

श्री मोतीलाल देहलवी--

[+ + +]

श्री मधुकर दिघे --

मान्यवर, मैं तो बहुत दुःख के साथ कह रहा हूं कि मेरी बात सुनी नहीं गयी। जब मेरी बात नहीं सुनी जा रही है तो मैं सदन का त्याग कर रहा हूं।

(श्री मधुकर दिघे सदन त्याग कर चले गये।)

श्री अध्यक्ष--

कार्य सूची 11।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ० प्र० तथा अधीक्षक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उ० प्र०, ने लोक सभा के आगामी सामान्य निर्वाचन के संबंध में लेखन सामग्री के मांग पत्रों के प्राप्त होने पर उद्योग निदेशालय (सामग्री क्रय अनुभाग) द्वारा सम्बन्धित सामग्री के लिये निविदायें आमंत्रित की गयीं और नियमानुसार उन्हें अन्तिम रूप दिया गया। निविदाओं पर संस्तुति करने के लिये निम्नलिखित समिति ने विचार किया :

1--शासन के उद्योग विभाग का प्रतिनिधि।
2--अधीक्षक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ० प्र०।
3--उद्योग निदेशक का प्रतिनिधि।
4--मुख्य निर्वाचन अधिकारी का प्रतिनिधि।
5--वित्तीय नियंत्रक (उद्योग) का प्रतिनिधि।

उक्त समिति की संस्तुति के अनुसार यथा सम्भव वस्तुओं की खरीद न्यूनतम दर के आधार पर ही की गई, परन्तु कुछ वस्तुओं को उनकी उपयुक्त तथा क्वालिटी को सुनिश्चित करने के कारण न्यूनतम दर पर नहीं खरीदा जा सका, क्योंकि कम दाम वाली वस्तुएं अनुपयुक्त पाई गईं।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

[+ + +]

[+ + +] श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष--

मैं इजाजत नहीं देता। आप माननीय सत्य प्रकाश मालवीय जी बाहर चले जायं, कुछ लिखा नहीं जायगा ।

[+ + +]

(श्री सत्यप्रकाश मालवीय सदन से बाहर चले गये ।)

श्री अध्यक्ष---

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस विषय पर किसी को बोलने की इजाजत नहीं दी है, सिवाय मुहम्मद असरार अहमद के ।

श्री मोती लाल देहलवी-- [+ + +]

श्री अध्यक्ष--

आप बहुत अनुशासन प्रिय हैं और मेरे ऊपर आपकी बहुत उदार दृष्टि है। आप कृपा करके बाहर चले जायं ।

श्री मोती लाल देहबवी--

[+ + +]

(श्री मोतीलाल देहलवी सदन से बाहर चले गये ।)

श्री रामाधार--

[+ + +]

श्री अध्यक्ष --

आप कृपा कर बाहर चले जायं ।

श्री राम अधार--

[+ + +]

(श्री रामाधार सदन से बाहर चले गये ।)

एक सदस्य--

सबको ही घर जाना है। सदन आज बन्द कर दें तो अच्छा होगा।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

माननीय सदस्य द्वारा दी गई सूचना में जिन वस्तुओं का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है उनके क्रय के बारे में स्थिति नीचे दी जा रही है:--

(1) गोंद की शीशियां --

8,000 दर्जन गोंद की शीशियों के लिये मांग-पत्र प्राप्त हुआ था।

[+ + +] श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार निकाल दिया गया।

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

और इसके लिए निम्नलिखित दर के टेन्डर प्राप्त हुये थे :—

1—4 रु० 95 पै० .. .. प्रति दर्जन ।
2—7 रु० 31 पै० .. .. .. प्रति दर्जन ।
3—8 रु० 80 पै० .. .. .. प्रति दर्जन ।
4—9 रु० 50 पै० .. .. .. प्रति दर्जन ।
5—9 रु० 57 पै० .. .. .. प्रति दर्जन ।
6—11 रु० 88 पै० .. .. .. प्रति दर्जन ।

उपरोक्त में से क्रमांक 2, 3, 4 के टेन्डरों को इसलिये अस्वीकार करना पड़ा क्योंकि इनमें टेण्डर नोटिस के अनुसार प्लास्टिक की शीशी में पूर्ति करने का उल्लेख नहीं था। पहला व पांचवा टेन्डर गोंद की चिपकने की शक्ति कम होने के कारण अस्वीकार किये गये। छठे टेन्डर को सब प्रकार से उपयुक्त पाया गया और उसे स्वीकार किया गया।

(2) स्टैम्प पैड —

एतदर्थ 17 टेन्डर प्राप्त हुये थे। इनमें से स्टेशनरी समिति ने केवल तीन ब्रान्ड्स को उपयुक्त समझा। चूंकि निर्वाचन में स्टाम्प पैड महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं अच्छे प्रकार के स्टाम्प पैड लेना अत्यावश्यक है, अतः उक्त बोर्ड द्वारा संस्तुत किये गये टेन्डरों में से कम दाम वाले, जिसकी दर 26 रु० 04 पै० प्रति दर्जन थी, को स्वीकार किया गया और 29 रु० 70 पै० वाले टेन्डर दर को स्वीकार नहीं किया गया।

(3) पैकिंग सीलिंग वैक्स—

स्टेशनरी समिति ने 97 पै० प्रति पैकेट तथा 1 रु० 04 पै० प्रति पैकेट के टेन्डरों को इसलिये स्वीकार नहीं किया क्योंकि उनकी वैक्स चिपकती नहीं थी। अत : इससे ऊंची दर 1 रु० 55 पै० प्रति पैकेट को स्वीकार किया गया।

3—उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि प्रश्नगत सामग्री के क्रय में कोई अनियमितता नहीं बरती गई।

4—भारत निर्वाचन आयोग से सामग्री की व्यवस्था 31 मार्च, 1975 तक पूर्ण कराने हेतु मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश को निदेश प्राप्त हुये थे।

5—टेन्डर नोटिस में लिपिकीय त्रुटि से "लोक सभा निर्वाचन, 1975" छप गया था, जिससे आशय "आगामी" निर्वाचन से था जिसकी व्यवस्था 1975 में की जानी अपेक्षित थी।

श्री सत्य प्रकाश (जिला बरेली)—

मान्यवर, यह जो सामग्री खरीदी गयी इसमें दो बात हैं। एक तो यह है कि सामान खरीदने में लगभग चार लाख रुपये का घाटा सरकार को हुआ।

एक सदस्य—

माननीय अध्यक्ष जी, जिन लोगों ने रिजर्वेशन करा लिये हैं वह इसी बहाने निकले जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

होली का अवसर है। सबको घर जाना है।

श्री सत्य प्रकाश—

जो वक्तव्य माननीय मंत्री जी ने पढ़ा है उसके सिलसिले में मेरा प्रश्न यह है कि जो इन्होंने 8 हजार दर्जन गोंद की शीशियों और स्टाम्प पैड आदि अन्य सामान खरीदा वह न्यूनतम

दरों पर न खरीद कर ऊंची दरों पर खरीदा जिससे सरकार को 4 लाख का घाटा हुआ, क्या सरकार इसकी विजीलेंस द्वारा जांच करायेगी ? इसमें तीनों चीजें अधिक मूल्य पर खरीदी गयी हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी--

जिस समिति का वक्तव्य में उल्लेख है और जिसके अधिकारी सदस्यों के नाम भी बतला दिये गये हैं इस समिति की बैठक 31 जनवरी को हुई थी। पुराना अनुभव यह था कि अगर स्टैंडर्ड का सामान न हो तो सारी चुनाव प्रक्रिया में कठिनाई होती है। इस कमेटी के सामने टैस्ट्स रिपोर्ट्स थीं जिससे कि जो भी सामान खरीदा जाय वह ऐसा न हो कि गलत सामान आ जाय। अगर सामान ठीक न हो, गोंद ऐसा हो जो चिपके ही नहीं तो इससे सारे चुनाव पर असर पड़े और फिर आरोप प्रत्यारोप हों तो इसलिये यह आदेश था कि जो भी सामान खरीदें वह सबस्टैण्डर्ड का सामान न हों, क्वालिटी का सामान हो। स्टैम्प पैड में ऐसी स्याही होनी चाहिये जो कि निकल न जाय। स्टैम्प पैड के बारे में टैस्ट रिपोर्ट ली गयी और आप देखें कि 29 रु0 70 पैसे वाले को न खरीद कर 26 रु0 4 पै0 प्रति दर्जन वाले को खरीदा गया। इसी तरह से सील का भी बड़ा महत्व है। वह भी अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिये। इन सब बातों को देखते हुए यह व्यवस्था की गयी थी। अगर कोई और तथ्य माननीय सदस्य के पास हो तो वह दे दें, हम जांच करा लेंगे।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

मान्यवर, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके सामने आया और जिस पर सरकार ने बड़ी चतुराई से अपना बयान दिया। लोक सभा के आगामी चुनाव के सम्बन्ध में टेंडर इन्वाइट किया गया और लिख दिया कि 1975 के चुनाव से सम्बन्धित है। मुख्य मंत्री, कांग्रेस प्रेसीडेंट और दूसरे अन्य लोग जो सम्बन्ध रखते थे उन्होंने समय-समय पर कहा कि निकट भविष्य में चुनाव होने वाला नहीं है जिससे कि विरोधी पार्टियां भ्रम में रहे। लेकिन कांफीडेंशियली ऐसा नोटिस दिया कि 75 में चुनाव होने वाला है, जिसका प्रमाण यह है कि टेण्डर एन्वाइट किये गये। पहला सवाल यह है कि जो दूसरी लाइन है उसमें लिखा है कि लोक सभा के आगामी सामान्य निर्वाचन के सम्बन्ध में लेखन सामग्री के मांग पत्रों के प्राप्त होने पर उद्योग निदेशालय द्वारा सम्बन्धित सामग्री के लिये निविदायें आमंत्रित की गयीं और नियमानुसार उन्हें अन्तिम रूप दिया गया। क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि 9 जनवरी को टेंडर एन्वाइट किये गये तो कौनसी ऐसी जल्दी थी, कौनसा आगामी चुनाव आने वाला था कि जल्दी से जल्दी टेंडर एन्वाइट करके सामान खरीदा जाय ?

श्री नारायणदत्त तिवारी--

लोक सभा के सामान्य निर्वाचन हैं उसमें प्रदेश सरकार का निर्णय नहीं होता। इलेक्शन कमिश्नर मुख्य निर्वाचन अधिकारी को लिखते हैं और उसके आधार पर तैयारी की जाती है। इलेक्शन कमिश्नर ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी से कहा और उसने जो आदेश दिये कि इसकी तैयारी की जाए और वही तैयारी की गई।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिन्होंने दिल्ली से लिखा कि निर्वाचन होने वाला है उन्होंने लिखा है 75 को चुनाव होने वाला है। तो इस पर क्या आपने लिखा है कि ऐसी सम्भावना दिखाई नहीं देती है--क्या आपने गलत तो नहीं लिखा है ? उस पत्र को कृपया पढ़कर सुनाएं ? इसका मतलब है कि उन्होंने भी लिखा होगा कि 1975 में होने वाला है। तो जब आपको मालूम हुआ कि 1975 कदाचित् गलत न हो तो आपने उन्हें चिट्ठी लिखी और यदि नहीं लिखी तो क्या आप भी यह समझ गये थे कि 75 में ही होने वाला है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी--

जहां तक मेरे पास सूचना है, यह तो एलेक्शन कमीशन ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को कहा कि तुम अपनी तैयारी रखो, यदि वह निर्णय करेगा तो....

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

1975 के एलेक्शन के सम्बन्ध में आप सामान खरीदिए, यह उसने लिखा ? या आपने अपनी तरफ से किया है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

एलेक्शन कमीशन ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को लिखा था।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

आपने जो हाई रेट वाला माल खरीदा और न्यूनतम रेट वाला नहीं खरीदा, उसका कारण यह बताया कि वह उपयोग लायक नहीं था। यह तो स्वाभाविक था, यही जवाब दिया जाता। अब जब चुनाव एक साल या उससे भी अधिक बाद में होने वाला है, तो जिस सामान पर 4 लाख रुपये की पब्लिक मनी खर्च की गई है, यह तब तक खराब हो जाएगा, इस्तेमाल लायक नहीं रहेगा, तो इसकी जिम्मेदारी किस पर होगी ? इसकी चिन्ता है आपको ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

इसकी चिन्ता अवश्य है। यह चेष्टा की जाएगी कि माल खराब न हो और यदि खराब हो ही जाएगा तो उसके लिये व्यवस्था की जाएगी।

श्री मुहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)--

भारत सरकार ने इस संबंध में कितना रूपया प्रदेशीय सरकार को पहले से दे दिया है ? कुछ रूपया दिया है या नहीं या पूरा उस पर उत्तर प्रदेश सरकार का रूपया व्यय हुआ है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

अभी तो कोई रूपए की उनसे मांग नहीं की गई है। कर ली जाएगी नियमानुसार।

श्री मुहम्मद असरार अहमद--

उत्तर प्रदेश सरकार ने किस नियम के अनुसार यह रुपया ऐडवांस में खर्च कर दिया है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

विद्वान नेता जानते हैं कि संविधान के अनुसार संविधान रूपी चुनाव है और उसी लोकसभा और विधान सभाओं के चुनाव के आधार पर हम यहां बैठे हुए हैं। इसलिये इसकी व्यवस्था करनी पड़ती है चाहे लोक सभा का हो चाहे विधान सभा का हो।

श्री मुहम्मद असरार अहमद--

उसमें तो वह पहले देते हैं। तो आप यह बताएं कि अब तक आपने मांग की है या नहीं ?

श्री नारायणदत्त तिवारी--

हमारा हिसाब-किताब, लेन-देन चलता रहता है। उसी में हो जाएगा। यदि मिलने वाला होगा तो मांग लेंगे।

श्री मुहम्मद असरार अहमद---

'मिलने वाला होगा' सही जवाब यह क्यों नहीं देते हैं ?

(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)---

मंत्री जी ने अभी इस बात को स्वीकार किया कि सबसे ऊंची दर वाले टेन्डर स्वीकार किए गये, तो आपने अलग-अलग सामान के लिये जो टेन्डर्स मांगे थे, उसमें उनके स्पेशीफिकेशन आपने दे रखे थे या नहीं ?

श्री नारायणदत्त तिवारी---

जी हां। टेस्ट रिपोर्ट दी थी। जो सामान मिले सैम्पिल के रूप में उसको टेस्ट किया है।

श्री सत्य प्रकाश---

स्टैम्प पैड की खरीद बम्बई की एक फर्म से की गयी। कानपुर और लखनऊ में बड़ी अच्छी फर्में हैं जो स्टैम्प पैड बनाती हैं। उनसे प्रदेश सरकार हमेशा खरीद करती है। इस प्रकार से दूसरे प्रदेश से खरीद कर क्या अपने प्रदेश के उद्योग को नुकसान नहीं होगा ?

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)---

मान्यवर, जो माननीय असरार अहमद साहब ने सवाल उठाया वह बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया।

श्री अध्यक्ष---

अभी माननीय सत्य प्रकाश जी ने जो सवाल किया है उसका जवाब नहीं आया है।

श्री नारायण दत्त तिवारी---

जो सूचना है उसके आधार पर निवेदन है कि चीफ एलेक्शन आफिसर ने कहा कि स्टैण्डर्ड इंकिंग स्टैम्प पैड ही खरीदे जाने चाहिये क्योंकि पिछले चुनाव का तजुरबा रहा है कि सस्ते किस्म के स्टैम्प पैडों का, वोटरों के अंगूठे का निशान और सील मार्क लगाना पड़ता है, यह बहुत महत्वपूर्ण आइटम है। इस लिए अच्छी क्वालिटी के स्टैम्प पैड होने चाहिये। जो सैम्पिल्स जांच मेंआये उनमें तीन प्रकार की वैराइटी ही सही पायी गयीं। उसी हिसाब से स्टेशनरी कमेटी ने मेसर्स भारत कार्बन ऐण्ड रिबन मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड का 26 रुपये 4 पैसे प्रति दर्जन का सैम्पिल स्वीकार किया। उसके ऊपर 29 रुपया 70 पैसे का सैम्पिल था।

श्री राममूर्ति (जिला बरेली)---

मैं इसको समझने में बड़ा कासिर हूं, कि स्टैम्प पैड जैसी चीज है, कोई टैक्निकल चीज हो सोफिस्टीकेटेड मशीनरी हो, जिसके लिये खास तौर पर मांग की जाय, स्टैम्प पैड जैसी चीज, जो रोजाना इस्तेमाल में आती है, उत्तर प्रदेश के हर दफ्तर में, कचेहरी में, उत्तर प्रदेश में जो स्टैम्प पैड बनाने वाले हैं उनकी यह हैसियत भी नहीं है कि उनको काम में ले आया जाय। माननीय वित्त मंत्री जी को इस पहलू को समझना चाहिये। वह समझदार लोग हैं। यह सरकारी नौकर जो पैट्रनाइज किया करते हैं बाहर के लोगों को यह बड़ी गलत बात है। छोटे-छोटे धंधे जो प्रदेश में लगते हैं वह इसी लिए लगते हैं कि चार आदमियोंको रोजी मिले। इनको काट दें सिर्फ इसलिये कि कुछ उनके ताल्लुकात होते हैं, थोड़ा लेन-देन होता है, यह कितनी शर्मनाक चीज है। बड़ी नागवार चीजें हैं। माननीय मंत्री जांच करके ऐसे लोगों को हिदायत दें। ऐसी बातें आगे इनकरेज न की जायं।

श्री त्रिवेणी सहाय—

अभी माननीय असरार अहमद साहब ने एक सवाल उठा दिया। वह बड़े महत्व का विषय है। आपने तो बहुत मुलायमत से माननीय वित्त मंत्री जी से कहा है। यह मसला ऐसा था जिस पर सारा हाउस गरम हो जाना चाहिये। अभी कोई चुनाव नहीं, विधान सभा के चुनाव 1979 में होने हैं। माननीय वित्त मंत्री जी ने फरमाया विधान सभाओं के लोक सभा के चुनावों के लिये आदेश इस तरह कर दिये जाते हैं। मैं खाली इतना पूछना चाहता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार ने कोई आदेश आपको दिया था इस बात का कि आप इतने बड़े पैमाने पर चुनाव कराने के लिये सामान मंगाने का इन्तजाम कर लें। मेरी स्पष्ट जानकारी है कि इनके जो नेता वहां प्रधान मंत्री बैठी हुई हैं, उन्होंने इसका दुरुपयोग किया है।...

(व्यवधान)

उत्तर प्रदेश की सरकार जरा बीन बजती है, लगती है थिरकने।

श्री अध्यक्ष—

आप माननीय मंत्री से प्रश्न करें। आक्षेप से क्या ?

श्री त्रिवेणी सहाय—

क्लियर आक्षेप है। रोज ढोल पीटते हैं कि सरकार के पास पैसा नहीं, कर्मचारियों को पैसा दे नहीं पाएंगे। सारी योजनायें आपकी ठप्प पड़ी हैं और इधर करोड़ों रुपया इलेक्टोरेट रोल्स छपवाने तथा स्टाम्प पैड वगैरा खरीदने में खर्च कर दिये गये, कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिये। क्या आपके प्रदेश में स्टाम्प पैड्स नहीं मिल सकते थे जो प्रदेश से बाहर की फर्म से खरीदे गये। इससे मालूम होता है कि आपकी बुद्धि का दिवाला निकल गया है। आप कृपा करके सरकारी अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगिये कि किस के आदेश से यह खर्चा किया गया। क्या इलेक्शन कमीशन ने कहा था या आपकी प्रधान मंत्री के मौखिक आदेश से यह हुआ कि इन करोड़ों रुपयों को फूंक दिया गया ? क्या इलेक्शन कमीशन ने या केन्द्रीय सरकार ने कोई निर्देश दिया था ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

केन्द्रीय सरकार कोई निर्देश नहीं देती है। जैसा कि मैं माननीय नेता जनसंघ के प्रश्न के उत्तर में कह चुका हूं कि निर्वाचन कमीशन निर्वाचन अधिकारी को आदेश देता है। यह रुपया हमको निर्वाचन कमीशन के यहां से मिल जायेगा।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, जिन्होंने आदेश भेजे उनके दिमाग में था 1975 में लोक सभा के चुनाव होंगे। इससे स्पष्ट होगा कि सरकार कितनी निर्लज्ज है और ऐसी गल्तियां किया करती हैं और जान-बूझ कर ऐसी चीज करती है। यही कारण है कि आज जनता इसके प्रति अपना विश्वास खो बैठी है और यह चीज ईंधन का काम कर रही है। इसकी बदौलत ही हम लोग यहां बैठे हुये हैं। मंत्री जी बतायेंगे कि जब यह विज्ञापन निकाला तो कितने दिनों में आपने टेंडर मांगें और दूसरे यह कि आपने कितने दिनों में इसको टेस्ट कर लिया कि यह सामान ठीक नहीं है और इसका टेस्ट करने वाला कौन अधिकारी था ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, टेण्डर 15 जनवरी तक मांगे गये थे और इसके बाद 31 जनवरी को मीटिंग हुई। इस बीच सुपरिटेन्डेन्ट प्रिन्टिंग ऐण्ड स्टेशनरी, इलाहाबाद ने टेस्ट की।

श्री सत्य प्रकाश—

मान्यवर, मेरा कहना यह है कि 26 रुपये 4 पैसे वाला टेण्डर स्वीकार किया गया है जो इसमें शामिल नहीं था। मेरी सूचना यह है कि 19 रुपये 70 पैसे वाला स्वीकार किया गया था ? क्या मंत्री जी मेरी बात सही मान कर इसकी फिर से जांच करायेंगे ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मान्यवर, जो मेरे पास सूचना है उसके अनुसार 26 रुपये 4 पैसे वाला ही स्वीकार किया गया था भारत कारबन एण्ड रिबन मेन्यूफैक्चरिंग कम्पनी से। अगर माननीय सदस्य कोई अतिरिक्त सूचना देंगे तो जरूर जांच करा लेंगे।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मान्यवर, मंत्री जी ने कहा कि 9 जनवरी को टेंडर मांगे गये कि 15 जनवरी तक टेंडर आ जाने चाहिये तो केवल 6 रोज का समय ही मिल सका। इतनी जल्दी क्यों की गई ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मान्यवर, आदेश 24 दिसम्बर को दिये गये।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

आपने टेण्डर 9 जनवरी को छपवाये और 15 जनवरी तक आपके पास आ जाने चाहिये तो इतनी जल्दी क्यों की गई ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

श्रीमन, ज्यादा दिन पड़ते हैं।

ग्राम गरिला, थाना चकिया, जिला वाराणसी के एक परिवार के पांच व्यक्तियों की हत्या के सम्बन्ध में वक्तव्य

श्री अध्यक्ष--

अब ग्राम गरिला, थाना चकिया, जिला वाराणसी के एक परिवार के पांच सदस्यों की हत्या के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री का वक्तव्य होगा।

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)--

दिनांक 9-3-75 को थाना चकिया, जिला वाराणसी पर लिखित सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम गरिला के एक झगड़े वाले खेत की फसल काटने के प्रश्न को लेकर श्री संतोष प्रसाद तथा उनके साथियों ने उसी दिन वादी श्री लाल जी, उसके पिता, चाचा, भाई तथा भतीजे आदि पर जो खेत पर मौजूद थे, बन्दूक, गड़ासा व लाठियों से हमला किया। फलस्वरूप पांच व्यक्ति घटनास्थल पर मर गये तथा पांच अन्य घायल हुए। इस सूचना के आधार पर 11 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध एक मुकदमा धारा 147/148/149/302/307 भा0 द0 वि0 का कायम किया गया जिसकी विवेचना क्षेत्राधिकारी की विशेष निगरानी में हो रही है।

घायल व्यक्तियों में से एक की मृत्यु अस्पताल पहुंचने के कुछ देर बाद उसी दिन हो गयी तथा दूसरे घायल व्यक्ति की मृत्यु अस्पताल में दिनांक 10-3-75 को हुई।

उक्त घटना की सूचना मिलते ही वृत्ताधिकारी, पुलिस अधीक्षक देहात क्षेत्र तथा ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक तत्काल मौके पर गये और घायलों को उपचार हेतु शीघ्रता से अस्पताल भेजा। 10-3-75 को क्षेत्रीय उप पुलिस महानिरीक्षक भी घटनास्थल पर गए थे।

सुरक्षा हेतु ग्राम गरिला में एक ए0 पी0 गार्ड तुरन्त लगाई गयी तथा क्षेत्र में शांति बनाये रखने के लिये एक प्लाटून पी0 ए0 सी0 भेजी गयी। स्थिति पर कड़ी निगाह रखी जा रही है। निकट भविष्य में शान्ति भंग होने की सम्भावना नहीं है।

घटना से सम्बन्धित दो अभियुक्तों को पुलिस ने 9-3-75 को, तीन को 13-3-75 को तथा दो को क्रमशः दिनांक 14-3-75 व 15-3-75 को गिरफ्तार किया। शेष अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 82/83 जा0 फौ0 की कार्यवाही की गयी है।

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

घटना से सम्बन्धित दो व्यक्ति बन्दूक के लाइसेन्सी हैं। इसमें से एक की बन्दूक पुलिस ने बरामद कर ली है।

यह कहना सही नहीं है कि उक्त कांड पुलिस की साजिश से हुआ है और पुलिस अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं कर रही है। घटना के पीछे कोई राजनैतिक प्रेरणा प्रकाश में नहीं आयी है।

चश्मदीद गवाहों तथा अन्य किसी सबूत को नष्ट किये जाने का भी कोई प्रमाण प्रकाश में नहीं आया है। गवाहों की सुरक्षा का प्रबन्ध किया गया है।

विपक्षियों की ओर से दिनांक 9-3-75 को ही दी गयी सूचना के आधार पर एक क्रास केस धारा 147/148/324/382 भा0 द0 वि0 का कायम किया गया है। इसकी विवेचना भी प्रगति में है।

यह कहना सही नहीं है कि क्षेत्र में आतंक तथा भय छाया हुआ है।

श्री गिरिजा शंकर पाठक (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बताया कि वहां पर किसी प्रकार का भय का वातावरण नहीं है और वहां पर पुलिस की व्यवस्था कर दी गई है। मैं इस बारे में पूछना चाहता हूं कि माननीय डी0 आई0 जी0 ने लिखा है अखबार में है कि वहां पर 5 मरे को देखकर, 5 को तड़पते देखकर गांव वाले वहां से भाग गये, इसलिये वहां पर पुलिस की व्यवस्था की गई और इसके साथ साथ वहां सत्ता दल के लोग बड़े पैमाने पर पहुंच कर बहुत बड़ा आतंक मचाया। कितने तो सामान लेकर भाग गये। इसके साथ-साथ जो दवादारू की व्यवस्था है यहां आपके नियम 51 में दिनांक 12 को मैंने दिया और दिनांक 14 को भी दिया। मैंने वहां पर जाकर स्वतः कुछ व्यवस्था की। 10 घायल हुए, 3 बच गये थे, कुल 3 को मरवाने में पूरी सत्ता का हाथ था और वहां शिव प्रसाद गुप्त अस्पताल की पूरी मशीनरी लगी हुई थी, तो माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि बंदूक बरामद हुई? दूसरे बंदूकधारी कौन थे? दोनों बंदूकों के लाइसेंसी के नाम क्या है?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

जहां तक समाचार पत्रों की सूचना का प्रश्न है अगर माननीय सदस्य वह सूचना मेरे पास भेजवा देंगे तो मैं उसे देखवा लूंगा। जहां तक प्रबन्ध का संबंध है, जैसा मैंने अपने वक्तव्य में कहा वहां पर पी0 ए0 सी0 की गारद आदि भेजवाया। यह माननीय सदस्य ने बहुत अच्छा किया कि वह स्वयं दवादारू भेजवाये। अगर उनको कोई और व्यवस्था की आवश्यकता हो, अगर पुलिस की आवश्यकता हो, तो वह मुझे बताने का कष्ट करें, मैं उसकी व्यवस्था करूंगा। जहां तक बंदूक के लाइसेंसी के नाम का प्रश्न है, इसकी सूचना यह है कि एक तो बलराम पाण्डेय की बंदूक थी और दूसरी लल्लू पांडेय की बंदूक थी। इनमें दोनों की बन्दूकें घटना में प्रयोग की गई थीं और इनमें से एक की बंदूक बरामद की जा चुकी है।

श्री गिरिजा शंकर पाठक—

जितने लोग मरे थे वे सब मजदूर थे। उन पर बन्दूकों से आक्रमण करने का क्या औचित्य था। दोनों ओर से एफ0 आई0 आर0 लिखायी गयी। क्या माननीय मंत्री जी उनको पढ़ने की कृपा करेंगे?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

इस सम्बन्ध में क्रास केस वाली एफ0 आई0 आर0 जो है वह इस प्रकार है। तारीख की सूचना 9 मार्च, 1975, समय ढाई बजे। निवेदन है कि हम बलराम पान्डे व हमारा भतीजा राम ललित पान्डे, मौजा गरला बंधी लतीफ शाह में हमारा खेत है उसी में आज रखवाली

व देखभाल के लिये हम दोनों आदमी गये थे मौके पर राम नाथ व राम जग व गल्लू व महावीर बजरंगी विक्रमा व लाल जी व बल्ली व कल्लन और बाहरी 20 आदमी, ये लोग गड़ासा बल्लम व लाठी लिए हुए हमारे खेत के सरसों काट रहे थे हम लोगों को कहने पर कि ऐसा क्यों कर रहे हैं इसी बीच वाद विवाद होने लगा तथा बजरंगी हमारेभतीजा राम ललित पान्डे को बाएं हाथ में गड़ासे मारे और हम गिर पड़े दूसरा लाठी से लाल जी हमारे भतीजा राम ललित पान्डे को मारे हमने उनकी जान की रक्षा के लिए फाइरिंग किया हमें नहीं मालूम हुआ कि किसको-किसको लगा। राम ललित पान्डे बेहोश थे हमारी बन्दूक छीन कर भागे।

जहां तक दूसरी एफ0 आई0 आर0 का प्रश्न है, इसको लाल जी अहीर पुत्र गल्लू अहीर, सा0 गरला, थाना चकिया ने लिखायी है। हमार नामलाल जी, बाप का नाम गुल्लू अहीर गरला यहां के रहे वाला हई हमारे गांव के जवाहर कोइरी के 8 विघा खेत पांच छव साल से बटाई जोतत काटत हई यह साल वही खेत में हम हन जब बेवरी बोअले हई जवन तइयार हो गइल हवे ओहमें से तीन चार दिन पहले थोड़ा जब खाये के बदे हमहन काट ले आइल रहली एही खेत के बारे में संकटा पान्डे रघुनाथपुर से अउर जवाहिर कोइरी से छ सात साल से मुकदमा बाजी हो रहल बा और हर जगह से जवाहिर जीतत जीतत चल आइलबनि हमहन के बटाई पर खेत ओहले के नाते संकठा वगैरह रंजिश रखत रहलन हवें। यह बारे में कल संकठा पान्डे हमरे बाप से कहले की कल खेत पर पंचाइत होई आज हमारा बाप गुल्लू चाचा राम जग राम नाथ सई बजरंगी महाबीर विक्रमा, कान्ता, बल्ली, भतीजा काशी आउर हम अपनी बटाई वाला खेत पर ब्यठल रहली जा कुछ देर में करीब साढ़े 10 बजे अपनी खेत की ओर से संकठा सालिक, ओंकार प्यारे, लल्ली, मोहन, बलिरामराय, ललित, लल्लू, अलटबू जगदीश, रघुनाथपुर के व सीता राम उर्फ बुद्ध तिवारी हमर गांव के बन्दूक गड़ासा, लाठी के हमहन के पास अइलन आउर बलिराम पान्डे कहलन की पंचायत नहीं होई तु लोग कई साल फसल काट ले गइल अबकी हम काटबा। यह पर हमहन कहली की फसल वो जोत के तैयार कइले हई कइसे दूसर कोई काटी। यह पर बलराम ललकरलन की मारो सालों को, कि ललकार पर संकठा पान्डे प्यारे, ओंकार सालिक बन्दुक से फड़ाफड़ फायर करे लगलन अउर वुद्ध गड़ासा जान मारे बदे चलावे लगलन। हमहन के हल्ला पर बुद्धिराम वल्द शिवधन अहीर, देवी वल्द रामरूप अहीर हमारे गांव के बिहारी बल्द शिवसरन वगैरह अउर बहुत से लोग जवन आस पास सिवान में रहलन आगइलन आउर ए लोगन के बन्दुक व गड़ासा चला के भारत देखालन। राम जग गड़ासा की चोट लगले से राम नाथ, महाबीर, विक्रमा बजरंगी बन्दूक की चोट लगले से वही गिर गइले अउर मर गइले बन्दूक की गोली से। हमके व हमरे बाप गल्ले व कान्ता व बल्ली व ज्ञानी जवन बोही बीच आ गइलन के चोट लागल गवाहन आउर बहु से लोगन के आ गइले पर इस सब संकठा वगैरह दखिन तरफ भागे लगलन एही बीच में सालिक पान्डे ठोकर खा के गिर गइले अउर उनकर बन्दूक गिर पड़ल। ओके छो के इ लोग भाग गइलन चोटइल बल्ली व हमरे बाप गल्लू व कान्ता व ज्ञानी गांव के लोग अस्पताल ले गयले अउर रामनाथ,राम जग, महाबीर विक्रमा व बजरंगी जवन मर गइलन हवें उनके लाश वही खेत में पड़ल हवे अऊर बन्दूक वही पड़ल हवे हमारा रपट लिख के जांच कइल जाय। प्रार्थी लाल जी अहीर वल्लु गल्लू अहीरसा0 गरला, थाना चकिया, जिला वाराणसी दिनांक 9–3–75। लेखक चिन्तामणि सिंह पुत्र राज नारायण सिंह सा0 मुसारबाद, थाना चकिया ता0 9–3–75। लेखक बाबू राम सिंह का0 बु0 दि0 9–3–75।

श्री बल्देव (जिला वाराणसी)––

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगें कि इस घटना में कुल कितनी बन्दूकें काम में आई ?

श्री नारायण दत्त तिवारी––

जो अभी तक सूचना प्राप्त हुई है उसमें केवल 2 बन्दूकों के प्रयोग की बात आई है।

श्री बल्देव—

जैसा कि रिपोर्ट में कहा गया है कि 4 आदमियों के पास बन्दूकें थीं तो क्या रिपोर्ट में जो बात दर्ज है, उसके बारे में सूचना है कि 2 के अलावा और किन-किन के पास बन्दूकें थीं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जो रिपोर्ट में सूचना आई है, उसकी विवेचना चल रही है। जिन्होंने फायर किया उनके बारे में पूरी विवेचना जारी है। 2 बन्दूकों का अन्दाजा आ गया है, शेष 2 के बारे में जांच जारी है।

श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)—

बलराम पांडेय 9 तारीख को 2 1/2 बजे रिपोर्ट करने जाते हैं जब कि वे लोग जिनको गोली लगी, थाने पर 12 बजे रिपोर्ट लिखाते हैं तो जो लोग गोली मार कर थाने पर रिपोर्ट लिखाने जाते हैं, तो उनको थाने पर ही क्यों नहीं गिरफ्तार किया जाता है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

माननीय सदस्य का प्रश्न तो अच्छा है। बलिराम पांडेय गिरफ्तार हुए, लेकिन वे उसी समय गिरफ्तार हुए या बाद में, इसकी सूचना मेरे पास में नहीं है।

श्री राम अधार—

जब उनके विरुद्ध थाने में पहले ही रिपोर्ट दर्ज हो गई थी तो उनको थाने में ही क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया?

श्री अध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी ने स्वयं कहा है कि इसके बारे में माननीय मंत्री जी के पास सूचना नहीं है।

श्री राम अधार—

जिनकी बंदूकें थीं, उनके लाइसेन्स कैंसिल हुए अथवा नहीं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

2 के लाइसेन्स कैंसिल हुए हैं, 2 के बारे में जांच जारी है। इसमें 9 अभियुक्त गिरफ्तार भी हो चुके हैं जिनके नाम मैं पहले ही बता चुका हूं।

श्री गिरिजा शंकर पाठक—

वहां पर नहर विभाग की जमीन है जो 5 साल के लीज पर दी जाती है। उस जमीन के पास ब्राह्मणों की जमीन है जो नहर की जमीन को भी लेना चाहते हैं, उन्होंने नहर विभाग से भी जमीन प्राप्त करने का प्रयास किया है .....

श्री अध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी ने कहा है कि आपके पास जो भी सूचना हो, उसे आप मंत्री जी को दें दें। इस समय आप प्रश्न कर लें ?

श्री गिरिजा शंकर पाठक—

जब वे वहां पर सफल नहीं हुए तो दीवानी में गये। फिर यादव पर दबाव डालना शुरू किया। फिर झगड़ा हुआ झुनिया नाम की एक लड़की भी घायल हुई। तो क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो दूसरी रिपोर्ट करने गये, उसमें कौन-कौन लोग थे और किन-किन को पुलिस ने गिरफ्तार किया ?

श्री अध्यक्ष--

यही सवाल तो माननीय राम अधार जी ने किया था।

श्री राम अधार--

मान्यवर, गोली मारने वाले 2 1/2 बजे थाने पर जाते हैं और 12 बजे गोली मारने वालों की बाबत रिपोर्ट होती है लेकिन पुलिस इनको नहीं पकड़ती है। स्पष्ट होता है कि स्थानीय थाने के लोग मुल्जिमान से मिले हुए हैं। तो क्या माननीय मंत्री जी थानेदार को यहां से हटाकर उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मैंने तो अभी कहा है कि इसकी सूचना मेरे पास नहीं है। मेरा यह भी कहना है कि उस दिन वे गिरफ्तार हुए। कहां हुए, इतने विवरण की सूचना मेरे पास नहीं है। मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करता हूं कि इसमें पूरा न्याय किया जायगा और अगर कोई पक्षपात किया जाना साबित हो गया तो अवश्य ही कार्यवाही की जायगी।

श्री राम अधार--

जिन लोगों ने गलत सूचना दी उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री अध्यक्ष--

वह तो उन्होंने कहा।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें

श्री अध्यक्ष--

नियम 56 के अन्तर्गत 7 सूचनायें प्राप्त हुई हैं लेकिन माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी, माननीय दिनेशचन्द्र रस्तोगी, माननीय ओम प्रकाश सिंह, माननीय मोहन लाल कपूर और माननीय श्रीनारायण ने 105 रुपये प्रति क्विन्टल भाव पर काश्तकारों से गेहूं खरीदने की जो घोषणा हुई है इसके बारे में दिया है। यह कार्य-स्थगन के लिये तो अस्वीकार है लेकिन 2 घंटे की बहस के लिये मैं स्वीकार कर रहा हूं। जितनी और हैं वह अस्वीकार की गयी हैं। जब 51 में हम देखने लगेंगे उस वक्त मौका देंगे।

श्री मुलायम सिंह यादव (जिला इटावा)--

मान्यवर, मेरा क्या हुआ.....

श्री अध्यक्ष--

आप जानते हैं कि सब से महत्वपूर्ण 105 रुपये क्विन्टल भाव वाला है।

श्री मुलायम सिंह यादव--

मान्यवर, हमारा मामला कम महत्वपूर्ण नहीं है। सारे उत्तर प्रदेश में भारतीय लोक दल के लोगों को मारा जा रहा है।

श्री अध्यक्ष--

मैंने कहा तो कि यह सब सवाल जब 51 के होने लगें तो आप ध्यान आकृष्ट करें।

बाबा रामनाथ (जिला मैनपुरी)--

कानपुर में जे0 के0 रेयन मिल.....

श्री अध्यक्ष—

51 के जब देखने लगेंगे तब आपको सुनेंगे ।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

एक बात यदि आज्ञा हो तो मैं कहना चाहता हूं . . . .

श्री अध्यक्ष—

51 के वक्त कहिएगा ।

1975-76 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या 7—भू-राजस्व, अनुदान संख्या 39—दैवी-आपदाओं के कारण सहायता, अनुदान संख्या 71-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 75—जमींदारी उन्मूलन के सम्बन्ध में प्रतिकर, अनुदान संख्या 89—ऋण और अग्रिम, सहायता एवं पुनर्वासन

*राजस्व मन्त्री (श्री स्वामी प्रसाद सिंह)—

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से और आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 7—भू-राजस्व के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 25,53,23,100 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 39—दैवी आपदाओं के कारण सहायता के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,38,02,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 71—सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 7,43,200 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 75—जमींदारी उन्मूलन के सम्बन्ध में प्रतिकर के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 51,34,100 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 89—ऋण और अग्रिम सहायता एवं पुनर्वासन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 24,23,900 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अध्यक्ष महोदय, अनुदान संख्या 7 के अन्तर्गत-अभिलेखों के रख-रखाव, विभिन्न देयों की उगाही, जोतों की चकबन्दी, भूमि अध्यापित सर्वेक्षण तथा अभिलेख क्रियायें, राजकीय आस्थानों का प्रबन्ध, भूमि व्यवस्था आयुक्त का अधिष्ठान तथा बृहत् जोतकर की उगाही के लिए नियुक्त स्टाफ पर व्यय का प्राविधान किया जाता है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विभिन्न सरकारी देयों की उगाही के सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि पिछले राजस्व वर्ष में कुल रु0 65.46 करोड़ की वसूली हुई जो पिछले 10 वर्षों की तुलना में सर्वाधिक है।

दूसरी मांग दैवी आपदाओं के सम्बन्ध में है। पिछले वर्ष दैवी आपदाओं के कारण 1.95 करोड़ रुपयों का व्यय हुआ था। इस वर्ष के लिए आय-व्ययक में 2,18,02,000 रुपये का प्राविधान किया गया है।

तीसरी मांग का सम्बन्ध प्रतिकर से है जो मध्यवर्तियों के अधिकार को सरकार द्वारा अध्याप्ति करने पर देना आवश्यक है। उन जोतदारों को भी प्रतिकर देना है जिनकी भूमि अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम के अन्तर्गत ली गई है। इस मद में वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए 56,00,100 रुपए का प्राविधान किया गया है। इसके अलावा दो मांगें विस्थापितों को बसाने के सम्बन्ध में हैं जिनके लिए हमें रुपया केन्द्रीय सरकार से मिलता है।

राजस्व विभाग के कार्य विवरण 1974 से सम्बन्धित पुस्तिका आप को मिल ही चुकी हैं। मैं अपने अर्ध शासकीय पत्र दिनांक 12 मार्च, 1975 द्वारा आपको राज्य सरकार की भूमि वितरण तथा अन्य भूमि सुधार की नीतियों की पहले ही जानकारी करा चुका हूं। अत: उनके बारे में पुन: इसलिए नहीं कहना चाहता कि विरोधी दल के माननीय सदस्यों को राजस्व विभाग के कार्य कलापों पर अपने बहुमूल्य सुझाव देने के लिये पर्याप्त अवसर मिल सके।

श्री मुहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)----

श्रीमन्, माननीय त्रिवेणी सहाय जी कटौती का प्रस्ताव पेश करेंगे।

*श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)--

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 7--सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य--विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 39--सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य--विभागीय नीति की आलोचना करना तथा व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करने व सहायता का उचित पात्रों में वितरण किए जाने सम्बन्धी सुझाव देना।

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 71--सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य--विभागीय नीति की आलोचना करना तथा जन-कल्याणकारी सुझाव देना।

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 75--सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य--विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री त्रिवेणी सहाय]

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 89--सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य--विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, कटौती के प्रस्तावों पर बोलने से पहले मैं आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज जब कि माननीय माल मन्त्री जी को मोर्चे पर (अगली बेंच पर सामने) बैठना चाहिए था, पर वे उधर कोने में बैठ गए।

श्री अध्यक्ष--

आमने-सामने बैठना चाहिए था? (हंसी)

श्री त्रिवेणी सहाय--

श्रीमन्, अगली लाइन में यहां बैठना चाहिए था।

श्री अध्यक्ष--

अगर वे नहीं बैठते तो आप ही क्यों नहीं उनके सामने आ जाते। (हंसी)

श्री त्रिवेणी सहाय--

मान्यवर, सौभाग्य से जो हमारे प्रदेश के लिए माल मन्त्री मिले हुए हैं, वे अच्छे माल मन्त्री हैं, इसमें कोई दो रायें नहीं हैं।

(इस समय 1 बजकर 40 मिनट पर उपाध्यक्ष, कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा पीठासीन हुए।)

ईमानदार हैं, इसमें भी कोई दो रायें नहीं हैं। और वे बड़े-बड़े पहाड़ खोद डालते हैं, इसमें भी कोई दो रायें नहीं हैं लेकिन जब पहाड़ खोदते हैं और हम यह आशा करते हैं कि उसमें से कोई शेर निकलेगा, लेकिन बाद में मालूम होता है कि उसमें से निकली चुहिया ही। पिछले 25 वर्षों जो से शासन चल रहा है, वह विभिन्न अनुदानों के माध्यम से एक बड़ी राशि हमसे लेता है और खर्च करता है। पिछले सालों के जो आंकड़े हैं, उन आंकड़ों के अनुसार हम देखते हैं तो अनुदान संख्या 7 के ऊपर 8 या 9 करोड़ से कम हमसे कभी नहीं लिया। और जो बाकी अनुदान हैं, किसी पर 2 करोड़, किसी पर 4 करोड़ और किसी पर 5 करोड़ लिया है और इस तरह से पांचों अनुदानों पर माननीय मन्त्री जी पिछले दस सालों से लगातार हमेशा 16-18 करोड़ रुपया राजस्व विभाग पर खर्च करने के लिये हमसे मांग करते हैं। हमें कोई आपत्ति नहीं है श्रीमन्, लेकिन मैं आपके सामने जो यहां पर जांच समिति का प्रतिवेदन 1968-69 है, उसके पहले पेज पर जो लिखा हुआ है उसको माननीय मन्त्री जी पढ़ लेंगे। एक तो मनुस्मति का श्लोक है--उसका भावार्थ मैं सुना देता हूं। इन दो कसौटियों पर ही हमें आपके इस अनुदान को कसना है। इस श्लोक का अर्थ यह है--"जिस प्रकार सूर्य अपनी किरणों से पृथ्वी का जितना जल सोखता है, उसका हजार गुना वह प्राणियों के हित के लिए बरसा देता है। उसी प्रकार राज्य जो कर वसूल करे, उसको प्रजा की भलाई के लिए खर्च कर देना चाहिए"।

दूसरा हेनरी जार्ज का है जो अंग्रेजी में है, उसका अर्थ हिन्दी में पढ़ देता हूं जो इस प्रकार है --"कराधान के कारण क्षुद्र शपथों की अपेक्षा करके उसे झूठ बोल कर लाभप्रद बना कर, झूठी कसमें खाकर, घूस देकर या लेकर लोगों को कदापि प्रलोभन नहीं मिलना चाहिए। कर लगा कर लोगों से वह नहीं ले लेना चाहिए जो वास्तव में उनका है।"

तो यहां पर जितना कर लेना है उतना ही या उससे ज्यादा खर्च करना और उससे ज्यादा राहत देने की बात है। दूसरी बात यह कि कर लगाने वालों को लोगों से वह नहीं लेना चाहिए जो वास्तव में उनका है। ये दो मुद्दे हैं और इन दो मुद्दों पर ही मैं खास

तौर से बोलना चाहता हूं। आज तक आपके राजस्व से जो प्राप्ति रही है वह क्या बतलाती है। वह यह बतलाती है कि पिछले 20-22 सालों में आपका जो भू-राजस्व है वह कम होता गया लेकिन अन्य मदों से जो राजस्व कर इकट्ठा होता रहा वह इतना ज्यादा हो गया कि आज इस प्रदेश की आमदनी करों से कई गुना प्राप्त होने लगी। लेकिन जब राहत का सवाल आता है, तो उसकी विवेचना में जाना पड़ेगा कि या सचमुच उसी मात्रा में उतना ही राहत दे रहे हैं? तो मुझे यह दिख पड़ता है कि राहत के नाम पर शून्य है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह ऐसा विभाग है जिस विभाग के बारे में पुरानी कहावत है कि माल विभाग सबसे भ्रष्ट, सबसे करप्ट और सबसे बदमाश ये विशेषण के रूप में इस विभाग के लिए दर्ज रहे, जनता के बीच में। लेकिन माल मन्त्री जी यह आपका भाग्य है कि आज आपका यह डिपार्टमेंट कई गुना पीछे चला गया है। आज पी0 डब्ल्यू0 डी0, सिंचाई, विद्युत विभाग जो हैं वह आपसे आगे आ गए हैं इसलिये आप पीछे पड़ गये हैं।

एक बार अकबर बादशाह ने बीरबल से कहा कि यह लाइन खींची जा रही है तुम इसको छोटी कर दो। सारे दरबार के जितने आदमी थे वह थक गये लेकिन लकीर छोटी नहीं हुयी। बीरबल ने एक बड़ी लकीर छोटी लकीर के साथ खींच दी और कहा लीजिए महराज लकीर छोटी हो गयी। तो आपका विभाग जो पहले सबसे ज्यादा बेईमान महकमा था वह विभाग आज सौभाग्य से हमारे प्रदेश के अन्दर जिस तरह से भ्रष्टाचार व बेईमानी बढ़ी उससे यह पीछे हो गया। लेकिन यह आप मत समझिए कि यह आपकी कृपा है। केवल यह हो गया है कि आपके विभाग की जो लकीर थी उसके बगल में एक बड़ी लकीर खींच दी गयी है इसलिए आपका विभाग नीचे चला गया। और सिंचाई, विद्युत पी0 डब्ल्यू0 डी0 विभाग ऊपर आ गए।

मान्यवर, आपने जो अनुदान पेश किया है हमें उसको देने में को हर्ज नहीं है। मैं आपको आंकड़े दे रहा हूं। जो राजस्व प्राप्तियां आपकी हैं और जो दूसरे प्रदेशों की हालत है वह मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। 2 मदों में आप खर्च करते हैं। एक तो वह जो प्लान होना है और एक जो आयोजनेतर होता है उसमें खर्च होता है। तो जो प्लान है अगर उसमें आपका पैसा ज्यादा खर्च होता तब तो सरकार की इफीसिएन्सी की बात होती। लेकिन नान-प्लान, आयोजनेतर जो है उसके ऊपर अधिक पैसा खर्च होता रहा है। इसका ही परिणाम है कि बैंकरप्टीसी आती है, मुद्रा स्फीति होती है।

श्री उपाध्यक्ष—

त्रिवेणी सहाय जी, आप जरा जल्दी खत्म कर दें तो अच्छा होगा।

श्री त्रिवेणी सहाय—

मान्यवर, मैंने अभी तो शुरू ही किया है, जुम्मा जुम्मा एक मिनट हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष—

ऐसा है, कि बोलने वाले अधिक हैं। हम चाहते हैं कि सबके विचार व्यक्त हो जायें।

श्री त्रिवेणी सहाय—

मैं अब आंकड़े दे रहा हूं। देखें, 1972-73 में जो राजस्व व्यय हुआ है वह प्लान के ऊपर 8165 लाख रुपए और नान-प्लान पर खर्च हुआ है 49129 लाख रुपया।

[श्री त्रिवेणी सहाय]

1973-74 में प्लान के ऊपर खर्च हुआ है 12137 लाख रुपया और नान-प्लान पर खर्च हुआ है 52719 लाख रुपया ? 1974-75 में प्लान के ऊपर खर्च किया गया है 9104 लाख रुपया और नान-प्लान के ऊपर खर्च हुआ है 60124 लाख । तो यह जो खर्च किया गया है इसका लाभ प्रति व्यक्ति को जितना होना चाहिए वह नहीं हो पाया है। मैं आंकड़े देता हूं श्रीमन्, जो प्रशासनिक व्यय इस प्रदेश में और अन्य प्रदेशों में हुआ है उसको देखें, श्रीमन् :

उत्तर प्रदेश में 1971-72 में 6.14 रुपए प्रति व्यक्ति, 1972-73 में 6.80 रुपए, 1973-74 में 7.18 रुपए प्रति व्यक्ति।

इसी तरह से बिहार को देखें श्रीमन् 1971-72 में 6.7 रुपए, 1972-73 म 7.14 रुपए तथा 1973-74 में 6.70 रुपए प्रति व्यक्ति।

केरल में देखें श्रीमन् 1971-72 में 7.39 रुपए, 1972-73 में 8.35 रुपए, 1973-74 में 10.29 रुपये प्रति व्यक्ति।

इसी तरह से नागालैन्ड में देखें, श्रीमन् 1971-72 में 163.95 रुपए, 1973-74 में 194.57 रुपए तथा 1973-74 में 186.62 रुपये प्रति व्यक्ति खर्च किया गया है।

पंजाब में श्रीमन्, देखें, 1971-72 में 12.86, 1972-73 में 14.97 रुपए प्रति व्यक्ति खर्च किया गया है।

इस तरह से देखें इन आंकड़ों से जाहिर होता है कि बाकी प्रदेशों में वहां की राजस्व प्राप्तियां कम हैं फिर भी उन्होंने जो व्यय किया है वह आपकी अपेक्षा कम किया है।

मान्यवर, आपने फौज खड़ी कर दी है लेकिन हमारी योजनाओं पर सुझावों पर विचार नहीं करना चाहते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि अनुदान की राशि घटायी जाय। विधान सभा में उस दिन सवाल किया था कि कानूनगो और तहसीलदारों का एक केडर बना दिया जाय और इस तरह से 50 लाख रुपये की वार्षिक बचत हो जाएगी। अधिकारियों ने तिकड़म पढ़ाया तो समझ में आ गया और हमने समझाया तो समझ में नहीं आया। आप उसको करना नहीं चाहते हैं। आज आवश्यकता इस बात की है, बोर्ड पर लिख देने से नहीं कि हम मन्त्री हैं और हमारे आदेशों का पालन लोग करेंगे यह नहीं, बल्कि आपका यह प्रयास होना चाहिए कि जो आपका बजट है, उसके अनुसार प्रदेश की तरक्की हो रही है कि नहीं यह देखें। तरक्की का आलम यह है कि आप कहते हैं कि हमने पूरे प्रदेश में कानूनगो, नायब तहसीलदार, तहसीलदार और डिप्टी कलेक्टर की एक बड़ी फौज खड़ी कर दी है, लेकिन आपने कभी यह सोचा कि काम कितना होता है। जिस समय जमींदारी तोड़ी गयी 93 लाख एकड़, जमीन ग्राम समाज से निकली थी। मैं पूछना चाहता हूं कि आज तक उसमें के कितनी जमीन आपने आबंटित की है ? आपकी रिपोर्ट के अनुसार एक लाख एकड़ से कम जमीन आपने लोगों में बांटा है ।

जमींदारी तोड़ने के बाद भूमि वितरण का अहम सवाल था। आपने नारा लगाया था कि जो जोतेगा जमीन उसको हो जायेगी। इस मूल समस्या का कम्युनिस्ट भाई और हम लोग मांग करते हैं कि जो प्रदेश का गरीब किसान है जिसके पास जमीन नहीं है और जिसका लड़का पढ़ना चाहता है तो उसको जमीन देने की समस्या को हल करें। लेकिन वह नहीं करेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि जिला मैजिस्ट्रेटों को सरकार ने आदेश दिए हैं कि ग्राम समाज की वह जमीन जो खेती लायक है उनके पट्टे रोक दिए जायं। मैं आपकी भावना से सहमत हूं। आपने समझा कि वह फर्जी पट्टे हो रहे हैं इसलिए रोकना आवश्यक है। लेकिन नहीं, आपने उसके दूसरे मुद्दे को सोचा है कि जमीन देने की समस्या कैसे हल

होगी। और उसको कार्यान्वित करने के लिये कौन कदम उठायेंगे। लेकिन किस तरह जमीन बांटी जाएंगी उस पर नहीं सोचा। हमारे प्रदेश के अन्दर जो गरीब भूखों मर रहे हैं उनको जमीन नहीं मिलती है बल्कि जमीन ग्राम समाज के प्रधानों को और गुन्डों को मिलती है। आपने जमीन बंटवारे का सवाल खतरे में डाल दिया है।

मान्यवर, दूसरा प्रश्न लगान का है। लगान के ऊपर कांग्रेस का प्रस्ताव हमेशा हमेशा से रहा है और वह चाहे मुजफ्फरनगर का सम्मेलन हो और चाहे नरौरा का सम्मेलन हो उसमें जमीन के बंटवारे का सवाल रहा है कि इसको तुरन्त हल किया जाएगा।

लगान का सवाल है तो इसके ऊपर कांग्रेस के बहुत से लोगों ने कहा कि अलाभकर जोतों के बारे में हमें ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। लेकिन आपके सामने सवा छः एकड़ पर लगान का पेश कर दिया और उस सम्बन्ध में जो मुख्य मन्त्री जी का पत्र है उससे तो हमें और भी हैरत हुई है। यह पत्र सूचना विभाग ने छापा है और बहुगुणा जी का वक्तव्य है "उपर्युक्त पृष्ठभूमि में राज्य सरकार ने लकड़वाला समिति की सिफारिशों को स्वीकार किया है और सवा छ: एकड़ तक की जोत के किसानों को मालगुजारी देने से जो छूट मिली हुई थी उसे वापस लेने तथा सवा छः एकड़ से अधिक की जोत वाले किसानों पर विकास कर की दर बढ़ाने का निश्चय किया है।"

मान्यवर जब इत्तिफाक से कांग्रेस की सरकार इधर आ गयी और बहुगुणा जी इधर बैठे थे और उस समय माननीय चरण सिंह जी मुख्य मन्त्री थे तो तब बहुगुणा जी ने क्या कहा था वह मैं 15 जुलाई, 1967 की विधान सभा की कार्यवाही से पढ़ना चाहता हूं। बहुगुणा जी ने तब कहा था कि "इसलिए मैं मांग करता हूं कि जब माननीय मुख्य मन्त्री जी बोलें तो इस बात को स्पष्ट कर दें कि क्या वे सवा छः एकड़ तक आधा लगान माफ करने वाला विधेयक इस सत्र में हमारे सामने ला रहे हैं। केवल इस बजट के सिलसिले में यह कह देना कि हमने आधा माफ कर दिया या चौथाई माफ कर दिया, ये ये सुविधायें दे दीं, इससे कुछ नहीं होने वाला है। इस तरह से तो आप एक तरह से किसानों के साथ धोखा कर रहे हैं। इसलिए मैं मांग करता हूं कि यह असेम्बली इस सत्र में तब तक न उठे जब तक कि किसानों को लगान में छूट वाला विधेयक हम पारित न कर लें।" यह बहुगुणा जी ने उस समय कहा था लेकिन आज वही जब मुख्य मन्त्री हैं और मितव्ययता का डिमडिम पीटते हैं तो अपने उस मुद्दे पर से हट चुके हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यह जो सवा छः एकड़ का लगान फिर से लगाया है तो इसका क्या औचित्य है। क्या आप का समाजवाद का स्वप्न चूरमूर हो गया? क्या आप अपने समाजवाद से पीछे हट गए? श्रीमती इन्दिरा गांधी जिस समय प्रधान मन्त्री बनी थीं तो डंके की चोट पर उन्होंने कहा कि समाजवाद लायेंगे। जब यह नारा लगा तो सोशलिस्ट पार्टी के लोग उचक-उचक कर उनकी गोद में बैठ गए और कम्युनिस्ट पार्टी के लोग भी उनके साथ हो लिए। लेकिन मान्यवर यह नियत उनकी खोखली है। सवा छः एकड़ का लगान जो माफ किया गया था वह वापस कर लिया और यह चिल्लाते रह गए। मैं यह कहना चाहता हूं कि आप अपने कदम पीछे हटा रहे हैं। अब मैं 2-4 बातें चकबन्दी के बिषय में कहना चाहता हूं। आपने चकबन्दी लागू कर दी, बहुत अच्छा किया। बन्दोबस्त हो रहा है। लेकिन आज हो क्या रहा है जो गरीब आदमी है, पिछले दसियों सालों से कब्जा किए हुए हैं, वर्ग 9 में दर्ज हैं, लेकिन लाठी के जोर से वह दबा हुआ है। जो बड़े ठाकुर साहब हैं उनसे कहते हैं कि बयान दे दो नहीं तो जिन्दगी से हाथ धो बैठोगे। और वह समझौता कर लेता है। पिछले 10 साल से कब्जा किए हुए हैं, लेकिन एक मिनट में उसके हाथ से खेत चला गया। आज इस तरह से समझौते हो रहे हैं और खासतौर से राजा मनकापुर के इलाके में जो कांग्रेस के एम0पी0 हैं और उनके गुर्गे जमीन को बचाने में लगे

[श्री त्रिवेणी सहाय]

हुए हैं क्या मन्त्री जी में इतनी ताकत है कि उनकी खिलाफत कर सकें ? इसलिए इसमें संशोधन यह होना चाहिए कि मेरिट पर इसको देखा जाएगा और मेरिट पर नहीं अलाऊ करते हैं तो वह किसी भी कीमत पर नहीं माना जाएगा।

आपने डी० डी० सी० नियुक्त कर दिए। मुझे इस सम्बन्ध में यह कहना है कि नए-नए डी० डी० सी० नियुक्त कर लिए हैं। उनका अनुभव क्या है ? मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि उनका अनुभव कुछ भी नहीं है क्योंकि चकबन्दी से सम्बन्धित अनेक लैन्ड लाज हैं, जमींदारी है, सीलिंग ऐक्ट है, म्यूटेशन प्रोसीडिंग्स हैं, आदि-आदि, लेकिन उन लोगों को इन सारी बातों की जानकारी नहीं है ? आज इन नए लोगों के बैठाने में काम का नुकसान हो रहा है।

इस समय 88 जगह आपने नहीं भर रखी है, आज तक उन पर नियुक्ति क्यों नहीं हुई। जो डिप्टी कलेक्टर्स उन पर काम कर रहे हैं, क्या उनको आप नायब तहसीलदार बनाना चाहते हैं। एस० ओ० सी० उनको बनाते हैं जो नये हैं और 3 साल काम किया उनको हटा दिया। उनका अनुभव मारा गया। इसी कारण से जगह-जगह घुटाला हो रहा है।

आपने आज गुन्डागर्दी बढ़ाई है पालिटिकल इन्टरफियरेंस के कारण। इसका परिणाम यह हो रहा है कि अफीसर, कर्मचारी भयभीत हैं। कुछ लोगों ने सी० ओ० को मारा और कहा कि हमारे बताये अनुसार चक काटिए। डी० एम० ने लिखा, एस० ओ० सी० ने लिखा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इसलिए जिस तरह का माहौल आज है आपको चाहिये कि उन अधिकारियों को बचायें। (लाल बत्ती हो जाने पर)

मान्यवर, आपने बहुत कम समय दिया है।

श्री उपाध्यक्ष--

आप 35 मिनट बोले हैं। अब आप समाप्त करें।

श्री त्रिवेणी सहाय--

दो शब्द वसूली के विषय में कहना चाहता हूं। वसूली में बड़ा ढोल पीटा गया कि इस सरकार ने बड़ा काम किया है और यह बात सत्य भी है। जब घर गिर गया और चौपट हो गया तो घर के मालिक को याद आई कि कुछ करना चाहिए। रुपये का मूल्य इतना गिर गया कि मजबूर हो कर आपको सरकारी बकाया वसूल करने की नौबत आई और इसके लिए आपने एक योजना बनाई वसूली की। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि जो वसूली आप कर रहे हैं वह वसूली क्या बड़े-बड़े लोगों से की गयी ? जो आपकी पोलिटिकल पार्टी से एफिलियेटेड हैं उनको आपने छुआ तक नहीं। मैंने इसी विधान सभा में सवाल किया था कि तरबगंज तहसीलों में लोगों पर कितना बकाया है ? आपने जवाब दिया था बहुत से लोग हैं और उनमें एक नाम है नवाबगंज चीनी मिल के मालिक। वह मिल मालिक शासन को प्रभावित करते हैं। उन पर 2,20,799 रुपए 40 पैसे बकाया है और यह बकाया सन् 1954 से चला आ रहा है जब मैंने सवाल किया क्या कार्यवाही की गयी तो जवाब आता है कि दिनांक 12 फरवरी, 1975 को कुर्क वारन्ट जारी किया गया है। जरा इस पर यह सरकार सोचे कि छोटे किसान ने क्या गुनाह किया है कि खाने को उसके पास नहीं है, लड़का भूखों मर रहा है, दवाई का इन्तजाम नहीं है लेकिन उसको फौरन कुछ रुपये की वसूली के खातिर जेल भेज दिया जाता है, खेत व बैल कुर्क कर लिए जाते हैं और दूसरी तरफ उस चीनी मिल मालिक का कुछ नहीं किया जाता जो 1954 से 2 लाख रुपए दबाये बैठा है। इसी तरह से जो ढाई करोड़ रुपये का बकाया लोगों पर है उनमें 60 ब्लाक प्रमुख कांग्रेस के हैं, एक एम० एल० सी० है और 20 साल से वह पैसा दबाए बैठे हैं। किसी की हिम्मत नहीं होती उनसे पैसा वसूल करने की। सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए और कार्ड से कदम उठाना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि माननीय मन्त्री जी मेरी बातों को सुन कर ढर्रे पर आ जायंगे।

श्री माता प्रसाद (जिला जौनपुर)––

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत अनुदानों का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्तावों का विरोध करता हूं । सरकार ने इस वर्ष नीति सम्बन्धी कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं उसके लिये मैं सरकार की सराहना करता हूं । इस पुस्तिका में सरकार ने यह बतलाया है कि एक बन्दोबस्त कमिश्नर की नियुक्ति की गयी है । बहुत दिनों से इसके लिए मांग थी। मालगुजारी में एकरूपता नहीं थी । सीरदार की मालगुजारी बहुत ज्यादा थी लेकिन जो जमींदार था या खुदकाश्त जिसके पास थी उसकी मालगुजारी बहुत कम थी । यहां तक कि एक मेड़ पर एक तरफ एक एकड़ का जो सीरदार है उसको 20 रुपया मालगुजारी देनी पड़ती है, और मेड़ के दूसरी तरफ एक एकड़ के खुदकाश्तकार को 1 रुपया 8 आने देना पड़ती थी।

इस प्रकार से लगान की जो विषमता है उसको दूर करने के लिये सरकार ने कदम उठाए हैं ....

श्री उपाध्यक्ष––

माननीय सदस्य बैठ जायं, कोरम का अभाव है ।

(घंटी बजायी गई और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुन : आरम्भ हुई।)

श्री माता प्रसाद––

मान्यवर, मेरे विचार से लगान का निर्धारण 4 ढंग से होना चाहिए। पहला पथरीली और रेगिस्तानी जमीन, दूसरा एक फसली जमीन, तीसरा दो फसली जमीन और चौथा असिंचित जमीन। इनका निर्धारण अलग-अलग होना चाहिए और इसी प्रकार से जमीन की मालगुजारी निर्धारित होनी चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय यह लिया गया है कि चकबन्दी कार्यों की देख-रेख के लिए एक स्क्वैड की स्थापना की गई है जो कि मौके पर जाकर जहां भी गड़बड़ी होगी, उसका निरीक्षण करेगा और उसका निराकरण करेगा। तीसरा महत्वपूर्ण निर्णय यह लिया गया है कि एक भूमि व्यवस्था समिति की स्थापना की गई है। यह अच्छी चीज है लेकिन समितियों की जो रिपोर्ट्स आती हैं अगर उन पर कोई कार्यवाही नहीं होती है तो उन समितियों की स्थापना का कोई महत्व नहीं होता है। श्री मंगल देव विशारद की अध्यक्षता में एक भूमि व्यवस्था समिति की स्थापना हुई थी जिसने अच्छे-अच्छे सुझाव दिए हैं लेकिन उन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। एक दूसरी कमेटी भी नियुक्त की गई है। मैं चाहता हूं कि यह ठीक है कि इसके लिए दूसरी कमेटी बनी है लेकिन इन समितियों की सिफारिशों को कार्यान्वित होना चाहिए.....

श्री मोती लाल देहलवी (जिला कानपुर)––

मंगलदेव विशारद ने इस्तीफा दे दिया था।

श्री माता प्रसाद––

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि आज पूरे प्रदेश में ग्राम समाज की जमीन को अतिक्रमित किया गया है। नैनीताल जिले में 65 हजार एकड़ जमीन पर अनधिकृत रूप से कब्जा है और मिर्जापुर में 42 हजार एकड़ जमीन पर अनधिकृत रूप से कब्जा है।

.श्री उपाध्यक्ष--

आपको मात्र 7 मिनट बोलना है ।

श्री माता प्रसाद----

मान्यवर, मेरे लिए ही यह प्रतिबन्ध न लगाएं ।

श्री उपाध्यक्ष--

व्यवस्था सब के लिए समान की गई है ।

एक सदस्य--

तीन मिनट आपने और कम कर दिए ।

श्री माता प्रसाद--

मान्यवर, पूरे सूबे में ग्राम समाज की जमीन पर जो बड़े-बड़े सबल और बड़े-बड़े किसान हैं उन्होंने अनधिकृत रूप से कब्जा कर रखा है जब कि नियम है 115(सी) में कि ऐसी जमीन पर मुकदमा करके वह ली जा सकती है लेकिन जो बड़े-बड़े किसान हैं वे उन जमीनों को जोत रहे हैं और सरकार को उसका लगान नहीं दे रहे हैं । उनके ऊपर कोई मामला नहीं चलता है । जो छोटे किसान हैं अगर थोड़ी सी जमीन पर उन्होंने कब्जा कर रखा है तो उनके ऊपर कई गुना जुर्माना होता है और उनको दबाया जाता है, मैं चाहता हूं जैसा कि श्री मंगलदेव विशारद ने अपनी रिपोर्ट में कहा भी है अनधिकृत रूप से बड़े-बड़े किसान, बड़ी-बड़ी जमीन वाले कब्जा किए हुए हैं तो उस रिपोर्ट में उन्होंने कहा है कि इसे कागजिनेबिल आफेंस की श्रेणी में गिना जाय और ऐसे लोगों को उस आधार पर तीन वर्ष तक की सजा और एक हजार जुर्माना या दोनों साथ-साथ दिए जाने चाहिए । इस तरह से कठोरता से वर्ताव किया जाना चाहिए ताकि अतिक्रमण करने वाले लोग ऐसा करने से डर । जो छोटे किसान हैं जो एक एकड़ से कम जमीन पर कब्जा किए हुए हैं उनका उनके साथ बन्दोवस्त कर दिया जाना चाहिये ।

दूसरी बात मैं ग्राम सभाओं की भूमि के आबंटन के बारे में कहना चाहता हूं। एक आम शिकायत आती है और आप भी जानते हैं कि वास्तव में जो भूमिहीन हैं उनको जमीन कम मिलती है उनको कागज पर तो जमीन दे दी जाती है लेकिन मौके पर कब्जा नहीं मिलता है । बहुत से लोग ऐसे हैं मान्यवर, कि जो मालगुजारी तो देते आ रहे हैं पर जमीन पर उनका कब्जा नहीं है । मान्यवर, वहां पर सबसे बड़ी परेशानी होती है अगर कहीं पर कागज में पट्टा दे दिया गया और उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। अमल दरामद होने की प्रक्रिया इतनी लम्बी है उसमें कई वर्षों तक मामला लटका रहता है यह सबसे बड़ी परेशानी है। हमारे यहां एक कहावत है "घर की उर्द जंगले में।" मान्यवर पट्टा किसी के नाम कर दिया और मौके पर कब्जा किसी को मिलता है। कुछ लोग 229 का मुकदमा कर दिए हैं । तो इस प्रकार पट्टा कर दिया लेकिन कब्जा मिला नहीं और दो-दो साल चार-चार साल से मुकदमा चल रहा है । इस प्रकार जमीन तो उसे मिली नहीं और जो उसका घर का पैसा है वह भी चला गया। अगर किसी के नाम पट्टा करना है तो वह मौके पर होना चाहिए वाकायदा उसे डिमारकेट करें और उस पर अमलदरामद करें और इस तरह से इन्तखाब किया जाय और उसको कब्जा दिया जाय ? अगर ऐसा किया गया तो ठीक है नहीं अमलदरामद न होने से कब्जा नहीं देने से परेशानियां हो रही हैं ।

मुझ को कम समय मिला है । मैं आवास के सम्बन्ध नें कहना चाहता हूं। हरिजनों के लिए जो आवास व्यवस्था की गई है वह धारा 122(ग) और धारा 123 में है और अभी 7 दिसम्बर, 1974 को सरकार ने एक आदेश में कहा है कि 15 मार्च, 1974 तक अगर कोई हरिजन किसी जमीन पर आबाद हो गया है तो उसे वहां से न निकाला जाय।

मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहूंगा जब वह जवाब देने लगें इसको स्पष्ट करें क्योंकि मान्यवर ऐसे बहुत से मामले हैं जिन पर बहुत दिनों से कुछ लोग आबाद चले आ रहे हैं लेकिन दूसरे लोग उन पर मुकदमा चलाए हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो उन्हें हटाना चाहते हैं तो इस तरह से मुकदमें बाजी हो रही है। तो अगर जहां पर मुकदमा चल रहा हो उनका क्या होगा ? अगर उनको हटाया जाता है तो सरकार की ओर से उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है। मान्यवर इस तरह के मामलों में स्पष्ट आदेश होने चाहिये कि जिनका मौके पर कब्जा है उनको हटाया न जाय। अगर सरकार चाहती है कि हरिजनों को जमीन मिले तो वहां पर जमीन एक्वायर करके मालिकों को कुछ दाम दे दे और उन लोगों को वहां से न हटाया जाय।

एक चीज और संक्षेप में कह देना चाहता हूं क्योंकि समय मुझे कम दिया है। यह जो 229(बी) के मामले हैं इसमें जो ग्राम समाज की जमीनें हैं उन पर लोगों ने कब्जा किया है और अदालतों में मुकदमा चल रहा है .....

श्री उपाध्यक्ष––

आप समाप्त करें।

श्री माता प्रसाद––

कहीं-कहीं पर गांव के प्रधान या जो पुराने जमाने के जमींदार हैं वह जमीन को हड़पना चाहते हैं। तो इस तरह से गरीब आदमी को जमीन मिल नहीं पाती है।

श्री उपाध्यक्ष––

माननीय सदस्य समाप्त करें।

श्री माता प्रसाद––

इस तरह से गरीब लोगों को जमीन मिल नहीं पाती है। मान्यवर, एक बात और कहकर खत्म करना चाहता हूं कि यह जो आबादी सम्बन्धी नियम हैं इसके लिए सरकार को चाहिए कि उसका सारे प्रदेश में प्रचार करें ....

श्री उपाध्यक्ष––

यह कर्मचारीगण वहां पर कैसे खड़े हैं। (किसी चपरासी को सम्बोधित करते हुए) यहां पर कोई बात नहीं कर सकते हैं। आप इस तरह से वहां पर कभी न जायं।

श्री माता प्रसाद––

सरकारी कर्मचारियों ने फर्जी लिस्ट बना दी है इतने लोगों को जरूरत है सरकार के आंकड़े के अनुसार भी, यह उन्होंने बताया। 2 लाख लोगों को अब भी आवास की आवश्यकता है। यह रेडियो द्वारा, समाचार-पत्रों के द्वारा आवेदन-पत्र यदि मांगे जाएं कि कितने हरिजन ऐसे हैं, जिनको आवास की आवश्यकता है तो इससे ज्यादा हरिजनों को जमीन मिल सकेगी।

*श्री रामबचन (जिला आजमगढ़)––

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं बैठकर बोलना चाहता हूं और इसके हेतु आपकी आज्ञा चाहता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष--

आपको कष्ट हो रहा है तो बैठकर बोलिए।

श्री रामबचन--

माननीय उपाध्यक्ष जी, चकबन्दी विभाग में भ्रष्टाचार बढ़ने का एक बड़ा कारण है, जो मैं कहना चाहता हूं। माननीय मन्त्री जी और चकबन्दी विभाग भ्रष्टाचार कम करना चाहता है, मगर कर नहीं सकता। इसका कारण यह है कि वह तहसीलदार, ए0 सी0 ओ0 और सी0 ओ0 को सजा दे सकता है, ट्रान्सफर कर सकता है, किन्तु एस0 ओ0 सी0 और डी0 डी0 सी0 के खिलाफ विभाग चाहते हुए भी कार्यवाही नहीं कर सकता है, ट्रान्सफर नहीं कर सकता है, सजा नहीं दे सकता है। तो इसी कारण चाहते हुए भी मन्त्री जी भ्रष्टाचार नहीं खत्म कर पाते। क्योंकि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से उनका तबादला होता है। विभाग आपका लिखता है कि यह एस0 ओ0 सी0 भ्रष्ट है, इसके खिलाफ कार्यवाही की जाए, मगर विभाग के लिखने के बावजूद जो भ्रष्ट एस0 ओ0 सी0 होता है, यह सिफारिश करवाकर, सम्मानित एम0 एल0 एज0 तथा अन्य प्रभावशाली व्यक्तियों से मिलकर, कांग्रेस के प्रभावशाली पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं से मिलकर अपना ट्रान्सफर आदि रुकवा लेता है।

एक सदस्य--

लोकदल के नहीं ?

श्री रामबचन--

वह भी कर सकता है। तो इस कारण यह भ्रष्टाचार बढ़ता है। उदाहरण स्वरूप मेरे क्षेत्र में चकबन्दी हो रही है आजकल। मैं क्षेत्र में दौरा करता हूं, शिकायतें मिलती हैं, उनके हेतु दरख्वास्त देता हूं और वही एस0 ओ0 सी0 और डी0 डी0 सी0 के पास शिकायत करने वाले जाते हैं तो वह सिद्ध नहीं होता है। मैं आपके सामने एक गांव नौंहरा का उदाहरण देना चाहता हूं। चकबन्दी 15 जनवरी, 1973 को हुई, 212 किसानों ने वहां पर अनियमितता के खिलाफ दरख्वास्त दी और 25 जनवरी को मन्त्री जी वहां गए और चकबन्दी कमिश्नर को उन्होंने भेज दिया और जांच होकर आई रिपोर्ट मई महीने में। तब तक एस0 ओ0 स्तर पर चकबन्दी की दरख्वास्त पहुंच गई, एस0 ओ0 सी0 और डी0 डी0 सी0 ने उस पर अपना फैसला कर दिया। तब जांच हुई कि अनियमितता हुई है। अगर जांच होती ए0 सी0 ओ0 स्तर पर तो एक महीने के अन्दर रिपोर्ट आ जाती और कार्यवाही हो जाती। अब जब जांच आयी तो ज्वाइन्ट डाइरेक्टर गए, उनकी रिपोर्ट पर सही जांच आयी। मन्त्री जी का वक्तव्य है, 15 जनवरी, को दरख्वास्त दिया 212 किसानों ने। 25 जनवरी को कमिश्नर ने भेज दिया है मन्त्री जी ने दफ्तर में जल्दी किया। वहां जा कर जिले में पड़ी रही। 24 अप्रैल को जब एस0 ओ0 सी0 फैसला कर देता है तब जांच शुरू हुई। उसका नतीजा यह हुआ कि चकबन्दी अनियमित सिद्ध हुई। ज्वाइंट डाइरेक्टर की रिपोर्ट पर डी0 डी0 सी0 ने फैसला किया अनियमित है, भ्रष्ट तरीके से हुई है। मन्त्री जी का वक्तव्य है। मन्त्री जी ने आश्वासन दिया कि चकबन्दी अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही की जाय। ए0 सी0 ओ0 और सी0 ओ0 तक कर दी। एम0 ओ0 सी0, डी0 डी0 सी0 के खिलाफ आश्वासन दिया कि विभागीय कार्यवाही की जाय। मगर तबादला हुआ। अप्रैल-मई में सिफारिश पर रुक गया। विभाग ने लिखा, जहां तक मुझे जानकारी है, तबादला रुक गया। फिर सितम्बर में सोहरत हुई। मन्त्री जी के आश्वासन देने के बाद फिर तबादला रुक गया। दिसम्बर में मैंने भी माननीय मुख्य मन्त्री को, मन्त्री जी को लिखा और विधायकों ने लिखा कि एस0 ओ0 सी0 (1) आजमगढ़ भ्रष्ट है। दिसम्बर में तबादला हुआ। चार्ज दे दिया और तीन चार रोज फिर चार्ज के बाद चार्ज वापस कराया गया विभाग की इच्छा के विरुद्ध, रेवेन्यू मिनिस्टर की इच्छा के विरुद्ध। इस परिस्थिति में भ्रष्टाचार कम करने की हिम्मत आप नहीं कर सकते। यह सत्य बात है।

हमारा सुझाव है जिसको विभाग मिले और रेवेन्यू मिनिस्टर जिसका सुझाव दें यह भ्रष्ट है उसका तबादला होना चाहिए या सजा तनज्जुल होना चाहिए वह तनज्जुल होगा। तब आप भ्रष्टाचार कम कर सकते हैं। नहीं तो नहीं कर सकते हैं। माननीय मुख्य मन्त्री के अधीन हैं एस0 ओ0 सी0, डी0 डी0 सी0 और अफसर। माननीय मख्य मन्त्री के यहां पहुंच जाते हैं आपकी इच्छा के विरुद्ध कुछ लोग पहुंच करके रुकवा देते हैं। तो भ्रष्टाचार कैसे कम हो। मैं जानता हूं। एस0 ओ0 सी0 का अप्रैल में तबादला हुआ। नहीं किया। फिर सितम्बर में नहीं किया। दिसम्बर में तबादला हुआ। तो दरख्वास्त दे दिया तीन विधायकों ने कि इसकी लड़की पढ़ रही है। अप्रैल तक रोक दिया जाय। अप्रैल तक इसलिए रुकवाया कि अप्रैल तक फैसला करेगा, लाखों रुपये की आमदनी हो जायगी। इसलिए रुकवाया। 15 हजार रुपये खर्च करके एस0 ओ0 सी0 ने रुकवाया। शोहरत है जिले में। जांच कर ले। मन्त्री जी ने नहीं लिए हैं। बीच में लेकर रुकवाया है।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्य का समय समाप्त।

श्री रामवचन—

मैं नहीं कह सकता कि कौन लिया। मन्त्री जी भेष बदल कर चलें हमारे साथ तो एक तो नमूना निकल आए।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय यादव जी, समय समाप्त हो गया।

श्री रामबचन—

बड़े किसानों का गुट है चकबंदी अफसरों के साथ। गरीबों को खराब चक दिलाया जाता है। जबरदस्त को अच्छा चक दिलाया जाता है। कछियाना को दूर फेंक दी गई। मेरा चक नम्बर वन का बना। मैंने दरख्वास्त दी कि अनियमितायें हुई हैं। चकबन्दी अच्छी बनी है मगर मैंने कहा कि इनका तबादला कर दिया जाय। जब वह पांच लाख रुपए की आमदनी करेगा तो उसका तबादला हो जाएगा।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्य का समय समाप्त हो गया।

*श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव (जिला जौनपुर)—

मान्यवर, मैं राजस्व बजट पर बोलते हुए मन्त्री जी और सदन का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि दो महकमे ऐसे हैं कि जब से राज्य की स्थापना हुई है तभी से चले आ रहे हैं। एक राजस्व विभाग है और दूसरा पुलिस विभाग है। जनता में सरकार के प्रति जो असन्तोष है उसका 90 प्रतिशत योगदान इन्हीं दोनों विभागों का ही है। इसलिए मैं मन्त्री जी को सुझाव देना चाहूंगा क्योंकि वह सख्त और ईमानदार हैं और उनकी नीयत इस विभाग को दुरुस्त करने की है। जब कोई आदमी मन्त्री हो जाता है तो जनता से उसका सम्पर्क कट जाता है क्योंकि अधिकारियों के बीच में ही वह घिरा रहता है। बहुत सी समस्यायें जो हम लोगों तक आम जनता की आती हैं वह उन तक नहीं पहुंच पातीं। इसलिये मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव]

पहली बात तो यह है कि जो पुस्तिका इस विभाग की बटी है उसमें आपने विधायन कार्य के सम्बन्ध में रिपोर्ट दी है। इस सदन में एक बार नहीं जबसे हम यहां आए हैं तब से कई बार जो गैर कृषि की भूमि है उसकी जमींदारी खत्म करने के लिए सवाल उठाए गए हैं। जब मन्त्री जी उत्तर दें तो इस पर प्रकाश डालें कि इन 27 सालों में आपने भूमि सम्बन्ध में अनेकों विधेयक बना डाले। लेकिन आज भी शहर में जो बड़ी-बड़ी जमीदारियां हैं, उनका पटटा करके उनकी कीमत बढ़ा कर आमदनी बढ़ाते चले जा रहे हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि इस ओर अवश्य ध्यान दिया जाय। जब दूसरा सत्र आए तो यदि आवश्यकता हो तो अधिनियम जारी करेंगे तो पूरा सदन इसका समर्थन करेगा।

दूसरी चीज यह है कि विशारद कमेटी की जो रिपोर्ट प्रस्तुत हुई तो वह सारे राजस्व विभाग के ऊपर एक कलंक है। इस माने में कि आपके ऊपर जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि जो भूमि सुधार सम्बन्ध कानून बने हैं उनको आप लागू करें। मैं पहले इस पर बोलने वाला नहीं था। लेकिन दो पत्र मुझे मिले। उनसे मुझे प्रेरणा मिली कि मैं आपके सामने यह कहूं कि मैंने अपने जिलाधिकारी से यह कहा कि किसी गांव के पांच भूमिहीन परिवारों की ऐसी सूची दें जिनको आपने आवास के लिए भूमि दी हो। तीन महीने बाद भी मुझको वह सूची नहीं मिली मैं जब जौनपुर जाता था तो पता चलता था कि वहां बड़े जोरों में तलाश हो रही है कि कौन सी सूची दी जाय। आखिर मुझे सूची दी गई कि पांच गांवों के नाम दिए गए हैं कृपया इनकी जांच कर लें। आप जिलाधिकारी जौनपुर से पता कर लीजिए कि क्या आपके पास ऐसी कोई सूची है जिसमें हरिजनों को भूमि दी गई हो। वह कोई नहीं दे सकते क्योंकि कोई सूची है ही नहीं। अगर होती तो मुझे देते। विशारद समिति के सामने भी यह सवाल आया कि राजस्व विभाग को जो जिम्मेदारी दी गई है वह बड़े-बड़े जमींदारों से सांठ-गांठ करके उनको लागू नहीं करता है।

श्री उपाध्यक्ष---

6 मिनट आपका हो गया है।

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव---

मैं तो 10 मिनट के हिसाब से बोल रहा हूं श्रीमन्। दूसरी बात मैं यह कह रहा था कि विशारद कमेटी की रिपोर्ट को सरकार ने लागू ही नहीं किया। डिप्टी कलेक्टर जो आपके राजस्व विभाग में थे, आपने उनको राजस्व विभाग से हटा कर म्युनिसिपल बोर्ड का प्रभारी अधिकारी बना दिया। इसके अतिरिक्त एस0 डी0 एम0 को कहीं-कहीं पर स्कूलों का नियन्त्रक बना दिया गया है। अब जो रवैया उनके राजस्व विभाग में होता था वही रवैया उनके विद्यालय में जाने पर होने लगा है। इस व्यवस्था को माननीय मन्त्री जी देखें। हमारे यहां के बार एसोसिएशन ने आपके यहां और न्याय मन्त्री जी के यहां और माननीय मुख्य मन्त्री जी के यहां प्रस्ताव भेजा था कि हमारे जिला जौनपुर में बार एसोसिएशन दो जगहों पर हैं, उससे वहां के वकीलों और उनके मुअक्किलों को कठिनाई होती। मान्यवर, आप स्वयं वकील हैं। दो जगहों पर बार एसोसियशन होने के कारण मुअक्किलों को अच्छे वकील नहीं मिल पाते हैं। मान्यवर, यह आपकी बड़ी कृपा होगी कि वहां की दोनों अदालतों को एक जगह पर कर दिया जाय। इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

*श्री गिरिजा शंकर पाठक (जिला वाराणसी)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री बीर सिंह सेंगर (जिला जालौन)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, इधर भी ख्याल कीजिएगा। मुझे अभी अवसर नहीं दिया गया है।

श्री गिरिजा शंकर पाठक—

मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि जैसा कि हमारे भाई राम बचन जी ने कहा है वह सत्य है। चकबन्दी विभाग में जो 27 चकबन्दी अधिकारी एडहाक में काम कर रहे थे अब उनको रिवर्ट किया जा रहा है, यह उचित नहीं है। इसके साथ साथ चकबन्दी विभाग में कुछ गड़बड़ियां हो रही हैं चाहे मन्त्री जी का आदेश हो या अपने मन से वहां के अधिकारी करते हों, किसी को चक नाली नहीं मिली, किसी को चक रोड नहीं मिला। जो जमीन 10 डेस्मल ग्राम समाज को छोड़ दिया उसका लोग नाजायज प्रयोग कर रहे हैं। तहसील के लोग वर्ग 4 लिख कर उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। जो जमीन ग्राम समाज की छोड़ी जाय, वह एक जगह पर छोड़ी जाय ताकि उसका सुचारु रूप से लाभ उठाया जा सके। मननीय मन्त्री जी से यह भी निवेदन करूंगा कि जो आदमी बीछी का मन्त्र न जानता हो वह कीड़े का इलाज करे। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे यहां 2-3 ऐसे चकबन्दी अधिकारी हैं जिन्हें चकबन्दी के कार्य में ज्ञान नहीं है। मेरा निवेदन है कि ऐसे लोगों को चकबन्दी का कार्य न सौंपा जाय।

चकबन्दी योजना की पूर्ति के लिए 1974-75 में 7 करोड़ 17 लाख का बजट रखा गया था किन्तु वर्ष 1975-76 के लिए 6 करोड़ 11 लाख की ही बजट मांग रखी गयी है। इसमें इस साल अतिरिक्त डी0 ए0 भी देने का प्रस्ताव है। इसके माने यह हुए कि चकबन्दी विभाग में सरकार छटनी करना चाहती है। इसीलिए बजट में कमी किया है।

तहसील ज्ञानपुर के बारे में अब मैं कुछ कहना चाहता हूं। ज्ञानपुर तहसील में 2 हजार बीघा जमीन काशी नरेश की है जिसमें उन्होंने कुछ रीवां मध्य प्रदेश के लाल प्रताप सिंह आदि को पट्टा कर दिया है। जैसे ग्राम बीरमपुर, मुआली, में एक ही जमीन तीन आदमियों के नाम है। एक महाराज काशी नरेश, दूसरे लाल प्रताप सिंह और तीसरे असामी। जब प्रिवीपर्स समाप्त हो गया तो जमींदारी उन्मूलन लागू कर उन असामियों को उक्त भूमि का भूस्वामी बनाने का कानून बनाया जाए और जो जमीन असामी जोत रहे हैं उसको उनके नाम किये जाने की व्यवस्था की जाए।

सरकार ने जो लगान लगाया है इससे बहुत भ्रष्टाचार फैल रहा है। जिन किसानों का पहले लगान 100 रुपया था वह अब 600 रुपये लग कर उनके पास आया है। यह पता नहीं चल पा रहा है कि यह किस आधार पर लगाया गया है।

चकबन्दी में यह व्यवस्था अवश्य की जाए कि प्रत्येक चकदार को चक नाली एवं चकरोड अवश्य दिया जाए। कर्मचारियों को इस कार्य के लिए इतना समय दिया जाए कि वे सुचारु रूप से इस कार्य को कर सकें। समय न मिलने के कारण यह काम उचित रूप से नहीं हो पा रहा है।

तहसील ज्ञानपुर में कुछ भूमि विनोबा भावे की है। उस जमीन पर काशी नरेश का नाम है और असामियों का भी नाम है। यह बात समझ में नहीं आ रही है। एक ममहर गांव है। यहां एक पुरुषोत्तम नाम का किसान है उसके पास प्रथम पंचवर्षीय योजना में लगाया गया नलकूप और सर्विस रोड को पुरुषोत्तम के चक में कर दिया गया है और जहां पर पुरुषोत्तम का चक है वहां ग्राम समाज की जमीन कर दिया है। इस प्रकार से पुरुषोत्तम के पास

[श्री गिरिजा शंकर पाठक]

कोई जमीन नहीं है। मेरा माननीय मन्त्री जी से निवेदन है कि इस मामले की जांच करावें और जिस अधिकारी की लापरवाही से यह हुआ हो उसे दन्डित करें और पुरुषोत्तम को जमीन दिलवाने की कृपा करें। बहुत से गांव ऐसे हैं जहां पर 4 साल से चक काट दिए गए हैं लेकिन उनकी पैमाइश नहीं हुई है। ज्ञानपुर तहसील पर एक थेगीय स्थान है। वहां पर किसी के भी चक नहीं बने हैं। कोई 3 बीघे के स्थान पर 5 बीघे जोत रहा है और कोई 5 बीघे के स्थान पर 3 बीघे जोत रहा है। मेरी प्रार्थना है कि चकबन्दी के लिए इतना समय दिया जाय जिससे चकबन्दी करने वाले मुकम्मिल काम करते चले जायं।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय त्रिवेणी सहाय द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री बाल कृष्ण सनवाल (जिला नैनीताल)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे राजस्व विभाग की अनुदानों पर चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया है।

माननीय राजस्व मन्त्री जी ने जो अनुदान पेश किए हैं, उनका समर्थन और माननीय त्रिवेणी सहाय जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

मान्यवर, मैं इन मांगों का इसलिए भी समर्थन करता हूं कि पिछले एक वर्ष के दौरान में प्रदेशीय सरकार ने भूमि सम्बन्धी प्रश्नों में जो सुधार किए हैं, वे वास्तव में समाजवाद की दिशा में इसका एक कदम है। जहां एक ओर भूमि की जोतों की सीमा को निर्धारित करने वाले विधेयक में संशोधन लाकर उसकी सीमा को कम किया गया है, वहीं दूसरी ओर भूमिहीनों को और हरिजनों और अन्य पिछड़े लोगों को सेठ साहूकारों से जो कर्जा दे दे कर उनका शोषण किया करते थे, उनसे उनकी मुक्ति करा दी है। दूसरे भूमि संबंधी नियमों में भी परिवर्तन किया गया है, उनको सरल किया गया है और एक ऐसी समिति का गठन किया गया है जो मौके पर जाकर निष्पक्ष रूप से देखेगी और भूमिहीनों को हरिजनों को और पिछड़े वर्ग के लोगों को भूमि आवंटित करेगी।

साथ ही साथ सरकार ने इस प्रकार के कदम भी उठाये हैं जिससे जो लोग आवासहीन हैं, उनको आवास की सुविधा प्राप्त हो सके। यह सही बात है कि विभाग में भ्रष्टाचार है लेकिन भ्रष्टाचार की बात यहां पर इसलिए नहीं करना चाहता हूं क्योंकि माननीय सदस्य ने, जिन्होंने कटौती का प्रस्ताव पेश किया स्वयं इस बात को माना है कि इस विभाग में भी भ्रष्टाचार है लेकिन इतना नहीं है, जितना और दूसरे विभागों में है।

एक बात जो मैं मुख्य तौर पर निवेदन करना चाहता हूं। वह भूमि के सेटिलमेंट के सिलसिले में है। हमारे कुमायूं में और भाभर और तराई के क्षेत्र में सन् 1957 में भूमि का बन्दोस्त हुआ था। पहाड़ी क्षेत्र में भूमि व्यवस्था एक दूसरे प्रकार की है, जो यहां के क्षेत्र हैं, उनसे वहां पर भिन्न है। वहां पर हिस्सेदार, खायकर और सिरतान होते हैं। दूसरे वहां पर जो जमीन होती है, वह ढालू होती है, वहां पर दीवार दी जाती है और जो उनके कागजात तैयार हुए हैं, उनमें इतनी अशुद्धियां रह गई हैं कि जब से कुमायूं में भूमि विनाश कानून बना था तब से झगड़ों के बढ़ने की सम्भावना अधिक हो गई है। अत: मैं माननीय मन्त्री जी से, आपके माध्यमसे, निवेदन करूंगा कि वहां पर पुन: बन्दोवस्त और सैटिलमेन्ट की कार्यवाही करा दें जिससे जो भूमि वहां पर है उस पर आने वाले दिनों में अधिक झगड़े न हों। दूसरी बात मुझे यह निवेदन करनी है कि सीलिंग का जो कानून यहां पर पास हुआ है और जिसमें एक संशोधन भी हुआ है। हमारी सरकार ने इस बारे में एक समिति भी, माननीय मंगल देव विशारद की अध्यक्षता में, गठित की थी। जिसने एक रिपोर्ट भी दी है जिससे साफ होता है कि बड़े-बड़े भूमि के लुटेरों ने विशेष रूप से नैनीताल जिले में तराई में भूमि के बड़े-बड़े हिस्सों को हथिया लिया है। वे इतनी बड़ी-बड़ी जमीनें हैं कि सीलिंग में अगर

ली जाय तो बहुत सी जमीन निकल जायेगी। उन्होंने उस जमीन को उनके नाम भी करवा रखा है जो बच्चे पेट में थे, कुत्तों के नाम और अन्य परिवार वालों के नाम भी करवा रखा है और सीलिंग से बचे हुए हैं। ऐसा कई फार्मों का जिक्र आता है।

एक रिपोर्ट इसमें है कि मरघट में इतनी छूट दी जायगी, दूसरे में इतनी छूट दी जाएगी। अब ये छूटें नहीं हैं। तो इस कानून का कड़ाई से अनुपालन कराया जाय। ऐसा न हो कि जैसे पिछली बार 1800 एकड़ के फार्म में से कुल 26-27 एकड़ जमीन निकली थी। 84 एकड़ रास्ते में, 7 एकड़ मरघट में दिखलायी जाती है। उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। सीलिंग का जो कानून पास किया है उस पर पूरा अमल होना चाहिए। दूसरे, जैसे मेरे साथी माननीय ओम प्रकाश जी ने कहा है यह बात सही है कि हमारे यहां भूमि सीमा का निर्धारण तो हुआ, परन्तु शहरी सम्पत्ति की सीमा का निर्धारण होना अत्यन्त आवश्यक है। हम तब तक समाजवाद की सही दिशा में नहीं जा सकते जब तक शहरी सम्पत्ति की सीमा का निर्धारण नहीं होता। सरकार जब विधान सभा सत्र में नहीं होती है उस समय आर्डिनेन्स निकाल कर कोई चीज लागू कर देती है। वह कभी-कभी फायदेमन्द भी हो सकता है लेकिन मैं समझता हूं कि आर्डिनेन्स अधिक नहीं होना चाहिए। हम पहले से किसी चीज को कह देते हैं लेकिन समय लगेगा ऐसा कह कर उसको लम्बा डाल देते हैं। इससे लोगों को मौका मिल जाता है और वे अपनी सम्पत्तियों को वितरित कर देते हैं। नतीजा यह होता है कि कानून का वास्तविक लाभ नहीं होता। इसके लिए जब कभी अवसर मिले तुरन्त इस तरह का कानून चाहे वह आर्डिनेन्स के जरिए हो चाहे विधान सभा में ला कर हो शहरी सम्पत्ति का सीमा निर्धारण कर लेना चाहिए।

एक बात और कहूंगा। जमींदारी उन्मूलन कानून लागू हुआ है। पहाड़ में भाभरी क्षेत्र में 84 गांवों का मामला है। वहां जब कानून लागू हुआ तो पहले यू0 पी0 टेनेन्सी ऐक्ट लागू किया। उसके बाद जमींदारी उन्मूलन लागू किया। परन्तु 6 साल हो गए हैं लेकिन आज भी पता नहीं है कि कौन हिस्सेदार क्या है, कौन खायकर क्या है और कौन सिरतार क्या है? उन पर आज भी लगान लगाया नहीं जा रहा है।

इन सुझावों के साथ जो मांगें पेश की गयीं हैं उनका मैं समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

*बाबा रामनाथ (जिला मैनपुरी)—

उपाध्यक्ष महोदय, यह सरकार जो समाजवादी मुखौटा पहने हुए है और अन्तरंग जनवादी नीतियों के खिलाफ जो काम करते है उसके प्रमाण में सदन के सामने रखना चाहता हूं। पूरा उत्तर प्रदेश और इस सदन के माननीय सदस्य जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के लिए सब से भयंकर और पीड़ा देने वाला साल 1973-74 का था। उस साल जब गांव के अन्दर हर गरीब किसान परेशान था कि किसी तरह लगान में कुछ माफी मिल जाय, अवधि बढ़ा दी जाय तो जनता से 10 करोड़ 22 लाख की वसूली अधिक की अपेक्षाकृत दूसरे सालों के। एक बड़ी भारी बात कही जाती है कि हम गरीबों को जमीन दिला रहे हैं लेकिन आंकड़े देखें तो 1951 में खेत मजदूरों की संख्या कुल 20 लाख थी, 1961 में वह संख्या 32 लाख 60 हजार हो गयी और 1971 में 55 लाख हो गयी। माननीय सदस्य ने कहा कि सरकार ने समितियों का गठन कर दिया लेकिन जिस हिसाब से यह संख्या बढ़ रही है उस हिसाब से 1975-76 के आखिर में यह संख्या 80 लाख तक पंहुचेगी।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[बाबा रामनाथ]

इससे यह पता चलता है कि भूमि का जो बटवारा हुआ है इससे चन्द हाथों में ही जमीन चली गयी है। जो वास्तव में गरीब हैं, भूमिहीन है, उसे जमीन नहीं मिली है।

उधर भू-दान यज्ञ की बात आयी थी। कहा गया था कि एक समिति बनेगी जो भूमि का बटवारा करेगी। लेकिन उसके अन्दर भी एक विशेष बात यह की गयी थी कि 3 साल तक यदि वह समिति बटवारा न करे तो कलेक्टर को यह अधिकार दिया गया कि वह बटवारा करेगा। जो कलेक्टर सन् 75 तक भूमि का बटवारा नहीं कर सका वह आज कैसे कर सकेगा ?

मान्यवर, यह समाजवादी सरकार है, मगर पीड़ित जनता को सुविधा के नाम पर क्या देती है इसको देख लीजिये। पहले सन् 1973-74 के लिये सहायता के लिये 21 करोड़ 84 लाख की रकम रखी गयी था, वह घटकर 1974-75 में 12 करोड़ के करीब रह गयी और अगले वर्ष 1975-76 के लिये वह केवल 2 करोड़ रह गयी। पता नहीं कौन सी ईश्वरीय शक्ति से माननीय मंत्री जी को विदित हो गया कि अब इस वर्ष न बाढ़ आयेगी, न सूखा पड़ेगा न और कोई दैवी आपत्ति आयेगी। यह समाजवादी सरकार का नमूना है कि रिलीफ के नाम पर केवल 2 करोड़ रुपया रखा गया है जो कि 2-3 साल पहले 21 करोड़ रुपया था।

मान्यवर, सवा एकड़ वालों पर लगान के संबंध में पहले बड़ा भारी विरोध किया गया था। कांग्रेस वाले बराबर यह कहते रहे कि छोटे किसानों को लैंड रेवेन्यू में रियायत दी जाय। जो-जो आश्वासन इन लोगों ने दिये थे आज सबको ताक में उठा कर रख दिया। 45 करोड़ में से 34 करोड़ रुपया इन छोटे मध्यम वर्गीय किसानों से ही वसूल होगा जिनके पास सवा 3 एकड़ से 11 एकड़ तक भूमि होगी। खेतिहर मजदूर भी इससे पीड़ित होगा। विकास लेवी के नाम पर भी जो 20 करोड़ रुपया आपको प्राप्त होगा वह इन्हीं गरीब किसानों से प्राप्त होगा। मैं माननीय राजस्व मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे कम से कम अपनी कार्यनीति तो निर्धारित करें और इतना तो सदन के अन्दर बतायें कि कम से कम इतने समय के अन्दर 5 वर्ष में या 10 वर्ष में, उत्तर प्रदेश के अन्दर भूमि का सही-सही बटवारा अवश्य हो जायेगा। पश्चिमी बंगाल में गरीब किसानों ने 10 लाख एकड़ जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया। अगर सरकार ने ध्यान न दिया तो यहां पर भी एक दिन वह आयेगा जब ये गरीब भूमिहीन किसान जबरदस्ती जमीनों पर कब्जा कर लेंगे और फिर बटवारा अपने आप हो जायेगा। इसलिये आप कुछ रचनात्मक कार्य करें, एक अवधि इसके लिये निर्धारित करें जिसमें यह बटवारा हो जाय। जब यह कार्य आप करेंगे तभी मैं समझूंगा कि आपने कुछ कार्य किया।

*श्री ईश्वरी सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

माननीय अध्यक्ष जी, आज हमारे माननीय राजस्व मंत्री जी ने जो यह अनुदान रखा है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इस पर अपने विचार जाहिर करने से पहले मैं भाई स्वामी प्रसाद सिंह जी को उनके उन प्रयत्नों के लिये बहुत ही बधाई देता हूं जो अपने विभाग में सुधार करने के लिए वे कर रहे हैं। जो आंकड़े अनुदान में दिये गये हैं उनसे यह सिद्ध होता है कि हमारे प्रदेश में भू-राजस्व जो 73-74 में 25 करोड़ 11 लाख 10,212 था वह इस साल अनुमान लगाया गया है कि 44 करोड़, 52 लाख 12,500 रु0 हो जायेगा। इसका अर्थ यह है कि इसके अन्दर वह रकम भी शामिल है जो कि वह विकास-कर के नाम से ले रहे हैं। विकास कर के जो कुछ आंकड़े देखता हूं उसके अनुसार इस वक्त 22 करोड़ के करीब लगा है। मेरा कहना यह है कि जब आप किसान से 22 करोड़ रुपया विकास कर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लेना चाहते हैं तो यह सरकार का उत्तरदायित्व हो जाता है कि जो विकास कर के नाम से 22 करोड़ रुपया लिया गया है वह उन्हीं मदों पर खर्च किया जाय जिससे वास्तव में भूमि का विकास हो सके।

इस सम्बन्ध में मैं अपने दो सुझाव देना चाहता हूं। एक तो यह कि इस कर की उगाही में आपका खर्चा, जो इन आंकड़े से सिद्ध होता है---9,44,02,400 रुपया आ रहा है। मेरा सुझाव यह है कि विभिन्न विभागों में और विशेष रूप से राजस्व विभाग में ग्रामीण स्तर पर जो बहुत से छोटे-छोटे कर्मचारी हैं जैसे लेखपाल हैं, पतरौल हैं और एक ही श्रेणी के आपके विकास विभाग में भी, माननीय आर्य जी के विभाग में ग्राम सेवक हैं, मतलब यह कि ग्राम स्तर के जो बहुत से कर्मचारी हैं वहां पर, हमारी सरकार यदि इस बात के लिये इच्छुक है और किफायत भी करना चाहती है और साथ ही साथ कुछ तालमेल सही करना चाहती है तो मेरा सुझाव है कि जिस विभाग में भी ये कर्मचारी हों, उन सब में केवल दो ग्राम स्तर के कर्मचारी रखे जायं। एक तो रेकार्ड रखने का काम करे, जैसे चाहे वह सिंचाई कर के सम्बन्ध में हो, चाहे कर्जे के सम्बन्ध में हो, चाहे लगान के सम्बन्ध में हो, चाहे वह अधिकारों के सम्बन्ध में हो, वह रेकार्ड रखे। और दूसरा ग्राम स्तर का कर्मचारी प्रत्येक विभाग में विकास कार्य को देखे।

अगर हमारी सरकार इस योजना को लागू करे तो मैं समझता हूं कि वह किसानों को सीधे मदद करने में और किसानों के सही रेकार्ड रखने में ज्यादा सहायक होगा। इससे उसके ऊपर जो आर्थिक भार है वह भी कम होगा। अगर माननीय मंत्री जी चाहें तो मैं उनको प्रस्तुत कर दूंगा कि कुछ देशों में इस प्रकार के प्रयोग किये गये हैं जो हमारे देश में भी लागू हो सकते हैं। क्योंकि आज जो ग्राम स्तर के लोग हैं, या ग्राम स्तर के कन्ट्रोल करने वाले अधिकारी हैं, वे ग्रामों के सहायक होने के बजाय, उनके विकास कार्य में बाधक सिद्ध होते हैं, उनके शोषण करने के हथियार साबित होते हैं। जो बड़े अधिकारी हैं उन्हीं के द्वारा शोषण करते हैं। करों की उगाही में ग्राम स्तर पर बड़ा खर्चा आ रहा है इससे वहां विकास सम्बन्धी जो कार्य होना चाहिए वह नहीं हो पाता और वे बाधक सिद्ध होते हैं।

(लाल बत्ती होने पर)

मान्यवर, उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आप दो मिनट और दे दें तो दो तीन सुझाव मैं जल्दी-जल्दी और दे दूं।

एक मेरा सुझाव रेवेन्यू बोर्ड के सन्दर्भ में है कि अब इसका कोई उपयोग नहीं रह गया है। रेवेन्यू बोर्ड के पास जो जुडिशियल अख्तियारात हैं, उनको तो हाईकोर्ट को दे दें और माल विभाग के अख्तियारात के लिये कोई दूसरा प्रबन्ध करने की बात सोचें।

एक सदस्य--

कोरम नहीं है।

एक सदस्य--

अभी कोरम है।

श्री ईश्वरी सिंह--

आज आम जनता में इस बात का रोष है कि आपने भूमि पर सीलिंग लगा दी है लेकिन शहरी सम्पत्ति पर आपने कोई सीलिंग नहीं लगायी है। यह हमारा कर्त्तव्य हो जाता है शासक दल की हैसियत से कि शहरी सम्पत्ति के ऊपर जल्दी से जल्दी सीलिंग लगायें। जिससे

[श्री ईश्वरी सिंह]

लोगों में जो एतराज है वह खत्म हो। अन्त में मैं एक बात और आपके सामने निवेदन करूंगा कि आप चाहे हाई कोर्ट की तरफ से या किसीकी तरफ से मेरठ के अन्दर एक शाखा खोलने पर विचार करें। क्योंकि जिनको इलाहाबाद या लखनऊ इतनी दूर से भागना पड़ता है उनको बहुत कठिनाई होती है, उनके लिये कोई व्यवस्था सोचें। यह मेरे कुछ सुझाव हैं, मैं आशा करता हूं कि इन पर ध्यान देंगे। इसी आशा के साथ मैं आपके इन अनुदानों का समर्थन करता हूं धन्यवाद।

(श्री कृष्णा राय के खड़े होने पर।)

एक सदस्य--

मान्यवर, कोरम नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष--

जरा आप रुक जायं, देख लें कोरम है या नहीं।

(कोरम पाया गया)

*श्री कृष्णा राय (जिला देवरिया)--

मान्यवर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। एक बात आप देखिए कि समय कम है।

श्री उपाध्यक्ष--

7 मिनट हैं।

श्री कृष्णा राय--

7 मिनट कम हैं।

मान्यवर, आप देखें राजस्व मंत्री जी ने विकास कर लगाया है। लगान बढ़ाया है। लेकिन गेहूं का दाम घटाया है। गेहूं का दाम घट रहा है। इसके अलावा कारखाने में जितने सामान बनते हैं, उन समानों के दाम बढ़ रहे हैं। हर साल बढ़ रहे हैं। मान्यवर, जो हमारा देवरिया जिला है, देवरिया जिले की एक तरफ बड़ी गंडक नदी है। दूसरी तरफ सरयू है।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय सदस्य राजस्व पर आयें।

श्री कृष्णा राय--

मान्यवर, मैं उसी पर आ रहा हूं। मैं कहना चाहता हूं कि देवरिया के आसपास की करीब-करीब 10 हजार एकड़ जमीन किसानों की निकाल दी गयी है। और डेढ़ हजार रुपये एकड़ या 2 हजार रुपये एकड़ उसका मुआवजा दिया गया है। जबकि साधारण जमीन भी आज 6 हजार रुपये एकड़ पर नहीं मिल रही है। आप देखेंगे कि चकबंदी का जो कानून है। अब कहा है कि 3 चक बनेंगे। 3 चक बनाने का क्या फायदा हुआ। चकबंदी का मतलब तो है कि जमीन एक जगह हो जिससे खेती करने में आसानी हो। मान्यवर, हमारे यहां एक एस0 ओ0 सी0 है। बड़ा ही घूसखोर है। दोनों तरफ से पैसा लेता है। एक

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तरफ का पैसा लेकर फैसला फाड़ देता है फिर दूसरी तरफ से पैसा लेता है। दोनों तरफ से पैसा लेता है।

इसके अलावा मैं आपसे कहूंगा कि देवरिया जिले में नहर जो निकाली गयी उसमें तमाम जमीन निकल गयी है। मैं राजस्व मंत्री से यह भी कहूंगा कि चिमनी के लिये अच्छी-अच्छी जमीनें निकल गयीं। देवरिया जिले की अच्छी जमीन चिमनी में ही निकल गयी। तो अच्छी जमीन चिमनी के लिये नहीं देना चाहिये। जो जमीनें खराब हैं उनको देना चाहिये।

दूसरी बात जो सरकार की तरफ से निर्माण किया जाता है, उसमें जो जमीन निकलती है, वह भी देवरिया जिले में काफी निकल गयी है। लंगड़ी देवरिया, रामनाथ देवरिया यह जो गांव हैं उनकी जमीन निकल गयी है। सब भूमिहीन हो गये हैं। आज उनके पास खाने के लिये नहीं है। खेती के लिये जमीन नहीं है, रोजगार नहीं है।

दूसरी बात जमीनों का बटवारा करते हैं। कहते हैं कि जमीन बांटेंगे। लेकिन जो अपने गोल में छिपाये हैं वह जमीन नहीं बांटेंगे।

एक सदस्य---

आप भी तो मोटे हो गये हैं। (आपस में बातचीत)

(हंसी)

श्री कृष्णा राय---

हम तो मोटे हो गये, परिवहन मंत्री को देख लें जेल में कभी गइले नहीं। 50 एकड़ किच्छा में ले लिया। मालती पांडे के नाम देवरिया में जमीन ले लिया।

श्री उपाध्यक्ष---

माननीय सदस्य व्यक्तिगत आक्षेप न करें।

(शोर)

माननीय सदन में व्यवस्था दी गयी है कि ऐसे व्यक्ति जो सदन के सदस्य नहीं हैं, उनके बारे में आप नहीं कह सकते।

श्री कृष्णा राय---

परिवहन मंत्री जी के पिताजी के नाम सनद है वह ठीक है लेकिन उनका नाम फर्जी है। पिताजी की सनद जो है वह सही है। लेकिन उनकी जो सनद है वह बिल्कुल गलत है।

मान्यवर, इन्होंने (श्री राजमंगल पांडेय) 6 दिन के बजाय 6 महीने की फर्जी सनद दाखिल किया है। वह बिल्कुल फर्जी है। यदि सफाई देना चाहते हैं तो कितने महीने जेल में काटे हैं और कौन सी जेल में रहे हैं?

श्री उपाध्यक्ष---

आप क्षेत्र के बारे में सुझाव दें। इधर-उधर नहीं।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

मान्यवर, भाषा ऐसी है कि जवाब नहीं दे सकते हैं।

श्री कृष्ण राय—

वह तब तक नहीं समझेंगे जबतक अपनी गंदगी नहीं साफ कर लेते हैं।

यदि मंत्री जी जमीन का बटवारा करना है तो सुराख जो लगा दिया है सिंचित और असिंचित का उसको पहले बन्द करें। उससे लोग जमीन बचा लेते हैं और घूसखोरी का रास्ता बन गया है। इस तरह से पहले कानून में संशोधन करें कि बाग को छोड़कर बाकी जमीन बांटेंगे। जिन जोतों से लाभ नहीं उन पर लगान नहीं लगेगा। मैं कहना चाहता हूं कि यदि जमीन का बटवारा चाहते हैं तो जैसे श्री राजमंगल पांडेय जी ने अपने घर में जमीन बांट लिया है और उसी तरह तमाम लोगों ने अपने वहां घरों में जमीन को बांट लिया है उसको ठीक करें। उनके जो रिश्तेदार बिहार में रहते हैं उनके नाम से जमीन कर दी गयी है और उनके नाम से वहां भी जमीन है। इसलिये उसे ठीक करें।

उपाध्यक्ष महोदय, सपहा फार्म देवरिया जिले में है। वहां पर जो जमीन परिवहन मंत्री जी ने अपनी पत्नी के नाम लिया है वह साढ़े 8 एकड़ ली गयी और 15 एकड़ हो गयी है। जितनी आसपास की बंजर जमीन है उस सब को ले लिया है। सेवरही में 200 भूमिहीनों को बांटी गयी है। वह जमीन गन्ना रिसर्च को दे दी गयी और बगल में 500 एकड़ जमीन खाली पड़ी है उसको नहीं दिया गया। लेकिन किसान की जमीन को दे दिया गया। नहर के लिये जो जमीन ली गयी है उसका मुआवजा तत्काल दिलावें। इसलिये मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री सीताराम निषाद (जिला फैजाबाद)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में जब जमींदारी उन्मूलन ऐक्ट लागू हुआ तो यहां पर उन जमीनों पर जो लोग कब्जा किये थे? वह भूमिधर सीरदार या आसामी के रूप में वह अपनी जमीनों के मालिक बन गये और उन्हें पूरे अधिकार दे दिये गये। वह जिस तरह से अपनी जमीनों का उपयोग चाहते हैं कर सकते हैं। लेकिन मैं मान्यवर, आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि दूसरी तरफ नदियों के किनारे, जलाशय, तालाब और झील के कछार की जमीन जो प्रदेश में लाखों-लाखों एकड़ पायी जाती है और उस पर हजारों साल से कुछ कमजोर वर्ग का पुश्तैनी कब्जा पाया जाता है। जिस पर वे लोग बोरों तरबूज, ककड़ी आदि पैदा करते हैं। जलाशयों में भी वह लोग सिंघाड़ा, मत्स्य आदि का उत्पादन करते हैं। लेकिन उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया था। उस समय चौधरी साहब ने जमींदारी उन्मूलन कानून बनाया था। लेकिन दुख है कि कमजोर वर्ग जिनका पुश्तैनी कब्जा जमीन पर पाया गया था उनके अधिकारों पर ध्यान नहीं दिया गया और इसलिये कमजोर वर्ग को बड़ी हानि हुई है। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि वह जैसे और जमीनों पर कब्जा करने वाले लोग अपनी सीरदारी, आसामी या भूमिधरी का अधिकार पा गये हैं वैसे ही नदियों के कछार की जमीन पर झीलें या तालाबों पर जिस प्रकार मल्लाहों का पुश्तैनी कब्जा पाया जाता है तो उनका पुश्तैनी कब्जा मानकर उनको भी हक जायज करें और जमीन सम्बन्धी अधिनियमों में परिवर्तन की यदि जरूरत पड़े तो उसको करके, उसको कानूनी रूप दे जिसमे कमजोरवर्ग के लोगों की सुरक्षा हो सके और वह भी अपनी आर्थिक उन्नति कर सकें।

मान्यवर, आज जमीन बांटने की एक योजना हमारे प्रदेश में चलाई जा रही है। हम यह महसूस करते हैं कि सरकार ने जो कदम उठाया है कि इस प्रदेश के गरीबों और भूमिहीनों में भूमि का जो बटवारा करना चाहते हैं, वह वास्तव में बहुत प्रगतिशील कदम है। इसके लिये एक कमेटी भी बनायी गयी है। हम आशा करते हैं कि उस कमेटी के द्वारा इस प्रदेश में जमीन के आवंटन के बारे में एक क्रांतिकारी कदम उठाया जायेगा। इसके लिये हम मुख्य मंत्री और अपने राजस्व मंत्री के आभारी हैं।

मान्यवर, सीलिंग का जो कानून बनाया गया है उसके द्वारा जितनी आशा थी उतनी जमीन आज नहीं मिल पा रही है। इसका कारण है कि अधिकारियों की वजह से बहुत

बड़ी परेशानी हो रही है। हर जिले में ए0 डी0 एम0 सी0 और एस0 डी0 एम0 बनाये गये हैं और उनके द्वारा मुकदमों का फैसला किया जा रहा है। लेकिन पैरवी के लिये सरकार की तरफ से वहां किसी नायब तहसीलदार को इंचार्ज बनाया गया है जो सीलिंग के मामले में सरकार के पक्ष में सही पैरवी नहीं करते हैं। फैजाबाद जिले में देखा गया है कि वह कायदे से मामलों की पैरवी नहीं करते हैं बल्कि बड़े-बड़े जमीन वालों को अक्ल बताते हैं और जिससे वह अपने जमीन को बचा लेते हैं। इसलिये मैं राजस्व मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह ऐसी व्यवस्था करें कि जैसे सरकारी वकील बनाये गये हैं उसी तरह डी0 जी0 सी0 सीलिंग सरकारी वकीलों की नियुक्ति हर जिले में करें। तभी सीलिंग के मामले में अच्छी पैरवी हो सकेगी और सीलिंग से काफी जमीन बचायी जा सके और उसका बंटवारा भूमिहीनों में किया जा सके।

दूसरे मैं चाहता हूं कि लगान में समता लायी जानी चाहिये। हम देखते हैं कि एक खेत पर चार आने लगान है तो बगल वाले खेत पर पांच रुपया है। मैं राजस्व मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि पूरे प्रदेश में लगान को फिर से निर्धारित किया जाय जिससे कि लगान में समानता लायी जा सके। इससे प्रदेश को करोड़ों रुपये की आमदनी होगी। एक बात हरिजनों को आवास के लिये जमीन आवंटन करने के बारे में कहनी है। हो यह रहा है कि जो भूमि हरिजनों को आवास के लिये आवंटित की गयी है उस पर उनको कब्जा नहीं मिला है और जो बड़े लोग हैं उन्होंने कोर्ट में मुकदमे दायर कर रखे हैं। मेरा यह निवेदन है कि जिस प्रकार से आपने ऋण माफी की है और उसमें यह किया है कि इसके बारे में किसी न्यायालय में दावा नहीं किया जा सकता इसी तरह से आवास के लिये जो जमीन हरिजनों को दी जाय उनके लिये भी ऐसा कानून बनाया जाय कि किसी न्यायालय में मुकदमा दायर न हो सके। जब इस तरह से होगा तभी जो समाजवाद लाने की भावना है वह पूरी हो सकेगी।

*श्री लक्ष्मी नारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो माल विभाग है यह देहाती जनता की जिन्दगी से बहुत बड़ा ताल्लुक रखता है। स्वराज्य के जमाने में जो नारा दिया था कि जमीन जोतने वाले को दी जायगी तो उसमें देहात की जनता ने भरपूर योगदान दिया था। लेकिन आज हम देखते हैं कि तीन कानून बन चुके हैं। कृषि सुधार के नाम पर जमींदारी विनाश कानून, फिर सन् 62 में और फिर सन् 74 में। लेकिन कितनी जमीन इन छोटे वर्गों के लोगों के पास गयी? अगर हम मंगलदेव विशारद रिपोर्ट को देखें तो इससे सारी स्थिति साफ हो जायगी कि यह जो नारा दिया गया था छोटे वर्ग के लोगों को जमीन देने का, वह पूरा नहीं हुआ। आज जो बात सत्ता पक्ष की ओर से समाजवाद लाने की और समाजवादी समाज के निर्माण करने की कही जाती है उसके दो नमूने हमारे सामने आये। एक तो यह कि जिसकी अलाभकर जोत मानी थी और लगान माफ करने की बात की थी, लड़ाई के बाद वह हुआ भी, लेकिन उनसे विकास कर लिया गया यह कहकर कि प्रदेश के विकास के लिये इतना कर देना उसे तकलीफ देह नहीं होगा। अलाभकर जोत पर जो लगान लगाया गया वह एक तरह से उन लोगों के साथ धोखा किया गया। इसके अलावा जिन लोगों को वायदा किया गया था कि उनको जमीन दी जायगी, उनको जमीन नहीं दी गयी और जो जमीन निकली वह आज भी जो भूस्वामी हैं और लटैत किस्म के लोग हैं उनके हाथ में पड़ी है। जो कुछ जमीनें भूमिहीनों और हरिजनों को दी भी गयी है उन पर उनका आज तक कब्जा नहीं हो पाया है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री लक्ष्मी नारायण पाण्डेय]

मैं दो मिसाल अपने जिले की देना चाहता हूं। एक तो जयपुरिया फार्म है और दूसरा सरदारनगर का फार्म है। इन लोगों ने सीलिंग से निकली हुई जमीन को भी अपने कब्जे में कर लिया है। इसके बारे में जब दरख्वास्त दी जाती है तो उन पर कोई कार्यवाही नहीं होती। उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह जो भूमि सुधार कानून बनाया गया है इससे कितनी अतिरिक्त जमीन निकलेगी जो भूमिहीनों में बांटी जायगी। यह मेरे पास जो सारा साहित्य उपलब्ध है इसमें कहीं भी दिखाई नहीं पड़ता कि सरकार का क्या अनुमान है कि कितनी जमीन इस कानून के बनने के बाद निकल पायेगी जो भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को बांटी जायेगी। यह बात स्पष्ट है कि हमारे देश में 50 लाख परिवार हैं जो भूमिहीन की श्रेणी में आते हैं, जिनको जमीन चाहिये। इसलिये उनको जमीन देने के लिये सीलिंग कानून इस ढंग से लाना चाहिये जिससे जमीन निकल सके और कम से कम देहाती जीवन में 1:10 का अन्तर हो, उन लोगों के बीच में जो खेती का काम कर रहे हैं। लेकिन यह जो सीलिंग ऐक्ट आया है उससे जो जमीन निकल रही है, वह जमीन इन भूमिहीन को मिलने वाली नहीं है और न उनकी समस्या ही हल होने वाली है। दूसरी बात जिसकी तरह मैं आप के माध्यम से सरकार का ध्यान खींचना चाहता हूं वह यह है कि हरिजनों के आवास के लिये जो जमीन निर्धारित की गई है वह बहुत अल्प मात्रा में है, उसमें रहने के लिये मकान नहीं बन सकता। इसके अलावा जो मकान सरकार ने उन लोगों के लिये बनाये हैं, पहले तो उनको कब्जा ही नहीं मिला और जो मकान बनाये गये हैं वह ठीक नहीं हैं और गिर रहे हैं। इस तरह की परिस्थितियां हैं और हालत है। देहाती जिन्दगी में जब तक आप जमीन को तोड़ेंगे नहीं तब तक सामान्तशाही का जो प्रभाव है, भू-स्वामी का जो प्रभाव है, वह समाप्त होने वाला नहीं है और आप कोई भी कानून क्यों न बना दें, वह लागू होने वाला नहीं है।

पिछले दिनों जब चीफ मिनिस्टर साहब भाषण दे रहे थे, उन्होंने यह बात कही थी कि मैं नीचे की जनता को उठाना चाहता हूं, लेकिन आपने अलाभकर जोतों पर लगान लगा दिया। क्या इसी तरह की बातों से समाजवाद आयेगा? इस तरह से जो समाजवादी विचारधारा है, जो दर्शन है उसको आप विकृत कर देंगे और उन लोगों को जो समाजवादी विचारधारा के विरोधी हैं, जो उसकी खिलाफत करते हैं, उनको आप उसके विरुद्ध प्रचार करने का मौका दे रहे हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि जो अभी देहाती जीवन में विस्फोट नहीं हुआ है, उनके असन्तोष को भड़काने की कोशिश हो रही है और अगर आप उस पर दृष्टि नहीं रखेंगे, उनका ख्याल नहीं करेंगे, तो समस्या के हल का कोई रास्ता नहीं निकल पावेगा और पूरे देश में हिंसक वातारवण, बेचैनी का वातावरण पैदा हो रहा है। अगर यह वातावरण देहाती जीवन में चला आवेगा, और किसान उसका शिकार हो जावेगा तो यह आप मान लें कि यह जो पूंजीवादी लोकतन्त्र है उस पर खतरा आने वाला है और फासिज्म का रास्ता बनेगा। इसलिये हमारी आपसे अपील है कि आप भूमि सुधार जो कानून बना है, जो भी जमीन निकली है, 34 लाख एकड़—तो जमींदारी टूटने के बाद, 62 में जो कानून बना उसमें 2 लाख एकड़ और 72 के कानून में कितनी एकड़ जमीन मिलेंगी, उसका सही अनुमान मालूम नहीं, कि सभी करीब 20 लाख एकड़ की जमीन है उसको भी तरीके से हरिजनों में आप बांटने की व्यवस्था ठीक से करें। जो प्रशासन है उसको गांव के प्रभावशाली लोग उस कानून को अमली तौर पर लागू करने में बाधा डालते हैं।

मैं जिस जिले से आता हूं वह जिला बाढ़ का शिकार प्रति वर्ष होता है। राप्ती की बाढ़ के फलस्वरूप आपके विभाग द्वारा जो उपेक्षा की गई है, जो लापरवाही की गई है, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी तक यह बात पहुंचाना चाहता हूं कि वहां टेस्ट वर्क के लिये पैसा गया, लेकिन माल विभाग के अधिकारियों ने कोई काम शुरू नहीं किया और हरसाल टेस्ट वर्क के नाम पर लाखों रुपये खर्च होते हैं लेकिन कोई काम पूरा नहीं हो पाता। बरसात आती है, बाढ़ से वह मिट्टी बेकार हो जाती है और इस तरह से पैसा भी बेकार जाता है और बाढ़ में फसलों का बचाव नहीं हो पाता। इस तरह से हर तरह की बांधलियां हैं। इस तरफ ध्यान दे कर

देहात की जिन्दगी के लिये जा भूमि सुधार का कार्य हुआ है उसक कार्यान्वित करने के लिये सही तरीके से कार्य करना आवश्यक है ।

*श्री वीर सिंह सेंगर—

उपाध्यक्ष महोदय, जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया गया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। कई वर्षों से यह देखा जा रहा है कि समय-समय पर मंत्री लोग सदन को जो आश्वासन देते हैं वे पूरे होते नहीं। केवल आश्वासन के बल पर प्रदेश की जनता को और सदन को धोखे में रखा जाता है। राजस्व के सम्बन्ध में लगातार कई वर्षों से यह मांग उठाई जा रही है कि कई कानून इस सम्बन्ध में बने हुए हैं जैसे टेनेन्सी ऐक्ट, जमींदारी एबोलीशन ऐक्ट। उनमें आपस में बड़ी असंगतियां हैं और उन को लेकर बड़ी मुकदमेबाजी होती है। मैंने यह कहा था कि इन सब ऐक्ट्स को दे कर एक रेवेन्यू कोड बना दिया जाय ताकि लम्बी-लम्बी लड़ाइयां न लड़नी पड़ें। आप देखें 12 अप्रैल, 72 को माल मंत्री ने यह कहा था, पृष्ठ 620 पर कार्यवाही आप देख सकते हैं, "इसलिये कोशिश की जा रही है कि सारे प्रदेश का सेटलमेंट द्वारा बन्दोबस्त करा दिया जाय, नक्शे तैयार हो जायं और जमीन किस्म की वजह से लगान लगता था उसमें जो असमनतायें हैं, उनको दूर कर दें।

इसी तरह से हमारा प्रयास है कि इसी वर्ष इसी सत्र में जो हम नया रेवेन्यू कोड तैयार कर रहे हैं, जिसमें भूमि व्यवस्था से संबंधित जितने भी कानून हैं ये सब जगह रखने का प्रयास कर रहे हैं, उसे इसी सदन में ले आयें।" 72 में यह कहा गया था लेकिन 74 आ गया, लेकिन आज तक इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं हुई। ऐसा कह कर लोगों को धोखे में रखा जाता है। मान्यवर, इस रेवेन्यू बजट के सम्बन्ध में अनेक बातें अभी आई हैं। समय कम होने के कारण मैं विस्तार में न जा कर कुछ स्थानीय समस्याओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा और माननीय मंत्री जी से यह चाहूंगा कि इन सब बातों को वह नोट करें और अपने उत्तर भाषण में बतलायें। हमारे देश में देसी रियासतें थीं उनका लगान और शेष उत्तर भारत के लगान में बड़ा अन्तर था। देसी रियासतों में यह प्रथा थी कि राजा जब चाहते लगान बढ़ा देते थे और इस प्रकार समय-समय पर वहां लगान बढ़ते रहे। जब रियासतों का विलयन हुआ तो हमारे मुख्य मंत्री ने कहा था कि देसी रियासतों पर भी वही कानून लागू होंगे जो उत्तर प्रदेश में लागू हैं .... (व्यवधान).... लिहाजा इस सरकार को देसी रियासतों पर जो अधिक लगान लगा हुआ था उसे कम करना चाहिये था जब कि वह उत्तर प्रदेश में मर्ज हुई लेकिन ऐसा नहीं किया गया। वहां के और प्रदेश के लगान में तीन चार गुने का अन्तर है। अगर वहां पर किसी जमीन का लगान 2 रुपया था तो वहां पर उसका लगान 20 रुपये था।

जब विकास कर लगा और ये देसी रियासतें मर्ज हुईं तो फार दी परपज आफ ट्रान्सफर उनको भूमिधर मान लिया जाय ताकि वे बैनामा कर सकें। यह बात तय हुई लेकिन उनका लगान आधा नहीं किया गया। अब-जब विकास कर लाया गया तो समानता बनी रहे। आपने यह व्यवस्था की कि जो भूमिधर है उसके लगान को दूना कर के फिर ढाई गुना किया जाय और उसे सीरदार के लगान के बराबर किया जायगा। नतीजा यह हुआ, चूंकि उनका लगान आधा नहीं हुआ था भूमिधरी के नाम पर, उनका लगान भी दुगुना कर दिया गया जिससे उनका लगान 5 गुना, 10 गुना बढ़ जायगा और इस लगान में समानता नहीं बल्कि असमानता होने जा रही है। इसलिये मैं मंत्री जी से कहूंगा कि जो देसी रियासतें हैं उनका लगान पहले से ही बराबर है अतः उनको दूना नहीं करेंगे।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री वीर सिंह सेंगर]

दूसरी बात यह है, जो रोज-रोज सीलिंग लगाने की बात कही जाती है उससे अनिश्चितता हो रही है। बीसों वर्षों से जो किसान उस जमीन पर खेती करते हैं उनमें अनिश्चितता आ गई है। उस सम्बन्ध में आप कुछ नहीं कर पाये हैं। उनके मन में यह बात आ गई है कि अब हमारी जमीन जाने वाली है और उसके रख-रखाव पर जो खर्चा होने वाला है वह बन्द हो गया है। (लाल बत्ती होने पर)। मान्यवर, आपने लाल बत्ती कर दी जब कि मैंने अभी बोलना प्रारम्भ किया है। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता था कि मैंने माननीय मंत्री जी से शिकायतें भी इस बारे में की थीं कि गांव समा की भूमि सरकारी कर्मचारियों ने हड़प ली है। दो व्यक्तियों की मैंने शिकायत की थी "एक नरसिंह, ग्राम भवई और राम कुमार वहां के लेखपाल ने 15 एकड़ जमीन अपनी पत्नी के नाम कर ली और मंत्री जी के मित्र शिव सम्पत्ति शर्मा के लड़के ने 15 एकड़ जमीन अपने नाम करवा ली, वहां के ग्राम प्रधान ने 10 एकड़ जमीन अपने नाम करवा ली। श्रीमन्, 9 सदस्य उस पंचायत में हैं....

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

वे मेरे मित्र हैं, यह आप गलत कह रहे हैं।

श्री वीर सिंह सेंगर-

वह आपके जिले के हैं और अगर आप उनसे मित्रता से इन्कार करते हैं तो मुझे कोई हर्ज नहीं है। माननीय मंत्री जी ने इन शिकायतों के सम्बन्ध में जांच के आदेश भेजे। उनके आदेशों को जिलाधीश ने 7 महीने तक दबाये रखा। मैंने इस सम्बन्ध में जिलाधीश से कई बार कहा और 7 महीने बाद वह जांच सामने आयी किन्तु अभी तक सम्बन्धित व्यक्तियों का ट्रांसफर नहीं हुआ है। मैंने जिलाधीश से कहा कि जब इन व्यक्तियों के प्रति प्राइमा फेसी केस बनता था तो उनको क्यों नहीं हटाया गया किन्तु अभी उसमें कुछ कार्यवाही नहीं हुई है। अतः मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे इसको देखें। सारे सीलिंग के कागजात, नक्शे आदि जिनमें गड़बड़ी की गई है, उनको इधर-उधर कर लिया है.....

श्री उपाध्यक्ष--

अब आपका समय समाप्त हो गया, आप बैठें।

श्री वीर सिंह सेंगर--

जांच रिपोर्ट में 60 प्रतिशत गल्तियां उनकी पायी गई। उस गांव को रिमान्ड होना चाहिये और जो चीजें जांच में निकली हैं उनके ऊपर कार्यवाही होनी चाहिये।

श्री पोपाल दत्त ओझा (जिला पिथौरागढ़)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने राजस्व मंत्री द्वारा प्रस्तुत अनुदान के सम्बन्ध में मुझे अपने विचार रखने का अवसर दिया उसके लिये धन्यवाद। मान्यवर, मैं प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्व मंत्री ने इस वर्ष सबसे बड़ा काम यह किया है कि उत्तर प्रदेश में भूमि व्यवस्था जांच समिति का गठन किया गया है जिसके अध्यक्ष माननीय मुख्य मंत्री जी हैं और कुछ पूर्णकालिक सदस्य भी नियुक्त किये गये हैं जो यह देखेंगे कि आजतक इस विषय में कितनी प्रगति हुई है। मान्यवर, मंगलदेव विशारद समिति नेजो जांच की थी उसमें उन्होंने 88 संस्तुतियां की थीं। यह समिति 1972 से 1974 तक गठित हुई थी। उसमें उन्होंने यह सिफारिश मुख्यतया की थी कि प्रदेश के निर्बल किसान को किस प्रकार जमीन मिलेगी। मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे इन संस्तुतियों के ऊपर गम्भीरतापूर्वक विचार करें और देखें कि जो गरीब निर्बल खेतिहर किसान हैं उनको कैसे भूमि मिल सके। उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जो पुस्तिका

बांटी है उसमें घोषणा की गई है कि वे प्रदेश में लगान की दरों में पुनरीक्षण करने का बन्दोबस्त करेंगे। आज प्रदेश म ऐसी परिस्थितियां हो गई हैं कि उन दरों का पुनरीक्षण करना बहुत जरूरी हो गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, एक साल के अन्दर उत्तर प्रदेश में जो भूमि व्यवस्था विधेयक पास हुआ था, जिसको राष्ट्रपति महोदय ने 7 दिसम्बर, 1974 को सहमति प्रदान कर दी है, उसमें जो जमीन आवंटन करने की प्रक्रिया है उसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूमिहीन खेतिहर मजदूर को प्राथमिकता दी गई है। इसके लिये मैं माननीय राजस्व मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक क्रान्तिकारी कदम उठाया है और निर्बल भूमिहीन लोगों को सहायता करने की व्यवस्था की गई है। उपाध्यक्ष महोदय, ऋण लेने के संबंध में जोत बही आर्डर सरकार ने इश्यू किये हैं जिसके अनुसार काश्तकारों को ऋण की सुविधा है। बहुत से बैंकों से जहां से उनको ऋण मिलता है उसकी प्रापर इन्ट्री इसमें नहीं होती है। उसमें यह नहीं रहता है कि किसके नाम जमीन है, हस्तान्तरण कितना है, काश्तकार ने कितना कर्जा लिया है। उपाध्यक्ष महोदय मैं पर्वतीय क्षेत्र से आता हूं। वहां पर कुमायूं नयां वाद एण्ड वेस्ट लैण्ड ऐक्ट लागू होता था उसमें लोगों को मकान बनाने के लिए, गौशाला बनाने के लिये और बगीचे बनाने के जमीन मिलती थी जिसको नामिनल रेन्ट पर दिया जाता था परन्तु अब उसको निलंबित कर दिया गया है और अब उसके स्थान पर गवनेमेन्ट ग्रांट एक्ट लागू कर दिया है। उसमें अब केवल मकान एवं उद्योग हेतु, दुकान बनाने के लिये ही दिया जाता है। और उसमें भी एक नाली के लिये करीब 60 रुपया नजराना रखा गया है जो बहुत ज्यादा है। जो गरीब लोग हैं उनसे एक नाली का 60 रुपया लेना बहुत ज्यादा है, इसको घटाना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं कि पर्वतीय क्षेत्र के लोग, जो 1962, 1965 और 1971 की लड़ाई हुई, जो पाकिस्तान की बंगला देश के साथ हुई, उसमें सबसे ज्यादा पर्वतीय क्षेत्र के जवान कुर्बान हुए। आज उनकी विधवाओं की हालत बहुत दयनीय है, जो रुपया सरकार की तरफ से दिया जाता है उसमें मकान नहीं बन सकता है। मकान के लिये केवल 5 हजार रुपया दिया जाता है जिसमें एक दीवाल भी नहीं बनती है तो उसके लिए भी उचित व्यवस्था होनी चाहिये। अगर वास्तव में सहायता करना चाहते है, तो मैं उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि इस बारे में वह गंभीरता से सोचें। हमारे यहां बहुत से भूतपूर्व सैनिक हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है उनके लिये जमीन नहीं है। इस पर गंभीरता से सोचें ताकि उनकी समस्या हल हो सके। हमारे जो सैनिक हैं या जिनकी विधवायें हैं जिन्होंने अपना जीवन देश के लिये कुर्बान किया है उनको जमीन मिलती नहीं है। हमारे पिथौरागढ़ से कुर्बान हुए जवानों की संख्या 100 है। तो एक नाली तक जमीन उनको नहीं मिलती है। इनके लिये भी कोई प्रबंध मंत्री जी करें।

हमारे प्रदेश के सीमांत जिले के गरब्यांग में करीब 5 सौ परिवार दर गांव के दो सौ परिवार और वांसवगढ़ के दो सौ परिवार ऐसे हैं जहां पर जमीन धंस गई है। वहां पर वह लोग कराह रहे हैं कि हमारे लिए कहीं अन्यत्र भूमि की व्यवस्था की जाय परन्तु खेद के साथ कहना पड़ता है कि उन अनुसूचित जनजातियों के लिये कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। एक एकड़ जमीन या दो एकड़ जमीन आज तक उनको नहीं मिल पाई है। मैं उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि इन सीमांत इलाके के जनजाति के लोगों के जिनकी जमीन धंस गई है, जो एक विषम हालत में हैं उनको कहीं जमीन दी जाय। यहां पर मालगुजारी के नाम पर जो कुछ लोगों के पास जमीन है, जो जमीन कब्जा किये हुए हैं उनसे

[श्री गोपाल दत्त ओझा]

मालगुजारी का 20 परसेंट जमीन की कीमत लेकर उनको भूमिधरी अधिकार दिया जाय ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से तराई क्षेत्र में जो सरकार ने पुराने कब्जे को रेगुलाराईज किया है उसी प्रकार हमारे यहां से बहुत से लोगों ने बेनाम जमीनों पर बगीचे लगाये हैं लेकिन उनको अब खाली करने का आदेश दिया गया है । तो मैं मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को जिनके पास आमदनी का कोई और साधन नहीं है उन लोगों के कब्जों को रेगुलाराइज किया जाय । इन चंद शब्दों के साथ मैं राजस्व अनुदान का समर्थन करता हूं ।

श्री जंग बहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । हमार प्रदेश की कुल आमदनी की 54 फीसदी आमदनी खेती से होती है, किसानों के जरिये से होती है । आज 86 फीसदी जनता खेती करती है । यह सरकार 27 साल से बराबर किसानों की उपेक्षा करती आ रही है । किसानों के ऊपर बराबर टैक्स लदता रहता है । कुछ तो अप्रत्यक्ष थे और कुछ प्रत्यक्ष । लगान, विकास कर, और खाद के दाम हैं ये सब अप्रत्यक्ष कर हैं और दूसरे प्रत्यक्ष प्रकार के कर कपड़े के दाम, चीनी के दाम और गल्ले के दाम हैं । जब किसान गल्ला पैदा करता है तो वह सस्ता हो जाता है, लेकिन जब उसका अनाज उसके घर से निकल जाता है तो वह महंगा हो जाता है । मैं 10 साल की बात जानता हूं, जिस अवधि में सरकार और सेठों का गठबन्धन बराबर बना रहा है और इस तरह से सरकार ने 12 अरब रुपये की डकैती उनके साथ की है । सेठ जब किसानों से अनाज खरीद लेता है और उससे जब छोटे-छोटे किसान, दूकानदार और मजदूर अनाज खरीदते हैं, तो इन लोगों को उसका कहीं ज्यादा दाम देना पड़ता है । कपड़ा है, रेल भाड़ा है, ये सब किसानों के ऊपर ही पड़ते हैं । देश में 45 प्रतिशत कारखाने खेती पर निर्भर हैं । यदि खेती हमारी चौपट होगी, तो कारखाने भी चौपट हो जाएंगे—तेल मिल, जूट मिल, चीनी मिल, आटा मिल आदि तमाम मिलें चौपट हों जाएंगी । इस खेती की बदौलत ही हम सब लोग जीवित रहते हैं । लेकिन सरकार को शर्म भी नहीं लगती है कि वह कानून के जरिए उनके ऊपर डकैती करती है और जबदरस्ती किसानों के घरों में घुस कर अपने आदमियों के जरिये से गल्ला निकलवा लेती है । अपनी चीजें महंगी देंगे और हमारे घर में डकैती करेंगे, यह कहां का समाजवाद है ।

केरल में गेहूं का दाम 115 रुपया, पंजाब में 120 रुपया दे रहे हैं और हमारे यहां मंत्री जी 105 रुपया दे रहे हैं, यह कहां का न्याय है । जो आप अनुदान मांग रहे हैं, वह यदि सही-सही इस्तेमाल हो जाए तो कोई बात नहीं है । लेकिन मैं आपको बताता हूं कि उसका आधा धन सरकार के नौकरों के हाथ में चला जाता है और उनके जरिए वह पैसा मंत्रियों के घरों में चला जाता है । यदि आप महात्मा गांधी की बात मानते कि गद्दीधारी को फकीरों का बाना अपनाना चाहिये, तो सब काम हो जाता । लेकिन आप तो राजा बन गये हैं । संविद सरकार ने लगान भी सवा छः एकड़ तक का माफ किया था और आपके यह घोषणा-पत्र में भी है । लेकिन वोट लेने के बाद आप अपने वायदे को भूल गये । आप वचन-भंगी भी हैं, अपने वायदे के खिलाफ काम कर रहे हैं । आपने माफ लगान फिर लगा दिया है । आपने सवा छः एकड़ के नीचे वाली जोतों पर लगान बांध दिया और विकास कर आधा भी लगा दिया । यह सरकार उनके साथ उपेक्षा का व्यवहार कर रही है । कहीं तो यह हिन्दू मुसलमान लड़ा रहे हैं, कहीं शिया—सुन्नी लड़ा रही है । और गांवों में भूमि वालों और भूमिहीनों को आप लड़ा रहे हैं ।

एक सीलिंग का तमाशा 57 में आया । भूमि निकली लेकिन लोगों का मालिक बनने का सपना साकार नहीं हुआ । अबकी क्या हुआ, तमाम बहाना हुआ कि हरिजनों और भूमिहीनों

को जमीनें सीलिंग से निकली हुई मिल जाएंगी। उन लोगों को बड़ी खुशी हुई कि अब सीलिंग होने के बाद हमें जमीन मिलेगी और इसी लालच में उन्होंने आपको वोट दिया। लेकिन जमीन मिलना तो दूर रहा, आपने वहां लगान बांध दिया है। आज हजारों एकड़ जमीन बंजर पड़ी हुई है, जो 16 करोड़ एकड़ पूरे देश में पड़ी हुई है और केवल हमारे प्रदेश में ही 2 करोड़ एकड़ भूमि पड़ी है। इसमें 20 लाख तो ऐसी है, जिसमें कुछ नहीं करना है, आप उसपर थोड़ा ध्यान दें और लाखों लोगों को खेती में लगा सकते हैं। उसे आप नहीं दे रहे हैं। डिप्टी कलेक्टर, कमिश्नर साहब बड़े लोग बैठे हुए हैं। 115–सी के मुकदमे चल रहे हैं। लेकिन बड़े आदमियों पर एक भी मुकदमा नहीं चलाया जा रहा है। आज जो जमीन ग्राम प्रधानों ने एलाट कर दी हैं उनका कब्जा नहीं दिया जा रहा है। हमारे क्षेत्र में चिरइया, बलीपुर, सादुल्लापुर, बड़वल आदि गांवों में दो दो, तीन तीन साल से लोगों के नाम सीरदारी के पट्टे हैं लेकिन वह कब्जा नहीं पा रहे हैं। जो जमीनें मकान के लिये एलाट की जा रही हैं उन पर कब्जा नहीं पा रहे हैं। गांवों में लड़ाई हो रही है। रतौली आदि गांवों में चकबन्दी चल रही है जो ऊसर, परती जमीन जमींदारों ने अपने नाम करवा लिया था, वह जमीनें जिन लोगों ने जीवन भर मेहनत की उनके नाम एलाट हो रही हैं और उनकी अच्छी जमीनें वे लेते चले जा रहे हैं। मालूम होता है इंग्लैंड से बिलकुल आये हैं। (* * *) कुछ जानते नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्य संसदीय भाषा का प्रयोग करें। (* * *) ये शब्द निकाल दिये जायेंगे।

श्री जंग बहादुर वर्मा—

हमारे यहां डिप्टी कलेक्टर लखनऊ का है, वह भी पक्षपात करता है। तहसीलदार का यही हाल है।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप का समय समाप्त हो गया। माननीय वर्मा जी बैठें। आगे कुछ नहीं लिखा जायगा।

श्री हरिकेवल (जिला देवरिया)–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो यह कटौती का प्रस्ताव पेश है, उसके पक्ष में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। यह सीलिंग ऐक्ट 1961 में बना। 1972 में इसका संशोधन हुआ। 1974 में लागू करने का काम किया जा रहा है। इतने दिनों की अवधि में जो अवसर दिया गया बड़े भूस्वामियों को कि वह अपनी जमीनों की चोरी करने का काम करें। मंत्री जी को इस सदन में यह घोषणा करनी चाहिये कि 1961 से लेकर 1974 के बीच में सीलिंग में कितनी जमीन निकली और कितने भूमिहीनों में वितरित की गयी। जो लोग भूमि चोर कहे गये हैं उन्होंने किस तरह से, बड़े भू-स्वामियों ने, जमीन चुराने का काम किया है। कई जगह पर मन्त्रियों के नाम से, ट्रस्ट के नाम से, संस्था के नाम से और कोई जगह पर ऐसी बातों की चर्चा है कि जो बड़े-बड़े जमींदार लोग थे, उन्होंने अपने घर की नौकरानी के नाम से, कुत्तों के नाम से, बिल्ली के नाम से, सहखातेदारी में नाम चढ़वा दिया ताकि उनकी जमीन

(* * *) श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार निकाल दिया गया।

[श्री हरि केवल]

बच जाय। बहराइच जनपद में, नानपारा तहसील में एक गांव है पडरिया। यहां पर ओंकार-सिह जो डी0 आई0 जी0 थे उन्होंने अपने कुत्ते के नाम सहखाते दारी में अंकित करा लिया और जमीन बचा लिया। इसी तरह से और जगहों पर उदाहरण हैं जहां जमीन चुराने का काम किया गया।

गोरखपुर जनपद में सुरेन्द्र प्रताप सिह, जो सुरजीतसिह मजीठिया केन्द्र में मंत्री थे, उन्होंने ट्रस्ट के नाम पर जमीन को चुराने का काम किया। देवरिया जिले में महमूद साहब जो केन्द्रीय सरकार में मंत्री थे उन्होंने ट्रस्ट के नाम पर एक फार्म बनाया और जमीन को चुराने का काम किया। प्रदेश के जितने बड़े-बड़े अफसर हैं, मंत्री हैं, और जिन्होंने संस्था के नाम पर जमीन चुराने का काम किया है, मंत्री जी उन जमीनो को निकालने का भी कोई कानून बनाये ताकि जमीन गरीबों में बटे। यह मंत्री जी की रिपोर्ट है। उसके अनुसार पूरे प्रदेश में मकान बनाने के लिये, 11 लाख 51 हजार 189 लोगों के जिनके पास जमीन नहीं थी उसमें मंत्री जी ने 3 सितम्बर, 1974 तक 9 लाख 55 हजार 641 परिवारों में 13 हजार 8 सौ 29 एकड़ भूमि का आवंटन किया। उनके अनुसार है और 1,95,584 लोगों को अभी भी जमीन नहीं मिली। यह उनके आंकड़े हैं।

मैं महसूस करता हूं कि हमारे देवरिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी जमीन हैं, मकान हैं, लेकिन उस पर प्रभावशाली लोगों का नाम दर्ज है और वह चाहते हैं और उनसे कहते हैं कि चलो हमारा काम करो और आठ आने, चार आने में अपने खेतों पर मजदूरी कराते हैं। अगर वह नहीं जाते हैं तो जिनके नाम वह मकान है या जमीन है उससे खाली करा लेते हैं। इस तरह कई मुकदमे दीवानी में दाखिल कर दिये गये हैं। हरिजन बराबर उजड़ते चले जा रहे हैं और उनका नाम भी खारिज नहीं किया गया है। मंत्री जी इस तरह के लोगों को अधिकार दिलाने की कृपा करें। अभी तक सारा काम कागज पर ही है। मैं चाहूंगा कि मंत्री जी प्रदेश में कहीं भी लोग बसे हों जिनके नाम मकान हो या जमीन हो, उसको उन लोगों को दिलाने का प्रबन्ध करें।

श्रीमन्, इस तरह से भूमिहीनों में जमीन का वितरण कैसे होगा, जब न्याय के आधार पर वितरण होगा। भूमिहीनों की परिभाषा भी विचित्र हो गई है। हमारे यहां बैकुंठ-पुर, दुमाट, सपहा और बभनौली फार्मों से जो जमीन निकाली गई वह उन्हीं लोगों को मिली जिनके पास जमीन है। कुछ तो बिहार के लोगों की जमीन थी वह उनके ही बेटे, पोतों के नाम भूमिहीन दिखा कर दी गई है इसी तरह से यहां के लोगों जिनके पास भूमि थी उनके बेटे वगैरा का नाम भूमिहीन में दिखाकर उनको दे दी गई। उसका नाम लेखपाल के कागज में दर्ज हो गया, मैं चाहता हूं कि इस जमीन को निकाला जाय और असली भूमिहीन लोगों को यह जमीन दी जाय।

प्रदेश के बड़े किसानों से 59 करो वसूल होना था। लेकिन उनसे केवल 42 करोड़ ही वसूल हुआ। सब से ज्यादा छोटे काश्तकारों से वसूल हुआ। प्रदेश के 35 जिले बाढ़ से पीड़ित होते हैं। उनका कई करोड़ का नुकसान हुआ लेकिन दिया कुछ नहीं। कपड़ा, कम्बल वगैरा जो बांटे गये यह केवल कागज पर ही बटकर रह गये। मैं चाहता हूं कि इन चीजों का ईमानदारी से वितरण होना चाहिये।

चकबन्दी के कर्मचारियों तथा राजस्व विभाग के जो छोटे कर्मचारी हैं, उनकी छटनी नहीं होनी चाहिये। जो व्यापक धांधली हो रही है उसको समाप्त करना चाहिये। उनको राहत दी जाय और एक भी कर्मचारी निकाला न जाये।

*श्री बच्चा पाठक (जिला बलिया)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने राजस्व विभाग के बजट पर मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। साथ ही साथ हमारे राजस्व मंत्री जी ने जो अनुदान पेश किया है उसका मैं समर्थन कर रहा हूं। हमारे उत्तर प्रदेश में जो भूमि सबंधी सुधार हुए हैं उसको देखने से यह प्रतीत होता है कि हमारी सरकार जो है, जो भूमि-हीन हैं, जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको उठाने के लिये अनेकों कदम

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उठाये है। 1974 तक जो हरिजन किसी भूमि पर आबाद थे उनके प्रति हमारी सरकार ने यह कानून बनाया है कि उनको कोई वहां से हटा नहीं सकता है। जितनी भूमि, सीलिंग से और अन्य साधनों से जो उत्पन्न हुई है उनमें से आधी भूमि जो गरीब लोग हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं उनको सरकार देती है।

दूसरी तरफ जो हमारे सैनिक हैं, जो हमारे देश के प्रहरी हैं उनकी सहायता हमारी सरकार करती है। जो वीरगति पाते हैं उनके परिवार के लोगों को जो साधन की जरूरत होती है, उनको सरकार मदद करती है। इन सब बातों से यह जाहिर होता है कि हमारी सरकार कितनी समाजवादी सरकार है। जो छोटी बस्तियों में बसते हैं, उनको उठाने केलिये हमारी सरकार कितनी कोशिश करती है। साथ ही साथ कुछ ऐसे सुझाव भी हैं, जिनको मैं राजस्व मंत्री जी को देना चाहता हूं जिनके उपर माननीय मंत्री जी ध्यान देंगे। हमें आजादी मिलने के बाद,यह बड़े दुःख की बात है कि हमारे प्रदेश से जमींदारी समाप्त की गई, लेकिन गैर मजरुआ जमीन जो टाउन एरिया, नोटीफाइड एरिया और म्युनिसिपैलिटी के अन्दर हैं, उनको आज तक सरकार ने समाप्त नहीं किया। मैं सोचता हूं कि आज यह हमारी सरकार पर कंलक है। जो बड़े बड़े जमींदार जो वहां पर बसते हैं उनको मुफ्त में कार्य करने का मौका मिला है।

(इस समय 4 बजकर 4 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

हमारे क्षेत्र रावल, बांस आदि में टाउन एरिया है, अगर वहां पर कोई मकान बनाता है, तो उनके ऊपर वहां के लोग हावी हो जाते हैं, उनसे बेगार लेते हैं, उनको नाना प्रकार के कष्ट देते हैं, तो मैं माननीय राजस्व मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट करता हूं। माननीय मंत्री जी जो बजट पेश करेंगे, उस समय हमारी समाजवादी सरकार इन नोटीफाइड एरिया में जो हमारे यहां जमींदारी है, उसको समाप्त करेंगे। मैं आपको चेतावनी दूंगा कि आप अगले सत्र तक अगर इस मसले पर कदम नहीं उठाते हैं, तो वहां की जनता जो है, वह घोर असंतोष पैदा करेगी। तो मैं राजस्व मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि अगले सत्र तक यह जो टाउन एरिया, नोटीफाइड एरिया हैं, उनको समाप्त करने की तरफ कदम उठायेंगे। हमारा जनपद जो है वह दो नदियों के बीच में है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप ऐसी भूमि पर कोई विकास टैक्स न लगावें, जो बलुई और बंजर हैं। जितनी सड़कें सूखाग्रस्त क्षेत्र में बनाई हैं, आप उन सड़कों को पक्की बनावें। इन शब्दों के साथ माननीय राजस्व मंत्री जी ने जो अनुदान पेश किया है उसका मैं समर्थन करता हूं।

*श्री मुहम्मद मसूद खां (जिला आजगढ़)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो हमारी चन्द दिक्कतें हमारे जिले की हैं, उनको मैं रखना चाहता हूं। मान्यवर, रेवन्यू डिपार्टमेन्ट का पूरा अधिकार मंत्री जी को हासिल नहीं है जिससे काफी दिक्कतें पैदा होती हैं। जैसा कि हमारे साथी राम बचन जी ने कहा है माल के जितने मोहकमें हैं उन सब का अख्तियारात रेवेन्यू डिपार्टमेंट को मिलना चाहिये। चाहें वह ट्रान्सफर के हों या और किसी चीज के बारे में हो। मेरा विचार है कि तभी जाकर भ्रष्टाचार कम होगा। हमारे यहां एक तहसील है वहां की बड़ी शिकायतें हैं। वहां के तहसीलदार ने गबन भी किया है। यहां तक कि इलेक्शन के जमाने में जो लेखपालों की ड्यूटी लगी थी तो उनको जो टी0 ए0 मिलना चाहिये था वह भी उसने ड्रा कर लिया। हमारे जिले में यह आम किस्म की बात हो गयी है। इस व्यक्ति के 3-3 बार ट्रान्सफर किये गये लेकिन वह सभी रुक गये। मेरा सुझाव है कि राजस्व मंत्री जी इन कार्यों को अपने हाथ में लें।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री रघुराज सिंह (जिला देवरिया)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस तहसीलदार का नाम ये ले रहे हैं उसका नाम अनिरुद्ध सिंह है और वह बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं। राज्य सरकार ने उनको कल अच्छे कार्यकर्ता के नाते पुरस्कार दिया है और सर्टीफिकेट दिया है। पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा जमीन हरिजनों को इसी तहसीलदार ने एलाट की है और उनको कब्जा दिलाया है। और ये उसकी शिकायत कर रहे हैं।

श्री मुहम्मद मसूद खां—

माननीय स्पीकर साहेब, जो बात मैं कह रहा था वह सिद्ध हो गयी। यही मेहरबान हैं जो उसके दरम्यान में है। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि चकबन्दी के सिलसिले में नक्शा बनाया जाता है। उसमें बड़ी बेईमानी होती है। आपसे मेरा निवेदन है कि आप इस कार्य में उन अधिकारियों को न लगाये आखिरी उम्र में पहुंच गये हों। ऐसे आदमियों को रिकार्डअरेंजमेन्ट में न रखा जाये। इस सम्बन्ध में प्रत्येक कर्मचारी की रिसपान्सिबिलटी फिक्स कर दी जाये। जब तक रिकार्ड मुकम्मिल न हो जाये तब तक वहां से उनको हटाया जाये। बोर्ड आफ रेवेन्यू की रूलिंग हो गयी है कि इसमें अमेन्डमेंट होना चाहिये। इसी तरह से हदबन्दी होती है जो उसमें भी बहुत भ्रष्टाचार है। इस सम्बन्ध में जहां पर भी कोई गड़बड़ी मिले तुरन्त ही इन्सपेक्शन कराया जाये। बहुत से लोग ग्राम समाज के हुक्म में काबिज हो गये हैं इस किस्म की कार्यवाही तुरन्त करके एक अभियान चलाया जाय। जैसे आपने वसूली का एक अभियान चलाया है वैसे ही आप इसके लिए एक अभियान चलायें वरना आपकी जो चकबन्दी की स्कीमें हैं, वे सारी नाकामयाब हो जायेंगी।

हमारे यहां और मैं समझता हूं कि हर जिले में मुकदमों के फैसलों में इतनी देरी होती है कि सालों गुजर जाते हैं, उनका फैसला नहीं हो पाता है। मुझे ऐसा मालूम होता है कि इसमें कुछ गड़बड़ी हो रही है, कानून का दुरुपयोग हो रहा है। अगर एक पक्ष यह समझता है कि हम इसे लिंगर करा लें तो वह करा लेता है। वह एक दरख्वास्त देता है, हर्जे के 5 रुपये लगाकर वह कमिश्नर के यहां पर अपील करता है, अपील कमिश्नर के सामने न जाकर उसके दफ्तर में पड़ी रहती है और 5 रुपये देकर वह मिसल को तलब करा लेते हैं। तो इस तरह से दरख्वास्तें देकर, वह टलवा देता है। 10–10 साल हो गये हैं कि मुकदमों के फैसले नहीं हो पा रहे हैं। कानून का खुले तौर पर दुरुपयोग हो रहा है।

इसके अलावा जो हमारे यहां पर खास दिक्कत हो रही है वह यह है कि फर्जी सुलहनामें हो जाते हैं। असली मालिक कलकत्ता में है, लेकिन फर्जी आदमियों को खड़ा करके सुलहनामें करा लिये जाते हैं। नम्बरी दावा हो सकता है लेकिन उसको भी तबालत दी जाती है। या तो वह आदमी मिल जाता है और फैसला कराने की नौबत ही नहीं आती है। मेरी प्रार्थना है कि मंत्री जी इस पर भी आवश्यक कार्यवाही करें।

एक चीज और माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके तवस्सुम से माननीय मंत्री जी से अर्ज करना चाहता हूं। आपने जो गरीब किसानों पर विकास कर लगा दिया है वह एक जुल्म है। अगर वह रुपया जो विकास कर के रूप में सरकार को मिलता है, उसे किसानों के ऊपर दूसरे तरीकों से उन्हीं के ऊपर खर्च किया जाय, दूसरी स्कीमों पर न लगाया जाय तो शायद कुछ उनकी तरक्की हो सकती है।

एक बात मुझे लैंडलैस लेबरर्स के बारे में कहनी है। मैंने स्वयं देखा है कि मऊ और मुबारकपुर में बुनकरों के पास न घर और न अपने कारोबार को करने की जगह है। मेरी प्रार्थना है कि जिन बुनकरों के पास न मकान है और न ताने बाने के लिये जमीन है, उनको भूमि दी जाय और उस पर उनको कब्जा भी कराया जाय।

आखीर में मुझे यह अर्ज करना है कि जो जमीन सीलिंग से या ग्राम समाज से निकले, या दूसरे तरीकों से निकले, उनका सही इस्तेमाल कराया जाय। इस सिलसिले में बिना

कानून में तरमीम किए इन्तजाम के साथ मौके पर डिमारकेशन कराके कब्जा जब तक नहीं दिलाया जायगा तब तक कानून की मंशा पूरी नहीं होगी।

इन अल्फाज के साथ मैं माननीय त्रिवेणी सहाय द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और जो बजट पेश किया गया है उसका विरोध करता हूं।

श्री राम सुन्दर पांडेय—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर जिससे प्रदेश की साढ़े आठ, नौ करोड़ जनता का सम्बन्ध है, बोलने का अवसर दिया। मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन और विरोध पक्ष द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में जमीन कई प्रकार की है। और जब जमीन कई प्रकार की है तो मालगुजारी भी कई तरह की होनी चाहिये। जमीन की मालियत पर ही मालगुजारी निर्धारित होनी चाहिये। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जब अंग्रेज हमारे देश में थे उस समय जो जमींदार थे उन्होंने अपने-अपने इलाके में जो-जो मालगुजारी का फैसला किया, वह मालगुजारी का अंश आज भी चला आ रहा है। मैं राजस्व मंत्री जी से निवेदन करुंगा कि इससे हमारे प्रदेश का कोई भाग बाकी नहीं है जहां लोग दुखी न हों। मेरे गांव के पास एक छोटा सा मझौवा गांव है जिसकी जमीन बिल्कुल बालू है। लेकिन उसकी मालगुजारी (सर्किल रेट से) 13 रुपये एकड़ है और जसी के पास में जो अच्छी जमीन है, उसकी मालगुजारी 2-3 एकड़। इसी से अन्दाज लगा सकते हैं कि आज के जमाने में जो सरकार ने विकास कर लगा रखा है अगर वह उनको अपने मन से देने की बात हो तो दे नहीं सकते हैं। लेकिन अपनी जमीन के बचाव के लिये तकलीफ उठा कर विकास कर और मालगुजारी देते हैं। इसलिये मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इस प्रकार का सर्वेक्षण सारे प्रदेश में होना चाहिये कि भूमि की मालियत के अनुसार मालगुजारी का फैसला होना चाहिये।

अध्यक्ष जी, आपको याद होगा, हमारे स्वर्गीय नेता डा0 लोहिया कहा करते थे और सोशलिस्ट पार्टी की यह पालिसी रही कि जमीन की हैसियत के मुताबिक उसकी मालगुजारी का फैसला होना चाहिये। लेकिन हम उसको कर नहीं पाये हैं। मैं सरकार से सादर आग्रह करूंगा कि मालगुजारी का फिर से निर्धारण होना चाहिये। उन खेतों पर विकास कर नहीं लगना चाहिये जो नदी की तलहटी में हैं। हमारे साथी काशीनाथ जी मिश्र ने इस हाउस में दो-दो बार सवाल उठाया है और मुख्य मंत्री जी ने एलान किया है कि जो जमीन बालू वाली है उस पर विकास कर नहीं लेंगे। लेकिन क्षमा करेंगे राजस्व मंत्री जी, जो जमीन दो नदियों के बीच में है, जिसमें कोई चीज पैदा भी नहीं हो सकती है, गरीब आदमी अपनी रोटी को चलाने के लिये कुछ करता है, उससे भी मालगुजारी और विकास कर लिया जाता है और जो जमीन पानी में है उसकी भी मालगुजारी और विकास कर लिया जाता है। मैं राजस्व मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने हमारे कहने पर एक अफसर को खासतौर पर हमारे जिला आजमगढ़ में भेजा था। जो खेत दरियाबुर्द हैं उन पर मालगुजारी और विकास कर नहीं लगना चाहिए। सात साल से, चौधरी चरण सिंह के मुख्य मंत्रित्व काल से 4-5 लाख रुपया उन किसानों का आज भी बाकी है, जिनके खेत दरियाबुर्द हैं उन पर मालगुजारी और विकास कर लगता चला जा रहा है। मैं जिस जिले से और जिस क्षेत्र से आता हूं उस जिले और क्षेत्र की दो तहसीलें तो घाघरा नदी के किनारे बसी हुई हैं और 4 तहसीलें ऊसर हैं। राप्ती नदी घाघरा में मिलती है। जो राप्ती नदी गोरखपुर और देवरिया

[श्री राम सुन्दर पांडेय]

जिलों को प्रभावित करती है बाढ़ से वह आजमगढ़ में मिलती है लेकिन आजमगढ़ को बाढ़ पीड़ित नहीं माना और गोरखपुर, देवरिया को मान लिया। वहां हजारों लड़के ऐसे हैं जिनकी फीस हम नहीं दे सके और राजस्व मंत्री जी उनकी कोई सहायता नहीं कर सके।

चकबन्दी के सम्बन्ध में एक शब्द और कहना चाहूंगा। इनके चकबन्दी आयुक्त के कार्यालय में भ्रष्टाचारी अफसर लोग हैं और मा0 माल मंत्री की बात को भी नियुक्ति विभाग मानता नहीं है। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि जिसकी चरित्र पुस्तिका घूस लेने की रही वह लोग आज चकबन्दी में अफसर हैं। ऐसे लोग चकबन्दी को उज्जवल नहीं कर सकते हैं। इसलिये मैं जोरदार वाक्यों में कहना चाहता हूं कि चकबन्दी विभाग से भ्रष्ट-अधिकारियों को निकाला जाय। इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

*श्री हरीश कुमार गंगवार (जिला बरेली)—

मैं, 2–3 बातें कह कर कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करना चाहता हूं। प्रदेश के जिन जिलों में सबसे पहले चकबन्दी हुई है वहां की हालत बहुत खराब है। उस समय नया-नया कानून बना था, न तो उसे जनता समझती थी, न अधिकारी ही समझते थे और कानून में काफी कमियां भी थीं। इस कारण चकबन्दी एक मजाक बन गयी थी। प्रदेश की 17 तहसीलों में जहां सबसे पहले चकबन्दी हुई थी उसमें एक एक काश्तकार के 8-8 चक बने हुये हैं, चक रोड छोड़ी नहीं गयी है, गूलों की कोई व्यवस्था नहीं की गयी है, आने-जाने के साधन नहीं रखे गये हैं। गांव सभा तक की जो जमीन थी उसके भी 8–10 चक हैं और एक एक चक कहीं पर है तो दूसरा चक कहीं और है। एक ही जगह सब चक न होने से इन्तजाम करने में बड़ी दिक्कत आती है। कोई काश्तकार कहीं से निकल नहीं सकता है। कल ही मुझे एक शिकायत मिली है कि एक काश्तकार की बैलगाड़ी गन्ने से भरी हुई खड़ी है। उसके निकलने का रास्ता नहीं है। जहां से उसे निकलना है वहां दूसरे आदमी का खेत है, जहां से वह निकलने नहीं दे रहा है। तो इस तरह की परेशानियां आये दिन हो रही हैं। इसलिये मैं अनुरोध करूंगा कि गांव सभा के हित में और जनता के हित मे वहां की चकबन्दी पुनः करायें जहां सबसे पहले हुई है और इस तरह की खामियां रह गयी हैं। मैंने राजस्व मंत्री जी को तथा मुख्य मंत्री जी को लिख कर भी दिया है। बरेली जिले में चकबन्दी पुनः करायी जाय। इसमें अगर एक दो करोड़ रुपया खर्च भी हो जाता है तो सरकार को उसे करना चाहिये। काश्तकार तो पहले ही खर्चा सारा दे चुका है।

एक बात और कहना चाहता हूं। रेवेन्यू विभाग हमारे जिले में रिसेप्शन विभाग बन गया है। चाहे गवर्नर जाये, चाहे मिनिस्टर जायें, वहां के अधिकारी उनके रिसेप्शन में ही लगे रहते हैं। जब भी यह लोग जाते हैं कोई अधिकारी नहीं मिलता। मालूम करने पर यही पता चलता है कि एस0 डी0 ओ0 साहब सर्किट हाऊस गये हैं, तहसीलदार साहब मिनिस्टर साहब की चाय–पानी का इन्तजाम कर रहे हैं। सारे अधिकारी स्वागत में लगे रहते हैं। उनके यहां मुकदमें दो दो, तीन-तीन साल के पड़े रहते हैं। अभी हमारे यहां बरेली में भूतपूर्व मंत्री श्री धर्मदत्त वैद्य की लड़की की शादी थी। उसमें गवर्नर साहब भी मौजूद थे, श्री जगदीश शरण अग्रवाल व माननीय नारायण दत्त तिवारी जी भी थे, कमलापति त्रिपाठी जी भी थे, कई मिनिस्टर वहां थे। 3–4 दिन पहले से ही सारे अधिकारी उनके स्वागत आदि में लगे थे। सरकारी काम तो कुछ हो ही नहीं रहा था। कचहरी में कोई अधिकारी नजर नहीं आ रहा था। इसलिये मेरा निवेदन है कि आप हर जिले में एक रिसेप्शनिस्ट आफिसर को नियुक्त कर दें, भले ही इसमें कुछ खर्च हो जायेगा, मगर इन अधिकरियों को कुछ काम करने का अवसर मिल जायेगा जिससे जनता का भला होगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एक बात और निवेदन करूंगा । जमींदारी एबालिशन ऐक्ट की धारा 112, 115-बी व 122 मजाक बन कर रह गयी हैं । दो ढाई साल हो गये, एस0 डी0 ओ0 और तहसीलदार की अदालत में मुकदमें पड़े हुए हैं और वह तय नहीं हो पाता। जब देखिये वे गायब रहते हैं। ऊपर से उन लोगों ने मकान बना लिये हैं, या उन पर नाजायज कब्जा कर लिया है और मुकदमे का कोई असर नहीं होता । अगर कोई तय करने वाली बात हुई तो अपील कर्त्ता देते हैं । इसका कारण यह है कि आपका कानून ही ऐसा बना हुआ है जिसकी वजह से गांव समाज की सम्पत्ति बच नहीं पायेगी । पहले लेखपाल लूटते थे और अब प्रधान वहां की सम्पत्ति को लूट रहे हैं। गांव सभा के पास कोई सम्पत्ति न रहने का कारण आपके कानून की खामियां हैं । 122 के मुकदमे हमने तमाम दायर कर रखे हैं, ढाई साल हो गये लेकिन उनका कोई जजमेन्ट नहीं हो पा रहा है, मुकदमे की कोई सुनवाई नहीं होती है । इस तरह से गांव समाज की सम्पत्ति की रक्षा नहीं हो सकती है । जो पैनल लाइयर आपने लगा रखे हैं, उनको केवल 5 रुपये एक मुकदमे के लिये मिलता है । नतीजा यह होता है कि अगर एक मुकदमा कोई ढाई साल तक चलेगा और पैनल लाइयर वहां जायेगा तो 5 रुपया उसे मिलेगा। आजकल 5 रुपये में कौन काम करेगा ? इसका नतीजा यह है कि पेनल लाइयर के न जाने से गांव समाज के मुकदमे की पैरवी सही तरीके से नहीं हो पाती । इसलिये या तो आप यह कीजिये कि या तो पैनल लाइयर ठीक ढंग के बनाइये या उनके मुआविजे को बढ़ाइये, क्योंकि कोई भी लाइयर 5 रुपये में मुकदमा करने नहीं जा सकता है।

इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आपने जो यह सीलिंग का कानून बनाया हुआ है, इसके अन्दर आप इस सरकार के जितने मिनिस्टर्स हैं उनकी जमीन की जांच कीजिये। कहा गया है कि उन्होंने जमीन चोरी की है। सब लोग इस बात को जानते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता। न नाम लेने की यह प्रथा पड़ी हुई है, इसलिये मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि जितने मिनिस्टर्स आज इस कैबिनेट के अन्दर हैं और सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट के अन्दर उत्तर प्रदेश के मिनिस्टर्स हैं उनकी जितनी सम्पत्ति है, जितनी जमीन है, उसकी जांच की जाय और पता लगाया जाय कि किस तरह से उन्होंने उस जमीन को हड़पने की कोशिश की है, चोरी की है और फर्जी नामों से अपनी जमीन को बचाया है । हजारों एकड़ के फार्म इन मिनिस्टरों के आज मौजूद हैं ।

इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि काश्तकारों की जमीन का इन्तजाम तो आपने किया है लेकिन उसकी फसल का कोई इन्तजाम नहीं किया है । आज आलू की कीमत गिर रही है जिससे आलू बोने वालों को बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है। आप उसकी कीमत नहीं तय कर रहे हैं जिस तरह से गेहूं की कीमत को तय करते हैं। इसकी वजह से किसानों को बहुत नुकसान हो रहा है। आप फसलों की कीमत नहीं तय कर रहे हैं इससे किसानों को बहुत नुकसान हो रहा है। इसलिये आप इनकी कीमत तय करने की तरफ कदम उठावें वरना काश्तकार मारे जायेंगे । श्रीमन्, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया ।

*श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान, यह जो विभाग की तरफ से एक किताब बंटी है उसके पृष्ठ 5 की तरफ खींचना चाहता हूं । इसमें लिखा है--"ग्रामीण क्षेत्रों में खातेदारों के मध्य असमानता और कम करने तथा अतिरिक्त घोषित भूमि का वितरण अनुसूचित जाति, अनु-

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री काशी नाथ मिश्र]

सूचित जनजाति के व्यक्तियों के एवं भूमिहीन खेतिहर मजदूरों में किये जाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (संशोधन) अधिनियम, 1972 द्वारा महत्वपूर्ण परिवर्तन किये गये हैं। यह अधिनियम 8 जून, 1973 से लागू हुआ है। नवीन प्राविधानों के अन्तर्गत माह दिसम्बर, 1974 तक 92,704 एकड़ भूमि अतिरिक्त घोषित किये जाने के आदेश निहित अधिकारियों द्वारा दिये जा चुके हैं। इन आदेशों के विरुद्ध अपीलें दायर होती है और अपीलों के निस्तारण के उपरान्त अतिरिक्त भूमि की घोषणा का प्रकाशन गजट में होता है। इस पर आपत्तियां प्राप्त होने की दशा में उनके निस्तारण के उपरान्त अन्तिम रूप से अतिरिक्त भूमि मिलती है जिसका कब्जा शासन की ओर से लिया जाता है। इन सभी कार्यवाहियों के निस्तारण के उपरान्त दिसम्बर, 1974 के अन्त तक 796 एकड़ भूमि पर कब्जा लिया जा चुका है। इसमें से 182 एकड़ का बन्दोबस्त हरिजनों व भूमिहीन खेतिहर मजदूरों के साथ किया गया है। शेष भूमि के आबंटन की कार्यवही चल रही है"।

मान्यवर, 92704 एकड़ जो अतिरिक्त भूमि घोषित की गयी है, उन पर मुकदमा करने के उपरान्त भी अभी तक दो वर्ष में केवल 796 एकड़ पर कब्जा लिया गया है और इनमें से केवल 182 एकड़ का ही आवंटन किया गया। इस तरह से यह काम होता रहा तब तो पचासों साल लग जायेंगे इस भूमि के आबंटन में। अभी परसाल माननीय मंत्री जी ने सदन में कहा था कि मार्च, 75 तक सारी अतिरिक्त भूमि जो है उसका फैसला हो जायगा। लेकिन अध्यक्ष महोदय, हम मार्च, 75 में बैठे हैं कुछ नहीं हुआ है। लाखों एकड़ करोड़ों एकड़ जमीन पड़ी हुयी है इसका कोई हल नहीं निकाला गया है। मान्यवर, मैंने अखबार में पढ़ा था कि पाटिल साहब को यहां पर अध्यक्ष बनाया गया है। मान्यवर, भूदान यज्ञ में जो घपला हुआ है उसके लिये राजस्व मंत्री, उसको ठीक करने के लिये उनको बिल पेश करना पड़ा। इस कमेटी में खुद ही बड़े बड़े लोग जो चोर थे, उनमें से ले लिया। इसको ठीक करने के लिये आपको कानून बनाना पड़ा। तब यहां क्या होगा।

अध्यक्ष महोदय, एक कहावत याद आ गयी, भोजपुरी की है। 'जो ही छिनरा, वही डोली के संग'।

तो बांटने केलिये जो किया जा रहा है, उससे जमीन बंट नहीं सकती है। मैं राजस्व मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि तमाम जमीन जो है वह भूमिहीनों में बांटी जाय तो जो आपके अफसर हैं उनको ठीक करना पड़ेगा। आज अगर कोई दरखास्त दो तो होता है कि जिलाधीश टु रिपोर्ट, जिलाधीश बलिया कहता है एस0 डी0 एम0 टु रिपोर्ट, एस0 डी0 एम0 लिखता है तहसीलदार टुरिपोर्ट, तहसीलदार लिखता है, नायब तहसीलदार टुरिपोर्ट, नायब तहसीलदार लिखता है, कानूनगों टु रिपोर्ट, कानूनगो आखिर में लिख देता है, लेखपाल टु रिपोर्ट। इस तरह से ऊपर से नीचे तक मामला चलता है। इस विभाग में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। मैं कहता हूं कि इससे वाहियात और रद्दी विभाग और कोई नहीं है। अफसरों से लेकर नीचे तक के कर्मचारी सब लूट-खसोट में लगे रहते हैं। कोई सुनने वाला नहीं है। जो बाढ़ और सूखा सहायता दी जाती है, जिसको गरीबों को मिलना चाहिए वह गरीबों को न मिलकर सब फर्जी नामों पर दिखला कर बंट जाती है। अफसर और कर्मचारी मिलकर सब हड़प जाते हैं। इसके अलावा तहसील में जो लग्गू-भग्गू बैठे रहते हैं वह यह सहायता ले जाते हैं। गरीब बेचारे को कुछ नहीं मिलता।

अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि अगर सही मानों में जो जमीन सीलिंग की है उसको बांटना चाहते हैं तो आपको प्रतिबंध लगाना होगा। आप कांग्रेस पार्टी के 54 एम0 एल0 ए0 को छांट कर एक-एक जिले के लिये एक-एक को कर दें। मैं यह नहीं कहता कि सब कांग्रेस के ही हों जो हमारे विरोधी दल के ईमानदार लोग हैं उनको भी इसमें रख दें। फिर देखेंगे कि कैसे बंटवारा नहीं होता है। एक सप्ताह 10 दिन के अन्दर यह किया जा

सकता है। ह्विअर इज द विल, देयर इज द वे। यह जो कागजी काम दिखलाया जा रहा है, उससे आप कुछ नहीं कर सकते।

(मेजों को थपथपाने की आवाजें)

मान्यवर, एक बात और कहना है। कहा गया था कि 15 मार्च तक जो लोग झोपड़ी जिन जमीनों पर अपनी बनाये हैं उनको उनके नाम दर्ज कर दिया जायगा। मैं जिस जिले का रहने वाला हूं वहां जिनकी झोपड़ियां, गरीबों के घर, हरिजनों के घर जिस जमीन पर बने हुये हैं अभी तक रिकार्ड नहीं हुये हैं। रिकार्ड में मालिक का ही नाम दर्ज है। मैं उदाहरण देना चाहता हूं बेलहरी का। अधिकारी चाहे तो सब बातों का पता लगा सकता है। वहां जिस भूमि पर भूमिहीन लोग बसे हुये हैं वह नक्शे में और कुछ दर्ज है। मैंने इसकी शिकायत एस0 डी0 एम0 और कलेक्टर से की है। 100 बीघे में जहां यह बसे हैं श्रीमन्, नक्शा दूसरे ढंग से बना हुआ है। जहां मकान होना चाहिये वहां खेती का नक्शा बना हुआ है और जहां खेती है वहां दूसरा नक्शा बना हुआ है। अगर कोई चेक करने वाला अधिकारी जाय तो यह आसानी से चेक हो सकता है। जहां पर आबादी है वहां पर खेती का नक्शा बना हुआ है। इस तरह की धांधले बाजी जो कर रहे हैं उनके खिलाफ आप कोई कदम उठाना नहीं चाहते हैं।

अभी मैंने देखा कि लोगों को इनाम दिये गये हैं। एक तहसीलदार को इनाम दिया गया है। मैं कहना चाहता हूं इतने तहसीलदार हैं, इतनी तहसीलें हैं केवल एक आदमी को इनाम दिया गया है। मान्यवर, मेरा तो विश्वास है कि यह सभी भ्रष्टाचार रहा होगा। मान्यवर, मैंने लिस्ट देखी जिनको इनाम दिया गया है। बलिया के एक थानेदार का नाम भी उसमें मैंने देखा। मैं कहना चाहता हूं कि इससे बड़ा भ्रष्ट थानेदार मिलना मुश्किल है। ऐसे ही लोगों को इनाम दिया जाता है। भ्रष्ट अधिकारियों को इनाम दिया जाता है।

(मेजों को थपथपाने की आवाजें)

मैं तो कहता हूं कि ऊपर से नीचे तक अधिकारी भ्रष्ट हैं। नीचे वाले अधिकारियों को जो बड़े अधिकारी को खुश किये रहता है उसको बड़ा अधिकारी लिखता है कि 'गुड'। इस तरह से ऊपर से लेकर नीचे तक भ्रष्टाचार चलता है। मैं इन चीजों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

एक तरफ पश्चिमी जिलों को देखें और दूसरी तरफ देवरिया, बस्ती, बलिया को देखें जहां औरतें अपने कपड़ों में पेबन्द लगाये रहती हैं। देख कर दिल दहल जाता है। एक तरफ सूबे में यह हालत है दूसरी तरफ यह हालत है कि लोग मौज कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि यह लाखों एकड़ जमीन जो है, जिसका जिक्र मंगल देव विशारद जी की कमेटी की रिपोर्ट में किया गया है। यह जो बड़े-बड़े फार्म्स हैं, लाखों एकड़ के हैं उन लाखों एकड़ जमीन को पूर्वी जिले में यदि नहीं बांटा तो वहां का गरीब आदमी विद्रोह करने के लिये मजबूर हो जायेगा। इसलिये मैं अनुरोध करूंगा कि 277 जो बड़े-बड़े फार्म हैं उनको बंटवाये लेकिन मौजूदा कानून जो बनाये हैं उससे आप नहीं बांट सकते हैं। ग्राम समाज की जमीन पर बड़े-बड़े लोग कब्जा किये हैं और फर्जी दूसरे लोगों को लिखा देते हैं। यदि 115-सी का मुकदमा भी चलता है तो वह दूसरे के खिलाफ चलता है जिसका कि कोई पता ही नहीं रहता है। इस तरह वह लोग पूरी फसलें काटते रहते हैं और उससे हजारों रुपये की आमदनी करते हैं। यदि मामला पकड़ में आ जाता है तो दो चार सौ जुर्माना हो कर केस खत्म हो जाता है। मान्यवर, सीलिंग से निकली हुई जमीन को लेने का आपके पास सक्षम कानून नहीं है। कचहरियों और अदालतों में भूमिहीनों के साथ अन्याय होता है। बड़े लोगों का पक्षपात

[श्री काशी नाथ मिश्र]

किया जाता है और राजनीति चलती है। अमीरों के पक्ष वाला अधिकारी गरीबों का पक्ष कभी नहीं करता है। इसलिये इसमें परिवर्तन करना होगा और इसके लिये एक कमेटी नियुक्त करके ठीक व्यवस्था करें। इसके साथ मैं इसका समर्थन करता हूं।

*श्री त्रिवेणी सहाय——

माननीय अध्यक्ष जी, राजस्व मंत्री के प्रस्ताव पर मैंने कटौती का प्रस्ताव रखा और उसका समर्थन इधर के माननीय सदस्यों ने किया। मुझे खुशी है कि कांग्रेस में भी ऐसा एक मर्द पैदा हुआ जो कम से कम खड़े होकर ललकारता तो है और वह सुनते हैं। मैं काशी नाथ मिश्रा जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कहकर नहीं लेकिन सही रूप में हमारे कटौती के प्रस्ताव का समर्थन किया।

मान्यवर, मैं सीलिंग के बारे में कहना चाहता हूं कि अभी जो उधर से कहा गया कि भूमि जांच समिति बनाकर इस सरकार ने बड़ा कमाल किया तो मेरा कहना है कि भूमि जांच समिति बनाकर जो उसने जमीन आबंटित करने की सिफारिश की है वह 10 लाख एकड़ तक की बात थी। मंगल देव विशारद जो उसके चेयरमैन थे वह भी इस्तीफा देकर बगल हो गये और चार्ज लगा दिया कि यह जमीन बांट नहीं सकते हैं क्योंकि जमीन बड़े-बड़े लोगों के हाथ में है। हाई कोर्ट में 300 रिटें हुई हैं। सीलिंग में जो प्राविधान किया गया है उससे बुन्देलखंड और मिर्जापुर में 27 एकड़ या 22 एकड़ तक जमीन दी जायेगी। उसका परिणाम हुआ कि हाई कोर्ट में 300 रिटें दाखिल हैं और उनको इस बात पर स्टे दिया गया कि इस विधेयक में 2 प्राविधान रखे गये हैं जो कि अच्छे नहीं हैं। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करूंगा कि इस ओर वह कम से कम ध्यान दें कि जो सीलिंग ऐक्ट के खिलाफ रिटें दाखिल हो रही हैं, जिनको बड़े-बड़े लोग जो जमीन चोर हैं वह कर रहे हैं क्योंकि ऐक्ट में दो प्राविधान रखे गये हैं, इसलिये।

दूसरी एक बात और श्रीमन्। जमीन बांटने का जो प्राविधान आपने किया है जमींदारी एबोलीशन ऐक्ट के अन्दर धारा 198 में, वह दो तरह से किया है। ग्राम समाज से जो जमीन निकलती है और सीलिंग से जो जमीन निकलती है उन दोनों तरह की जमीनों को आबंटित करने का प्राविधान किया है, इसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता है ताकि गांव के जो छोटे-छोटे काश्तकार हैं और हरिजन लोग हैं वह जमीन पा सकें। एक प्राविधान आपने किया है कि मिल्ट्री के जो सेवारत कर्मचारी हैं और मर जाते हैं तो उनके परिवार वालों को जमीन देंगे। यह भी है कि स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को जमीन देंगे। मेरा यह निवेदन है कि स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को जो भी सुविधा सरकार दे सके दे लेकिन अगर उनके पास पहले से जमीन है तो उनको जमीन देने का कोई अर्थ नहीं है। अगर आप उनको कोई पारतोषिक देना चाहें तो दें। लेकिन जैसा माननीय काशीनाथ मिश्र ने कहा कि जो लोग गरीब हैं, जिनके बदन पर कपड़े हैं उनको जमीन देने की पहले बात करें। मैं चाहता हूं कि मंत्री जी मेरी इन बातों पर ध्यान देंगे।

*श्री स्वामी प्रसाद सिंह——

श्रीमन्, माननीय सदस्यों ने जो बहुत ही सारगर्भित सुझाव दिये हैं उनसे मैं पूर्ण रूप से सहमत हूं। लेकिन प्रश्न यह है कि कुछ विचार हुआ कि कानून की कमियां हैं, कुछ सुझाव आये कि फला जिले में भ्रष्टाचार है। इस बात से मैं इन्कार नहीं कर सकता कि किसी जगह भ्रष्टाचार नहीं है। लेकिन अगर यह कहा जाय कि यह राज्य सरकार भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन देती है तो यह गलत है। यह भ्रष्टाचार तो इंडिवीजुअल आदमी में है। अगर कोई कर्मचारी_

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

देखता है कि कोई अफसर मुआयने के लिये नहीं आता तो वह नाजायज फायदा उठा लेता है। मैं समझता हूं कि जब से यह विभाग मेरे पास आया तो एक साल के अन्दर जिस पर मेरा अधिकार था यानी चकबन्दी विभाग और कुछ हद तक तहसील स्तर पर तो पिछले सालों में किसी मंत्री के सामने इतना ऐक्शन नहीं हो सका जितना इस वर्ष हुआ है। कम से कम मैं इस बात में और आगे हूं कि किसी के भ्रष्टाचार का सबूत क्या है तो मैं उसके कैरेक्टर रोल पर कम ध्यान देता हूं क्योंकि जैसे हमारे काशीनाथ जी ने कहा कि अगर अफसर खराब है और उसके अन्डर में काम करने वाला ईमानदार है तो उसका कैरेक्टर रोल बिगड़ जायगा, या फिर वह अपनी चरित्र पंजिका सुधारने के लिये अफसर को खुश करने की कोशिश करेगा। इसलिये हम यह उम्मीद करें कि भ्रष्टाचार नीचे से दूर कर सकेंगे तो यह मुश्किल है। भ्रष्टाचार तो ऊपर से ही बन्द हो सकता है। पानी तो ऊपर से ही गिरता है।

कल ही मुझे खबर मिली कि एक सी0 ओ0 तीस चालीस हजार रुपया लेकर होली में जा रहे हैं। मैंने विजिलेंस भेजी। पता नहीं पक ा गया या नहीं लेकिन जिन माननीय सदस्यों ने भ्रष्टाचार की बात कहीं और कहा कि कुत्ता, बिल्ली के नाम से है, फलां के नाम से जमीन है, तो मुझे अफसोस इस बात का है कि किसी माननीय सदस्य ने पर्टीकुलर इन्सटेंस नहीं दिया कि इसमें इन्क्वायरी करवाइये। जहां तक विशारद कमेटी का प्रश्न है, वह मेरे पास दफ्तर में है और मैं आइटम-वार उसको देख रहा हूं और उसकी इन्क्वायरी करवा रहा हूं। आपको मालूम होगा कि लखनऊ शहर का एक 10 मील का सर्वे कराया गया है और उसकी बड़ी लिस्ट है। लेकिन रेवेन्यू विभाग में जब किसी बात का इन्द्राज है तो यह कह कर कि यह गलत है, उसको काटा नहीं जा सकता जब तक कि इसको एग्जामिन न कर लिया जाय। इसलिये यह बात कहना कि सरकार करप्शन को हटाना नहीं चाहती, यह बात ठीक नहीं होगी।

विशारद कमेटी पर इधर के और उधर के माननीय सदस्यों ने कहा। यह प्रश्न कई मर्तबा इस सदन में आ चुका है। विशारद कमेटी में कुछ तो सुझाव ऐसे हैं जो शासन की शक्ति के बाहर हैं, जो आर्थिक है, जैसे हर हरिजन को मकान बनाने के लिये रुपया दिया जाय। लेकिन उस कमेटी के आधे से ज्यादा प्रस्ताव ऐसे हैं जो करीब-करीब इम्पलीमेन्टेशन हो चुके हैं। बाकी जो फार्म का प्रश्न है, विशारद कमेटी के सुझाव के बिना पर ही उसमें संशोधन रखा गया है कि जो फार्मों में, सोसाइटी में जो उसमे काश्तकार हैं और अगर उसकी मूल जोत नहीं है तो फार्म सीलिंग के अन्दर आ जायेगा। अगर अदालत से फैसला हुआ है कि जो मैलाफाइडी हैं, तो उसमें आफीसर्स को डिस्क्रीशन दिया है कि वह उसको नल एन्डवाइड कर दे। हम स्टेप-वाई-स्टेप चल रहे हैं। कटौती के प्रस्ताव के सम्बन्ध में कुछ सुझाव आये हैं, मैं ज्यादा समय उसमें नहीं लेना चाहता लेकिन यह जो प्रस्ताव आया है कि सन् 52-53 में जिन क्षेत्रों में चकबन्दी हो चुकी थी, उनमें दुबारा चकबन्दी की जाय क्योंकि उसकी कमी है, तो यह बात सही है क्योंकि जो कन्सोलीडेशन ऐक्ट पास हुआ था वह बहुत डिफेक्टिव था क्योंकि कन्सोलीडेशन के कोई माइने नहीं हैं कि 3-4 चक बनाये जायं। कन्सोलीडेशन के माइने यह हैं कि बिखरे हुये खेतों को एक जगह किया जाय। इस चकबन्दी में अगर कोई ए0 सी0 ओ0 90 प्रतिशत एक चक बनाता है तो उसको इनाम दिया जाता है, दो चक पर कुछ परसेन्ट और 3 चक उसकी डिस्क्वालीफिकेशन मानी जाती है। परन्तु यह मांग कि जो 52-53 में जिन गांवों में चकबन्दी हो चुकी थी और डिफेक्टिव थी क्योंकि उसमें नाली नहीं थी, रोड्स नहीं थे, इसको नहीं माना जा सकता। इस सदन में कई मर्तबा इस सम्बन्ध में प्रश्न आ चुके हैं और मैंने कहा है कि जब तक पूरे प्रदेश के गांवों में चकबन्दी नहीं हो जायेगी क्योंकि जो गांव रह गये हैं उनमें चकबन्दी का कार्य होना बहुत जरूरी है, तब तक उन गांवों में दुबारा चकबन्दी

[श्री स्वामी प्रसाद सिंह]

नहीं की जा सकती क्योंकि जो गांव पहले लिये जा चुके हैं उन्होंने एक फायदा लिया, दुर्भाग्य-वश वह डिफेक्टिव हुआ। इस पंचवर्षीय योजना में दुबारा चकबन्दी उन गांवों में होना भी मुश्किल है।

श्री हरीश कुमार गंगवार—

मैं माननीय मंत्री जी से मिला, दो तीन बार। उन्होंने कहा कि अगर करोड़-दो करोड़ इस पर खर्चा हो जाय तो काम होना चाहिये। तो फिर आपको एकस्ट्रा स्टाफ लगा कर वहां चकबन्दी कराने में क्या दिक्कत है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

अगर राज्य सरकार से कोई अतिरिक्त आर्थिक सहायता मिलती है तो उन गांवों को मैं एक्सपीडाइट करवाऊंगा जहां चकबन्दी नहीं है, लेकिन उन गांवों में जहां चकबन्दी हो चुकी है, दुबारा करवाने का प्रश्न नहीं उठता। इसके बाद जो कानूनी सुझाव माननीय सदस्यों ने दिये हैं विशेषकर 115 (सी) के मुकदमों के सम्बन्ध में यह सही है कि हमारे सूबे में अनधिकार कब्जे बढ़ते जा रहे हैं। इसलिये यह हो रहा है कि लोगों को कानून का भय नहीं है। पट्टा कराया या जबरदस्ती जोत लिया, फिर मुकदमा लड़ना उस पर फैसला लेकर उनके लिये आसान है। यह यह हुआ कि गांव समाज का कोई ऐसा प्रधान आ गया उसको फेवर में कर लिया तो वह खत्म हो जाता है। किसी ने नाजायज पट्टा करके मकान बनवा लिया तो सिविल सूट दायर किया जाय और हाई कोर्ट तक कब्जा नहीं हट पाता है। इस तरह से 115 (सी) को कानून में बदलने की आवश्यकता है। इस पर सेशन के बाद विचार होगा। एक कमेटी इस पर विचार करेगी और यह प्राविधान होगा कि सख्त से सख्त सजा दी जाय। जहां तक मुआविजे की रकमों का सम्बन्ध है यह सही है जब-जब मैंने मुआइना किया तो तहसीलों में यह बात सही है कि जितनी मुआविजे की रकमें थीं वे वसूलयाबी के लिये कार्यवाही में नहीं लाई गयीं।

एक माननीय सदस्य ने कहा था कि बहुत सा रुपया पड़ा हुआ है मैंने हर जिले में एक सर्कुलर रेवेन्यु बोर्ड की ओर से भिजवा दिया है कि (115-सी) की पुरानी फाइलें निकाल कर कब्जा दाखिल लिया जाय और उनसे मुआविजा वसूल किया जाय। आप यह विश्वास रखें कि जितने नाजायज कब्जे हैं भले ही बड़े-बड़े फार्म्स वालों के हों अथवा छोटे हों किसी के साथ रियायत नहीं की जायगी, सबके साथ एक सा व्यवहार होगा। अगर नाजायज कब्जे किये हुए हैं तो कानूनी कार्यवाही बेदखली की की जायगी और ऐक्शन लिया जायगा। मैं आपसे इसलिये प्रार्थना करता हूं कि माननीय सदस्य अपना कटौती का प्रस्ताव वापस लें।

श्री राम अधार—

आजमगढ़ में सगड़ी तहसील के तहसीलदार के बारे में कई आरोप थे लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि अभी तक उनका स्थानान्तरण नहीं किया गया ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

वह एस० ओ० सी० के अन्डर में हैं, मेरे अंडर में नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 7—भू-राजस्व के अंतर्गत मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 7–मू-राजस्व के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 25,53,23,100 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 39–के अन्तर्गत मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 39–दैवी आपदाओं के कारण सहायता के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखा अनुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,38,02,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 71–के अन्तर्गत सम्पूर्ण मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 71–सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 7,43,200 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 75–के अन्तर्गत समस्त मांग की राशि को घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है अनुदान सख्या 75–जमींदारी उन्मूलन के सम्बन्ध में प्रतिकर के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 51,34,100 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 89—ऋण के अन्तर्गत सम्पूर्ण मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 89—ऋण और अग्रिम सहायता एवं पुनर्वासन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 24,23,900 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

कार्यसूची की कुछ मदों का स्थगन

श्री रामायण राय (जिला देवरिया)—

मान्यवर, आज की कार्यसूची में आगे की जो मदें हैं उन्हें किसी दूसरे दिन लिया जाय क्यों कि बहुत से माननीय सदस्य जा चुके हैं.....

श्री अध्यक्ष—

क्या राय है ?

वित्त मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)—

लोग जाना चाहते हैं इसलिये विधेयक पहले ले लें। लोगों को गाड़ी पकड़नी है।

श्री मोतीलाल देहलवी (जिला कानपुर)—

नियम 51 वाले तो आयेंगे.....

श्री अध्यक्ष—

उसमें एक मिनट लगेगा।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष—

नियम 51 की आज 8 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। इसमें एक श्री हरिकेवल प्रसाद और श्री जमुना प्रसाद बोस ने दिया है कि बांदा जिले में आंधी तूफान तथा ओलावृष्टि से रबी की फसल को क्षति पहुंची है। ओला पर वक्तव्य होने वाला है उसी में आ जायेगा। दूसरा जो 105 रुपये प्रति क्विन्टल भाव पर काश्तकारों से गेहूं खरीदने की सरकार द्वारा दी गई सहमति है, उसमें दो घंटे की चर्चा में स्वीकार कर चुका हूं, उसी में ये नाम भी जोड़ दिये जायेंगे। एक माननीय मुलायम सिंह यादव ने भारतीय लोक दल, बरेली के कार्यकर्ता श्री नत्थू-लाल की गोली से हत्या के बार में है, वह केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार किया गया है। एक प्रश्न माननीय मोहनलाल जी कपूर ने दिया है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद्, इलाहाबाद द्वारा संचालित इन्टरमीडिएट परीक्षा का कार्यक्रम त्रुटिपूर्ण है तो इसके सम्बन्ध में.....

श्री मोहनलाल कपूर (जिला मेरठ)—

मान्यवर, सारे प्रदेश में अनिश्चितता व्याप्त है। अप्रैल 3 तारीख से इम्तिहान होने जा रहे हैं और 31 तारीख मार्च से उसका बहिष्कार किया जा रहा है। अब हमारी

असेम्बली 31 तारीख को बैठेगी इसलिये माननीय मंत्री जी बैठे हैं, वे बता दें अध्यक्ष महोदय, कल भी आपने कहा था ।

श्री अध्यक्ष---

मंत्री जी तैयार कहां हैं ?

श्री मोहन लाल कपूर---

अगर आप कहेंगे तो वह तैयार हैं ।

श्री अध्यक्ष---

आप कहना चाहें तो कह सकते हैं ।

बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)---

अध्यक्ष जी, वार्ता जारी है इसलिये इस समय कुछ नहीं कह सकता हूं । शासन पूरा प्रयत्न कर रहा है कि समय पर इम्तहान हो ।

श्री मोतीलाल देहलवी--

मैंने उसे 56 में दिया था उसे आपने 51 में कर दिया । ..... (व्यवधान) इस पर वक्तव्य दिलायें ।

श्री अध्यक्ष---

यह श्री मोती लाल देहलवी ने दिया है कि पाकिस्तानी गिरोह द्वारा कानपुर में अवैध तरीके से नशीली चीजों की सप्लाई से उत्पन्न संकट ।

श्री मोतीलाल देहलवी–

मान्यवर, वह नशीली चीजों की सप्लाई के बारे में है. . . . . .

श्री अध्यक्ष---

अगर कोई ऐसी कार्यवाही हो रही है तो उसकी जांच होनी चाहिये । इसलिये मैं अविलम्ब कार्यवाही के लिये शासन को भेज रहा हूं ।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)---

अध्यक्ष महोदय, एक मैंने दिया था. . . . . .

श्री अध्यक्ष---

उसके लिए आप पहले अल्पसूचित प्रश्न करें।

अब यह जो दो आइटम हैं 16 और 17 इनको पीछे लेंगे । समय होगा तो आज, नहीं तो दूसरे दिन लेंगे । अब राजस्व मंत्री जी कार्य सूची 18 का प्रस्ताव करेंगे ।

उत्तर प्रदेश अधिकतम सम्पत्ति सीमा (अन्तरण पर अस्थायी निर्बन्धन) (संशोधन) विधेयक, 1975

राजस्व मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद सिंह)---

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश अधिकतम सम्पत्ति सीमा (अन्तरण पर अस्थायी निर्बंधन्न) (संशोधन) विधेयक, 1975, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार किया जाय ।

*श्री मोहन लाल कपूर (जिला मेरठ)---

अध्यक्ष महोदय, यह बिल 1972 में सबसे पहले आया था और 72 से समय लगते-लगते आज 75 हो गया है और उसमें भी सरकार अभी तक यह निश्चय पर नहीं पहुंची है कि यह बिल किस प्रकार का होगा, किस प्रकार से सीमा जो है शहरी सम्पत्ति की बनाई जायेगी। इससे तो साबित होता है कि सरकार कोई निश्चय पर नहीं पहुंची है बल्कि यह एक राजनीतिक स्टन्ट है। जिस तरह से चीनी मिलों के राष्ट्रीय करण का प्रश्न लटका है उसी प्रकार से यह भी है और एक पोलिटिकल स्टन्ट इस बात का बनाया है। अभी भी जो समय मांगा है वह 9 महीने का एक साथ मांग लिया है तो यह बात मेरी समझ में नहीं आती है। मान्यवर, 31 मार्च 1975 को समय समाप्त हो रहा है उसके बाद उन्होंने जो समय मांगा है वह दिसम्बर, 1975 तक का मांग लिया है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि 9 महीने तक भी इस बिल को लाने में समर्थ नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष---

आपका तर्क तो आपके खिलाफ भी चला जायेगा।

श्री मोहन लाल कपूर---

अध्यक्ष महोदय, यह सरकार और सरकारी अधिकारीगण बिल बनाने में पूर्णतया असमर्थ हैं कहना चाहिये बुद्धि का दिवालियापन ही सामने आ रहा है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यह बिल महत्वपूर्ण है, जनता के हित में है। यह केन्द्र के ऊपर बात डाल रहे हैं परन्तु केन्द्र सरकार भी जिस बिल की रूपरेखा लेकर आई है उसमें भी शहरी सम्पत्ति में धरती की सीमा की बात है परन्तु भवन के सम्बन्ध में बात नहीं है। इस लिये केन्द्रीय सरकार की रूप रेखा या यूनिफारमिटी की बात करते हैं तो यह टालने का प्रयत्न है। वैसे विरोध पक्ष को कोई समय भी इस बात का नहीं दिया गया कि इसमें कोई संशोधन भी प्रस्तुत किया जा सके। आज ही केवल सुबह कार्य मंत्रणा समिति में यह प्रश्न लाया गया और शाम को यह एक दम से पारित कराने की बात हो इससे भी सिद्ध है कि यह विचार करने के लिये भी तैयार नहीं हैं, किसी संशोधन के लिये तैयार नहीं है, अनियमित रूप से ही क्यों न हो, इस बिल को पास कराना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा इतना ही सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस 9 महीने की सीमा के बाद भी आप समय बढ़ायेंगे या आप इस सदन को कोई आश्वासन देंगे कि इसके बाद कोई समय नहीं बढ़ाया जाएगा और इसके बाद पास करा लिया जाएगा।

श्री पुरूषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)---

9 महीने के बाद तो भ्रूण की खराबी की स्थिति में समय बढ़ता है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)---

माननीय मुख्य मत्री जी से और इधर के पक्ष से भी निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार कम से कम इन लोगों को यह कहने का मौका न दे कि यह आपकी नीयत पर शक करना शुरू कर दे। यह आपका प्रस्ताव बहुत पुराना था और देश विदेश की जनता ने इसका स्वागत भी किया था। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस सम्बन्ध में शीघ्र से शीघ्र बिल लाइये। जिस दिन आप इसको सदन में लाएंगे, हमारे विरोध पक्ष के लोग खड़े हो जाएंगे। इसलिये इनका चेहरा साफ करने के लिये आप जल्दी से जल्दी इस बिल को सदन में लाएं।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)---

ठीक है, हमारे नेगी साहब तो अंदाज लगाने में बहुत तेज हैं और वह अन्दाज लगाकर बोल सकते हैं और यह उनको अधिकार भी है। लेकिन इस बिल के बारे में उन्हें सबसे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पहले बोलना चाहिये था, क्योंकि वह बहुत समझदार हैं। यह 24 जुलाई, 72 को बिल इसी विधान सभा में पास किया गया था, उसी समय इसमें इस बात का प्राविधान किया गया था कि जल्दी ही निर्णय कर लिया जाएगा और ऐक्ट बन जाएगा और आर्डिनेन्स के माध्यम से 3 महीने का कार्यकाल इसका बढ़ाया गया। उसके बाद 6 महीने, फिर साल भर, इस तरह से धीरे-धीरे 3 साल का समय आपने ले लिया। अभी भी आप निश्चित नहीं हैं कि 31 दिसम्बर, 75 तक यह बिल यहां आ जाएगा या नहीं। इसमें यह संशोधन हमारी तरफ से आना चाहिये था कि इसको 10 साल का मौका दे दिया जाए। क्योंकि कुछ ऐसी मुदें हैं, जिनमें इनका केवल नारा है, लेकिन कार्यरूप में परिणत करने की जहां तक बात है, उसमें बिलकुल शून्य हैं। श्री उदित नारायण शर्मा जी यह कहते हुये चले गये और आप क्या चाहते हैं कि आप भी इसको लेकर रिटायर हो जाएं। आप स्पष्ट बताएं कि 9 महीने के बाद क्या यह आ जाएगा, उसके बाद समय नहीं बढ़ेगा। नहीं तो अनिश्चितता के वातावरण में जनता को बड़ा कष्ट हो रहा है। इसलिये आज इसे स्पष्ट हो जाना चाहिये, चाहे मुख्य मंत्री जी द्वारा हो या माल मंत्री जी द्वारा हो, कि 9 महीने में यह बिल आ जाएगा, क्योंकि उसी 9 महीने में काम निकल आए।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)--

अध्यक्ष महोदय, जो माननीय मंत्री जी ने बिल सदन के सामने रखा है, उसमें उन्होंने कारण नहीं बताया कि यह समय वह क्यों चाहते हैं। मैं मंत्री जी को यह बताना चाहता हूं कि श्रीमान, उदितनारायण शर्मा, जो बुन्देलखंड से आए थे, ने दो बिल सदन के सामने पेश किए थे। एक रूरल सीलिंग के बारे में था, जिसकी बड़ी चर्चा हुई, निकाली गई जमीन कहां गई; पता नहीं। तारीखों को बदला गया। इस तरह से इस बिल के लिये 3 साल का लम्बा समय मिल गया आपको और इसमें जो आपका उद्देश्य था कि हम गरीब आदमियों को जमीन दे देंगे, मकान बड़े आदमियों से ले लेंगे, वह आज खत्म हो चुका है। आज वह खत्म हो चुका है। मैं समझता हूं कि नौ महीने जो आप दे रहे हैं, इतनी बड़ी अवधि दी है जिसमें लोग अपना मकान बेंच कर, कलेक्टर को रिश्वत दे कर, तहसीलदार से लिखवा पढ़वा कर, पाक-साफ हो जायं। आज आपके संसद के सामने बिल है। उस बिल को ला कर पास करा सकते थे। कोई बड़ी कठिनाई नहीं थी। आज प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि क्या कठिनाई है जो उसको नहीं लाया गया। यही आप कहें कि संसद में पास हो जायगा। हम से मतलब नहीं है। वह सारे भारत के लिये होगा। आप आज अपनी बात साफ नहीं कर पा रहे हैं कि इस सदन में उस बिल को लायेंगे या उसी को लागू करके काम करेंगे। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि किस कारण से समय ले रहे हैं।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

श्रीमन्, माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया और यह नौ महीने का जो टाइम लिया गया है बड़े महत्व का है। कुछ न कुछ होता ही है, जब भगवान ने नौ महीने लिए हैं तो बड़े महत्व की चीज है। इसलिये इसमें कुछ कहने की बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

मालूम होता है कि होली का अवसर सर पर है।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अधिकतम सम्पत्ति सीमा (अन्तरण पर अस्थायी निर्बन्धन) (संशोधन) विधेयक, 1975 जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 2 से

घोषणा

2--एतद् द्वारा यह घोषणा की जाती है कि यह अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 39 के खण्ड (ख) तथा (ग) में विनिर्दिष्ट सिद्धान्तों को सुनिश्चित करने की दशा में राज्य-नीति को कार्यान्वित करने के लिये बनाया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 36, 1972 की धारा 1 की संशोधन।

3--उत्तर प्रदेश अधिकतम सम्पत्ति सीमा (अन्तरण पर अस्थायी निर्बन्धन) अधिनियम, 1972, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 1 में, उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय,

"(3) यह अधिनियम 31 दिसम्बर, 1975 को समाप्त होगा"

धारा 3 का संशोधन :

4--मूल अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात्:--

"(1) इस अधिनियम के प्रवर्तन की अवधि में कोई व्यक्ति, उपधारा (3), (4) और (5) में स्पष्टतया की गई व्यवस्था के सिवाय, किसी शहरी सम्पत्ति का अन्तरण नहीं करेगा।"

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड 2, खंड 3 और खंड 4 इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश अधिकतम सम्पत्ति सीमा (अन्तरण पर अस्थायी निर्बन्धन) (संशोधन) विधेयक, 1975

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश अधिकतम सम्पत्ति सीमा (अन्तरण पर अस्थायी निर्बन्धन) अधिनियम, 1972 का अग्रेतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के छब्बीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

संक्षिप्त नाम

1--यह अधिनियम उत्तर प्रदेश अधिकतम सम्पत्ति सीमा (अन्तरण पर अस्थायी निर्बन्धन) (संशोधन) अधिनियम, 1975 कहलायेगा।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खण्ड 1, प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश अधिकतम सम्पत्ति सीमा (अन्तरण पर अस्थायी निर्बन्धन) (संशोधन) विधेयक, 1975, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अधिकतम सम्पत्ति सीमा (अन्तरण पर अस्थायी निर्बन्धन) (संशोधन) विधेयक, 1975, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

अब आपकी क्या राय है ? आगे चलेंगे ?

(सहमति न मिलने पर)

अब हम उठते हैं। 31 तारीख को 11 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 14 मिनट पर सोमवार, 31 मार्च, 1975 के 11 बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया ।)

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
25 मार्च, 1975।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 5 का उत्तर पीछे पृष्ठ. 999 पर)

मकान नं0 27, महात्मा गांधी मार्ग, इलाहाबाद मुख्य नगर अधिकारी के निवास स्थान में जो फर्नीचर तथा अन्य सामान थे उनकी सूची निम्नलिखित है--

सूची—1

			नम्बर
1--गोदरेज टेबुल (टी-8-माडल)	..	..	1 ,,
2--गोदरेज टेबुल (शीशा लगा हुआ)	..	..	1 ,,
3--गोदरेज स्टील (रिवालविंग चेयर)	..	..	2 ,,
4--गोदरेज स्टील पाइप चेयर	..	..	12 ,,
5--गोदरेज बुक शेल्व (ग्लास)	..	..	2 ,,
6--गोदरेज स्टील आलमारी	..	..	3 ,,
7--गोदरेज स्टूल ..	..	..	2 ,,
8--पेडेस्ट्रल हीटर तथा पंखा के साथ	..	..	1 ,,
9--गोदरेज पेपर बास्केट ..	..	..	2 ,,
10--गोदरेज फाइल ट्रे (बड़ा)	..	..	1 ,,
11--गोदरेज फाइल ट्रे (छोटा)	..	..	1 ,,
12--स्टील फाइल ट्रे ..	..	..	3 ,,
13--लकड़ी का रैक ..	..	..	3 ,,
14--लोहे का कैश बाक्स ..	..	..	1 ,,
15--कपड़े का परदा ..	..	..	18 ,,
16--प्लास्टिक का परदा ..	.	..	7 ,,
17--इग्जास्ट फैन कूलर ..	..	..	2 ,,
18--सीलिंग फैन ..	..	..	17 ,,
19--फोटो आयल पेंटिंग ..	..	..	6 ,,
20--दिवाल घड़ी ..	..	..	1 ,,
21--कारपेट (काटन) 7'×4'	..	..	1 ,,
22--लकड़ी की मेज ..	..	..	5 ,,
23--इजी चेयर ..	..	..	8 ,,
24--आफिस चेयर ..			3 ,,
25--आर्मलेस चेयर ..	..	..	6 ,,
26--बरेली टाइप चेयर ..	..	..	8 ,,
27--कुर्सी गड़ारीदार ..	..	..	6 ,,
28--लकड़ी का स्टूल ..	..	..	2 ,,
29--बोनस वाटर हीटर ..	..	..	2 ,,
30--कमोड टाप के साथ ..	..	..	3 ,,
31--शीशा ..	..	..	3 ,,
32--लकड़ी का हैंगर ..	..	..	1 ,,
33--गोदरेज सोफा सेट (एक बड़ा, दो छोटा) ..		..	1 सेट
34--गोदरेज शीशे की गोल मेज ..		..	1 नम्बर
35--ऐश ट्रे (पीतल का) ..		..	1 ,,
36--लकड़ी की आलमारी ..	..	..	1 ,,
37--लकड़ी की छोटी आलमारी ..		..	1 ,,
38--बिजली का झाड़ (चार बल्बों का)		..	1 ,,

सूची—1

		नम्बर
39—लकड़ी का शेल्व फाइल रखने वाला (बड़ा)	..	1 ,,
40—लकड़ी का हैट रैक	..	1 ,,
41—लकड़ी की बेंच	..	1 ,,
42—पीकदान	..	1 ,,
43—लकड़ी का इनवेलप होल्डर ..	..	1 ,,
44—टेलीफोन स्टैंड स्टील	..	2 ,,
45—टेबुल लैम्प	..	1 ,,
46—रीटा फलैस शेड (राउण्ड) ..	..	2 ,,
47—प्लास्टिक बल्व कवर (राउण्ड) ..	..	2 ,,
48—मरकरी लैम्प ..	..	1 ,,
49—कार्यालय टेलीफोन	..	1 ,,
50—बेड रूम टेलीफोन	..	1 ,,

सूची 1 में से उन सामानों का विवरण जो विभिन्न विभागों या स्थानों में है।

सूची—2 (क)

प्राधिकरण के कार्यालय में

1—गोदरेज टेबुल (टी 8 माडल) ..	..	1 नम्बर
2—गोदरेज टेबुल (शीशा लगा हुआ) ..	..	1 ,,
3—गोदरेज रिवाल्विगं चेयर ..	..	2 ,,
4—गोदरेज स्टील पाइप चेयर ..	..	12 ,,
5—गोदरेज बुक शेल्व (ग्लास) ..	..	2 ,,
6—गोदरेज स्टील आलमारी ..	..	1 ,,
7—गोदरेज—स्टूल	..	2 ,,
8—गोदरेज वेस्ट पेपर बास्केट ..	..	2 ,,
9—फाइल ट्रे स्टील	..	2 ,,
10—लकड़ी की रैक	..	1 ,,
11—कपड़े का परदा	..	6 ,,
12—सीलिंग फैन		8 ,,
13—दिवाल घड़ी		1 ,,
14—लकड़ी की मेज		2 ,,
15—इजी चेयर		4 ,,
16—बरेली चेयर	..	8 ,,
17—लकड़ी की आलमारी	..	1 ,,
18—लकड़ी की छोटी आलमारी ..	..	1 ,,
19—लकड़ी का शेल्व फाइल रखने वाला (बड़ा)	.	1 ,,
20—पीकदान	..	2 ,,

सूची—2 (ख)

विकास प्राधिकरण के स्टोर में

1—गोदरेज स्टील अलमारी ..	..	2 ,,
2—पेडस्टल हीटर तथा पंखा के साथ ..	..	1 ,,
3—गोदरेज फाइल ट्रे (बड़ा) ..	..	1 ,,

4—गोदरेज फाइल ट्रे (छोटा)	1	नम्बर
5—फाइल ट्रे स्टील	1	,,
6—लोहे का कैश बाक्स	1	,,
7—प्लास्टिक का परदा	7	,,
8—इंजास्ट फैन कूलर	1	,,
9—सीलिंग फैन	3	,,
10—लकड़ी की मेज	1	,,
11—बोनस बाटर हीटर	2	,,
12—कमोड टाप के साथ	3	,,
13—शीशा	3	,,
14—लकड़ी का हैंगर	1	,,
15—ऐश ट्रे (पीतल का)	1	,,
16—बिजली का झाड (चार बल्बों का)	1	,,
17—लकड़ी का हैट रैक	1	,,
18—लकड़ी की बेंच	1	,,
19—टेलीफोन स्टेड स्टील	1	,,
20—रीटा फलैक्स शेड (राउंड)	2	,,
21—प्लास्टिक बल्व कवर (राउंड)	2	,,
22—मरकरी लैम्प	1	,,

सूची—2 (ग)

उपाध्यक्ष विकास प्राधिकारण के निवास में

1—कपड़े का परदा	9	नम्बर
2—फोटो आयल पेंटिंग	6	,,
3—कारपेट (काटन) 7'×4'	1	,,
4—लकड़ी की मेज	1	,,
5—इजी चेयर	3	,,
6—गोदरेज सोफा सेट (एक बड़ा) (दो छोटा)	1	सेट
7—गोदरेज शीशे की गोल मेज	1	नम्बर

सूची—2 (घ)

जज महापालिका न्यायाधिकरण

1—इजी चेयर	1	नम्बर
2—आफिस चेयर	3	,,

सूची—2 (च)

नगर अभियन्ता—1 के कार्यालय में

1—टेलीफोन स्टैंड स्टूल	1	नम्बर
2—आफिस टेलीफोन	1	,,

सची—2 (छ)

सचिव, विकास प्राधिकरण के कार्यालय में

1—लकड़ी का रैक	..	..	..	2 नम्बर
2—लकड़ी का स्टूल	..	..	..	1 ,,
3—लकड़ी का इनवेलप होल्डर		..	..	1 ,,

सूची—2 (ज)

सचिव, विकास प्राधिकरण के निवास स्थान में

1—बेड रूम टेलीफोन	..	..	..	1 नम्बर

सूची—2 (झ)

उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण के कार्यालय में

1—लकड़ी की मेज	..	..	..	1 नम्बर
2—आर्म लेस चेयर	..	..	..	6 ,,

सूची —2 (ट)

लेखाधिकारी, विकास प्राधिकरण के कार्यालय में

1—कपड़े का परदा	..	..	..	3 नम्बर
2—कुर्सी गड़ारीदार	..	.	.	6 ,,
3—लकड़ी का स्टूल	..	..	..	1 ,,
4—टेबुल लैम्प	..	..	..	1 ,,

सूची—2 (ठ)

बंगला नं0 7, हैस्टिंग्स रोड में

1—सीलिंग फैन	..	7सी0में	..	1 नम्बर
		7 डी0 में	..	1 ,,
				2 नम्बर

सूची नं0 2 (ड)

उपनगर अधिकारी (श्रीराम चन्द्र व्यास) के निवास स्थान पर

1—इग्जास्ट फैन कूलर	..	..	..	1 नम्बर

सूची—2 (ढ)

महापालिका, बर्कशाप में

1—सीलिंग फैन	..	..	..	2 नम्बर

सूची—2 (ण)

म्यूजियम कैंटिन में

1—सीलिंग फैन	..	..	..	2 नम्बर

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 6 का उत्तर पीछे पृष्ठ. 1003 पर)

—सूची—

1—छापे में निम्न अवैध सामान बरामद हुआ :—

(1) 19 बोतल रेक्टीफाइड स्प्रिट ।

(2) 47 हैवर्ड फाइन व्हिस्की के भरे हुए अद्धे ।

(3) कैरामल रम, जमेका रम, एसेन्स गिलिसरीन एवं डाइलूट एसिटिक एसिड ।

(4) विभिन्न प्रकार के विदेशी मदिरा के 491 लेबिल्स, 287 कैपसूल (ढक्कन), 2 खाली कागज के डिब्बे तथा खाली विदेशी शराब की 125 बोतलें, अद्धे व पव्वे आदि तथा एक लोहे की कीफ ।

2—निम्न व्यक्ति गिरफ्तार किये गये :—

(1) गोपाल सिंह, पुत्र गोसाई सिंह विष्ट ठाकुर, निवासी—इडा, थाना रानीखेत, जिला अल्मोड़ा ।

(2) श्रीमती जानकी देवी स्त्री गोपाल सिंह विष्ट ठाकुर, निवासी—इडा, थाना—रानीखेत, अल्मोड़ा ।

(3) नारायण सिंह, पुत्र कुशल सिंह ठाकुर, निवासी जैखना, थाना—रानीखेत—जिला अल्मोड़ा—साकिन हाल, 497/16, बाबूगंज—थाना हसनगंज, लखनऊ ।

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 34 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1013 पर)

प्रदेश में मलेरिया उन्मलन के लिये किए गए विशेष उपायों की सूची

1—मलेरिया से प्रभावित क्षेत्रों में नियमित रूप से कीटाणुनाशक दवाओं का 2 चक्र छिड़काव कराया जा रहा है ।

2—जिन ग्रामों में मलेरिया, का कम प्रभाव था वहां पर फोकल स्प्रे कराया जा रहा है ।

3—ज्वर से पीड़ित लोगों को मलेरिया औषधि का वितरण किया जा रहा है।

4—जो व्यक्ति मलेरिया रोग से ग्रसित पाए जाते हैं उनको 5 दिनों की अवधि तक रेडिकल ट्रीटमेन्ट दिया जाता है ।

5—सर्वलेन्स आपरेशन को तीव्र एवं चुस्त बनाया जा रहा है जिससे ज्वर से पीड़ित व्यक्तियों का शीघ्रता से उपचार किया जा सके ।

6—जिन जनपदों/इकाइयों में मलेरिया के अधिक रोगी पाए जाते हैं उनको रेडिकल ट्रीटमेन्ट के लिये स्थानीय मलेरिया स्टाफ की सहायता के लिये अन्य कर्मचारियों को भी लगाया जा रहा है ।

7—सीमावर्ती राज्यों के मलेरिया विशेषज्ञों की बैठक की गई जिसमें मलेरिया के प्रकोप पर काबू पाने के उपायों पर विचार हुआ ।

8—1974 में प्रदेश में मलेरिया की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने एक विशेष कन्सल्टेटिव कमेटी का गठन किया है जिसमें उपलब्ध साधनों को देखते हुए मलरिया की रोकथाम की सिफारिशें भारत सरकार को प्रेषित कर दी हैं। भारत सरकार का निर्णय प्राप्त होने पर उसी के आधार पर मलेरिया की रोकथाम के लिये आगे की कार्यवाही की जायेगी ।

9—भारत सरकार द्वारा गठित कन्सल्टेटिव कमेटी की सिफारिशों पर भारत सरकार द्वारा निर्णय लिए जाने में विलम्ब की सम्भावनाओं पर ध्यान रखते हुए मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम में अनुरक्षण प्रावस्था वाले क्षेत्रों में मलेरिया पर नियंत्रण पाने हेतु तत्कालिक कार्यवाही के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा आवश्यक प्रस्ताव भारत सरकार के अनुमोदन तथा उसके लिये 1 करोड़ 11 लाख रुपये की सहायता के लिये भेज दिए गए हैं।

बी० एस० यू० पी०—एल० 112 वि० सभा—(527)—1976—840 ।